FOR REFERENCE ONLY.

त्रयोदश माला, खंड 27, अंक 19

गुरुवार, 8 अगस्त, 2002

17 श्रावण, 1924 (शक)

लोक सभा वाद - विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दसवां सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. 54
Date. 13/6/2003

(खण्ड 27 में अंक 11 से 21 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी. सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

ललिता अरोड़ा
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

विषय सूची

त्रयोदश माला, खंड 27, दसवां सत्र, 2002/1924 (शक)

अंक 19, गुरुवार, 8 अगस्त, 2002/17 श्रावण, 1924 (शक)

विषय	**कॉलम**
अध्यक्ष द्वारा उल्लेख .	1, 2
(एक) अमरनाथ तीर्थयात्रियों पर आतंकवादी हमला	1
(दो) राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की उल्लेखनीय उपलब्धि	2
(तीन) महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि	2
सूरीनाम के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत	1-2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 361 और 362	3-6
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 363 से 380	6-66
अतारांकित प्रश्न संख्या 3683 से 3912	67-310
अल्प सूचना प्रश्न संख्या 1	310-314

---

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

लोक सभा

गुरुवार, 8 अगस्त, 2002/17 श्रावण, 1924 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

(एक) अमरनाथ तीर्थयात्रियों पर आतंकवादी हमला

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा में एक उल्लेख करना है।

जैसा कि सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि 6 अगस्त, 2002 को पहलगाम के निकट नुनवन में आधार शिविर पर आतंकवादियों द्वारा अंधाधुंध गोलियां चलाए जाने से अमरनाथ गुफा जाने वाले नौ तीर्थयात्री मारे गए और लगभग 50 घायल हो गए।

हम इन तीर्थयात्रियों के निधन पर अपना गहरा दुःख प्रकट करते हैं और आतंकवाद के इस क्रूर कृत्य की निन्दा करते हैं। यह सभा इस दुखद घटना पर गहरा शोक प्रकट करती है।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहेंगे।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

(तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।)

पूर्वाह्न 11.02 बजे

[अनुवाद]

सूरीनाम के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत

अध्यक्ष महोदय : मित्रो, मुझे एक शिष्टमंडल का स्वागत करना है।

मैं अपनी तथा सभा के माननीय सदस्यों की ओर से भारत भ्रमण पर आए अपने सम्माननीय अतिथियों सूरीनाम की नेशनल असेम्बली के स्पीकर महामहिम श्री रामदीन सरदजो और सूरीनाम संसदीय शिष्टमंडल के अन्य माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत करता हूं।

शिष्टमंडल 7 अगस्त, 2002 को भारत आया। शिष्टमंडल के सदस्य इस समय विशेष प्रकोष्ठ में विराजमान हैं। हम कामना करते हैं कि हमारे देश में उनका प्रवास सुखद और लाभप्रद हो। हम उनके माध्यम से सूरीनाम के प्रेसीडेंट, संसद और जनता को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

[अनुवाद]

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख—जारी

(दो) राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की उल्लेखनीय उपलब्धि

अध्यक्ष महोदय : जैसा कि सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि हाल ही में मैनचेस्टर, यूनाइटेड किंग्डम में सम्पन्न हुए सत्रहवें राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने 32 स्वर्ण, 21 रजत और 19 कांस्य पदक जीतकर देश को गौरवान्वित किया है।

यह सभा इन प्रतिभावान खिलाडियों की शानदार और अभूतपूर्व उपलब्धि के लिए उनकी हार्दिक प्रशंसा करती है। मैं अपनी ओर से तथा समूची सभा की ओर से देश की प्रतिष्ठा में चार चांद लगाने वाले इन खिलाड़ियों को उनकी गौरवपूर्ण सफलता पर बधाई देता हूं।

(तीन) महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि

अध्यक्ष महोदय : आज का दिन भारतीय इतिहास में एक चिरस्मरणीय दिन है। साठ वर्ष पहले 8 अगस्त, 1942 को महत्वपूर्ण 'भारत छोड़ो संकल्प' पारित किया गया था।

इस अवसर पर हम गांधी जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब हम प्रश्न काल शुरू करेंगे।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मैंने प्रश्न काल के निलंबन के लिए नोटिस दिया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 361, डा. (श्रीमती) राजेश्वरम्मा वुक्कला।

(व्यवधान)

डा. राजेश्वरम्मा वुक्कला : प्रश्न संख्या 361...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.04 बजे

[अनुवाद]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

भूख पर अस्थायी नियंत्रण और बिना थके लंबी दूरी तक चलने के संबंध में अनुसंधान

+

*361. **डा. राजेश्वरम्मा वुक्कला** :
श्री जी. गंगा रेड्डी :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुणे विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन में भूख पर अस्थायी नियंत्रण और बिना थके लंबी दूरी तक चलने और अर्थशास्त्र पर आधारित रात्रि दृष्टि से संबंधित कौटिल्य की टिप्पणियों (नोट्स) पर अनुसंधान कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या वे किसी निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने पुणे विश्वविद्यालय में 'कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लिखित युद्ध पद्धतियों के वैज्ञानिक अनुसंधान' पर एक लघु अकादमिक परियोजना का वित्त-पोषण किया है।

(ख) और (ग) पशुओं की भूख और थकान कम करने की क्षमता रखने वाले कुछ पौधों का पता लगाया गया है। अनुसंधान एवं प्रायोगिक कार्य चल रहे हैं। रात्रि-दृष्टि पर अनुसंधान नहीं किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है।...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है।...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.05 बजे

(इस समय श्री कांतिलाल भूरिया और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए)

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 362। श्री सुरेश रामराव जाधव।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, कृपया आप अपने-अपने स्थान पर जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अपने-अपने स्थान पर जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : प्लीज, अपनी-अपनी जगह पर जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने–अपने स्थान पर जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री सुरेश जाधव को बोलने के लिए कहा है।

(व्यवधान)

श्री सुरेश रामराव जाधव : प्रश्न संख्या 362।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया विद्युत मंत्री जवाब दें।

(व्यवधान)

राज्य विद्युत विनियामक आयोग के लिए नए नियम

*362. **श्री सुरेश रामराव जाधव** : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार राज्य विद्युत विनियामक आयोगों के लिए नए नियम बनाने की प्रक्रिया में है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नए नियमों को कब तक प्रख्यापित किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) राज्य सरकारें विद्युत विनियामक आयोग (ईआरसी) अधिनियम (ईआरसी) 1998 की धारा 57 या अपने सुधार अधिनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत, जैसा भी मामला हो, राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (एसईआरसी) के संबंध में नियम तैयार करती हैं।

ईआरसी अधिनियम 1998 की धारा 13 (ई) में यह परिकल्पना की गई है कि केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग की 'सहायता एवं सलाह' से एक टैरिफ नीति तैयार करेगी, जो

(i) उपभोक्ताओं के लिए न्यायोचित होगी और

(ii) विद्युत क्षेत्र हेतु पर्याप्त संसाधन जुटाए जाने को सुगम बनाएगी।

विद्युत मंत्रालय ने टैरिफ नीति पर एक आशय पत्र तैयार करने के लिए विशेष सचिव (विद्युत) की अध्यक्षता में एक समूह की स्थापना की है। इस समूह द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को विभिन्न स्टेकहोल्डरों और विशेषज्ञों को उनका मत प्राप्त किए जाने हेतु परिचालित किया गया है। कार्यकारी समूह की रिपोर्ट पर विभिन्न स्टेकहोल्डरों और विशेषज्ञों की टिप्पणियों एवं मतों पर विचार करने के पश्चात् टैरिफ नीति को अंतिम रूप देने के लिए विद्युत सचिव के अधीन एक उच्च स्तरीय समिति का भी गठन किया गया है। इस प्रक्रिया को तीन माह में पूरा कर लिए जाने का कार्यक्रम है।

विद्युत विधेयक 2001, जो कि ऊर्जा संबंधी संसदीय स्थाई समिति के विचाराधीन है, में एक प्रावधान है कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के परामर्श से एक राष्ट्रीय विद्युत नीति (टैरिफ नीति समेत) तैयार करेगी। इसमें यह भी प्रावधान है कि विनियामक आयोग टैरिफ का निर्धारण करते समय राष्ट्रीय विद्युत नीति (टैरिफ नीति समेत) को ध्यान में रखेगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 363। श्री थावरचंद गेहलोत।

(व्यवधान)

श्री थावरचन्द गेहलोत : प्रश्न संख्या 363...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रश्नों के लिखित उत्तर

यात्री रेल डिब्बों में सुधार

*363. **श्री थावरचन्द गेहलोत** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने ट्रेन दुर्घटनाओं में मृतकों की संख्या में कमी लाने हेतु यात्री रेल डिब्बों में सुधार संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त डिब्बों और वर्तमान में उपयोग में लाए जा रहे डिब्बों की निर्माण लागत में कितना अंतर है और उनके मंत्रालय को इसके लिए कितना अतिरिक्त वित्तीय बोझ वहन करना पड़ेगा;

(घ) वर्तमान वर्ष के दौरान उक्त विशेष डिब्बों के निर्माण हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ङ) आरंभ में किन-किन रेलगाड़ियों में उपरोक्त डिब्बे लगाए जाएंगे; और

(च) उक्त डिब्बे रेल मार्गों पर चलाने के लिए कब तक उपलब्ध हो जाएंगे?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) से (ग) सवारी डिब्बों की टक्कर-रोधी क्षमता में और सुधार लाने तथा दुर्घटनाओं के मामलों में हताहतों की संख्या में कमी करने के उद्देश्य से रेलों ने निम्नलिखित तीन प्रकार के तरीके अपनाए हैं :

1. तेज धार वाले किनारों, कोनों तथा आंतरिक बनावट में उभारों से या गिरने वाली वस्तुओं से यात्रियों को चोट लगने के जोखिम को कम से कम करने के लिए सवारी डिब्बे की आंतरिक बनावट का डिजाइन पुनः तैयार करना और छत पर यात्रा करने के खतरनाक चलन को बंद करने के लिए सवारी डिब्बों के छोरों में संशोधन करना। इसको हासिल करने के उद्देश्य से रेलवे ने नवनिर्मित सवारी डिब्बों की आंतरिक बनावट में 51 संशोधन करने के एक प्रस्ताव को पारित किया है। वर्तमान सवारी डिब्बों में भी ये संशोधन किए जाएंगे। इनका क्रियान्वयन इस समय प्रगति पर है। इन संशोधनों के कारण निर्माण लागत में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है और इसलिए इनके कारण अतिरिक्त वित्तीय बोझ बहुत मामूली है।

2. दुर्घटनाओं/टक्करों के मामलों में सवारी डिब्बों के एक-दूसरे पर चढ़ जाने तथा उस कारण व्यक्तियों के हताहत होने की संभावनाओं को यदि पूर्णतया समाप्त न भी किया जा सके तो भी इसमें और कमी लाने के लिए कतिपय एंटी-क्लायंबिंग विशेषताओं को शामिल करना तथा इस प्रयोजन के लिए एंटी-क्लायंबिंग विशेषताओं से युक्त कपलरों वाले सवारी डिब्बों की शुरूआत करने का प्रस्ताव है। इन कपलरों की लागत प्रति सवारी डिब्बे 7 लाख रुपए है और बढ़े हुए उपयोग से इसमें और कमी आने की संभावना है।

3. सवारी डिब्बों के ढांचों के डिजाइन इस प्रकार तैयार करना कि दुर्घटनाओं या टक्करों के दौरान इनके प्रभाव की अधिकांश ऊर्जा को आत्मसात करने के लिए यात्रियों की ढुलाई न करने वाले हिस्से नियंत्रित तरीके से ढहें और यात्री की ढुलाई करने वाले हिस्सों को सावुत रखें। सवारी डिब्बे के ऐसे ढांचे से सर्वाधिक भीषण दुर्घटना में भी यात्रियों का बहुमूल्य जीवन बच सकता है। आधुनिकतम प्रौद्योगिकियों के साथ ऐसा डिजाइन विकसित करने की एक परियोजना शीघ्र ही शुरू की जा रही है। उन्नत डिजाइन के विकसित हो जाने के बाद ही टक्कर-रोधी क्षमता वाले सवारी डिब्बों का ढांचा अपनाने के वित्तीय फलितार्थों का आकलन किया जा सकेगा।

(घ) से (च) सवारी डिब्बा कारखाना (सडिका), चेन्नै ने पहले ही उन्नत आंतरिक बनावट वाले सवारी डिब्बों का निर्माण शुरू कर दिया है और ऐसे सवारी डिब्बे पहले से ही सेवा में उपलब्ध हैं। रेल डिब्बा कारखाना (रेडिका), कपूरथला ने कुछ संशोधन क्रियान्वित किए हैं और शेष संशोधन शीघ्र ही अपनाए जाने की आशा है। ऐसे सवारी डिब्बे उपलब्ध कराने के लिए किसी गाड़ी विशेष की पहचान नहीं की गई है क्योंकि उन्नत आंतरिक बनावट वाले संशोधित सवारी डिब्बे अगले 3 से 4 वर्ष के भीतर उत्तरोत्तर उपलब्ध होने की संभावना है जिससे अधिकांश गाड़ियों की आवश्यकता पूरी हो जाएगी। नए प्रकार के कपलर के साथ जर्मनी के नए डिजाइन वाले एलएचबी प्रकार के सवारी डिब्बों का निर्माण पहले ही शुरू हो चुका है।

टक्कर-रोधी ढांचे वाले सवारी डिब्बे अगले दो-तीन वर्ष में विकसित हो जाने की संभावना है। तत्पश्चात, सफल विकास के आधार पर ऐसे सवारी डिब्बों को उत्तरोत्तर सेवा में लगाया जाएगा।

[अनुवाद]

स्वतंत्र राष्ट्रकुल देशों में इक्विटी संबंधी हिस्सेदारी

***364. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का रूस और मध्य एशिया से बरारता–चीन मार्ग बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत के तेल और प्राकृतिक गैस निगम–विदेश सहित विश्व की कंपनियों की राष्ट्रकुल स्वतंत्र देशों (सी.आई.एस.) की इक्विटी हिस्सेदारी प्राप्त करने में गहरी रुचि है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) चीन के रास्ते मध्य एशिया से पाइपलाइन द्वारा भारत को कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का परिवहन एक ऐसी संकल्पना है जिसकी तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता अभी तक सिद्ध नहीं हुई है।

(ग) और (घ) ओ.एन.जी.सी.–विदेश लिमिटेड (ओ.वी.एल.) जो आयल और नेचुरल गैस कारपोरेशन लि. (ओ.एन.जी.सी.) की शत–प्रतिशत सहायक कंपनी है, विदेश में विभिन्न देशों में इक्विटी तेल प्राप्त करने में सक्रिय है जिनमें रूस, कजाखस्तान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे स्वतंत्र राष्ट्रकुल देश सम्मिलित हैं। 2001 में ओ.वी.एल. ने लगभग 1.74 बिलियन अमरीकी डालर (लगभग 8,500 करोड़ रुपए) के अनुमानित निवेश के साथ रूस की सखालिन–1 परियोजना में 20% हिस्सा प्राप्त किया।

टिप्पणी : आज की तारीख में 1 डालर = 49.10 रुपए।

विद्युत क्षेत्र में सुधार

***365. श्री चन्द्र भूषण सिंह :** क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आफ इंडिया (ए.सी.सी.आई.आई.) ने विद्युत क्षेत्र में सुधारों के लिए एक छह सूत्री कार्यसूची प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार के विचार क्या हैं;

(ग) क्या ए.सी.सी.आई.आई. द्वारा प्रस्तुत एक कार्यसूची विद्युत शुल्क को युक्तिसंगत बनाने के बारे में थी; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

(घ) केन्द्र सरकार ने विद्युत टैरिफ के यौक्तिकरण हेतु विभिन्न कदम उठाए हैं, जैसे–

(i) राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में विद्युत संबंधी एक समिति गठित की। समिति द्वारा सितम्बर, 1994 में प्रस्तुत रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित की अनुशंसा की गई थी

– राज्य सरकारें विद्युत मंत्रालय/केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित न्यूनतम अखिल भारतीय कृषि टैरिफ अपनाएं तथा उन्हें हानियों, यदि कोई हो, की क्षतिपूर्ति के लिए पारदर्शी तरीके से राज्य विद्युत बोर्डों को सब्सिडी देने पर सहमत होना चाहिए।

– कृषि उपभोक्ताओं को क्रमिक रूप से सब्सिडी प्रदान करना बंद किया जाना चाहिए।

(ii) वर्ष 1996 में आयोजित विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में विद्युत संबंधी एक सामान्य न्यूनतम राष्ट्रीय कार्ययोजना को अंगीकृत किया जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ निम्न परिकल्पित किया गया है।

कोई भी क्षेत्र औसत आपूर्ति लागत के 50% से कम भुगतान नहीं करेंगे (विद्युत उत्पादन तथा पारेषण एवं वितरण की लागत) और कृषि क्षेत्र के लिए टैरिफ 50 पैसे/किलोवाट घंटा से कम

नहीं होगा जिसे 3 वर्षों से भी कम अवधि में औसत लागत के 50% के समतुल्य लाना अपेक्षित है।

(iii) भारत सरकार ने टैरिफ के यौक्तीकरण तथा सब्सिडी के संबंध में पारदर्शी नीति लाने के उद्देश्य से विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 का अधिनियम किया है। विनियामक आयोगों से अपेक्षा की जाती है कि वे टैरिफ निर्धारण इस प्रकार करें कि इसमें आपूर्ति लागत उत्तरोत्तर प्रतिबिंबित हो, कार्यकुशलता, मितव्ययिता एवं प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन मिले/विनियामक आयोगों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे यह भी सुनिश्चित करे कि उपभोक्ताओं के हित सुरक्षित रहे और साथ ही उपभोक्ता औसत आपूर्तिलागत के आधार पर उचित तरीके से उपयोग की गई बिजली हेतु भुगतान करें। अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि राज्य सरकार यदि यह अपेक्षित समझती है कि किसी उपभोक्ता या उपभोक्ता वर्ग को राज्य आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ में कोई सब्सिडी प्रदान की जाए तो राज्य सरकार सब्सिडी प्रदान किए जाने से प्रभावित हुए व्यक्ति को प्रतिपूर्ति राशि प्रदान करेगी।

(iv) दिनांक 26.2.2000 को आयोजित मुख्यमंत्रियों/विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में यह माना गया कि क्रॉस-सब्सिडी को बनाए नहीं रखा जा सकता है, यदि औद्योगिक टैरिफ उद्योग को गैर प्रतियोगी बना दे।

(v) दिनांक 3.3.2001 को आयोजित मुख्यमंत्रियों/विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में अन्य बातों के साथ-साथ संकल्प लिया गया कि--

- त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम एवं अन्य कार्यक्रमों के जरिए विद्युत की आपूर्ति की गुणवत्ता विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, तेजी से सुधार किया जाए।
- अगले 6 माह में एसईआरसी को चालू किया जाए और टैरिफ फाइल की जाए। केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग एवं राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेशों को पूर्णतः क्रियान्वित करने की जरूरत है, जब तक कि इन्हें न्यायालय के आदेश के द्वारा स्थगित या निरस्त न कर दिया जाए। इसके अलावा मुफ्त बिजली देने की प्रवृत्ति को समाप्त करना भी आवश्यक है।
- मुख्यमंत्रियों द्वारा पूर्व में लिए गए निर्णयों के अनुसरण में 50 पैसे की न्यूनतम कृषि टैरिफ को अविलंब लागू किया जाए।

(vi) विद्युत विधेयक 2001, जो कि संसद में प्रस्तुत किया गया है, में यह प्रावधान है कि टैरिफ से आपूर्ति लागत उत्तरोत्तर प्रतिबिंबित होना चाहिए और क्रास सब्सिडी उत्तरोत्तर कम व समाप्त हो जाए। विधेयक में आगे प्रावधान है कि यदि राज्य सरकार किसी उपभोक्ता या उपभोक्ता वर्ग को सब्सिडी प्रदान करती है तो वह सब्सिडी प्रदान करने से प्रभावित हुए व्यक्ति को प्रतिपूर्ति धनराशि का भुगतान अग्रिम रूप में तथा उस तरीके से करेगी जैसा कि निर्धारित किया जाए। इसमें यह भी प्रावधान है कि यदि राज्य सरकार विधिक प्रावधानों के अनुसार सब्सिडी का भुगतान नहीं करती है तो सब्सिडी संबंधी राज्य सरकार के दिशा निर्देश प्रचालनात्मक नहीं होंगे।

(vii) यह नोट किया जा सकता है कि भारत सरकार द्वारा आरंभ सुधार उपायों का अनंतिम उद्देश्य उपभोक्ताओं के लिए वहनीय दरों पर विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। वर्तमान में यह देखा गया है कि विद्युत क्षेत्र सुधार की वास्तविक चुनौती वितरण क्षेत्र में है। वितरण सुधार के संबंध में विभिन्न कदम उठाए गए हैं। सुधार नीति में तकनीकी उच्चीकरण और शासन के मुख्य मुद्दों के समाधान का प्रावधान है। शासन के संबंध में मुख्यतः निम्न पर जोर प्रदान किया जाना है--

- 11 केवी सब-स्टेशन/फीडर पर ऊर्जा लेखा परीक्षा
- 11 केवी फीडरों/उपभोक्ताओं की 100% मीटरिंग

- चोरी का पता लगाना और उन्हें पूर्णतः समाप्त करना
- लाभ केन्द्र/निम्न स्तर पर जिम्मेदारी
- ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों/उपभोक्ता संघों के माध्यम से वितरण का विकेन्द्रीकृत प्रबंधन

तकनीकी मामले में तकनीकी हानि में 10% कमी करने की गुंजाइश है।

- प्रणालीगत हानि में कमी करने के लिए परियोजनाओं का वित्तपोषण करने हेतु त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम आरंभ किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वितरण क्षेत्र में निवेश करने वाले राज्यों के लिए केन्द्रीय अनुदान के रूप में प्रोत्साहन प्रदान करने की परिकल्पना की गई है बशर्ते प्रतियूनिट लाभ और राजस्व के बीच अंतर पाटने में प्रगति संतोषजनक हो।
- विद्युत क्षेत्र में गुणवत्ता सेवा सुधारने में सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने के उद्देश्य से सूचना प्रौद्योगिकी और विद्युत क्षेत्र के बीच सहक्रिया उत्पन्न करने और ऊर्जा लेखा परीक्षा करने के उद्देश्य से प्रभावी प्रबंध सूचना प्रणाली बनाने के लिए एक कृतक बल गठित किया गया है जो बिजली की चोरी के लिए प्रभावी कार्रवाई की अनुमति भी प्रदान करेगा।
- अनेक राज्यों ने बिजली की चोरी में कमी करने/पूर्णतः समाप्त करने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने चोरी रोधी कानून पारित कर लिए हैं। विद्युत विधेयक 2001, जो संसद में प्रस्तुत किया गया है, में बिजली चोरी के लिए कठोर प्रावधान बनाए गए हैं।

इन उपायों के अतिरिक्त ऊर्जा के दक्ष उपयोग में सुधार लाने के लिए ऊर्जा संवर्द्धन पर भी प्रदान किया गया है, विनियामक आयोगों को विद्युत उद्योग में प्रतिस्पर्धा और कार्यकुशलता को प्रोत्साहित करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। इन सभी उपायों से विद्युत क्षेत्र के कार्य निष्पादन में सुधार होने तथा परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं के लिए युक्तिसंगत टैरिफ के वांछित परिणाम प्राप्त होने की संभावना है।

छावनी बोर्डों के चुनाव

***366. श्री कमलनाथ** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने छावनी बोर्डों में राजनीतिक दलों के चुनाव चिह्नों पर और कितने में राजनीतिक दलों के चुनाव चिह्नों के बिना चुनाव लड़े जाते हैं;

(ख) क्या छावनी अधिनियम, 1924 में राजनीतिक दलों के चुनाव चिह्नों पर चुनाव कराने का उल्लेख है और क्या 1973 में राजनीतिक दलों के लिए नियत किए गए चुनाव चिह्नों पर छावनी बोर्डों के चुनाव न कराए जाने संबंधी निदेश जारी किए गए थे;

(ग) क्या 1973 के निदेशों के बावजूद राजनीतिक दलों के चुनाव चिह्नों पर कुछ चुनाव कराए गए;

(घ) क्या सरकार छावनी बोर्डों के चुनाव राजनीतिक दलों के चुनाव चिह्नों पर नहीं कराने के लिए कड़े अनुदेश जारी करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) 12 छावनी बोर्डों में राजनीतिक दलों के चिह्नों पर चुनाव लड़े जाते हैं जबकि बादामी बाग को छोड़कर, जहां पिछले आतंकवादी हमले के दौरान अभिलेख जला दिए जाने के कारण स्थिति की पुष्टि नहीं हो पाई है, शेष छावनी बोर्डों में राजनीतिक दलों के चिह्नों पर चुनाव नहीं लड़े जाते हैं।

(ख) छावनी अधिनियम में राजनीतिक दल के चिह्नों पर चुनावों का उल्लेख नहीं है। तथापि, वर्ष 1973 में छावनी बोर्ड के अध्यक्षों को यह सलाह देते हुए निदेश जारी किए गए थे कि वे छावनी बोर्ड के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को, जहां तक संभव हो, और अपने विवेक से, किसी दल का चिह्न आवंटन न किए जाने के बारे में रिटर्निंग अफसरों को बताएं।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। मौजूदा अनुदेश पर्याप्त समझे गए हैं।

रसोई गैस और मिट्टी के तेल के अंतरराष्ट्रीय और घरेलू मूल्यों में अंतर

*367. **श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रसोई गैस और मिट्टी के तेल के अंतरराष्ट्रीय और घरेलू मूल्यों के बीच के अंतर में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में इस अंतर को कम करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) पी डी एस मिट्टी तेल और घरेलू एल.पी.जी. के उपभोक्ता मूल्यों में अंतिम बार 1 मार्च, 2002 को संशोधन किया गया था। इन उत्पादों के अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में उस समय से वृद्धि होती रही है।

(ख) प्रशासित मूल्य निर्धारण पद्धति (ए पी एम) की समाप्ति पर सरकार के निर्णयानुसार पी डी एस मिट्टी तेल और घरेलू एल.पी.जी. पर ए पी एम उपरांत भी राजसहायता जारी रहेगी और इन उत्पादों पर राजसहायता 1 अप्रैल, 2002 से विनिर्दिष्ट एक समान दर पर होंगी। इन उत्पादों के खुदरा बिक्री मूल्यों में अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में मूल्यों में परिवर्तन के अनुसार परिवर्तन होगा।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा पम्प सेटों को विद्युतचालित बनाना

*368. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु** : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) की देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के पम्पसेटों को विद्युतचालित बनाने हेतु धनराशि उपलब्ध कराने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो पम्पसेटों को विद्युतचालित बनाने के लिए कार्यान्वित की जा रही प्रणाली का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 2001–2002 के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने पम्पसेटों की खरीद हेतु धनराशि उपलब्ध कराई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम का इस योजना का कृषक समुदाय तक विस्तार करने की भी कोई योजना है; और

(च) यदि हां, तो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र की सहायता हेतु प्रस्तावित अतिरिक्त दी जाने वाली धनराशि का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) और (ख) रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लि. (आरईसी) राज्य विद्युत बोर्डों (रा.वि. बोर्डों)/राज्य विद्युत यूटिलिटियों/राज्य सरकारों को ऋण सहायता पम्पसेट ऊर्जीकरण स्कीमों के लिए प्रदान करता है। रा.वि. बोर्डों/राज्य विद्युत यूटिलिटियों/राज्य सरकारों द्वारा पम्पसेट ऊर्जीकरण स्कीमों का क्रियान्वयन अपनी प्राथमिकताओं और नीतियों के अनुसार किया जाता है। पम्पसेट ऊर्जीकरण स्कीमों के तहत आरईसी प्रत्येक पम्पसेट के लिए बिजली कनैक्शन प्रदान करने हेतु अपेक्षित विद्युत अवसंरचना तैयार करने के लिए ऋण सहायता प्रदान करता है।

वर्ष 2001–02 के दौरान रा.वि. बोर्डों/राज्य विद्युत यूटिलिटियों/राज्य सरकारों द्वारा पम्पसेट ऊर्जीकरण हेतु आरईसी से ऋण के रूप में कुल 185.86 करोड़ रुपये प्राप्त किए हैं और 139703 पम्पसेट उर्जित किए जाने की सूचना प्रदान की है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) आरईसी पम्पसेटों की खरीद हेतु वित्तपोषण प्रदान नहीं करता है।

(ङ) और (च) आरईसी एक वित्तीय संस्थान के रूप में निगम द्वारा निर्धारित सामान्य वाणिज्यिक शर्तों पर उनके द्वारा प्रायोजित पम्पसेट ऊर्जीकरण समेत पात्र ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं के लिए ऋण सहातया प्रदान करके रा.वि. बोर्डों/राजय विद्युत यूटिलिटियों के संसाधनों को पूरा करता है। आरईसी, रा.वि. बोर्डों/राज्य विद्युत यूटिलिटियों/राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित पात्र स्कीमों के लिए उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप पम्पसेट ऊर्जीकरण कार्यक्रम को ऋण

सहायता प्रदान करके उन्हें सहायता प्रदान करना/उनका विस्तार करना जारी रखेगा।

वर्ष 2002–03 के लिए आरईसी 360.00 करोड़ रुपये संवितरित करने की प्रत्याशा रखता है जिसमें 1.44 लाख पम्पसेटों के ऊर्जीकरण को शामिल किया जाएगा।

विवरण

वर्ष 2001–02 के दौरान आरईसी द्वारा वित्तपोषित स्कीमों के अंतर्गत प्राप्त ऋण व सूचित पम्पसेट ऊर्जन का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	विद्युत यूटिलिटियों द्वारा प्राप्त ऋण (लाख रुपये में)	सूचनानुसार उर्जीकृत पम्पसेटों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	1596	9423
2.	गुजरात	3070	6385
3.	हरियाणा	320	1519
4.	जम्मू व कश्मीर	162	568
5.	कर्नाटक	811	29770
6.	केरल	1159	10895
7.	महाराष्ट्र	3838	29194
8.	पंजाब	419	3500
9.	राजस्थान	5445	8249
10.	तमिलनाडु	1766	40200
	कुल	18586	139703

भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड को विदेशी क्रयादेश

***369. श्री पी. डी. एलानगोवन :**
श्री तूफानी सरोज :

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) द्वारा विदेशी क्रयादेश प्राप्त करने में दिखाई गई उत्कृष्टता के लिए उसे कोई प्रोत्साहन प्रदान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत दो वर्षों के दौरान आज की तारीख तक भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड ने कितने क्रयादेश प्राप्त किए हैं और कुल कितनी राशि का काम किया गया है;

(ग) क्या सरकार भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड का विस्तार करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स के लाभ में लगातार कमी आ रही है; और

(च) यदि नहीं, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष–वार, इस कंपनी के लाभ–हानि का ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटिल) : (क) से (च) सरकार भेल द्वारा निर्यात कार्यकलाप में वृद्धि करने के लिए उच्च प्राथमिकता देती है। भेल विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्द्धा के साथ बहुराष्ट्रीय जैसी सामान्य इलेक्ट्रीक्स, आल्सटॉम, सायमेन्स आदि में सफलता हासिल करने में सक्षम हुआ है तथा विदेशों अर्थात् ओमान, इराक, अजरबैजान, चीन, बंगलादेश में ही पर्याप्त आदेश प्राप्त किए हैं। सरकार को विश्वास है कि भेल, जो कि पहले से ही एक उत्कृष्ट उपक्रम है, को उत्पादकता, गुणवत्ता तथा नवीनता पर ध्यान देते हुए अपनी सुदृढ़ता के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्द्धा करनी चाहिए। इस प्रकार, भेल को अलग से प्रोत्साहन नहीं दिया गया। लेकिन 'नवरत्न' की स्थिति तथा आगामी शक्ति में वृद्धि प्रदान करना तथा ऐसी निर्यात की सतत प्रक्रिया सरकारी क्षेत्र के इस उपक्रम की पहचान रही है तथा इसके सतत रूप से उपलब्धियों के लिए प्रोत्साहन है।

भेल ने विगत दो वर्षों के दौरान कुल 1515 करोड़ रुपए मूल्य के तथा इस वर्ष के जून तक 315.2 करोड रुपए मूल्य का निर्यात क्रयादेश प्राप्त किया है। संबद्ध अवधि के दौरान वास्तविक निर्यात कारोबार क्रमशः 1232 करोड़ रुपए तथा 64 करोड़ रुपए हुआ है।

सरकार भेल की निर्माण क्षमता को बिना किसी वास्तविक विस्तार किए इसके कारोबार और उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए उत्सुक है। मौजूदा क्षमता का इष्टतम उपयोग करने तथा अनुसंधान एवं विकास प्रयासों के जरिए उत्पादक और क्षमता को बढ़ाकर तथा निर्यात कारोबार में वृद्धि करने की रणनीति बनाई गई है। निर्यात के विकास पर पहुंच बनाने की दृष्टि से सरकार ने संबंधित मंत्रालयों अर्थात् विदेश, वित्त, वाणिज्य मंत्रालयों तथा भेल के प्रतिनिधियों के साथ सचिव (भारी उद्योग एवं लोक उद्यम) की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स गठित की है।

सार्वभौम मंदी के बावजूद, भेल प्रचालनात्मक लाभ का उत्तम स्तर बनाए रखने में सफल रहा है। वर्ष 1999–2000, 2000–01 तथा 2001–02 के लिए करपूर्व लाभ क्रमशः 865 करोड़ रुपए, 294# करोड़ रुपए तथा 672* करोड़ रुपए रहा है। संबद्ध वर्ष के लिए कर पश्चात् लाभ क्रमशः 599 करोड़ रुपए, 313# करोड़ रुपए तथा 474* करोड़ रुपए थे।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष पैकेज

***370. श्री खगेन दास :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में दूरदर्शन और आकाशवाणी की सेवाओं का विस्तार करने हेतु योजनाओं के एक विशेष पैकेज के कार्यान्वयन को स्वीकृति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कार्य के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना में स्थान–वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) उक्त योजना के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए दूरदर्शन/आकाशवाणी को स्थान–वार कितनी धनराशि प्रदान की गई है और वास्तविक रूप में कितनी राशि खर्च की गई?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) सरकार ने सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा द्वीप समूह राज्य क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की सेवाओं में सुधार के लिए एक विशेष पैकेज के कार्यान्वयन की सिद्धांत रूप में मंजूरी दे दी है। इसमें से व्यय वित्त समिति द्वारा तत्काल कार्यान्वयन के लिए पहले से अनुमोदित विशिष्ट स्कीमें संलग्न विवरण–I में दी गई हैं। दसवीं योजना के अंत तक संपूर्ण पैकेज को पूरा किए जाने की आशा है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान आकाशवाणी और दूरदर्शन की परियोजनाओं पर हुए व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

---

*वर्ष 2001-02 के लिए परिणाम सांविधिक लेखापरीक्षा के पश्चात् तथा सरकारी लेखापरीक्षा के शर्तानुसार है।

#लाभ में गिरावट का आंशिक कारण मजदूरी संशोधन तथा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम (वीआरएस) है।

विवरण-I

व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित पूर्वोत्तर योजनाएं

क्र.सं.	योजना का नाम	लागत (कैपिटल और आर एन आर) (करोड़ रु. में)
1	2	3
	दूरदर्शन	
1.	160 गांवों में केबल शीर्ष छोर (प्रत्येक पूर्वोत्तर राज्य में 20 गांव)	7.15
2.	1 कि.वा. के 5 उ.श.ट्रा. का 10 कि.वा. के उ.श.ट्रा. में उन्नयन (शिलांग, कोहिमा, इम्फाल, ऐजवाल एवं ईटानगर)	22.70

1	2	3
3.	ऐजवाल और शिलांग में उपग्रह भू केन्द्र	15.02
4.	पूर्वोत्तर क्षेत्र के 8 राजधानी केन्द्रों में 16 उपग्रह वीडियोफोन (दो प्रति केन्द्र)	1.65
	कुल	46.52
	आकाशवाणी	
1.	अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर में 10 कि.वा. एफएम ट्रांसमीटर	6.10
2.	नागालैंड, कोहिमा में 10 कि.वा. एफएम ट्रांसमीटर	6.10
3.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर में 10 कि.वा. एफएम ट्रांसमीटर	6.60
4.	गुवाहाटी, शिलांग और ईटानगर में भू समर्पित केन्द्रों का उन्नयन	6.00
	कुल	24.80

विवरण-II

आकाशवाणी

क्र.सं.	योजना का नाम	केन्द्र	व्यय (लाख रु. में)
1	2	3	4
1.	1 कि.वा.मी.वे ट्रांसमीटर, स्टूडियो और विभागीय आवास	धरमनगर	49.47
2.	1. कि.वा.मी.वे ट्रांसमीटर, स्टूडियो और विभागीय आवास	जाइरो	5.12
3.	100 कि.वा.मी.वे ट्रांसमीटर	गुवाहाटी	6.09
4.	1 कि.वा.मी.वे ट्रांसमीटर, स्टूडियो और विभागीय आवास	डिफू	1.05
5.	2x10 कि.वा.मी.वे ट्रांसमीटर, स्टूडियो और विभागीय आवास	कोकराझार	3.14
6.	2x10 कि.वा.मी.वे ट्रांसमीटर, स्टूडियो और विभागीय आवास	तेजपुर	11.25
7.	20 कि.वा.मी.वे ट्रांसमीटर, स्टूडियो और विभागीय आवास	गंगटोक	194.60
8.	2x3 कि.वा. एफएम ट्रांसमीटर स्टूडियो और विभागीय आवास	चूड़ा चंदपुर	63.64
9.	2x3 कि.वा. एफएम ट्रांसमीटर स्टूडियो और विभागीय आवास	धुबरी	10.79
10.	2x3 कि.वा. एफएम ट्रांसमीटर स्टूडियो और विभागीय आवास	लुंगलगह	7.97
11.	2x3 कि.वा. एफएम ट्रांसमीटर स्टूडियो और विभागीय आवास	लोंगथराई	13.84

1	2	3	4
12.	2x3 कि.वा. एफएम ट्रांसमीटर स्टूडियो और विभागीय आवास	मोकाकचुंग	0.28
13.	सामुदायिक रेडियो केन्द्र	सैहा	18.29
14.	सामुदायिक रेडियो केन्द्र	मोन	1.18
15.	सामुदायिक रेडियो केन्द्र	मोंगस्टोइन	2.53
16.	सामुदायिक रेडियो केन्द्र	तुएनसैंग	2.22
17.	सामुदायिक रेडियो केन्द्र	विलियम नगर	1.58
18.	2x5 कि.वा. एफएम ट्रांसमीटर स्टूडियो (सीबीएस)	गुवाहाटी	2.99
19.	सुविधा सुधार		7.73
20.	स्टूडियो नवीनीकरण	पूर्व केन्द्र	0.28
21.	रूटीरियो चैनल	ऐजवाल	73.64
22.	स्टीरियो चैनल	शिलांग	12.73
23.	कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान (टी) और (पी)		21.93
24.	क्षेत्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान (पी)	शिलांग	136.88
25.	10 कि.वा. एफएम ट्रांसमीटर स्टूडियो	इम्फाल	165.20
26.	100 कि.वा.मी.वे ट्रांसमीटर	कोहिमा	288.52
27.	20 कि.वा.मी.वे ट्रांसमीटर	सिलचर	228.42
28.	20 कि.वा.मी.वे ट्रांसमीटर	तुरा	221.05
29.	20 कि.वा.मी.वे ट्रांसमीटर	ऐजवाल	246.27
30.	2x5 कि.वा. एफएम ट्रांसमीटर, स्टूडियो	अगरतला	181.42
31.	रेडियो संचालन		51.74
32.	सुरक्षा उपाय		90.35
33.	विभागीय आवास		120.74
34.	चालू लागत (राजस्व योजना)		426.11
35.	330 कि.वा.मी.वे ट्रांसमीटर	इम्फाल	699.79
36.	6 कि.वा.मी.वे ट्रांसमीटर और स्टीरियो सुविधा	ऐजवाल	56.85

1	2	3	4
37.	10 कि.वा. एफएम ट्रांसमीटर स्टूडियो	शिलांग	152.21
38.	राजधानी संपर्कन		70.00
39.	अप्रत्याशित बदलाव		8.60
40.	सी बी एस	सिलीगुड़ी	2.25
41.	राजधानी (स्थापना)		551.13
42.	7 विविध योजनाओं के अतिरिक्त कार्य	पूर्व केन्द्र	108.53
43.	अतिरिक्त कार्यालय स्थान	पूर्व केन्द्र	3.50
	कुल		4320.90*

*43.21 करोड़ रुपये पढा जाए।

दूरदर्शन

पिछले तीन वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में दूरदर्शन परियोजनाओं पर हुआ व्यय

क्र.सं.	परियोजना	व्यय (लाख रु. में)
1	2	3
1.	स्टूडियो गंगटोक	162.77
2.	उ.श. ट्रांसमीटर चूडाचांदपुर	53.83
3.	उ.श. ट्रांसमीटर लुंगलेह	46.79
4.	उ.श. ट्रांसमीटर मोकोकचुंग	9.08
5.	उ.श. ट्रांसमीटर तुरा (डीडी–2)	35.08
6.	उ.श. ट्रांसमीटर सिलचर (डीडी–2)	198.65
7.	उ.श. ट्रांसमीटर गुवाहाटी (डीडी–2)	184.71
8.	उ.श. ट्रांसमीटर अगरतला (डीडी–2)	193.42
9.	उ.श. ट्रांसमीटर ईटानगर (डीडी–2)	151.23
10.	उ.श. ट्रांसमीटर कोहिमा (डीडी–2)	152.23
11.	उ.श. ट्रांसमीटर शिलांग (डीडी–2)	151.43
12.	उ.श. ट्रांसमीटर गंगटोक (डीडी–2)	4.60
13.	उ.श. ट्रांसमीटर ऐजवाल (डीडी–2)	138.15
14.	उ.श. ट्रांसमीटर इम्फाल (डीडी–2)	134.30
15.	गुवाहाटी, सिलचर और अगरतला के ट्रांसमीटरों में बदलाव	90.52
16.	विभिन्न स्थानों पर लघु शक्ति ट्रांसमीटर	117.82
17.	विभिन्न स्थानों पर अति लघु शक्ति ट्रांसमीटर	104.88
18.	विभागी आवास कोहिमा	126.05
19.	विभागीय आवास गुवाहाटी	509.80
20.	विभागीय आवास ईटानगर	141.36
21.	विभागीय आवास तुरा	86.37
22.	विभागीय आवास डिब्रूगढ़	117.72

1	2	3
23.	स्टूडियो संबद्ध स्कीम (गुवाहाटी, शिलांग, ईटानगर, एजवाल, डिब्रूगढ़, तुरा, कोहिमा, इम्फाल, अगरतला और सिलचर)	1271.51
24.	उपग्रह अपलिंक (शिलांग, ईटनागर, एजवाल, कोहिमा, इम्फाल, अगरतला)	1150.41
25.	स्थापना व्यय	455.77
26.	विविध स्कीम	535.00
	कुल	6326.03*

*63.25 करोड़ रुपये

रेल विभाग को क्षति

*371. **श्री सईदुज्जमा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गत तीन वर्षों के दौरान वर्षा और बाढ़ से राज्य-वार कितने रेलवे पुल बह गए या टूट गए;

(ख) इनमें कुल कितनी जान और सरकारी माल की क्षति हुई;

(ग) क्या उक्त क्षति के लिए निम्नस्तर की आयोजना और कारीगरी जिम्मेवार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख) रेल पुलों की सूचना राज्य-वार नहीं रखी जाती, बहरहाल, यह क्षेत्रीय रेलों के अनुसार रखी जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान बाढ़ और वर्षा के कारण रेल पुलों के बह जाने या रेल कर्मियों के मारे जाने की कोई घटना नहीं हुई है। बहरहाल, पिछले तीन वर्षों के दौरान बाढ़ और वर्षा के कारण लागत सहित रेल पुलों की क्षति का ब्यौरा निम्नलिखित है :

वर्ष	रेलवे	क्षति का ब्यौरा	क्षति/पुनर्निर्माण की अनुमानित लागत (लाख रुपयों में)
1	2	3	4
1999-2000	पूर्वोत्तर सीमा	लमडिंग-फरकाटिंग (बड़ी लाइन) खंड पर लमडिंग छोर का तटबंध और पुल सं 331 (9x18.3 मीटर) का निकटस्थ पाया क्षतिग्रस्त हुआ था।	746.00
2000-2001	दक्षिण मध्य	काजीपेट-बल्लहारशाह खंड पर पुल सं 194 (3x12.19 मीटर) (अप एवं डाउन) क्षतिग्रस्त हुआ था	695.24
	पूर्व	कृष्णानगर-लालगोला खंड ओर साहेबगंज के हिस्से में 16 पुल क्षतिग्रस्त हुए थे।	1479.00
2001-2002	दक्षिण मध्य	रेणीगुंटा-गुंतकल खंड में पुल सं. 415 (4x7.62 मीटर) क्षतिग्रस्त हुआ था।	242.01
	पूर्वोत्तर सीमा	न्यू बोंगाईगांव-जोगीघोपा-कामख्या (बड़ी लाइन) खंड पर पुल सं. 339 (1x4.57 मीटर) क्षतिग्रस्त हुआ था।	230.00

1	2	3	4
	दक्षिण पूर्व	झारसुगुडा–संबलपुर खंड पर पुल सं. 7 (8x150 फीटर) क्षतिग्रस्त हुआ था।	1592.00
	दक्षिण	मेट्टूपालयम–कूण्णूर खंडपर पुल सं. 55 (3x6.1 मीटर) क्षतिग्रस्त हुआ था।	99.60

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) बाढ़ और वर्षा से अपने पुलों, रेलपथ और अन्य परिसंपत्तियों की रक्षा करने के लिए रेलवे सभी एहतियाती उपाय करती है, जिसके अंतर्गत गाड़ी के गुजरने से पहले गश्त लगाना, आवधिक निरीक्षण करना और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान अप्रत्याशित आपातकाल का सामना करने के लिए मानसून के समय काम आने वाली सामग्री को पहले से जमा करके रखना शामिल है।

[हिन्दी]

खुदरा बिक्री केन्द्रों एवं गैस एजेंसियों का आवंटन

*372. **डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व सैनिकों एवं युद्ध में वीरगति प्राप्त करने वालों के परिवार के सदस्यों को प्राथमिकता के आधार पर बिक्री केन्द्रों एवं गैस एजेंसियों का आवंटन किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्ष के दौरान उनके मंत्रालय को कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) कारगिल युद्ध में मारे गए सैनिकों एवं अन्य लोगों के परिवार के सदस्यों से सरकार को प्राप्त आवेदन पत्रों की अलग–अलग संख्या कितनी है;

(घ) क्या कारगिल युद्ध के दौरान मरने वालों के सैनिकों के सभी परिवारों को बिक्री केन्द्रों/एजेंसियों का आवंटन कर दिया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ङ) 1. सरकार ने निम्न दो श्रेणियों में योग्य व्यक्तियों को वास्तविक अनुकंपा आधार पर विवेकाधीन कोटे के तहत खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों/एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपों/एस.के.ओ.–एल.डी.ओ. डीलरशिपों के आवंटन की व्यवस्था की है –

(1) युद्ध में शहीद हुए रक्षा/अर्ध सैनिक/पुलिस कार्मिक के आश्रित अथवा अपने कर्त्तव्यों का निर्वाह करते हुए स्थायी रूप से विकलांग हुए व्यक्ति जिनका उपयुक्त रूप से पुनर्वास नहीं किया गया है।

(2) अपने कर्त्तव्यों का निर्वाह करते हुए शहीद हुए या स्थायी रूप से विकलांग हुए केन्द्रीय/राज्य सरकार के कर्मचारियों के आश्रित और जिनका उपयुक्त रूप से पुनर्वास नहीं किया गया है।

दिशानिर्देशों के अनुसार किसी वर्ष में विवेकाधीन आवंटनों की संख्या औसत वार्षिक विपणन योजना के 10% या 75 इनमें से जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी, जिनमें से पेट्रोलियम उत्पादों के लिए खुदरा बिक्री केन्द्रों का आवंटन औसत वार्षिक विपणन योजना के 5% से अधिक नहीं होगा।

31.7.2002 की स्थिति के अनुसार विवेकाधीन कोटे के तहत डीलरशिपों के आवंटन के लिए कुल 1879 आवेदनपत्र प्राप्त हुए/इनमें से 376 अपूर्ण/डुप्लीकेट आवेदनपत्र थे। इस योजना के तहत अब तक कोई आवंटन नहीं किया गया है।

2. उपर्युक्त के अलावा 'आपरेशन विजय' (कारगिल) में शहीद हुए रक्षा कार्मिक की विधवा/निकटतम संबंधी को खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप और एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आवंटन के लिए एक विशेष योजना के तहत सरकार पुनर्वास महानिदेशालय, रक्षा मंत्रालय से प्राप्त सिफारिशों के आधार पर तेल उद्योग द्वारा स्थान की व्यवहार्यता के सत्यापन के बाद आवंटन करती है। पुनर्वास महानिदेशालय से प्राप्त कुल

454 आवेदनों में से 438 मामलों में आवंटन का अनुमोदन किया जा चुका है। 4 मामलों में क्षेत्र जांच के बाद उद्योग से सिफारिश अभी प्राप्त होनी है और 12 मामले अव्यवहार्य पाए गए हैं।

[अनुवाद]

तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति हेतु 'पेट्रोनेट' के साथ समझौता

*373. **श्री ए. ब्रह्मनैया** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'पेट्रोनेट' ने खाड़ी के विभिन्न देशों के साथ तरल प्राकृतिक गैस (एल.एन.जी.) की आपूर्ति हेतु एक समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ समझौतों पर 25 वर्षों तक के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या 'पेट्रोनेट' अपने कार्यसंचालन के लिए पूरी तरह आयातित तरल प्राकृतिक गैस पर निर्भर है; और

(ङ) वे पत्तन कौन-कौन से हैं और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है, जिन पर यह तरल प्राकृतिक गैस उतारी जाएगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल एन जी) की आपूर्ति के लिए एक करार पर कतर की रास गैस और पेट्रोनेट एल एन जी लिमिटेड (पी एल एल) के बीच जुलाई, 1999 में हस्ताक्षर किए गए। यह करार 7.5 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष (एम एम टी पी ए) एल एन जी की आपूर्ति के लिए है।

(ग) और (घ) जी, हां।

(ङ) प्रथम चरण में गुजरात में दाहेज और केरल में कोच्चि की पहचान एल एन जी के आयात और उतराई की सुविधाओं के सृजन के लिए की गई है। जुलाई, 2002 तक दाहेज परियोजना का लगभग 44% कार्य पूर्ण हो चुका है। इस परियोजना को दिसम्बर, 3003 में यांत्रिक रूप से पूरा किए जाने का कार्यक्रम है। कोच्चि के मामले में सभी परियोजनापूर्व क्रियाकलाप पूरे कर लिए गए हैं।

राज्य विद्युत बोर्डों का घाटा

*374. **श्री अधीर चौधरी** :
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 17 जुलाई, 2002 के 'दि स्टेट्समैन' में प्रकाशित समाचार के अनुसार राज्य विद्युत बोर्डों (एसईबी) का वाणिज्यिक घाटा पिछले कुछ वर्षों की तुलना में तीन गुना बढ़ गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना हेतु राज्य विद्युत बोर्डों संबंधी कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्य विद्युत बोर्डों को होने वाले घाटे को कम करने के लिए कार्यदल की सिफारिशों के आधार पर कौन-कौन सी योजनाएं तैयार की गई हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) से (घ) राज्य विद्युत बोर्डों के कार्यकरण पर योजना आयोग की वार्षिक रिपोर्टों के अनुसार भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की सब्सिडी सहित अनुमानित वाणिज्यिक हानियां वर्ष 1992-93 में 2725 करोड़ रु. से बढ़कर वर्ष 2001-02 (वार्षिक योजना) में 24,837.22 करोड़ रु. हो गई हैं।

वर्ष 2001-2002 के लिए राज्य विद्युत बोर्डों और विद्युत विभागों के कार्यकरण पर योजना आयोग की वार्षिक रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं निम्नवत् हैं--

- आपूर्ति की औसतन लागत और औसत टैरिफ वर्ष 1996-97 में 50 पैसे/कि.वा.घं. के स्तर से बढ़कर वर्ष 2001-02 में 110 पैसे/कि.वा.घं. हो गई है।
- कृषि उपभोक्ताओं से वसूल किया जाने वाला टैरिफ 50 पैसे/कि.वा.घं. के स्तर से काफी कम है।

– घरेलू उपभोक्ताओं को की जाने वाली ऊर्जा बिक्री के कारण राज्य सरकार द्वारा देय सब्सिडी के वर्ष 1996–97 में 4386 करोड़ रु. के स्तर से बढ़कर वर्ष 2001–02 में 12,238.5 करोड़ रु. होने की प्रत्याशा है।

– कृषि उपभोक्ताओं को ऊर्जा बिक्री के कारण देय सब्सिडी के वर्ष 1996–97 में 15,586 करोड़ रु. के स्तर से वर्ष 2001–02 में 30,462 करोड़ रु. होने का अनुमान है।

– कुल ऊर्जा बिक्री में घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं का हिस्सा बढ़ता रहा है जबकि उद्योग का हिस्सा गिरता रहा है।

सरकार ने राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय स्थिति पुनर्जीवित करने और इन हानियों को धीरे–धीरे समाप्त करने के लिए राज्य सरकारों के परामर्श से एक नीति तैयार की है। उठाए गए मुख्य कदम निम्नवत् हैं–

(i) राज्य सरकारों को विद्युत टैरिफ का यौक्तिकरण करने और कार्यकुशलता, मितव्ययिता व प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य विद्युत विनियामक आयोगों की स्थापना करने में सक्षम बनाने के लिए विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम को लागू किया गया है। अभी तक 15 राज्यों में एसईआरसी कार्य कर रहे हैं। 12 राज्यों के एसईआरसी ने टैरिफ आदेश जारी कर लिए हैं।

(ii) मार्च, 2001 में आयोजित मुख्य मंत्रियों/विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में यह अभिज्ञात किया गया है कि प्रबंधन की वास्तविक समस्या और सुधार कार्य की चुनौती वितरण क्षेत्र में है और अन्य बातों के साथ–साथ निम्न संकल्प लिया गया है–

(क) सभी 11 के.वी. फीडरों की ऊर्जा लेखा परीक्षा अगले 6 माह के भीतर प्रभावी कर दी जाएगी और स्थानीय स्तर पर जिम्मेवारी निर्धारित की जाएगी।

(ख) इस प्रयोजनार्थ एक प्रभावी प्रबंध सूचना प्रणाली (एम आई एस) प्रचालनात्मक बनाई जाएगी।

(ग) उपरोक्त के आधार पर अगले 2 वर्षों के भीतर विद्युत की चोरी का पता लगाने और इसे पूर्णतः समाप्त करने के लिए एक प्रभावी कार्यक्रम आरंभ किया जाएगा।

(घ) सभी उपभोक्ताओं की पूर्ण मीटरिंग दिसम्बर, 2001 तक पूरी कर ली जाएगी। इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे।

(ङ) वितरण के वर्तमान प्रचालन से दो वर्षों के भीतर न लाभ–न हानि की स्थिति में पहुंचने की आवश्यकता होगी और उसके बाद सकारात्मक लाभ अर्जित करने की आवश्यकता होगी।

(iii) भारत सरकार ने समयबद्ध रूप में सुधार कार्य आरंभ करने के लिए केन्द्र और राज्यों की संयुक्त वचनबद्धता के रूप में राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर रही हैं। इसके लिए राज्यों द्वारा एसईआरसी की स्थापना किया जाना, पूर्ण मीटरिंग के जरिए ऊर्जा लेखा परीक्षा आरंभ करना, पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी करना तथा वाणिज्यिक व्यवहार्यता प्राप्त करना अपेक्षित है। सहमत लक्ष्यों को प्राप्त करने संबंधी राज्यों के प्रयासों के बदले में केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय विद्युत उत्पादन स्टेशनों से अनावंटित कोटे से अतिरिक्त विद्युत का आवंटन, विशेष कार्यक्रमों/स्कीमों के अंतर्गत निधियों के आवंटन इत्यादि समेत सहायता की वचनबद्धता प्रदान की है। अब समझौता ज्ञापनों को और भी अधिक स्पष्ट और विनिर्दिष्ट लक्ष्यों के साथ करार ज्ञापनों में परिवर्तित किया जा रहा है क्योंकि राज्यों में सुधार कार्यक्रम का समुचित रूप से क्रियान्वयन हो रहा है। अब तक इस अभियान के अंतर्गत 22 राज्यों को शामिल किया गया है।

(iv) त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) की रूपरेखा अभिज्ञात वितरण सर्किलों में विशेष परियोजनाओं का वित्तपोषण करने के लिए तैयार की गई है ताकि शीघ्र ही इनमें आमूलचूल

परिवर्तन किए जा सकें और उत्कृष्टता केन्द्रों का सृजन किया जा सके। आरंभिक रूप से 63 सर्किलों को अभिकल्पित डीपीआर के आधार पर उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए कार्य शुरू किए गए हैं। इस कार्यक्रम का विस्तार एकीकृत भार को पूरा करने के लिए किया जा रहा है तथा एक लाख की आबादी वाले शहरों तक ले जाया जा रहा है, जहां डीपीआर तैयार करने संबंधी कार्य शुरू किए गए हैं। कार्यक्रम के परिणामों के मूल्यांकन के लिए डीपीआर का बेस लाइन डाटा अत्यंत महत्वपूर्ण है जहां इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्युत क्षेत्र में चोरी पर अंकुश लगाना और आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार लाना और क्षेत्र की वित्तीय स्थिति में सुधार करना है। इस कार्यक्रम में एक प्रोत्साहन योजना भी शामिल है जिसका उद्देश्य रा.वि. बोर्डों/यूटिलिटी द्वारा वास्तविक रूप से नकद हानि में कमी करना है। इस स्कीम के अंतर्गत वारतविक नकद हानि में कमी करने के लिए रा.वि. बोर्डों/यूटिलिटियों को विद्युत मंत्रालय द्वारा अनुदान प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है।

(v) भारत सरकार ने अन्य बातों के साथ–साथ राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसयू) को देय राशि के एकमुश्त भुगतान के लिए सुझाव प्रदान करने हेतु श्री मोंटेक सिंह अहलुवालिया के अधीन एक विशेषज्ञ दल का गठन किया था। श्री मोंटेक सिंह अहलुवालिया के अधीन विशेषज्ञ दल द्वारा दी गई सिफारिशों को स्वीकृत कर लिया गया है। इस स्कीम का उद्देश्य हानि अर्जित करने वाली यूटिलिटियों को बैंक स्वीकार्य बनाना है तथा इसमें प्रावधान है कि 30.9.2001 की स्थितिनुसार विलम्बित भुगतानों पर ब्याज/अधिभार का 60% समाप्त कर लिया जाएगा और शेष देय राशियों को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा जारी कर मुक्त बॉण्डों के जरिए प्रत्याभूत कर लिया जाएगा। जो राज्य वर्तमान देयताओं का यथा समय भुगतान करते हैं उनको भी प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। एपीडीआरपी के अंतर्गत वर्तमान भुगतान में चूक करने के लिए अन्य बातों के साथ–साथ निधियां आस्थगित कर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त क्षेत्र में सुधार हेतु कदम उठाने के लिए रा.वि. बोर्ड विद्युत मंत्रालय के साथ हस्ताक्षरित किए जाने वाले एमओयू में निर्धारित राजस्व वसूली में सुधार करने, वितरण फीडरों की मॉनीटरिंग करने और एसईआरसी की स्थापना करने जैसे सुधार आधारित कार्यनिष्पादन लक्ष्यों को स्वीकार करेंगे।

राज्य सरकारों द्वारा बकाया राशि के प्रतिभूतिकरण तथा वर्तमान आपूर्ति के पूर्ण भुगतान हेतु अनुशासन विकसित करने के साथ ही सीपीएसयू के महत्वाकांक्षी क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम के लिए बाजार से अपेक्षित संसाधन जुटाना संभव हो जाएगा। राज्य सरकार इन निधियों का उपयोग अपनी विद्युत यूटिलिटियों को स्वच्छ तुलन–पत्र प्रदान करने के लिए कर सकती हैं ताकि ये यूटिलिटी अपने निवेश कार्यक्रमों के लिए वित्त पोषण प्राप्त करने हेतु बाजार से निधि प्राप्त कर सकें।

(vi) दूरदर्शी, सुधार अभिमुख विद्युत विधेयक, 2001 को संसद में प्रस्तुत किया गया है। विधेयक में अन्य बातों के साथ–साथ विद्युत की चोरी के मामले में दंड के लिए कठोर प्रावधान की व्यवस्था है। विधेयक में क्रॉस सब्सिडी में कमी करने और राज्य सरकारों द्वारा राज्य विद्युत यूटिलिटियों को अग्रिम सब्सिडी के भुगतान करने, जहां ऐसी सब्सिडी अपरिहार्य समझी गई है, का भी प्रावधान है।

यह प्रत्याशा की जाती है पूर्व पैराग्राफ में बताई गई कार्य योजना से कुछ ही वर्षों में राज्य विद्युत बोर्डों/यूटिलिटियों के प्रचालनात्मक और वित्तीय कार्य निष्पादन में सुधार होगा और साथ ही वाणिज्यिक व्यवहार्यता की पुनः बहाली होगी।

[हिन्दी]

विद्युत क्षेत्र में विदेशी कंपनियों द्वारा निवेश

***375. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय** : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) आज की तारीख तक कितनी घरेलू/विदेशी

कंपनियों ने विद्युत क्षेत्र में निवेश के लिए आवेदन किया है;

(ख) इस प्रकार की कितनी कंपनियों को निवेश करने की मंजूरी दी गई है;

(ग) क्या कुछ कंपनियों द्वारा की गई निवेश की पेशकश अस्वीकृत कर दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार ने विद्युत क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) अब तक निजी क्षेत्र की कुल 82 विद्युत परियोजनाओं में निवेश हेतु प्रस्ताव केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) में तकनीकी–आर्थिक स्वीकृति (टीईसी) हेतु प्राप्त हुए हैं। इनमें स्वदेशी एवं विदेशी दोनों कम्पनियां शामिल हैं।

(ख) आज तक, निजी क्षेत्र की कुल 58 विद्युत प्रोजेक्ट स्कीमों को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी–आर्थिक स्वीकृति दी गई है।

(ग) तकनीकी–आर्थिक स्वीकृति हेतु किसी भी स्कीम को के.वि.प्रा. द्वारा मना नहीं किया गया है। तथापि, निजी क्षेत्र की 21 स्कीमों को सम्बद्ध परियोजना प्राधिकारियों को लौटा दिया गया है क्योंकि इनके साथ आवश्यक सूचनाएं/स्वीकृतियां नहीं थे।

(घ) उपरोक्त (ग) के दिए गए उत्तर के मद्देनजर प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ङ) विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र निवेश को प्रोत्साहित करने से संबंधित नीति वर्ष 1991 में घोषित की गई थी और परियोजना विकास की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए इसकी समय–समय पर समीक्षा की गई है। एस्क्रो कवर और साख पत्र आदि के रूप में किए गए निवेश हेतु पर्याप्त सुरक्षा की कमी और राज्य विद्युत बोर्डों की खराब वित्तीय स्थिति निजी क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं के विकास में महसूस की जा रही मुख्य समस्याओं में से एक है। निजी क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं को पर्याप्त भुगतान सुरक्षा कवर प्रदान करने में राज्य विद्युत बोर्डों की अयोग्यता (जो कि परियोजना विकासकों और विशेषतः वित्तीय संस्थानों की एक आवश्यकता है) उन मुख्य कारणों में से एक है जिसकी वजह से निजी क्षेत्र की अधिकतर विद्युत परियोजनाएं अन्य जगह अच्छी प्रगति हासिल करने के बावजूद भी वित्तीय समापन प्राप्त नहीं कर सके।

सरकार ने विभिन्न विद्युत यूटिलिटियों को वाणिज्यिक दृष्टि से व्यवहार्य बनाने के लिए वित्तीय स्थिति सुधारने के मद्देनजर सुधार प्रक्रिया आरंभ की है। राज्यों ने विद्युत क्षेत्र सुधार की आवश्यकता को स्वीकार किया है। मार्च, 2001 को आयोजित मुख्यमंत्रियों/विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में यह सहमति प्रकट की गई है कि विद्युत क्षेत्र सुधार को राजनीति से दूर रखने की आवश्यकता है और इसके क्रियान्वयन में तेजी लाने की आवश्यकता है और सुधार की वास्तविक चुनौती वितरण क्षेत्र में है। सम्मेलन में यह संकल्प लिया गया था कि राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (एसईआरसी) को क्रियाशील बनाया जाएगा और टैरिफ याचिका फाइल की जाएगी तथा विशेषतः बजट के माध्यम से सब्सिडी भुगतान करने संबंधी राज्य सरकार की क्षमता की सीमा तक सब्सिडी प्रदान की जाएगी यदि अपेक्षित हो। भारत सरकार ने 22 राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन/करार ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समयबद्ध तरीके से सुधार कार्य आरंभ करने के लिए समझौता ज्ञापनों में राज्य सरकार की वचनबद्धता के रूप में एसईआरसी की स्थापना करना, 11 के.वी. फीडरों की 100% मीटरिंग करना, प्रभावी ऊर्जा लेखा परीक्षा करना, बिजली की चोरी का पता लगाना व पूर्णतः इसे दूर करना और वितरण में वाणिज्यिक व्यवहार्यता प्राप्त करना आदि शामिल हैं। भारत सरकार ने केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशनों से विद्युत के अतिरिक्त आवंटन करने के रूप में अपनी सहायता प्रदान करने और विद्युत संयंत्रों के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण तथा उप–पारेषण एवं वितरण के सशक्तीकरण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने की वचनबद्धता प्रदान की है। सरकार ने राज्यों को अभिज्ञात सर्किलों में उनके उप–पारेषण/वितरण प्रणालियों में सुधार लाने के लिए सहायता प्रदान करने हेतु तथा प्रति यूनिट विद्युत आपूर्ति लागत एवं औसत वसूली के बीच अंतर को कम करने से जुड़े प्रोत्साहन अनुदान प्रदान करने हेतु त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) आरंभ किया है। 12 एसईआरसी ने टैरिफ आदेश जारी कर लिए हैं जो टैरिफ यौक्तिकरण की प्रवृत्ति को इंगित करते हैं।

यह प्रत्याशा की जाती है कि सुधार के प्रभावी क्रियान्वयन करने से वाणिज्यिक व्यवहार्यता प्राप्त की जा सकेगी और विद्युत क्षेत्र में निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा जिससे और अधिक निजी क्षेत्र भागेदारी का रास्ता साफ हो जाएगा।

[अनुवाद]

रोजगार उत्पन्न करने वाली योजनाएं

*376. **श्री विनय कुमार सोराके** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने स्वच्छता के अपने उत्तरदायित्व का अंशतः निजीकरण कर दिया है और विभिन्न रेलवे स्टेशनों, आवासीय कालोनियों, रेल यार्डों, गोदामों आदि में यह कार्य गैर-सरकारी संगठनों को सौंप दिया है;

(ख) क्या रेलवे द्वारा निजीकरण के एक भाग के रूप में एक रोजगार उत्पन्न करने वाली योजना शुरू करने पर विचार किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या रेलवे का विचार छोटे स्टेशनों और फ्लैग स्टेशनों पर और इनके आस-पास रहने वाले बेरोजगार शिक्षित युवकों को टिकट बांटने का काम देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) से (ग) रेलवे निजीकरण के भाग के रूप में रोजगार उत्पन्न करने वाली किसी योजना की शुरूआत करने की योजना नहीं बना रही है। बहरहाल, रेलवे परंपरागत रूप से खानपान, हाल्ट स्टेशनों, लाइसेंसशुदा कुलियों, भुगतान के आधार पर उपयोग किए जाने वाले शौचालयों, कूड़ा-करकट हटाने आदि जैसे अनेक कार्यकलापों में व्यक्तियों और निजी क्षेत्र को शामिल करती रही है। गैर-सरकारी संगठनों/सहकारी एजेंसियों आदि के माध्यम से महत्वपूर्ण स्टेशनों पर भुगतान के आधार पर उपयोग किए जाने वाले शौचालयों का परिचालन और निजी एजेंसियों के माध्यम से कुछ रेलवे कालोनियों/स्टेशनों से कूड़ा-करकट हटाने आदि जैसे कतिपय कार्यकलाप निष्पादित किए जाते हैं।

(घ) और (ङ) हाल्ट स्टेशनों और कुछ फ्लैग स्टेशनों पर आवेदन पत्र आमंत्रित करके कमीशन के आधार पर टिकट जारी करने के लिए एजेंट नियुक्त किए जाते हैं। निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले बेरोजगार नवयुवक भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।

[हिन्दी]

आदिवासी क्षेत्रों में 'ग्रामसैट' योजना

*377. **श्री रामदास आठवले** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार और राज्य-वार 'ग्रामसैट' योजना पर, विशेषकर आदिवासी जिलों में, खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत प्रसारित किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार आदिवासी संस्कृति को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से उक्त कार्यक्रमों में आदिवासी लोगों को शामिल करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ङ) ग्रामसैट स्कीम को प्रसार भारती द्वारा कार्यान्वित नहीं किया जाता है। इसके स्थान पर, अंतरिक्ष विभाग ने मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक तथा उड़ीसा में ग्रामसैट पायलेट परियोजनाएं शुरू की हैं। अंतरिक्ष विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पहली पायलेट परियोजना में मध्य प्रदेश में जनजातीय जिले झाबुआ को शामिल किया गया था जिसके बाद में धार और बड़वानी जनजातीय जिलों को कवर करने के लिए विस्तार कर दिया गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा इन तीन जिलों में किया गया व्यय निम्न प्रकार से है

वर्ष	व्यय
1996-1998	7.00 करोड़
1998-2001	8.00 करोड़

ग्रामसैट नेटवर्कों का उपयोग उपरोक्त सभी राज्यों में पारस्परिक–क्रिया प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने तथा मध्य प्रदेश में पारस्परिक क्रिया प्रशिक्षण और प्रसारण कार्यक्रमों के आयोजन के लिए किया जाता है।

भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास

***378. श्री जयभान सिंह पवैया :**
प्रो. रासासिंह रावत :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य और जिलावार भूतपूर्व सैनिकों की संख्या कितनी है;

(ख) राज्य–वार कितने भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास किया गया;

(ग) इस प्रयोजनार्थ पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य–वार कितनी धनराशि प्रदान की गई;

(घ) क्या सरकार का विचार भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास करने हेतु धनराशि में वृद्धि करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ङ) भूतपूर्व सैनिकों की जनसंख्या के संबंध में देश, राज्य तथा जिलावार आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास संबंधी कार्य निरंतर रूप से चलता रहता है तथा सरकार के पास इस प्रयोजनार्थ कई योजनाएं हैं। इनमें सरकारी नौकरियों में आरक्षण संबंधी योजनाएं, सेवानिवृत्त अथवा सेवामुक्त होने के पश्चात् उनके लिए रोजगार के अवसर बेहतर करने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्व–रोजगार उद्यम स्थापित करने हेतु ऋण सुविधाएं प्रदान किया जाना, भूतपूर्व सैनिक सुरक्षा एजेंसियों, भूतपूर्व सैनिक कोयला परिवहन कंपनियों आदि की मार्फत रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना आदि शामिल हैं। भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए भी राज्य सरकारों के पास भी योजनाएं हैं। इसके अलावा अनेक भूतपूर्व सैनिकों को निजी क्षेत्र में पुनःनियोजित किया जाता है। विभिन्न योजनाओं के तहत् पुनर्वासित भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित आंकड़ों की केन्द्रीय रूप से मानीटरी नहीं की जाती है।

भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास हेतु कोई विशिष्ट बजट आवंटन नहीं है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य सैनिक बोर्ड/ जिला सैनिक बोर्ड	भूतपूर्व सैनिकों की संख्या
1	2	3
1.	**आंध्र प्रदेश**	
1.	आदिलबाग	234
2.	अनंतपुर	1579
3.	चित्तूर	5430
4.	कोडप्पा	2085
5.	गुंटूर	6176
6.	हैदराबाद	7615
7.	काकीनाड़ा/पूर्वी गोदावरी	2662
8.	करीमनगर	618
9.	कुरनूल	1858
10.	खम्माम	535
11.	महबूब नगर	761
12.	नालगोंडा	708
13.	नेल्लौर	1424
14.	निजामाबाद	317
15.	ऑनले/प्रकासम	4846
16.	रंगारेड्डी	7838
17.	संगारेड्डी/मेढक	678
18.	श्रीकाकुलम	1700
19.	विजयवाड़ा/कृष्णा	3173

1	2	3
20.	विशाखापट्टनम	7610
21.	विजयानगरम	854
22.	वारंगल	666
23.	पश्चिमी गोदावरी/इलूरू	2837
	कुल	62204
2. अरुणाचल प्रदेश		
1.	अरुणाचल प्रदेश	267
	कुल	267
3. असम		
1.	कछार	5243
2.	डुब्री	1666
3.	डिब्रूगढ़	1124
4.	जोरहाट	3178
5.	कामरूप	3083
6.	करबी अंगलोंग	292
7.	कोकराझाड़	1990
8.	लखीमपुर	396
9.	नौगांव	2123
10.	सोनितपुर	1504
	कुल	20599
4. बिहार		
1	भागलपुर	2484
2.	भोजपुर	19457
3.	छपरा	8307
4.	दरभंगा	3486
5.	गया	2643
6.	मुंगेर	2043
7.	मोतीहारी	2407
8.	मुजफ्फरपुर	6937
9.	पटना	5574
	कुल	53342
5. छत्तीसगढ़		
1.	विलासपुर	931
2.	दुर्ग	788
3.	रायपुर	774
4.	रायगढ़	988
5.	राजनदंगांव	89
	कुल	3570
6. गोवा		
1.	गोवा	1747
	कुल	1747
7. गुजरात		
1.	अहमदाबाद	6088
2.	बड़ौदा	3721
3.	जामनगर	2292
4.	राजकोट	2018
5.	सूरत	1383
	कुल	15502
8. हिमाचल प्रदेश		
1.	विलासपुर	5420

1	2	3
2.	चंबा	2510
3.	हमीरपुर	15570
4.	कांगड़ा/धर्मशाला	35226
5.	किन्नौर	259
6.	कुल्लू	1038
7.	लाहौल एवं स्पीति	158
8.	मंडी	8656
9.	शिमला	2340
10.	शिरमौर	1637
11.	सोलन	2401
12.	ऊना	8045
	कुल	83260

9. हरियाणा

1.	अंबाला	8856
2.	भिवाड़ी	26607
3.	फरीदाबाद	6667
4.	फतेहबाद	2526
5.	गुड़गांव	12845
6.	हिसार	9541
7.	झज्जर	18471
8.	जींद	7670
9.	कैथल	2956
10.	करनाल	4368
11.	कुरुक्षेत्र	4070
12.	नारनौल	14330
13.	पंचकुला	4861
14.	पानीपत	5353
15.	रिवाड़ी	17992
16.	रोहतक	14657
17.	सिरसा	1939
18.	सोनीपत	12759
19.	यमुनानगर	5646
	कुल	182114

10. जम्मू एवं कश्मीर

1.	बारामूला	2490
2.	डोडा	2100
3.	जम्मू	22461
4.	कठुआ	6060
5.	लेह	2688
6.	पूंछ	1236
7.	राजौरी	4391
8.	संभा	6495
9.	श्रीनगर	2877
10.	ऊधमपुर	4867
	कुल	55665

11. झारखंड

1.	चाइबासा	3098
2.	दुमका	1395

1	2	3
3.	हजारीबाग	567
4.	रांची	9718
	कुल	14778
12.	**कर्नाटक**	
1.	बैंगलूर शहरी	23359
2.	धवनगीर	910
3.	बेलगांव	10166
4.	बीजापुर	2640
5.	धारवाड़	2786
6.	गुलबर्ग	1824
7.	कारवार	1459
8.	कोडागु/मेडीकरी	4200
9.	मैंगलूर	2627
10.	मैसूर	2102
11.	शिमोगा	1313
	योग	53386
13.	**केरल**	
1.	अलपुझा/अल्लेपी	18795
2.	इडूक्की	1422
3.	कन्नूर	11305
4.	कसरागोड	1148
5.	कोची/इर्नाकुलम	11229
6.	कोल्लम/किलोन	12827
7.	कोट्टायम	8714
8.	कोजीकोड	8731
9.	मालापुरम	5997
10.	पलक्कड़/पालघाट	9777
11.	पथानमथीटा	13765
12.	त्रिसूर	10836
13.	तिरुवनंतपुरम	18706
14.	वेयनाड़	1270
	योग	134522
14.	**मध्य प्रदेश**	
1.	बेतूल	339
2.	भिण्ड	4487
3.	भोपाल	1635
4.	चतरपुर	219
5.	छिन्दवाड़ा	320
6.	दामोह	189
7.	दतिया	103
8.	देवास	361
9.	धार	327
10.	ग्वालियर	2990
11.	होशंगाबाद	603
12.	इंदौर	2566
13.	जबलपुर	3941
14.	मंदसौर	193
15.	मुरैना	2411
16.	नरसिंहपुर	368

1	2	3
17.	पन्ना	149
18.	रतलाम	192
19.	रीवा	2986
20.	सागर	716
21.	सतना	1471
22.	सिओनी	210
23.	शहडोल	316
24.	शिवपुरी	464
25.	सीधी	979
26.	टीकमगढ़	157
27.	उज्जैन	742
	योग	29434

15. महाराष्ट्र

1.	अहमदनगर	6395
2.	अकोला	1526
3.	अमरावती	3012
4.	औरंगाबाद	2872
5.	बीड	2410
6.	भंडारा*	530
7.	बुलधाना	3769
8.	चंदरपुर	1082
9.	धुले	1034
10.	गढधरौली*	88
11.	गोंडिया	383
12.	हिंगोली	369
13.	जलगांव	2437
14.	जालना	828
15.	कोल्हापुर	10383
16.	लातूर	2436
17.	मुंबई सिटी	14054
18.	मुंबई उपनगर	9429
19.	नंदुरबार	153
20.	नागपुर	5254
21.	नांदेड़	639
22.	नासिक	4837
23.	उस्मानाबाद	2895
24.	परबनी	587
25.	पुणे	19750
26.	रायगढ़ (अलीबाग)	2971
27.	रत्नागिरी	4647
28.	सांगली	15363
29.	सतारा	19181
30.	शोलापुर	5915
31.	सिन्धुदुर्ग	3294
32.	थाने	8072
33.	वर्धा	1653
34.	वासिम	538
35.	यवतमाल	1195
	कुल	159981

*टिप्पणी : इन जिलों में कोई जिला सैनिक बोर्ड नहीं हैं। कार्य को संबद्ध कलक्टरियां देख रही हैं।

1	2	3
16.	**मणिपुर**	
1.	चुराचंदपुर	1313
2.	इम्फाल	2759
	योग	4072
17.	**मेघालय**	
1.	मेघालय	1872
	योग	1872
18.	**मिजोरम**	
1.	आइजल	3343
2.	लंगली	841
	योग	4184
19.	**नागालैंड**	
1.	दीमापुर	39
2.	कोहिमा	653
3.	मोकोकचुंग	606
4.	वोखा	595
5.	जुन्हेबोटो	259
	योग	2152
20.	**उड़ीसा**	
1.	बालासोर	1728
2.	कटक	7338
3.	ढेकनाल	3125
4.	गंजम/बहरामपुर	4673
5.	कालाहांडी	1056
6.	संबलपुर	1394
	योग	19314
21.	**पंजाब**	
1.	अमृतसर	26425
2.	भटिंडा	6703
3.	फरीदकोट	6856
4.	फतेहगढ़	4876
5.	फिरोजपुर	4121
6.	गुरदासपुर	25987
7.	होशियारपुर	35506
8.	जालंधर	18745
9.	कपूरथला	7239
10.	लुधियाना	28307
11.	मनसा	3048
12.	मोगा	8462
13.	मुक्तसर	4568
14.	पटियाला	9634
15.	रोपड़	15485
16.	संगरूर	10785
	योग	216747
22.	**राजस्थान**	
1.	अजमेर	7803
2.	अलवर	12755
3.	बाड़मेर	1149

1	2	3
4.	भरतपुर	4717
5.	बीकानेर	2801
6.	चुरू	5282
7.	जयपुर	6579
8.	जैसलमेर	1389
9.	झुंझूनू	22688
10.	जोधपुर	12930
11.	कोटा	3863
12.	नागौर	10446
13.	पाली	2128
14.	सवाईमाधोपुर	3351
15.	सीकर	8650
16.	श्री गंगानगर	2698
17.	उदयपुर	3915
	योग	113144
23.	**सिक्किम**	
1.	गंगटोक (ई/एन)	645
2.	ग्याल्सी/जेजिंग (डब्ल्यू)	230
3.	नामची (एस)	264
	योग	1139
24.	**तमिलनाडु**	
1.	चेन्नई	10083
2.	कोयंबटूर	4307
3.	कुड्डालोर	2371
4.	धरमापुरी	6340
5.	डिंडीगल	2963
6.	ईरोड	1592
7.	कांचीपुरम	4558
8.	कन्याकुमारी	4213
9.	मदुरई	5724
10.	नागपट्टनम	2909
11.	नीलगिरी	1726
12.	पुडकोट्टाई	781
13.	रामानाथपुरम	1249
14.	सलेम	4327
15.	शिवगंगई	1765
16.	तंजाऊर	3074
17.	तेनी	2967
18.	तिरुचिरापल्ली	6233
19.	तिरुनेलवेली	4686
20.	त्रिरुवन्नामले	5892
21.	तिरुवल्लूर	5149
22.	तूतीकोरिन	3672
23.	वेल्लूर	14772
24.	विल्लुपुरम	2882
25.	विरुधुनगर	4784
	कुल	109019
25.	**त्रिपुरा**	
1.	त्रिपुरा	1808
	कुल	1808

1	2	3
26.	**उत्तर प्रदेश**	
1.	आगरा	6891
2.	अलीगढ़	4080
3.	इलाहाबाद	4288
4.	अम्बेडकर नगर	1026
5.	आजमगढ़	2485
6.	बदायूं	1827
7.	बहराईच	304
8.	बलिया	6582
9.	बलरामपुर	74
10.	बांदा	1110
11.	बाराबंकी	1154
12.	बरेली	5071
13.	बस्ती	1392
14.	बिजनौर	1317
15.	बुलंदशहर	10482
16.	चंदौली	285
17.	चित्रकूट	281
18.	देवरिया	4154
19.	एटा	5296
20.	इटावा	6366
21.	फैजाबाद	3377
22.	फतेहगढ़	6972
23.	फतेहपुर	2748
24.	फिरोजाबाद	2756
25.	गौतमबुद्ध नगर	1725
26.	गाजीपुर	18000
27.	गाजियाबाद	8072
28.	गोंडा	1585
29.	गोरखपुर	2575
30.	हमीरपुर	781
31.	हरदोई	2620
32.	हाथरस	4444
33.	जालोन	2496
34.	जौनपुर	1441
35.	झांसी	1363
36.	ज्योतिबा फुले नगर	503
37.	कानपुर शहर	5488
38.	कानपुर देहात	2510
39.	कौशाम्बी	96
40.	कुशीनगर	587
41.	खीरी	1220
42.	लखनऊ	8498
43.	महाराजगंज	473
44.	महोबा	127
45.	मैनपुरी	6641
46.	मथुरा	4649
47.	मऊ	2060
48.	मेरठ	10459
49.	मिर्जापुर	660
50.	मुरादाबाद	1379

1	2	3
51.	मुजफ्फरनगर	3653
52.	पीलीभीत	965
53.	प्रतापगढ़	3663
54.	रायबरेली	2705
55.	रामपुर	1022
56.	संत रविदास नगर	148
57.	सहारनपुर	2081
58.	शाहजहांपुर	1884
59.	श्रावस्ती	229
60.	सिद्धार्थनगर	381
61.	सीतापुर	736
62.	सोनभद्र	241
63.	सुल्तानपुर	5092
64.	उन्नाव	1834
65.	वाराणसी	3800
	कुल	199204
27.	**उत्तरांचल**	
1.	अल्मोड़ा	15288
2.	बागेश्वर	0
3.	चमोली	11470
4.	चम्पावत	0
5.	देहरादून	20543
6.	हरिद्वार	2333
7.	लैंसडोन	11763
8.	नैनीताल	9069
9.	पौड़ी	5411
10.	पिथौरागढ़	17634
11.	रुद्रप्रयाग	0
12.	टेहरी	4564
13.	ऊधम सिंह नगर	25
14.	उत्तरकाशी	549
	कुल	98649
28.	**पश्चिम बंगाल**	
1.	बेहला/24 परगना	7220
2.	बर्दवान	4178
3.	कोलकाता	4155
4.	दार्जिलिंग	8173
5.	हावड़ा	3320
6.	जलपाईगुड़ी	2148
7.	कृष्णानगर/नादिया	5457
8.	मिदनापुर	4314
9.	दक्षिण दीनाजपुर	1625
	कुल	40590
29.	**अंडमान व निकोबार**	
1.	अंडमान व निकोबार	480
	कुल	480
30.	**चंडीगढ़**	
1.	चंडीगढ़	6500
	कुल	6500

1	2	3
31. दिल्ली		
1.	दिल्ली	31706
	कुल	31706
32. पांडिचेरी		
1.	पांडिचेरी	1297
	कुल	1297

[अनुवाद]

बिना टिकट यात्रा

***379. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे को पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान रेलों में बिना टिकट यात्रा के कारण अनुमानतः कितनी हानि हुई;

(ख) बिना टिकट यात्रा को रोकने हेतु हाल ही में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या रेलवे स्टेशनों पर प्रवेश और निकासी के खुले स्थानों के कारण टिकटों की उचित जांच नहीं हो पाती है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर प्रतिबंधित प्रवेश/निकासी स्थान बनाने हेतु रेलवे स्टेशनों के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख) बिना टिकट यात्रा के कारण होने वाली हानि की मात्रा आंकी नहीं जा सकती। बहरहाल, रेलवे मजिस्ट्रेट और पुलिस के सहयोग से बिना टिकट/अनियमित यात्रा पर अंकुश लगाने के लिए अक्सर आकस्मिक जांचें की जाती हैं। इसके अलावा, क्षेत्रीय रेलें भी बिना टिकट यात्रा से ग्रस्त विभिन्न स्थानों और खंडों पर निर्दिष्ट तारीखों और अवधि के दौरान विशेष प्रकार की जांचें करती हैं। इन सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप, बिना टिकट/गलत टिकट के साथ यात्रा कर रहे गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या 2000–2001 में 130.32 लाख से बढ़कर 2001–2002 में 142.28 लाख हो गई है। वर्ष 2000–2001 में 158.35 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2001–2002 के दौरान 175.72 करोड़ रुपए की वसूली की गई जो कि 11% की वृद्धि का द्योतक है।

(ग) से (ङ) जी, हां। कभी–कभार कुछ व्यक्ति रेलवे स्टेशनों के खुला होने और कर्मचारियों की सीमित संख्या के कारण प्लेटफॉर्म पर प्रवेश अथवा निकास कर लेते हैं। ऐसे अनधिकृत प्रवेशों पर अंकुश लगाने के लिए विभिन्न प्रवेश एवं निकास द्वारों पर कर्मचारी तैनात करने के अनुदेश मौजूद हैं और इन्हें समय–समय पर दोहराया जाता है। अनधिकृत प्रवेश/निकास बिंदुओं को बंद करने के अलावा, सभी प्रमुख स्टेशनों पर अनधिकृत व्यक्तियों तथा असामाजिक तत्वों के प्रवेश और संचलन पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस के सहयोग से नियमित अभियान भी चलाए जाते हैं।

[हिन्दी]

जल विद्युत परियोजनाओं में विदेशी निवेश

***380. श्रीमती जस कौर मीणा :** क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में राज्यवार चल रही ऐसी जल विद्युत परियोजनाओं के नाम क्या हैं;

(घ) इन पर कितनी धनराशि व्यय हुई है; और

(ङ) इन परियोजनाओं से हुए विद्युत उत्पादन का परियोजना–वार ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) और (ख) देश में निर्माणाधीन (31.3.2002 की स्थितिनुसार) निम्नलिखित जल–विद्युत परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता प्राप्त की जा रही है।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मे. वा. में)	वित्तपोषण एजेंसी	ऋण राशि (मिलियन में डीसी)	समुपयोजन (मिलियन में डीसी)	चालू होने का कार्यक्रम
1.	नाथपा झाकरी एचईपी* (एनजेपीसी)	1500	आबीआरडी (यूएसडी)	485.000	439.564	चरण I–दिसंबर, 2003
2.	धौलीगंगा एचईपी (एनएचपीसी)	280	जेबीआईसी (जेपीवाई)	21981.000	12800.262	मार्च, 2005
3.	तुरियल एचईपी (नीपको)	60	जेबीआईसी (जेपीवाई)	11695.000	662.714	जून, 2006
4.	श्रीसेलम लेफ्ट बैंक एचईपी (आंध्र प्रदेश	900	जेबीआईसी (जेपीवाई)	63059.510	61267.500	अक्टूबर, 2003
5.	आर एण्ड एम उमियम एचईपी (मेघालय)	–	जेबीआईसी (जेपीवाई)	1700.000	1369.296	जून, 2004
6.	घाटघर पम्पड स्टोरेज पीआरजे (पश्चिम बंगाल)	250	जेबीआईसी (जेपीवाई)	11414.000	7249.098	सितम्बर, 2004
7.	पुरुलिया पम्पड स्ओरेज पीआरजे (महाराष्ट्र)	900	जेबीआईरी (जेपीवाई)	20520.000	2984.862	दिसंवर, 2006
8.	लोअर बोरपानी* (असम)	100	जेबीआईसी (जेपीवाई)	1490.000	1490.000	मार्च 2004
9.	दुलहस्ती एचईपी* (एनएचपीसी)	390	फ्रांस (एफएफ)	1121.846	1121.846	दिसंवर, 2003
10.	टिहरी एचईपी** (टीएचडीसी)	1000	यूएसएसआर (यूएसडी)	172.152	70 070	यूनिट I–मार्च, 2003
11.	चमेरा–2 (एनएचपीसी)	300	कनाडा (सीडी)	175.000	70.360	मई, 2004

डीसी दाता मुद्रा

*ऋण बंद कर दिया गया लेकिन परियोजना पर कार्य अभी भी जारी है।

**यद्यपि विद्युत संयंत्र उपस्कर रूसी थे लेकिन आपूर्तिकर्ताओं की साख यूएसडी में थी।

नोट : उपरोक्त के अतिरिक्त विश्व बैंक ने नर्मदा बेसिन की सरदार सरोवर और इंदिरा सरोवर परियोजनाओं को सहायता देना प्रारंभ कर दिया था लेकिन बाद में भारत सरकार के अनुरोध पर वापस ले लिया।

(ग) से (ङ) विदेशी सहायता से स्थापित निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाएं प्रचालनाधीन हैं।

प्रचालनाधीन विदेशी सहायता प्राप्त जल विद्युत परियोजनाएं (31.3.2002 की स्थितिनुसार)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	क्षमा (मे.वा. में)	वित्तपोषण एजेंसी	ऋण राशि मिलियन में डीसी)	समुपयोजन (मिलियन में डीसी)	चालू होने का वर्ष	अप्रैल, 01 से मार्च 02 के दौरान उत्पादित विद्युत (मि. यू.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अपर इन्द्रावती (उड़ीसा)	300.00	आबीआरडी (यूएसडी)	0.390	0.390	1991	2968
			आईडीए (एसडीआर)	156.000	156.000		
			जेबीआईसी (जेपीवाई)	3600.000	3600.000		
2.	द्वितीय कोयना विद्युत परियोजना (महाराष्ट्र)	1420.00	आइडीए (यूएसडी)	21.100	21.100	1967	2976
3.	नागार्जुनसागर एचईपी (ए.पी.)	810.00	जेबीआईसी (जेपीवाई)	14703.000	14703.000	यूनिट 1–1978,	1156
			यू.के. (जेबीपी)	12.930	12.930	यूनिट 8–1985	
4.	पेथन एचईपी (महाराष्ट्र)	12.00	जेबीआईसी (जेपीवाई)	1147.000	1147.000	1984	8
5.	पश्चिमी यमुना केनाल एचईपी (हरियाणा)	48.00	जेबीआईसी (जेपीवाई)	3244.000	3244.000	1989	232
6.	लोअर मैट्टूर हाइड्रो–इलेक्ट्रिक (टी.एन.)	120.00	जेबीआईसी (जेपीवाई)	7366.000	7366.000	1989	369
7.	हीराकुंड हाइड्रो–इलेक्ट्रिक (उड़ीसा)	307.50	जेबीआईसी (जेपीवाई)	1500.000	1500.000	यूनिट 1–1957, यूनिट 10–1990	969

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	पूर्वी गंडक केनाल एचईपी (बिहार)	15.00	जेबीआईसी (जेपीवाई)	1628.000	1628.000	1998	26
9.	उज्जैन एचईपी (महाराष्ट्र)	12.00	जेबीआईसी (जेपीवाई)	1312.000	1312.000	1994	5
10.	तिस्ता केनाल हाइड्रो–इलेक्ट्रिक (पश्चिम बंगाल)	67.50	जेबीआईसी (जेपीवाई)	14003.000	14003.000	2000	172
11.	कालिंदी एचईपी और कद्रा डेम (कर्नाटक)	910.00	कुवैत (केडी)	21.479	21.479	1989	2817
12.	कोपिली एचईपी (नीपको)	150.00	कुवैत (केडी)	8.939	8.939	1988	544
13.	यूरी (एनएचपीसी)	480.00	स्वीडन (एचएफ)	326.280	326.280	1997	2083
			यू.के. (जीबीपी)	16.966	16.966		
14.	गढ़वाल–ऋषिकेश चिल्ल एचईपी (उत्तरांचल)	144.00	अबू धाबी (दिरहम)	68.000	68.000	1981	541
15.	इड्डूकी एचईपी (केरल)	780.00	कनाडा (सीडी)	60.273	46.564	यूनिट 1– 1976, यूनिट 6– 1986	2766
16.	चमेरा एचईपी (एनएचपीसी)	540.00	कनाडा (सीडी)	114.904	114.740	1994	1953
17.	राना प्रताप सागर (राजस्थान)	172.00	कनाडा (सीडी)	7.876	7.876	1969	259
18.	कुंडा विद्युत परियोजना चरण 1 से 4 (टी.एन.)	555.00	कनाडा (सीडी)	41.740	41.740	चरण 1– 1960, चरण 4– 1988	1350
19.	सबिरगिरी एचईपी (केरल)	300.00	यूएसए (यूएसडी)	18.037	18.037	1967	1406
			कुल				22600

डीसी · दाता मुद्रा

आश्रितों को दिया गया
मुआवजा

3683. श्री ब्रजमोहन राम : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीन वर्ष पूर्व डाल्टनगंज, झारखंड में रामनवमी के जलूस पर 11000 वोल्ट का केबल गिर गया था जिससे 35 व्यक्ति मर गए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या बिहार सरकार द्वारा मृतक के निकटतम संबंधी को मुआवजे का भुगतान कर दिया गया;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है;

(घ) क्या उनके मंत्रालय द्वारा भेजे गए दल ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) जी, हां। बिहार सरकार के अनुसार दिनांक 12.4.2000 की रात्रि में घटित दुर्घटना में 28 व्यक्तियों की मौत हुई थी तथा 4 व्यक्ति घायल हुए थे।

(ख) और (ग) बिहार सरकार ने दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के परिजनों को 1.0 लाख रुपये तथा घायल व्यक्तियों के परिजनों को 20 हजार रुपए मंजूर किया था।

(घ) से (च) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के अधिकारियों के एक दल को जांच कार्य सौंपा गया था। इस दल ने यह पाया कि विद्युत से संबंधित यह दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण घटना एक धार्मिक आयोजन के दौरान जीवित विद्युत तार के किसी तत्व के संपर्क में आने के कारण हुई तथा सुरक्षा अभाव के कारण जन संपत्ति को हानि हुई। फिडिंग लाइन तथा सुरक्षात्मक उपायों के रख–रखाव के प्रति उपेक्षा के कारण स्थिति और गंभीर हो गई। बिहार सरकार ने सूचित किया है कि इस दल की अनुशंसा के आधार पर भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के उपाय किए गए हैं।

[अनुवाद]

न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति
आयु में वृद्धि

3684. श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या संविधान समीक्षा समिति ने इस मामले पर विचार किया था;

(ग) यदि हां, तो समिति द्वारा क्या सिफारिशें की गईं;

(घ) क्या न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कुछ देशों में सिविल सेवा के अधिकारियों की तुलना में अधिक है; और

(ङ) यदि हां, तो कुछ जनतांत्रिक देशों में सिविल सेवा के अधिकारियों की तुलना में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु का ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति) : (क) से (ग) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाने के संबंध में निर्देश प्राप्त हुए हैं। दिसंबर, 1999 में हुए मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में यह संकल्प किया गया था कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु को 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष किया जाना चाहिए और साथ ही भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु में भी तत्समान वृद्धि की जानी चाहिए।

राष्ट्रीय संविधान कार्यकरण पुनर्विलोकन आयोग ने यह सिफारिश की है कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष तक और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 68 वर्ष तक बढ़ा दी जानी चाहिए।

सरकार द्वारा इस संबंध में अभी तक कोई विनिश्चय नहीं किया गया है।

(घ) और (ङ) इस समय भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है, जबकि भारत में सिविल सेवकों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार इंग्लैंड में सर्किट न्यायाधीश 70 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं और सिविल सेवकों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 65 वर्ष है, जबकि मोरक्को में मजिस्ट्रेट 66 वर्ष की आयु में और सिविल सेवक 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं।

[हिन्दी]

सिविल मामलों का निपटान

3685. श्री कैलाश मेघवाल : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2002 के लागू होने के साथ ही सिविल मामलों के एक वर्ष के भीतर निपटान का कोई प्रावधान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है कि सामान्य प्रक्रिया संहिता में किए गए संशोधन न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध न हों; और

(घ) सरकार द्वारा यह व्यवस्था करने हेतु क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है कि निर्धन लोग भी इन न्यायालयों से लाभान्वित हो सकें?

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति) : (क) और (ख) जी, नहीं।

सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2002 में, अन्य बातों के साथ-साथ, ऐसे विभिन्न उपबंध अंतर्विष्ट हैं जो किसी वाद के विभिन्न प्रक्रमों पर समय-सीमा नियत करते हैं। ये उपबंध, सिविल मामलों के शीघ्र निपटान में सहायक होंगे।

(ग) संशोधित सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन उपाय/उपबंध न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं हैं।

(घ) ई-न्यायालय, न्यायालय प्रबंधन में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं और ई-मेल आधारित आदेशिकाओं और संसूचनाओं को अपनाते हैं। तुलनात्मक रूप से ये कम खर्चीले और अधिक पारदर्शी हैं। ये आदेशिकाओं और संसूचनाओं के खर्च को कम करके और मामलों के निपटान में शीघ्रता लाकर, निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते हैं।

[अनुवाद]

प्रेस रिपोर्टों के संबंध में भारतीय प्रेस परिषद की सिफारिशें

3686. श्री अबुल हसनत खां : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान दुर्भावनापूर्ण प्रेस रिपोर्टों के विरुद्ध प्रेस परिषद द्वारा कितनी सिफारिशें की गईं;

(ख) संबंधित समाचारपत्रों में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए;

(ग) क्या सरकार का विचार प्रेस परिषद का हाथ मजबूत करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) भारतीय प्रेस परिषद ने दिनांक 1 अप्रैल, 1998 से 31 मार्च, 2001 तक की अवधि के दौरान उत्प्रेरित खबरें छापने के लिए प्रेस के विरुद्ध दर्ज की गई कुल 2452 शिकायतों में से 352 शिकायतों की पुष्टि की थी और गलती करने वाले समाचार पत्रों की निंदा की थी और उन्हें निर्देश दिए थे।

(ख) से (घ) प्रेस परिषद की स्थापना, प्रेस की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने और समाचार पत्रों तथा समाचार एजेंसियों के मानक को बनाए रखने एवं उसमें सुधार करने के उद्देश्य से की गई है। प्रेस परिषद अधिनियम में यह परिकल्पना की गई है कि इस कार्य को एक आचार संहिता बनाकर तथा पत्रकारों में उत्तरदायित्व एवं लोकसेवा की भावना को प्रोत्साहित करने जैसे उपायों के माध्यम से पूरा किया जाएगा। इस प्रकार स्पष्ट रूप से इसकी भूमिका एक निकाय के रूप में न्यायालय की अपेक्षा अधिक है जो प्रेस में अपने निर्देशों

के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अधिकारपूर्वक स्व–नियम लागू कर सकता है।

विद्युत पर संगोष्ठी का उद्घाटन

3687. श्री ए. नरेन्द्र : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या मंत्री महोदय ने 8 जुलाई, 2002 को विद्युत पर संगोष्ठी का उद्घाटन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) संगोष्ठी के मुख्य उद्देश्य क्या हैं; और

(घ) विद्युत को सस्ते दर पर उपलब्ध कराने हेतु किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (घ) 10वीं और 11वीं योजना के लिए क्षमता अभिवृद्धि पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में 8 और 9 जुलाई, 2002 को आयोजित हुआ था। सम्मेलन का उद्घाटन माननीय विद्युत मंत्री द्वारा किया गया था जिसमें राज्य विद्युत बोर्डों के अध्यक्ष और राज्यों के विद्युत सचिव भी उपस्थित थे। सम्मेलन के दौरान, 41000 मेगावाट क्षमता अभिवृद्धि के लक्ष्य की तथा 10वीं योजना के लिए अभिनिर्धारित प्रत्येक परि–योजना की समीक्षा की गई।

उचित दर पर विद्युत उपलब्ध कराने के लिए यह आवश्यक है कि विद्युत उत्पादक उपस्करों की लागत वृद्धि तथा ताप विद्युत उत्पादन हेतु ईंधन लागत में कमी लाई जाए। इसके अतिरिक्त, पारेषण और वितरण हानियों में भी कमी लाए जाने के साथ–साथ प्रभावी ऊर्जा लेखा परीक्षा द्वारा बिजली चोरी को भी रोका जाना चाहिए। सरकार, उपस्करों के बेंचमार्किंग और मानकीकरण पर ध्यान दे रही है। मंत्रालय में एक बेवसाइट भी कार्यरत है जिस पर बोली और निविदा प्रक्रिया हेतु अलग से आईकान की व्यवस्था है। इससे पारदर्शिता तो आएगी ही, परियोजना लागत में भी कमी लाई जा सकेगी।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, सरकार ने त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम भी शुरू किया गया है जिसके लिए इस वर्ष के बजट में 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इस स्कीम के तहत राज्यों को अपनी उप–पारेषण और वितरण प्रणाली में सुधार लाने हेतु सहायता दी जाती है ताकि पारेषण हानियों को कम किया जा सके और टैरिफ वृद्धि दर पर नियंत्रण पाया जा सके। इसके अतिरिक्त, विद्युत क्षेत्र के सुधार कार्यक्रमों की ओर पूरे देश का ध्यान गया है जिसके फलस्वरूप केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के साथ–साथ 12 राज्य विद्युत विनियामक आयोगों ने अब टैरिफ आदेश जारी कर दिए हैं। इन आयोगों के प्रमुख कार्यों में से एक कार्य टैरिफ को युक्तिसंगत बनाना है ताकि वाणिज्यिक हानियों को दीर्घावधि के लिए कम रखा जा सके। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों ने विद्युत की चोरी रोकने संबंधी विधायी उपाय किए हैं ताकि वाणिज्यिक हानि को कम किया जा सके।

आंध्र प्रदेश की बकाया धनराशि

3688. श्रीमती रेणूका चौधरी : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार का रेलवे को पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराने हेतु भारतीय रेल पर भारी राशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो 1 जुलाई, 2002, 1 जनवरी, 2002 और 1 जुलाई, 2001 की स्थिति के अनुसार कुल कितनी राशि बकाया है;

(ग) इतनी बड़ी राशि के बकाया होने के क्या कारण हैं; और

(घ) ऐसे बकायों का शीघ्र और सरल भुगतान सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) जी, नहीं। 1 जुलाई, 2002, 1 जनवरी, 2002 और 1 जुलाई, 2001 को बकायों की कुल राशि क्रमश: 0.47 करोड़ रु., 2.42 करोड़ रुपए और 3.01 करोड़ रु. थी।

(ग) इस संचय के लिए मुख्य कारण वास्तविक रूप से दावा की गई राशि के लिए राज्य सरकार द्वारा महालेखाकार के आवश्यक लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र के प्रस्तुत न करने तथा विलंब से प्रस्तुत करने का है।

(घ) संबंधित क्षेत्रीय रेलें कठिनाइयों यदि कोई हों, को दूर करने के लिए राज्य सरकार के संपर्क में रहती है।

एम.यू.टी.पी. में पुनर्वास कार्यक्रम

3689. श्री किरीट सोमैया : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पी.ए.पी.) और एम.यू.टी.पी. में उनके पुनर्वास कार्यक्रम पर उपयुक्त ध्यान दिया गया;

(ख) एम.यू.टी.पी. के रेल घटकों के कारण कितने परिवारों के प्रभावित होने की संभावना है;

(ग) क्या कुरला–थाने छः लाइन परियोजना से प्रभावित परिवारों का पुनर्वास कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पिछले दो वर्षों के दौरान पश्चिमी रेलवे एवं मध्य रेलवे दोनों के उपनगरीय रेलवे के परियोजना प्रभावित लोगों (पी.ए.पी.) के पुनर्वास के संबंध में ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, हां।

(ख) उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, एमयूटीपी के रेल कम्पोनेंट के कारण 13417 परिवारों के प्रभावित होने की संभावना है।

(ग) और (घ) कुर्ला–थाणे की पांचवीं एवं छठी लाइन की परियोजना द्वारा प्रभावित परिवारों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) पिछले दो वर्षों के दौरान, पश्चिम रेलवे और मध्य रेलवे की दोनों उपनगरीय रेलों पर परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्स्थापन संबंधी ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

(ग) और (घ) कुर्ला–थाणे 5वीं एवं 6ठी लाइन परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन का ब्यौरा नीचे लिखे अनुसार है -

1.	परियोजना प्रभावित व्यक्तियों की कुल संख्या जिनको पुनर्स्थापित किया जाना है	3682
2.	अभी तक पुनर्स्थापित किए जा चुके परियोजना प्रभावित व्यक्तियों की कुल संख्या	2292
	(i) स्थायी इमारतें	269
	(ii) पारवहन चालें	2023
3.	अभी पुनर्स्थापित किए जाने वाले परियोजना प्रभावित व्यक्तियों की कुल संख्या	1390

अभी पुनर्स्थापित किए जाने वाले 1390 परियोजना प्रभावित व्यक्तियों में से 121 परियोजना प्रभावित व्यक्ति किराएदार अथवा विद्याविहार में निजी भूमि और इमारतों के मालिक हैं। शेष 1269 परियोजना प्रभावित व्यक्ति झुग्गी–झोपड़ी निवासी हैं।

(ङ) पिछले दो वर्षों के दौरान पश्चिम रेलवे और मध्य रेलवे को उपनगरीय रेलों में परियोजना प्रभावित व्यक्तियों की पुनर्स्थापन का ब्यौरा नीचे लिखे अनुसार है

1.	परियोजना प्रभावित व्यक्तियों की कुल संख्या जिनको पुनर्स्थापित किया जाना है	13417
2.	अभी तक पुनर्स्थापित किए जा चुके परियोजना प्रभावित व्यक्तियों की कुल संख्या	10736
	(i) स्थायी इमारतें	4030
	(ii) पारवहन चालें	6706
3.	अभी पुनर्स्थापित किए जाने वाले परियोजना प्रभावित व्यक्तियों की कुल संख्या	2681

इन 2681 परियोजना प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्स्थापन मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा स्थायी इमारतों का निर्माण पूरा होने के बाद 2004 तक किया जाएगा।

मेजिया ताप विद्युत केन्द्र में निर्माण कार्य

3690. श्री सुनील खां : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेजिया ताप विद्युत केन्द्र की चौथी इकाई के निर्माण का कार्य शुरू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) निर्माण कार्य हेतु श्रमिकों और कर्मचारियों की भर्ती की प्रणाली का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या एरसार कंपनी को एमटीपीएस के वैगनों में लदाई/उतराई में रोजगार देने का कोई अधिकार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने मार्च, 2002 में मेजिया टीपीएस विस्तार यूनिट-2 (210 मेगावाट) को तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्रदान की थी। डीवीसी द्वारा मै. भेल को आपूर्ति, इरेक्शन तथा स्टीम टरबाईन को चालू करने तथा टर्बो जेनरेटर, संबद्ध आनुषंगियों समेत स्टीम जेनरेट, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सी एंड आई से संबंधित सभी अन्य संयंत्रों तथा उपकरणों, जिसमें सम्पूर्ण सिविल कार्यों पत्र अभी जारी किया गया है। मै. भेल ने बॉयलर तथा पावर हाऊस क्षेत्र में उत्खनन कार्य आरम्भ कर दिया है। जुलाई, 2002 तक 60% उत्खनन कार्य पूरा कर लिया गया है।

(ग) निर्माण कार्य हेतु अपेक्षित श्रमिक तथा स्टाफ की भर्ती के लिए भेल ही उत्तरदायी है।

(घ) और (ङ) मै एस्सार इंजीनियर्स को कोयला वैगनों को खाली करने समेत मौजूदा मेजिया ताप विद्युत केन्द्र (3x210 मेगावाट) के कोयला लदान संयंत्र के रख-रखाव का अनुबंध किया गया है। मै एरसार इंजीनियर्स आवश्यकतानुसार अपने कुशल, अर्द्धकुशल कार्मिकों और स्थानीय अकुशल श्रमिकों को काम में लगाता है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में आई.ओ.सी.एल. के खुदरा बिक्री केन्द्र

3691. श्री सुरेन्द्र सिंह बरवाला : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक** गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) मध्य प्रदेश में भारतीय तेल निगम लिमिटेड (आई.ओ.सी.एल.) के खुदरा बिक्री केन्द्रों की कुल संख्या कितनी है जिनके संदर्भ में कंपनी द्वारा चयनित आवेदकों को 'एल.ओ.आई.' जारी की गई थी; और

(ख) ऐसे खुदरा बिक्री केन्द्रों की संख्या कितनी है जिसके लिए कंपनी द्वारा आवेदन पत्रों की बिक्री अलग-अलग नामों से की गई थी और अलग-अलग नाम से उन्हें प्राप्त किया गया था?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) 31.7.2002 की स्थिति के अनुसार इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा विपणन योजना की संकल्पना की शुरूआत के बाद से मध्य प्रदेश राज्य में खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों के लिए 163 आशय-पत्र जारी किए गए।

(ख) उन खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों की संख्या 30 है जिनके लिए कंपनी द्वारा आवेदन फार्म भिन्न नामों के तहत बेचे गए थे और भिन्न नामों के तहत प्राप्त किए गए थे।

एच.ई.सी., रांची बिजली काटना

3692. श्री राम टहल चौधरी : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या एच.ई.सी., रांची अपने बिजली बिलों का भुगतान नहीं कर रहा है जिसके कारण उक्त उपक्रम का बिजली का कनेक्शन कई बार काट दिया गया है और इससे उत्पादन पर बुरा प्रभाव पडा है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या प्रयास किए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) एच.ई.सी., रांची का विद्युत कनेक्शन विद्युत बिलों के भुगतान न करने के कारण कुछ अवसरों पर काट दिया गया था। झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड (जेएसईबी) के गठन के बाद विद्युत को केवल एक बार कम अवधि के लिए काटा गया था।

(ख) कभी-कभी निधियों की कमी के चलते तथा कुल बकाया राशि के भुगतान से संबंधित विवाद के कारण विद्युत बिलों का भुगतान अनियमित रहा है।

(ग) सरकार ने विद्युत बिलों के भुगतान के लिए एचईसी को फरवरी, 2000 में 14.89 करोड़ रुपये का गैर–योजनागत ऋण जारी किया था। भारत सरकार ने विवाद को सुलझाने के लिए बिहार राज्य सरकार तथा तत्पश्चात् झारखंड सरकार को लिखा है।

[अनुवाद]

परामबीकुलम-अलीयार परियोजना

3693. श्री टी. गोविन्दन : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को केरल में स्थित परामबीकुलम–अलीयार परियोजना के अनुबंध के अनुसार बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विद्युत सुधार हेतु धनराशि

3694. श्री गंता श्रीनिवास राव : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का विचार विद्युत सुधारों हेतु निजी क्षेत्र और वित्तीय संस्थानों से एक बिलयन डालर की धनराशि लेने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस निधि में योगदान करने हेतु अनिवासी भारतीय से संपर्क किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (घ) 16वें विद्युत शक्ति सर्वेक्षण के अंतर्गत केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने वर्ष 2012 तक लगभग 107000 मेगावाट विद्युत की क्षमता अभिवृद्धि करने की आवश्यकता बताई है। इसके अलावा सम्बद्ध पारेषण एवं वितरण प्रणाली में लगभग 8,00,000 करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता है। पावर फाइनेंस कारपोरेशन ने इस उद्देश्य से ऋण एवं इक्विटी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत विद्युत निधि (आईपीएफ) की संकल्पना प्रस्तुत की है। वर्तमान में यह प्रस्ताव संकल्पना चरण में है।

[हिन्दी]

बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों को यात्रा की अनुमति

3695. श्रीमती सुशीला सरोज : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार के ध्यान में ऐसे कितने मामले आए हैं जिनमें टी.टी.आई. ने घूस लेकर यात्रियों को ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करने दिया; और

(ख) ऐसे अधिकारियों को पकड़ने हेतु क्या उपाय किए गए और दोषी टी.टी.आई. के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान, 1999–2000 में 521, 2000–01 में 450 तथा 2001–02 में 518 घटनाओं में चल टिकट परीक्षकों के विरुद्ध गाड़ियों में अप्राधिकृत यात्रा कराने में सहयोग देने के लिए कार्रवाई की गई।

(ख) कदाचार को रोकने के लिए वाणिज्य तथा सतर्कता विभाग द्वारा नियमित तथा अचानक जांचें की जाती हैं तथा गाड़ी में तैनात यदि कोई टिकट जांच कर्मचारी कदाचार में शामिल पाया जाता है तो भ्रष्ट कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है।

राजस्थान में आमान परिवर्तन

3696. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में शुरू की गई उन आमान परिवर्तन परियोजनाओं का परियोजना–वार ब्यौरा क्या है जिन्हें रेल बजट में शामिल किया गया था;

(ख) उन परियोजनाओं का परियोजना–वार ब्यौरा क्या है जिन पर कार्य शुरू हो गया है;

(ग) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन पर

अब तक कार्य नहीं शुरू किया गया है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या तिथि निर्धारित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (घ) राजस्थान में आमान परिवर्तन कार्यों का ब्यौरा उनकी लक्ष्य तिथि के साथ, जहां कहीं निर्धारित है, नीचे लिखे अनुसार है—

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	परियोजना	बजट में शामिल करने का वर्ष	किलोमीटर	प्रत्याशित लागत	मार्च, 2002 तक प्रत्याशित व्यय	बजट परिव्यय 2002–03	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	पिपार रोड–बिलाड़ा	1993–94	41	21.46	0.56	5	फुलेरा–जोधपुर का कार्य पूरा हो गया है और खोल दिया गया है। पिपार रोड से बिलाड़ा तक खंड फुलेरा–जोधपुर के वस्तुपरक आशोधन के रूप में स्वीकृत किया गया है। निम्न परिचालनिक प्राथमिकता और पिपार रोड–बिलाड़ा खंड पर अत्यधिक कम यातायात के कारण इस कार्य को निम्नतर प्राथमिकता प्रदान की गई है। कार्य को शुरू करने के लिए व्यवस्था की जा रही है। कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।
2.	श्रीगंगानगर–सरूपसर	1997-98	116	68.72	0.08	0.01	यह कार्य अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त होने, जिनके लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है, के बाद शुरू किया जाएगा। अभी कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।
3	लूणी–बाडमेर–मुनाबाव	1997–98	297	283.94	88.26	0.1	2002–03 के दौरान लूणी–समदड़ी और समदड़ी–जसई खंड (200 किलोमीटर) पूरा किए जाने का लक्ष्य है। जसई–मुनाबाव खंड 2003–04 में पूरा किया जाने का लक्ष्य है।
4.	भिलडी–समदड़ी	1990–91	223	244.74	1.25	15	1990–91 में यह कार्य कांडला–भटिंडा रेल संपर्क के भाग के रूप में स्वीकृत किया गया था। यह कार्य हाल ही में पुनः चालू किया गया है। कार्य शुरू करने के लिए प्रारंभिक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अभी कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	सादूलपुर–हिसार तक वस्तुपरक आशोधन सहित रेवाड़ी–सादूलपुर	1997–98	211	282.76	0.22	10.86	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। नक्शे और अनुमानों की तैयारी शुरू की गई है। अभी कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।
6.	फुलेरा–मारवाड़–अहमदाबाद	1993–94	572	632.35	623.35	9	फुलेरा–अहमदबाद का कार्य पूरा हो गया है और खोल दिया गया है। अहमदाबाद के यार्ड के ढांचे में परिवर्तन के अवशिष्ट कार्य प्रगति पर हैं। रेवाड़ी–दिल्ली दूसरी लाइन का आमान परिवर्तन भी इस कार्य का हिस्सा है जहां तल्प संबंधी कार्य पूरे हो गए हैं। इस लाइन का आमान परिवर्तन निकटस्थ मीटर लाइन खंडों के आमान परिवर्तनों के साथ पूरा किया जाएगा। अभी कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।
7.	आगरा–बांदीकुई	1995–96	152	178.03	16.29	26	मिट्टी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर हैं। यह कार्य संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार 3 वर्ष की अवधि में पूरा किए जाने की योजना है।
8.	उदयपुर से उमरा तक के विस्तार के लिए वस्तुपरक आशोधन सहित अजमेर–उदयपुर–चित्तौड़गढ़	1996–97	311	294.69	34.85	30	उदयपुर और चित्तौड़गढ़ (114 किलोमीटर) के बीच मिट्टी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर हैं। अजमेर–चित्तौड़गढ़ खंड पर पुलों के कार्य की भी योजना बनाई जा रही है। अभी कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

उत्तरांचल में रेल परियोजनाएं

3697. श्री जय प्रकाश : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेल परियोजनाओं के लिए निर्धारित लक्ष्यों की कोई समीक्षा की है जिन्हें उत्तरांचल में वर्ष 2001–2002 के दौरान शुरू किया गया था,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वे कौन सी रेल परियोजनाएं हैं जो अपने लक्ष्य प्राप्त करने के संबंध में तुलनात्मक रूप से धीमी चल रही हैं या समय से पीछे चल रही हैं और उन पर अब तक कितनी राशि व्यय की गई;

(घ) क्या सरकार उक्त परियोजनाओं को पूरा करने हेतु कोई समयबद्ध कदम उठा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ङ) उत्तरांचल में केवल एक परियोजना है तथा लालकुंआ–बरेली के आमान परिवर्तन जिसे कानुपर–कासगंज–मथुरा और कासगंज–बरेली आमान परिवर्तन परियोजना के भाग के रूप में शुरू किया गया है। इस खंड के आमान परिवर्तन के लिए अभी तक कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। योजना एवं अनुमान तैयार करने जैसे प्रारम्भिक कार्य शुरू कर दिए गए हैं। अनुमानों को अंतिम रूप दिए जाने के

पश्चात् कार्य शुरू किया जाएगा और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार आगामी वर्षों में पूरा किया जाएगा।

[अनुवाद]

आई.आर.ई.पी.पी.

3698. श्री पी. मोहन : क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूरे देश में समेकित ग्राम ऊर्जा योजना कार्यक्रम (आई.आर.ई.पी.पी.) के क्रियान्वयन के लिए अब तक कितने केन्द्रों की पहचान की गई है;

(ख) कितनी योजनाओं का अब तक विस्तार दसवीं पंचवर्षीय योजना में किया गया है;

(ग) क्या तमिलनाडु में रामेश्वरम और मुप्पंडाल में पवन ऊर्जा के दोहन हेतु कार्रवाई की जा रही है जहां वार्षिक पवन गति करीब 27 किमी. प्रति घंटा होने का अनुमान है;

(घ) उन दूरदराज गांवों की संख्या कितनी है जहां सौर ऊर्जा प्रणाली द्वारा उत्पादित बिजली उपलब्ध कराई गई है;

(ङ) क्या एम.एन.ई.एस. द्वारा तमिलनाडु के लिए स्वीकृत सभी 13 ऊर्जा पार्क संतोषजनक रूप से कार्य कर रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) और (ख) सम्पूर्ण देश में अब तक एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम (आईआरईपी) के कार्यान्वयन के लिए कुल 860 ब्लॉकों को स्वीकृत किया गया है, चालू वर्ष 2002–03 के दौरान आईआरईपी का कार्यान्वयन उसी पद्धति पर किया जा रहा है जिसे नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए मंजूर किया गया था। दसवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान अधिक प्रभावी रूप से कार्यान्वयन और प्रस्तावित विस्तार के लिए इस कार्यक्रम में, राज्यों और योजना आयोग के साथ परामर्श से संशोधन किया जा रहा है।

(ग) तमिलनाडु के मुप्पंडाल–पेरुनगुडी क्षेत्र में कुल लगभग 425 मेगावाट की वाणिज्यिक पवन विद्युत परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। राष्ट्रीय पवन संसाधन मूल्यांकन कार्यक्रम के अंतर्गत किए गए अध्ययनों के अनुसार रामेश्वरम को पवन विद्युत संभाव्यता वाला पाया गया है। तथापि रामेश्वरम में अब तक कोई वाणिज्यिक पवन विद्युत परियोजनाएं विकसित नहीं हुई हैं।

(घ) सौर प्रकाशवोल्टीय कार्यक्रम और ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत सौर ऊर्जा प्रणालियों और विद्युत संयंत्रों के माध्यम से कुल 2771 गांवों और बस्तियों को विद्युतीकृत किया गया है। अधिकांश गांव और बस्तियां दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में हैं, इसके अलावा 434 गांवों और बस्तियों को सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों तथा विद्युत संयंत्रों के माध्यम से विद्युतीकृत किया जा रहा है।

(ङ) और (च) राज्य कार्यान्वयन नोडल एजेंसी–तमिलनाडु ऊर्जा विकास एजेंसी (टीईडीए) ने सूचित किया है कि तमिलनाडु में स्वीकृत किए गए कुल 13 ऊर्जा पार्कों में से दलित लिबरेशन एजूकेशन ट्रस्ट केडालूर, कांचीपुरम जिला; अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई; मदुराई कामराज विश्वविद्यालय, मदुराई; वेल्लूर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी, वेल्लूर; गांधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट, गांधीग्राम और पीएसजी कॉलेज ऑफ टेक्नोलोजी, कोयम्बटूर में छः ऊर्जा पार्क संतोषजनक रूप से कार्य कर रहे हैं। तमिलनाडु साइंस एंड टेक्नोलोजी, त्रिची; विवेकानन्द केन्द्र, कन्याकुमारी; एमईपीसीओ साइंस इंजीनियरिंग कॉलेज, वीरूधुनगर जिला; पेरियार मनीयामाई कॉलेज ऑफ टेक्नोलोजी फॉर वूमेन, तंजावूर; अन्नामलाई विश्वविद्यालय, अन्नामलाई; और आर एम के इंजीनियरिंग कॉलेज, तिरुवलूर जिले में छः ऊर्जा पार्कों को वर्ष 2002–03 के दौरान पूरा कर लिए जाने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त टीईडीए ने सूचित किया है कि कोंगू पोलीटेक्नीक, पेरुनदुराई, इरोड जिले में ऊर्जा पार्क को मार्च, 2003 तक पूरा कर लिए जाने की उम्मीद है।

उड़ीसा में नई विद्युत परियोजनाएं

3699. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में दसवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान कितनी नई विद्युत परियोजनाएं शुरू की गईं;

(ख) परियोजना की लागत, वित्त के स्रोत और परियोजना शुरू करने के इच्छुक संगठनों यदि कोई हों तो उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) उड़ीसा में स्रोत–वार और संगठन–वार अद्यतन विद्युत उपलब्धता कितनी है; और

(घ) कृषि, सिंचाई और घरेलू उपयोग हेतु अद्यतन विद्युत शुल्क का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) निम्नांकित विद्युत परियोजनाएं 10वीं योजना के दौरान उड़ीसा राज्य में क्षमता संवर्धन हेतु प्रस्तावित हैं–

1. तालचेर एसटीपीपी चरण–2 (4x500 मेगावाट)–एनटीपीसी
2. बालीमेला एचईपी विस्तार (2x75 मेगावाट)–ओएचपीसी

तालचेर एसटीपीपी चरण–2 की अनुमोदित परियोजना लागत 6648.83 करोड़ रुपये है। इस बाजार उधारों से ऋण और एनटीपीसी के आंतरिक संसाधनों से इक्विटी के माध्यम से 70 : 30 के ऋण इक्विटी अनुपात से वित्त पोषित किया जाएगा।

बालीमेला एचईपी विस्तार को मै. उड़ीसा हाइड्रो पावर कारपोरेशन द्वारा किया जा रहा है तथा इसे केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा 210.94 करोड़ रुपये की लागत 5.1.2001 को तकनीकी–आर्थिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। मै. एलएमजेड एशिया के साथ दिनांक 31.10.1996 को आपूर्ति, इरेक्शन तथा टर्न–की आधार पर चालू करने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए।

(ग) जून, 2002 स्रोत–वार तथा संगठन–वार विद्युत उपलब्धता के ब्यौरे निम्नानुसार हैं–

– निजी उत्पादन	– 690 मिलियन यूनिट
– हिस्से के विपरीत केन्द्रीय क्षेत्र हिस्से से निकासी	– 205 मिलियन यूनिट
– एचपीसीएल तथा आईसीसीएल से आयात	– 10 मिलियन यूनिट
– मचकुंड शेयर	– 32 मिलियन यूनिट
जोड़	1033 मिलियन यूनिट

(घ) उड़ीसा में घरेलू तथा सिंचाई (कृषि) के लिए वर्ष 2000–01 में औसत टैरिफ (संशोधित अनुमान) क्रमशः 175.72 पैसे/कि.वा.घं. तथा 107.73 पैसे/कि.वा.घं. थी।

[हिन्दी]

निर्माण और मरम्मत कार्य के लिए आई.ओ.सी.एल. द्वारा निविदा

3700. श्री रघुराज सिंह शाक्य : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम लिमिटेड ने निर्माण और मरम्मत कार्य से संबंधित कार्य शुरू करने हेतु निविदाएं आमंत्रित की हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय तेल निगम लिमिटेड उन फर्मों जिन्होंने अपनी निविदाएं दी हैं को ठेका देने से पूर्व टाटा कन्सल्टेंसी लिमिटेड की स्वीकृति लेती है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 2000 से आज तक निगम द्वारा मध्य प्रदेश में निविदाओं द्वारा निर्माण फर्मों को कुल कितने ठेके दिए; और

(घ) उनमें से कितनी निविदाएं टाटा कन्सल्टेंसी लिमिटेड द्वारा स्वीकृत नहीं थीं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) इंडियन आयल कारपोरेशन लि. (आई.ओ.सी.) ने मैसर्स टीसीई कन्सल्टिंग इंजीनियर्स को नवम्बर, 2000 से अक्टूबर, 2002 तक की अवधि के लिए मध्य प्रदेश समेत कुछ राज्यों में किए जाने वाले कार्यों हेतु क्षेत्रीय दर संविदा के लिए निविदा देने हेतु परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया था। इस परामर्शदाता का कार्यक्षेत्र विभिन्न मदों के दर विश्लेषण निविदाएं तैयार करने, निविदा देने वालों के दस्तावेज के सत्यापन तथा संविदाकारों के सूचीकरण के लिए अंतिम अनुमोदन हेतु आई.ओ.सी. को अपनी संस्तुतियां प्रस्तुत करने का सीमित है।

मैसर्स टी सी ई कन्सल्टिंग इंजीनियर्स के माध्यम से आई.ओ.सी. के पश्चिमी क्षेत्र के द्वारा अंतिम रूप दी गई क्षेत्रीय संविदा के आधार पर वर्ष, 2000, 2001 तथा 2002 के दौरान छत्तीसगढ़ समेत मध्य प्रदेश के कार्यों के लिए कुल 660 कार्य आदेश जारी किए गए थे।

[अनुवाद]

मुम्बई में झुग्गियों के लिए बुनियादी सुविधाओं हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र

3701. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने रेलवे की भूमि पर झुग्गी पुनर्वास योजना के क्रियान्वयन के लिए केन्द्र सरकार से अनुमति देने का निवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या झुग्गी निवासियों को मुफ्त आवास प्रदान करने की राज्य सरकार के इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम हेतु आवश्यक अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी कर दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

बिक्री कर अपवंचन

3702. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या पूर्व रेलवे प्रशासन ने 1.36 करोड़ रुपए मूल्य के स्क्रैप सामानों पर यू.पी. में बिक्री कर अपवंचन को बढ़ावा दिया है जैसा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने 2002 की अपनी रिपोर्ट संख्या–9 के पृष्ठ 119 पर पैरा 3.4.9 में टिप्पणी की है;

(ख) यदि हां, तो नीलामी द्वारा बिक्री की सामान्य दशा में दोषमुक्त प्रावधान हेतु संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या उन डीलरों से धनराशि की वसूली की गई जिन्हें स्क्रैप को ब्याज सहित बेचा गया; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, नहीं। ऐसा कोई बढ़ावा नहीं दिया गया है। उत्तर प्रदेश बिक्री कर प्राधिकारियों का पूर्व रेल से 1.32 करोड़ रु के बिक्री के बकायों का भुगतान संबंधी दावा विवादित है तथा यह मामला माननीय उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिकरण, वाराणसी की संशोधन पीठ के समक्ष न्यायाधीन है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

माल भाड़ा शुल्क

3703. श्री सुबोध मोहिते : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को निर्यात बढ़ाने के लिए रेल मालभाड़ा शुल्क कम करने हेतु सीमेंट विनिर्माता संघ से एक अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, नहीं। निर्यात बढ़ाने हेतु सीमेंट के लिए मालभाड़ा प्रभारों में कमी करने हेतु रेल मंत्रालय की सीमेंट विनिर्माता संघ से कोई अधिकारिक अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। बहरहाल, यह मामला हाल ही में रेल सीमेंट समन्वय दल की बैठक के दौरान उठाया गया था।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

सेना में भर्ती

3704. चौ. तालिब हुसैन : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर, विशेषकर राजौरी और पुंछ के युवक सेना और अर्द्धसैनिक बलों में भर्ती अभियान तेज कराने की मांग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार के पास राजौरी और पुंछ में भर्ती कार्यालय स्थापित करने हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जून, 1999 में जब तत्कालीन गृह मंत्री ने जम्मू और कश्मीर का दौरा किया था उस समय राजौरी और पुंछ के लोगों ने उनसे यह मांग की थी कि केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों में उनकी अधिक भरती की जाए।

(ख) केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों में जम्मू और कश्मीर का प्रतिनिधित्व राज्य की आबादी के अनुपात की तुलना में अधिक है। तथापि, केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों में सामान्य वार्षिक भरती के अतिरिक्त, वर्ष 1990 के बाद अतिरिक्त रिक्तियों के आवंटन करके जम्मू और कश्मीर में विशेष भरती की जाती है। सभी केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों को नई बटालियनों में भरती का 5 प्रतिशत जम्मू और कश्मीर राज्य को आवंटित किए जाने के अनुदेश भी जारी कर दिए गए हैं। जम्मू और कश्मीर के आत्मसमर्पित आतंकवादियों में से केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल की दो बटालियनें भी खड़ी की गई हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

खनन क्षेत्रों में रेल लिंक

3705. श्री अनन्त नायक : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर उड़ीसा के क्योंझर और मयूरभंज जिलों में खनन क्षेत्र को जोड़ने वाली रेल लाइनें बिछाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ग) रेलवे ने देश के खनन क्षेत्र को जोड़ने के लिए कई नई लाइनों का निर्माण शुरू किया है। उड़ीसा के क्योंझर और मयूरभंज जिलों सहित उड़ीसा में सभी चालू नई परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। ये सभी परियोजनाएं स्वीकृत हैं और इनकी सापेक्ष प्राथमिकता तथा संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार इन पर काम चल रहा है।

विवरण

उड़ीसा में नई लाइन परियोजनाएं

परियोजना	रेलवे	लागत	मार्च 2002 तक प्रत्याशित व्यय	बजट परिव्यय 2002-03	स्थिति
			(करोड़ रुपयों में)		
1	2	3	4	5	6
अंगुल–सुकिंदा रोड	दक्षिण–पूर्व रेलवे	245.58	0.68	1	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सभी 17 बड़े पुलों के लिए मिट्टी जांच पूरी हो गई है। रेलवे को इस लाइन द्वारा सेवित होने वाले इस्पात संयंत्रों की विस्तृत स्थिति की जांच करने के लिए कहा गया था। यातायात पुनर्मूल्यांकन रिपोर्ट की संवीक्षा की जा रही है।

1	2	3	4	5	6
दैतारी–बांसपानी	दक्षिण–पूर्व रेलवे	585.12	345.77	40	बांसपानी से जोरूली (11 किलोमीटर) 20.10.2000 को पूरा हो गया है और इसे माल यातायात के लिए खोल दिया गया है। मिट्टी संबंधी, पुल संबंधी और अन्य कार्य प्रगति पर हैं। किमी 0–123 में 110 किमी के लिए तल्प तैयार है। जोरूली से क्योंझर तक के खंड को 2002–03 के दौरान पूरा किए जाने का लक्ष्य है।
हरिदासपुर–परादीप	दक्षिण–पूर्व रेलवे	301.63	16.17	5	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। भूमि अधिग्रहण नक्शे तथा दस्तावेजों को अंतिम रूप दे दिया गया है और 84 गांवों में से 45 गांवों के लिए इन्हें प्रस्तुत कर दिया गया है। 14 गांवों में भूमि का कब्जा ले लिया गया है।
खोरधा रोड–बोलनगीर	दक्षिण–पूर्व रेलवे	700	14.16	5	106 किमी के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो गया है तथा शेष कार्य प्रगति पर है। खोरधा रोड छोर से 2.5 किमी की दूरी, जहां भूमि रेलवे के पास उपलब्ध है, कार्य शुरू हो गया है। भूमि अधिग्रहण के लिए अभी तक राज्य सरकार के पास 3.66 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं।
कोरापुट–रायगुडा	दक्षिण–पूर्व रेलवे	485	479.44	0.01	कार्य पूरा हो गया है और इसे खोल दिया गया है।
लांजीगढ़ रोड–जूनागढ़	दक्षिण–पूर्व रेलवे	105.08	16.93	2	चरण–I में लांजीगढ़ से भवानीपटना (31 किमी) में कार्य शुरू किया गया है। वन भूमि को छोड़कर जिसके लिए चरण–I अनुमोदन प्राप्त हो गया है, 1021 एकड़ में से 737 एकड़ का भूमि अधिग्रहण पूरा हो गया है। लांजीगढ़–भवानीपटना खंड पर मिट्टी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है।
तालचेर–संबलपुर	दक्षिण–पूर्व रेलवे	464.38	455.01	0.01	पूरा हो गया है और इसे खोल दिया गया है।

[अनुवाद]

उत्पादन लागत

3706. श्री एस. अजय कुमार : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में ताप, जल विद्युत और गैस आधारित विद्युत की प्रति यूनिट विद्युत उत्पादन लागत का अलग–अलग ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : वर्ष 2000–01 के दौरान विभिन्न स्रोतों से प्रति यूनिट औसत विद्युत उत्पादन लागत निम्नानुसार थी·

स्रोत	पैसे/कि.वा.घं.
कोयला	151*
हाइड्रो	63*
गैस	220*

*अखिल भारतीय परिकलित औसत।

[हिन्दी]

समाचारपत्रों में महिलाओं के नग्न और अश्लील छायाचित्र

3707. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि कुछ समाचारपत्रों में महिलाओं के नग्न और अश्लील छायाचित्र प्रदर्शित किए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या महिलाओं के नग्न छायाचित्र प्रदर्शित किया जाना भी समाचारों का एक भाग है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (घ) प्रेस की स्वतन्त्रता को बनाए रखने तथा देश में समाचारपत्रों एवं समाचार एजेंसियों के मानकों को बनाए रखने और उनमें सुधार करने के प्रयोजन हेतु स्थापित की गई है प्रेस के लिए एक स्व–विनियामक निकाय, भारतीय प्रेस परिषद ने दिशा–निर्देश अर्थात् पत्रकारिता आचार के मानदंड जिनके अनुसार समाचारपत्र/पत्रकार ऐसा कुछ भी प्रकाशित नहीं करेंगे अभद्र, अश्लील या लोकरुचि के अनुरूप न हो। प्रेस परिषद महिलाओं की आपत्तिजनक तस्वीरें प्रकाशित करने वाले समाचारपत्रों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त करती है और ऐसा करने वाले पथभ्रष्ट समाचारपत्रों के खिलाफ स्वतः जांच शुरू करती है तथा उन्हें सलाह देती है कि वे ऐसी तस्वीरें प्रकाशित न करें जिसके लिए भारतीय दंड संहिता, 1860, महिलाओं का अभद्र चित्रण (निषेद्ध) अधिनियम 1986 आदि जैसे विभिन्न कानूनों के तहत दंडनीय हो।

पुन्नोल में रेल दुर्घटना

3708. श्री ए. पी. अब्दुल्लाकुट्टी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या कन्नूर जिले के पुन्नोल, थालासेरी में चौकीदार वाले समपार पर दुर्घटना हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, हां। 27.6.2002 को दक्षिण रेलवे के पालघाट मंडल के तेल्ली चेरी और माले स्टेशनों के बीच चौकीदार वाले समपार सं. 224 पर 8.54 बजे 6345 नेत्रावती एक्सप्रेस एक सड़क वाहन से टकरा गई थी। परिणामतः एक व्यक्ति मारा गया और दूसरा घायल हो गया।

(ख) दुर्घटना की रेल सुरक्षा आयुक्त दक्षिण सर्कल द्वारा जांच की जा रही है और जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

(ग) समपारों पर दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं

(i) बहुत अधिक यातायात घनत्व वाले चौकीदार वाले समपारों को योजनाबद्ध आधार पर सिगनलों सहित उत्तरोत्तर अंतर्पाशित किया जा रहा है।

(ii) सभी चौकीदार वाले समपार फाटकों पर धीरे–धीरे टेलीफोनों की भी व्यवस्था की जा रही है।

(iii) गेटमैनों की जागरूकता की जांच करने के लिए अचानक जांचें, रात्रि निरीक्षण और आवधिक संरक्षा अभियान नियमित आधार पर चलाए जाते हैं।

(iv) दुर्घटना के लिए जिम्मेवार पाए गए

कर्मचारियों पर सेवा से निलंबन/सेवा से हटाने तक की कड़ी सजा दी जाती है।

(v) परिवहन प्राधिकारियों के सहयोग से बिना चौकीदार वाले समपारों पर लापरवाह सड़क उपयोगकर्त्ताओं की पहचान करने के लिए विशेष अभियान चलाए जाते हैं।

(vi) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और रेलवे अधिनियम, 1989 के उपबंधों के अंतर्गत लापरवाह सड़क वाहन चालकों को पकड़ने के लिए सिविल प्राधिकारियों के साथ संयुक्त औचक जांच की जाती है।

(vii) रेलपथ सुरक्षित रूप से कैसे पार करें, के संबंध में सड़क उपयोगकर्त्ताओं को जागरूक करने के लिए श्रव्य–दृश्य प्रचार अभियान चलाए जाते हैं।

बायोमास कार्यक्रम हेतु धनराशि

3709. श्री के. ई. कृष्णमूर्ति : क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश में बायोमास परियोजनाओं के तहत ऋण जारी करना बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी परियोजनाओं हेतु किसी ऋण के लिए इन्कार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) और (ख) जब आंध्र प्रदेश में मंजूर की गई बायोमास विद्युत परियोजनाओं की संख्या काफी अधिक हो गई तो भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) से राज्य में और परियोजनाओं के लिए ऋणों को रोकने के लिए कहा गया।

(ग) और (घ) इरेडा ने जुलाई, 2001 में आंध्र प्रदेश राज्य से प्राप्त एक बायोमास सहउत्पादन परियोजना को पात्र मानदंडों के आधार पर पंजीकृत किया है और अभी इसे मंजूर किया जाना बाकी है। इरेडा द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में किसी भी पात्र बायोमास परियोजना को ऋण के लिए इन्कार नहीं किया गया है।

वैगनों की खरीद

3710. श्री रघुनाथ झा : क्या **रेल** मंत्री वैगनों की खरीद के बारे में 18.7.2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 763 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) डब्ल्यू.आई.एल. के माध्यम से किफायती वैगन खरीदने हेतु प्रतिरपर्धात्मक निविदाएं देने के निर्णय पर प्रतिबंध लगाने के क्या कारण हैं;

(ख) खुली निविदाओं के माध्यम से ऑफिस ऑटोमेशन इक्विपमेंट्स फर्नीचर और लेखन सामग्री न खरीदने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं और इन वस्तुओं के लिए निविदाएं कब तक आमंत्रित की जाएंगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) प्रतियोगी निविदा के माध्यम से खरीद केवल मालडिब्बा खरीद तक ही सीमित नहीं है, बल्कि रेलें कम मूल्य की खरीदों और अपवादिक मामलों को छोड़कर सभी मदों को खुली निविदा से खरीद की प्रणाली अपना रही हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत प्रबंधन संस्थान द्वारा वैद्युतकीय अभियंताओं को प्रशिक्षण

3711. श्री अशोक ना. मोहोल : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एनटीपीसी द्वारा संप्रवर्तित विद्युत प्रबंधन संस्थान ने दो लाख वैद्युतकीय अभियंताओं को प्रशिक्षण देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो विद्युत प्रबंधन संस्थान द्वारा तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रशिक्षण हेतु महाराष्ट्र के वैद्युतकीय अभियंताओं का चयन किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (घ) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) के विद्युत प्रबंधन संस्थान (पीएमआई) ने अगले तीन वर्षों के दौरान एनटीपीसी एवं राज्य विद्युत बोर्डों के लगभग 3000 अभियंताओं को वितरण प्रबंधन में प्रशिक्षण देने की योजना बनाई है। भुगतान आधार पर इस प्रशिक्षण के लिए सभी राज्य विद्युत बोर्ड/यूटिलिटी अपने अभियंताओं को नामित कर सकते हैं।

राजस्व की चोरी को कम करना

3712. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या बिना टिकट यात्रा करने, दलालों के खतरे, बिना बुक किए हुए सामान तथा बुक किए गए सामान आदि को कम वजन का प्रदर्शित करने के कारण राजस्व की लिकेज को कम से कम करने के लिए किए गए उपायों के बावजूद राजस्व लिकेज को कम से कम करने में सुधार की अभी भी पर्याप्त गुंजाइश है;

(ख) यदि हां, तो आज की तारीख तक पिछले एक वर्ष के दौरान इस संबंध में मंडल रेल प्रबंधक और ऊपर के रैंक के अधिकारियों द्वारा कितनी बार औचक निरीक्षण किया गया और उसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) इन कार्यक्रमों में जनमानस को शामिल करके रेलवे के राजस्व लिकेज के संबंध में रेलवे द्वारा सतर्कता को सुदृढ़ करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) रेलें राजस्व की चोरी को रोकने के लिए प्रौद्योगिकीय उन्नयन के साथ-साथ गहन वास्तविक जांचों के लिए भी निरन्तर कदम उठा रही है। इन वास्तविक जांचों में बड़ी संख्या में वाणिज्यिक विभाग, रेल सुरक्षा बल (रेसुब) के कर्मचारियों के साथ-साथ सतर्कता जैसे अन्य विभागों के कर्मचारी भी शामिल होते हैं। ज्यादातर टिकट जांच अभियानों में सहायता के रूप में बल की मौजूदगी अनिवार्य है। इन छापों के दौरान बुक किए गए सामान के साथ-साथ बिना बुक किए गए सामान के भार की परीक्षण जांचें भी की जाती हैं। गाड़ियों में तैनात टिकट जांच कर्मचारियों द्वारा भी नियमित रूप से गाड़ी में जांच की जाती है। इन जांचों में मंडल रेल प्रबंधकों और ऊपर के अधिकारियों सहित रेलों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेते हैं। बहरहाल, उन जांचों के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं, जिनमें मंडल रेल प्रबंधक और उनसे ऊपर के अधिकारी भाग लेते हैं।

(ग) नागरिकों से रेल राजस्व की चोरी की सूचना प्राप्त होते ही तुरन्त कार्रवाई की जाती है।

मध्य प्रदेश में ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना

3713. श्री अशोक अर्गल : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या ग्वालियर (मध्य प्रदेश) के ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना करने संबंधी किसी योजना की स्वीकृति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त योजना पर कोई कार्य शुरू किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस योजना के कार्यान्वयन में विलंब के क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने मार्च, 1998 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के भाण्डेर नामक स्थान (अब दतिया जिले में) पर 342 मेगावाट के कम्बाइंड साइकिल विद्युत परियोजना को मै. भाण्डेर पावर लि. द्वारा क्रियान्वित किए जाने हेतु तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। हालांकि परियोजना क्रियान्वयनकर्त्ता को मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा समुचित भुगतान सुरक्षा तंत्र नहीं मिल पाने की वजह से इस विद्युत परियोजना को फिलहाल स्थगित रखा गया है।

पवन चक्कियां

3714. श्री के. के. कलिअप्पन : क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) देश-भर में कितनी पवन चक्कियां हैं और उनका पवन ऊर्जा उत्पादन कितना है;

(ख) क्या आदिवासी लोगों के लिए रोजगार के अवसर

प्रदान करने हेतु हमारे देश के पिछड़े पर्वतीय क्षेत्रों में ये पवन चक्की परियोजनाएं शुरू करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) 31.3.2002 के अनुसार देश में 1628 मेवा. की समग्र पवन विद्युत क्षमता स्थापित की गई है। अब तक इन परियोजनाओं से 9 बिलियन यूनिट से भी अधिक की बिजली का उत्पादन हुआ है। इसके अतिरिक्त लगभग 800 जल पंपन पवन चक्कियां, लघु एरोजनरेटर और 125 किवा. समग्र क्षमता की हाइब्रिड प्रणालियों की भी स्थापना हुई है।

(ख) और (ग) पवन ऊर्जा परियोजनाएं पवन वेग वाले स्थलों में स्थापित की जाती हैं जो मुख्यतया दूरवर्ती, पहाड़ी, आदिवासी एवं पिछड़े क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अनेक राज्यों में इन परियोजनाओं द्वारा रोजगार के अवसरों का सृजन हुआ है।

राष्ट्रीय राजमार्ग-52 का रख-रखाव

3715. श्री एम. के. सुब्बा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रख–रखाव के प्रयोजन से, जब से राष्ट्रीय राजमार्ग–52 को सीमा सड़क संगठन के अंतर्गत रखा गया है तभी से इसकी रख–रखाव और मरम्मत की स्थिति दिन–प्रतिदिन बदतर होती जा रही है;

(ख) क्या सरकार को सड़क की स्थिति के बारे में संबंधित राज्य सरकारों और अन्य प्रतिनिधियों और संगठनों की ओर से शिकायतें और अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो राष्ट्रीय राजमार्ग–52 की मरम्मत और उन्नयन के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इसकी मरम्मत कब तक किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) राष्ट्रीय राजमार्ग–52 की कुल 904 कि.मी. की लम्बाई में से अरुणाचल प्रदेश में पड़ने वाली 377 कि.मी. लम्बाई की हालत बद से बदतर नहीं होती जा रही है अपितु यह संतोषजनक है। शेष 567 कि.मी. लम्बाई असम में पड़ती है तथा सीमा सड़क संगठन को मई/जून, 2002 में ही सौंपी गई है, वह खराब हालत में है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) इस वित्तीय वर्ष के दौरान सड़क की मरम्मत पर लगभग 30 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की जानी है। सम्पूर्ण मरम्मत में कितना समय लगेगा, इसका आकलन अंतिम सर्वेक्षण के बाद ही किया जा सकेगा।

[हिन्दी]

क्षेत्रीय भाषाओं में दूरदर्शन चैनल

3716. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देशभर में दूरदर्शन के नाम–वार कितने क्षेत्रीय केन्द्र हैं;

(ख) इन केन्द्रों के कार्य घंटों में दैनिक और साप्ताहिक प्रसारण का केन्द्र–वार समय क्या है;

(ग) किन–किन दूरदर्शन केन्द्रों से कमीशन अथवा रॉयल्टी के आधार पर कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं; और

(घ) इन कार्यक्रमों के लिए किस दर पर भुगतान किया जा रहा है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि सम्पूर्ण देश में 58 दूरदर्शन केन्द्र हें। सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) सभी केन्द्र कार्यक्रम अत्यावश्यकताओं पर निर्भर करते हुए कमीशंड एवं/या रायल्टी कार्यक्रमों का प्रसारण करते हैं। दूरदर्शन मुख्यालय में केन्द्रवार ब्यौरे केन्द्रीयकृत रूप से नहीं रखे जाते हैं।

(घ) केन्द्र की लागत निर्धारण समिति द्वारा कार्यक्रमों की कमीशंड दर प्रस्तावों के गुण–अवगुण पर निर्भर करते हुए निश्चित की जाती है। रायल्टी आधारित कार्यक्रमों का दर ढांचा दूरदर्शन महानिदेशालय द्वारा निश्चित किया जाता है और केन्द्रों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

विवरण

केन्द्रों की सूची

राज्यों की राजधानियों एवं संघ शासित प्रदेशों में 30 क्षेत्रीय केन्द्रों की सूची

1. अगरतला
2. अहमदाबाद
3. एजवाल
4. बंगलौर
5. भुवनेश्वर
6. भोपाल
7. चेन्नई
8. दिल्ली
9. देहरादून
10. गुवाहाटी
11. हैदराबाद
12. इम्फाल
13. ईटानगर
14. जालंधर
15. जयपुर
16. कोहिमा
17. कोलकाता
18. लखनऊ
19. मुम्बई
20. पणजी
21. पांडिचेरी
22. पटना
23. रांची
24. रायपुर
25. शिमला
26. शिलांग
27. श्रीनगर
28. तिरुवनंतपुरम
29. चंडीगढ
30. पोर्ट ब्लेयर

26 गैर-राजधानी केन्द्रों की सूची

1. इलाहाबाद
2. बरेली
3. भवानीपटना
4. डाल्टनगंज
5. डिब्रूगढ़
6. गोरखपुर
7. ग्वालियर
8. गुलबर्गा
9. इन्दौर
10. जलपाईगुड़ी
11. जगदलपुर
12. जम्मू
13. लेह
14. मथुरा

15. मऊ

16. मुजफ्फरपुर

17. नागपुर

18. पुणे

19. राजकोट

20. सम्बलपुर

21. शांति निकेतन

22. सिलचर

23. त्रिचूर

24. तुरा

25. वाराणसी

26. विजयवाड़ा

दो केन्द्रीय कार्यक्रम निर्माण केन्द्रों की सूची

1. सी.पी.ओ. (दिल्ली)

2. सी.पी.ओ. (नार्थ–ईस्ट)

[अनुवाद]

सी-II हटमेंट्स का पुनरुद्धार

3717. श्री रामजी मांझी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डलहौजी मार्ग पर सी–II हटमेंट्स का पुनरुद्धार करने में बड़ी धनराशि खर्च की गई थी और इतनी ही धनराशि डी आर डी ओ भवन के निर्माण हेतु जगह बनाने हेतु खर्च किए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो भली–भांति यह जानते हुए भी इस ब्लाक को ध्वस्त किया जाना है, इतनी बड़ी धनराशि खर्च करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या राज्य को वित्तीय नुकसान पहुंचाने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही निर्धारित करने के संबंध में कोई प्रस्ताव है,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या नौसेना कार्यालयों के लिए बहुमंजिली इमारत बनाने से कुछ वर्ष पहले जिन ब्लाकों को ध्वस्त किया गया था, उनका सी–II हटमेंट्स के कार्यालय बनाने के लिए विपुल वित्तीय खर्च किए जाने के बाद पुनरुद्धार किया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो इस कार्य के बारे में संबंधित प्राधिकारियों में दूरदर्शिता की कमी के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) डलहौजी मार्ग पर सी–II हटमेंट्स को गिराए जाने तथा डी आर डी ओ भवन हेतु जगह बनाने का निर्णय लिए जाने के बाद, इसके पुनरुद्धार संबंधी किसी कार्य को स्वीकृति नहीं दी गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) लागू नहीं।

(ङ) 'ई' ब्लाक हटमेंट्स को खाली कराया गया था किंतु उन्हें कभी गिराया नहीं गया था। सी–II हटमेंट्स से कार्यालयों का स्थान परिवर्तन हेतु जगह बनाने के लिए इन अवसंरचनाओं के पुनरुद्धार को स्वीकृति दी गई है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

तुमकूर और चित्रदुर्ग के बीच रेल लाइन

3718. श्री शशि कुमार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में तुमकूर और चित्रदुर्ग के बीच नई रेल लाइन बिछाने हेतु सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण का क्या परिणाम निकला और उस पर कुल कितनी लागत आई;

(ग) क्या वर्ष 2002–2003 के दौरान इस परियोजना के लिए कोई धनराशि आवंटित की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) इस परियोजना को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ङ) जी, हां। वर्ष 1999 की सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, चित्रदुर्ग के रास्ते तुमकूर से दवंगिरी, 195.76 किमी. लम्बी इस लाइन के निर्माण की लागत (–) 51.37% की प्रतिफल की दर से 299.59 करोड़ रुपए है। चालू कार्यों के भारी थूफार्वड और प्रस्ताव की अलाभप्रद प्रकृति के कारण इस परियोजना को शुरू करना व्यवहारिक नहीं समझा गया है।

मक्का के निर्यात हेतु अतिरिक्त रैकों का आवंटन

3719. श्री जी. एस. बसवराज : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में कर्नाटक से बांग्लादेश को मक्का के निर्यात हेतु पर्याप्त रैंकों के आवंटन के लिए कर्नाटक सरकार का अनुरोध लंबित है;

(ख) क्या कर्नाटक सरकार ने भी जनवरी, 2002 के दौरान इस संबंध में रेलवे को अनुस्मारक भेजा है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) कर्नाटक के माननीय मुख्य मंत्री जी को पहले ही बांग्लादेश रेलवे द्वारा गाड़ियों की सीमित स्वीकृति के कारण लदान के नियमित करने में भारतीय रेलों की सीमा की मौजूदा स्थिति से अवगत करा दिया गया है।

आंध्र प्रदेश में परियोजनाएं

3720. डा. मन्दा जगन्नाथ : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री की ओर से राज्य की रेल परियोजनाओं के बारे में प्राप्त पत्रों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) हाल ही में आंध्र प्रदेश में रेल परियोजनाओं के संबंध में आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री जी से निम्नलिखित मांगें प्राप्त हुई हैं और उनकी स्थिति नीचे लिखे अनुसार है--

क्र.सं.	मांग	स्थिति
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश में रेल परियोजनाएं शुरू करने के लिए रेल अवसंरचना निगम की स्थापना और आदिलाबाद और नागपुर के बीच पैसेंजर गाड़ी का चालन	रेल मंत्रालय ने राज्य सरकारों तथा रेल परियोजनाओं के अन्य उपयोगकर्ताओं की भागीदारी के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश आंध्र प्रदेश सरकार को सूचित कर दिए गए हैं। नागपुर और आदिलाबाद के बीच पैसेंजर गाड़ी की शुरूआत के लिए माजरी–आदिलाबाद खंड पर रेलपथ का उन्नयन, आधारभूत अवसंरचनात्मक सुविधाओं की व्यवस्था अपेक्षित होगी। इन कार्यों की व्यावहारिकता का पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण करने का आदेश दे दिया गया है और सर्वेक्षण के पूरा हो जाने एवं औचित्यपूर्ण पाए जाने पर कार्य शुरू किया जाएगा।
2.	मुदखेड़–आदिलाबाद खंड का आमान परिवर्तन	यह कार्य बोल्ट योजना के अंतर्गत शुरू किया गया था। बहरहाल, ठेकेदार

1	2	3
		वित्तीय कठिनाइयों के कारण कार्य की प्रगति नहीं कर सका। यह ठेका समाप्त कर दिया गया है और अब रेलवे निधियों के माध्यम से यह कार्य करने की योजना है। 80 किमी. दूरी के लिए मिट्टी संबंधी कार्य पूरा हो गया है। शेष कार्य के लिए निविदाओं पर कार्रवाई हो गई है। 2002–2003 के दौरान 30 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।
3.	होसपेट–गुंतकल दोहरीकरण	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। इसकी प्रगति में तेजी लाने की दृष्टि से केराइड वित्तपोषण के अंतर्गत इस परियोजना का प्रस्ताव है। इस कार्य की प्रगति संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार की जाएगी। बेल्लारी–त्रोणगल्लू पर मिट्टी और छोटे पुलों संबंधी कार्य शुरू किए गए हैं। बड़े पुलों के लिए भी निविदाओं पर कार्रवाई हो गई है।
4.	शमशाबाद में स्थापित हो रहे नए हवाई अड्डे को फलकनामा से जोड़ने के लिए सर्वेक्षण	फलकनामा–उमदानगर के दोहरीकरण और नए हवाई अड्डे तक संपर्क उपलब्ध कराने हेतु उमदानगर को शमशाबाद से जोड़ने के लिए सर्वेक्षण हाल ही में पूरा हुआ है।

ट्रेसरों के काडर

3721. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने दिनांक 18.4.1985 के पत्र सं. ई (एन जी) II/85/आर री–2/7 और 25.6.1985 के पत्र सं. पीसी–II/84/यूपीजी/19 के माध्यम से जोनल रेलवे के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के विभिन्न संकायों में ट्रेसरों के काडरों को समाप्त कर दिया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ये आदेश उन कर्मचारियों पर लागू होते हैं जो बोर्ड के दिनांक 18 अप्रैल, 1985 और 25 जून, 1985 के पत्र जारी होने के पूर्व पहले से काम कर रहे थे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या रेलवे बोर्ड ने दिनांक 10 नवम्बर, 2000 के अपने पत्र सं. ई (एन.जी.) (–1–2000/सी एफ पी) 14 के माध्यम से भविष्य में प्रभावी रूप से उत्तर रेलवे नई दिल्ली के निर्माण विभाग के ट्रेसरों की नियुक्ति को नियमित किया था;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या बोर्ड का दिनांक 10 नवम्बर, 2000 को जारी पत्र बोर्ड के दिनांक 18 अप्रैल, 1985 और 25 जून, 1985 के आदेशों के जारी होने के बाद, ट्रेसरों की श्रेणी में पदों के सृजन/प्रचालन की अनुमति प्रदान करता है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (घ) जी, हां। प्रौद्योगिकी में व्यापक सुधार के दृष्टिगत, ट्रेसर का पद अप्रचलित हो गया था और इस पद को समाप्त करने की सूची में रखा गया था। इन संवर्ग के उन्मूलन के परावर्ती के रूप में, वर्ष 1985 में ट्रेसर के पद के लिए सीधी भर्ती और पदोन्नति को रोकने का विनिश्चय किया गया था। बहरहाल, ट्रेसर के पद के लिए उस समय के मौजूदा नियमित पदधारियों को धीरे–धीरे कनिष्ठ ड्राफ्टमैन के पद के रूप में उच्चतर ग्रेड में पदोन्नत किया गया था जो ट्रेसर

के सभी पदों को समाप्त करने के पश्चात् उस संवर्ग में प्रारम्भिक ग्रेड होना चाहिए था।

(ङ) से (ज) जी, हां। दिक्कत समाप्त करने के उद्देश्य से, विशेष मामले के रूप में सर्वश्री गोविन्द राम, उम्मेद सिंह, जगदीश सिंह, शिव शंकर और मांगे राम को ट्रेसर के पद पर नियमित किया गया था क्योंकि वे संवर्ग के उन्मूलन से पहले तदर्थ आधार पर ट्रेसर के रूप में निरन्तर कार्य कर रहे थे। इस पद का परिचालन केवल ट्रेसर के व्यक्तिगत स्तर तक सीमित है और इससे इस कैडर के दोबारा बनने का कोई प्रश्न नहीं है। तदनुसार, जब कभी यह पद खाली होगा तो यह पद समाप्त हो जाएगा।

डीलर के कमीशन में वृद्धि

3722. श्री नरेश पुगलिया : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ए. पी. एम. समाप्त किए जाने के समय से तेल निगम पेट्रोल और डीजल की मूल्य वृद्धि के प्रभाव को समाप्त करने के फार्मूले के अनुसार स्वयं आर पी ओ डीलर कमीशन में वृद्धि करने को बाध्य है;

(ख) यदि हां, तो क्या तेल निगमों ने मूल्य वृद्धि के साथ कमीशन में वृद्धि की है अथवा डीलरों को इसकी प्रतिपूर्ति करेंगे; और

(ग) यदि हां, तो अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए इस संबंध में कब तक कार्रवाई पूरी की जाएगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) 1 अप्रैल, 2002 से प्रशासित मूल्यनिर्धारण व्यवस्था के समापन से पेट्रोल तथा डीजल का मूल्यनिर्धारण बाजार निर्धारित हो गया है। प्रशासित मूल्यनिर्धारण व्यवस्था के उपरांत डीलरों की कमीशन की दरों के बारे में निर्णय तेल कंपनियों द्वारा लिया जाएगा।

पंचकूला में खुदरा बिक्री केन्द्र

3723. डा. रमेश चंद तोमर : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1999 में डी एस बी द्वारा पंचकूला, सेक्टर 14, हरियाणा में भारतीय तेल निगम लि. (आई ओ सी) के खुदरा बिक्री केन्द्र प्रदान करने के लिए कोई साक्षात्कार लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो पैनल में रखे गए व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है और पैनल की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या पैनल में रखे गए इन अभ्यर्थियों के विरुद्ध आई ओ सी/मंत्रालय में कोई शिकायत लंबित है;

(घ) यदि हां, तो क्या उन व्यक्तियों को आशय पत्र जारी किया जाएगा जिनके विरुद्ध जांच–शिकायत लंबित है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, हां।

(ख) योग्यता सूची में सम्मिलित उम्मीदवारों तथा इस सूची की वर्तमान स्थिति के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) इस मंत्रालय में तीसरे सूचीबद्ध उम्मीदवार के विरुद्ध एक शिकायत प्राप्त हुई है।

(घ) और (ङ) इस तीसरे सूचीबद्ध उम्मीदवार को इंडियन आयल कारपोरेशन लि. द्वारा 16 जुलाई, 2002 को आशय पत्र जारी किया गया था।

तथापि, सरकार ने जनवरी, 2000 से आज की तारीख तक किए गए खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों/एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों/एस के ओ–एल डी ओ डीलरशिपों के सभी आवंटन रद्द करने के लिए कदम उठाने का निर्णय लिया है।

विवरण

पंचकूला में खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप के लिए योग्यता सूची में सम्मिलित उम्मीदवारों के ब्यौरे

योग्यता क्रम	उम्मीदवार का नाम	वर्तमान स्थिति
1.	श्री अजय गुप्ता	आय, जिसके विषय में शिकायतों की जांच–पड़ताल किए जाने पर पता चला था, को छुपाने के कारण अयोग्य करार दिए गए। अध्यक्ष, डीलर चयन बोर्ड ने व्यवस्था दी कि आशय पत्र जारी किए जाने हेतु द्वितीय सूचीबद्ध उम्मीदवार के विषय में विचार किया जाए।
2.	श्री सुधीर कुमार शर्मा	इससे पहले कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राप्त की जाती, इस उम्मीदवार की 16 जनवरी, 2001 को मृत्यु हो गई। मृतक की पत्नी श्रीमती निर्मला शर्मा ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि उनके पति के स्थान पर उनका नाम प्रतिस्थापित किया जाए। अध्यक्ष, डीलर चयन बोर्ड ने राय दी कि उनका दावा पोषणीय नहीं है तथा उन्होंने तृतीय सूचीबद्ध उम्मीदवार को आशय पत्र जारी किए जाने की सलाह दी।
3.	श्री संजीव कालिया	तृतीय सूचीबद्ध उम्मीदवार के विरुद्ध शिकायत थी, जिसकी डी जी एम (एस) तथा सी एफ एम, दिल्ली राज्य कार्यालय की एक समिति द्वारा जांच–पड़ताल की गई तथा 29 नवम्बर, 2001 को अध्यक्ष, डीलर चयन बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इसके बाद एक अन्य शिकायत प्राप्त हुई तथा इसकी डी जी एम (एस) तथा सी एफ एम, आई ओ सी (एम डी), दिल्ली राज्य कार्यालय की एक समिति के द्वारा जांच–पड़ताल की गई तथा 2 अप्रैल, 2002 को अध्यक्ष, डीलर चयन बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। 9 मई, 2002, अपराह्न से डीलर चयन बोर्डों के भंग होने पर यह मामला जी एम, दिल्ली राज्य कार्यालय को वापस भेजा गया। इस मंत्रालय के दिनांक 20 मई, 2002 के पत्र संख्या पी–19011/6/2000–आई ओ सी के अनुसार जी एम, दिल्ली राज्य कार्यालय ने समिति की रिपोर्ट के आधार पर तथा इस संबंध में अभिपुष्टि प्राप्त करने के पश्चात् कि कोई न्यायालयगत मामला लंबित नहीं है, 5 जुलाई, 2002 को आशय पत्र जारी करने का निर्णय दिया।

[हिन्दी]

कर्मचारियों को नियमित करना

3724. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रत्येक विभाग में श्रेणी 'घ' के कर्मचारियों को नियमित करने और रिक्तियों पर उन्हें समायोजित करने के वर्तमान नियम क्या हैं;

(ख) क्या श्रेणी 'घ' के अस्थायी कर्मचारियों को रिक्तियों पर नियमित नहीं किया जा रहा है; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज की तारीख तक कितने अस्थायी कर्मचारियों को नियमित किया गया?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) अस्थायी दर्जे वाले नैमित्तिक श्रमिकों के नियमितीकरण को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा तैयार की गई उनके दिनांक 10.9.93 के का.ज्ञा.सं. 51016/2/90 स्था. (ग) में निहित भारत सरकार की नैमित्तिक श्रमिक (अस्थायी दर्जा और नियमितीकरण प्रदान करना) स्कीम 1993 नामक स्कीम द्वारा विनियमित किया जाता है।

उपरोक्त स्कीम को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के मीडिया एककों में नैमित्तिक श्रमिक अस्थायी दर्जा में कार्यरत श्रमिक द्वारा दायर की गई याचिका पर न्यायालय द्वारा दिए

गए विभिन्न निर्णयों के अधीन अनुपालन किया जा रहा है। मुख्य सचिवालय सहित सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न मीडिया एककों में कार्यरत नैमित्तिक श्रमिक अस्थायी दर्जा की एक आम पारस्परिक वरिष्ठता सूची तैयार की गई है और उम्मीदवारों को उनकी वरिष्ठता, आरक्षण स्थिति तथा रिक्तियों की उपलब्धि के आधार पर नियमित किया जा रहा है।

(ग) अपेक्षित ब्यौरा नीचे दिया गया है–

वर्ष	नियमित नैमित्तिक श्रमिक अस्थायी दर्जा की संख्या
1999*	3
2000	39
2001	4
2002 (31.7.2000 तक)	4

*केवल प्रकाशन विभाग से संबंधित

[अनुवाद]

दूरदर्शन में समाचार वाचकों को प्रशिक्षण

3725. श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रसार भारती ने दूरदर्शन के समाचार वाचकों को प्रशिक्षण देने के लिए बीबीसी के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) दूरदर्शन और बी बी सी के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। तथापि, बी बी सी ने कुछ विभागीय स्टाफ सहित 21 समाचार वाचकों को दो सप्ताह के लिए बिना किसी अदायगी के प्रशिक्षित किया था।

[हिन्दी]

डीआरयूसीसी के सदस्यों को निःशुल्क पास

3726. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार डीआरयूसीसी के सदस्यों को उनके सम्बद्ध मंडलों में अध्ययन के उद्देश्यों हेतु रेल द्वारा यात्रा करने के लिए निःशुल्क पास जारी करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा यह सुविधा कब तक प्रदान कराए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मंडल रेल उपयोगकर्त्ता परामर्श समिति के सदस्यों की नियुक्ति रेलवे द्वारा मुहैया कराई गई सेवा और ऐसी सेवाओं की कार्यकुशलता में सुधार लाने के तरीकों से संबंधित मामलों पर रेलवे प्रशासन और उपयोगकर्त्ताओं के बीच परामर्श के लिए बेहतर प्रतिनिधित्व पाने और अधिक निरन्तर अवसर प्रदान करने की दृष्टि से की जाती हैं। फिलहाल समिति की बैठक में भाग लेने के लिए आने वाले मंडल रेल उपयोगकर्त्ता परामर्श समिति के गैर–सरकारी सदस्यों को बैठक के स्थान तक व वापस जाने के लिए सदस्य के निवास स्थल के समीपस्थ रेलवे स्टेशन से शयनयान श्रेणी में परिचर सहित एक प्रथम श्रेणी का निःशुल्क पास दिया जाता है। मंडल रेल उपयोगकर्त्ता परामर्श समिति के सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे रेलवे के साथ व्यवहार में उनके द्वारा प्राप्त अपने अनुभवों के आधार पर बैठक के दौरान सुझाव दें।

[अनुवाद]

कर्नाटक में एल.पी.जी. भराई संयंत्र और डिपो

3727. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड ने एल.पी.जी. भराई संयंत्रों और पी ओ एल डिपो की स्थापना के लिए कर्नाटक में 105 करोड़ रुपये का निवेश करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने भी बंगलौर में एल.पी.जी. भराई संयंत्र की स्थापना करने के लिए 30 करोड़ रुपये का निवेश करने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो इस उद्यम की स्थापना के लिए आवश्यक भूमि का अधिग्रहण करने हेतु आवश्यक स्वीकृति के लिए राज्य सरकार द्वारा कितनी धनराशि प्रदान की गई है; और

(घ) निर्माण कार्य की शुरूआत करने के संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, (आई.ओ.सी.एल.) ने कर्नाटक राज्य में शिमोगा में एक भरण संयंत्र तथा बेलगाम (20 जून, 2002 में चालू किया गया), गुलबर्गा एवं हासन में पी ओ एल डिपो स्थापित करने के लिए 113 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई है। इसी प्रकार भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बी. पी.सी.एल.) की 35 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बंगलौर में एक भरण संयंत्र स्थापित करने की योजना है। बी.पी. सी.एल. ने कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (के.आई.ए. डी.बी.) के माध्यम से उपयुक्त भूमि के प्रापण के लिए आवश्यक कार्यवाही आरम्भ कर दी है। यह परियोजना बी.पी.सी.एल. के आंतरिक संसाधनों के माध्यम से वित्तपोषित की जाएगी।

[हिन्दी]

अमरीका द्वारा कल-पुर्जों की आपूर्ति

3728. श्री सुन्दर लाल तिवारी :
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी भारतीय नौसेना को ब्रिटिश सीकिंग हेलिकाप्टरों और सी हैरियर विमान के कलपुर्जों की आपूर्ति नहीं कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने यह मामला अमरीका की सरकार के साथ उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर अमरीका की सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (घ) ब्रिटेन में निर्मित सी किंग हेलिकाप्टर तथा सी हैरियर विमानों के अतिरिक्त हिस्से–पुर्जों की भारतीय नौसेना को ब्रिटेन की फर्मों द्वारा आपूर्ति की जाती है। तथापि, प्रतिबंधों को लगाए जाने के बाद अमरीकी सरकार द्वारा ब्रिटिश फर्म से लाइसेंस वापस ले लिए जाने पर अमरीकी मूल के कुछ हिस्से–पुर्जों की आपूर्ति नहीं हो सकी थी। 22 सितम्बर, 2001 को प्रतिबंध हटाए जाने की घोषणा के बाद ब्रिटिश फर्मों ने लाइसेंसों के पंजीकरण के लिए पुनः आवेदन किया जो कि अमरीकी सरकार के पास निर्णय हेतु पड़े हैं। भारत सरकार ने लाइसेंसों को बहाल करने के मुद्दे को अमरीकी सरकार के समक्ष उठाया है जो इन मामलों को निपटाने के लिए प्रयास कर रही है।

[अनुवाद]

अनुच्छेद 164(4) के अंतर्गत पुनर्नियुक्ति

3729. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान एस.आर. चौधरी बनाम पंजाब राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 17 अगस्त, 2001 को दिए गए निर्णय की ओर आकृष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति विधानमंडल के लिए चुने जाने के बगैर अनुच्छेद 164(4) के अंतर्गत पुनर्नियुक्त नहीं किया जा सकता;

(ख) क्या सरकार ने इस मुद्दे पर कोई दिशानिर्देश तैयार किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार भविष्य में ऐसी स्थिति से निपटने का है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

कैमरामैन को आईबीपीएस में शामिल किया जाना

3730. श्री अनादि साहू : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 5 नवम्बर, 1990 को जारी की गई अधिसूचना में यह अधिसूचित किया गया है कि दूरदर्शन के कैमरामैन ग्रेड–1 को दो वर्ष की सेवा के बाद आईबीपीएस में शामिल कर लिया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो क्या पांचवें वेतन आयोग के पैरा 73.51 में यह सिफारिश की गई है कि दूरदर्शन में कार्य कर रहे कैमरामैन ग्रेड–एफ आईबीपीएस में सम्मिलित कर लिए जाएंगे; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किसी कैमरामैन ग्रेड–एफ के आईबीपीएस में सम्मिलित न करने के क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) दिनांक 5 नवम्बर, 1990 के एक संशोधन द्वारा 2375–3500 रुपये के वेतनमान में दो वर्ष की नियमित सेवा वाले कैमरामैन ग्रेड–1 कनिष्ठ वेतनमान स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी (कैमरामैन) के लिए विशेष रूप से अभिनिर्धारित रिक्तियों के लिए पात्र बनाए गए थे। इस धारा को लागू नहीं किया जा सकता था क्योंकि यहां कार्यक्रम अधिकारी (कैमरामैन) का कोई पद नहीं है।

(ख) और (ग) पांचवें वेतन आयोग ने भारतीय प्रसारण (कार्यक्रम) सेवा में कैमरामैन ग्रेड–1 को संवर्गीकरण की सिफारिश की थी तथापि, यह मुकदमेबाजी के कारण लम्बित है।

[हिन्दी]

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पूछताछ काउंटर

3731. श्री पदमसेन चौधरी : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर केवल एक पूछताछ काउंटर है जिस पर हमेशा लम्बी लाइन लगी रहती है जिसके कारण रेलगाड़ी छूटने से कुछ मिनट पहले आने वाले यात्रियों की रेलगाड़ी छूट जाती है और अपने संबंधियों को लेने और उन्हें विदा करने आने वाले व्यक्तियो को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार लोकहित में इन समस्याओं को हल करने का है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर छह पूछताछ काउंटर हैं। इसके अलावा, दूरभाषिक पूछताछ के लिए केन्द्रीय पूछताछ प्रणाली चौबीसों घंटे कार्य कर रही है। रेल उपयोगकर्त्ताओं से बेहतर तरीके से पेश आने के लिए गाड़ी के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर तथा सुविधाओं में वृद्धि करके यात्रियों को दी जाने वाली सूचना में सुधार करना एक सतत प्रयास है।

[अनुवाद]

कोकराझार में एचपीटी सुविधाएं

3732. श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास कोकराझार के वर्तमान कम दूरी के प्रसारण केन्द्र का दूरदर्शन केन्द्र, गुवाहाटी और पूर्वोत्तर राज्यों की वर्तमान विभिन्न राजधानियों की तर्ज पर निर्माण एवं अन्य सुविधाओं वाले पूर्ण दूरदर्शन केन्द्र के रूप में उन्नयन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष आवंटित और जारी की गई निधियों सहित इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि कोकराझार में एक उच्च शक्ति ट्रांसमीटर स्थापित करने की स्कीम को अभी अनुमोदित किया जाना है। वर्तमान में कोकराझार में कार्यक्रम निर्माण सुविधाओं की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

भारतीय तेल निगम लि. को रेल लदान लाभ

3733. श्री चन्द्र विजय सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांदला पत्तन पर लदान के द्वारा एल.पी.जी. टैंक वैगन खेपों के लिए निर्मित भारतीय तेल निगम लि. के एल.पी.जी. बगली रेल–पथ के दो केन्द्रों पर रेल लदान वर्गीकरण का अनुचित लाभ दे दिया गया जिससे 13.38 करोड़ रुपए के राजस्व की क्षति हुई; और

(ख) यदि हां, तो इस क्षति के क्या कारण हैं और दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) पश्चिमी रेलवे ने कांदला बंदरगाह पर भारतीय तेल निगम लि. की साइडिंग पर एल.पी.जी. टैंक वैगन रेकों के लिए गाड़ी भारत का लाभ स्वीकृत किया था जबकि लदान एक केन्द्र से अधिक केन्द्रों में किया था। एल.पी.जी. टैंक वैगन रेकों के लिए गाड़ी भार लाभ की मंजूरी के लिए 11.4.2001 से नीति विषयक मार्गदर्शी सिद्धांत संशोधित कर दिए गए हैं जबकि लदाई/उतराई एक केन्द्र से अधिक केन्द्रों में की जाती है। बशर्ते कि गाड़ी भार यह लाभ की मंजूरी के लिए लागू समी शर्तें पूरी हों। बहरहाल, चूंकि संशोधित नीति पूर्व व्याप्ति से लागू नहीं है इसलिए क्षेत्रीय रेलों को कम प्रभार वसूलने के लिए कहा गया है।

[हिन्दी]

अनु.जा./अनु.ज.जा. को निःशुल्क कानूनी सहायता

3734. श्री शिवराजसिंह चौहान :
श्री जयभान सिंह पवैया :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार पूरे देश में अनु. जा. और अनु.ज.जा. के व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सहायता देने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय ने इस संबंध में कानूनी विशेषज्ञों से मार्गनिर्देशन मांगा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) अनु.जा./अनु.ज.जा. के व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सहायता देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति) : (क) से (घ) सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 पहले ही अधिनियमित कर दिया है। उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12(क) के अधीन, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का ऐसा कोई सदस्य, जिसे कोई मामला फाइल करना है या किसी मामले में प्रतिवाद करना है, विधिक सेवाओं के लिए हकदार है चाहे उसकी आय कुछ भी हो।

[अनुवाद]

सेना में अधिकारी संवर्ग का पुनर्गठन

3735. श्री कालवा श्रीनिवासुलु : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई समिति भारतीय सेना में अधिकारी संवर्ग के पुनर्गठन की जांच कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त समिति अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत कर देगी; और

(ग) रक्षा सेवाओं के तीनों स्कंधों, अर्थात् सेना, नौसेना और वायुसेना में किसी असंतोष से बचने के लिए पदोन्नति एवं प्रोत्साहन की एक ही पद्धति लागू करना सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की कोई निश्चित समय–सीमा नहीं बताई जा सकती।

(ग) समिति की रिपोर्ट आ जाने के बाद अन्य सेवाओं पर समिति की सिफारिशों को लागू किए जाने के बारे में जांच की जाएगी।

किसी व्यक्ति द्वारा/साझेदारी में बुकस्टाल लेना

3736. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी व्यक्ति द्वारा/साझेदारी में/फर्मों द्वारा बुकस्टाल लेने के संबंध में कोई सीमा निर्धारित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मैसर्स ए. एच. व्हीलर एंड कंपनी और मैसर्स हिग्गिंबोथिम लिमिटेड द्वारा बुकस्टाल लेने के संबंध में भी कोई सीमा निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (घ) मैसर्स ए. एच. व्हीलर एंड कंपनी और मैसर्स हिग्नबोथम लिमिटेड को छोड़कर बुक स्टाल लगाने की कोई सीमा नहीं है। मैसर्स ए.एच. व्हीलर एंड कंपनी और मैसर्स हिग्नबोथम लिमिटेड के कुल स्टालों की संख्या 1.1.1976 से रोक दी गई है और इस सीमा में परिवर्तन के लिए उन्हें मौजूदा नीति और रेलवे परिचालनिक आवश्यकताओं के अनुसार अन्य स्टेशन पर मौजूद स्टाल के मैचिंग संर्डर करके ही अनुमति दी जाती है।

निजी क्षेत्र में लघु जल परियोजनाएं

3737. श्री अरूण कुमार : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 3–25 मेगावाट का उत्पादन करने वाली पुरानी लघु जल परियोजनाओं (एसएचपी) को नवीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए निजी डेवलपरों को दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अब निजी डेवलपरों को नवीकरण करने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार के निजी डेवलपरों पर प्रतिबंध लगाने के क्या कारण हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) और (ख) जी, नहीं। अब तक राज्य सरकारों के स्वामित्व वाली पुरानी लघु पनबिजली (एसएचपी) परियोजनाओं को उनके नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण (आर एंड एम) के लिए निजी विकासकर्त्ताओं को नहीं दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। निजी विकासकर्त्ताओं को पुरानी एसएचपी परियोजनाओं के आर एंड एम कार्यों को करने से वंचित नहीं किया गया है।

गुजरात में विद्युत का उत्पादन, पारेषण और वितरण

3738. श्री पी. एस. गढ़वी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में निजी एवं सरकारी क्षेत्र में विद्युत के उत्पादन/वितरण/पारेषण की स्थिति की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्रीय पूल से और अधिक विद्युत का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को राज्य में नई विद्युत परियोजना की स्थापना संबंधी प्रस्ताव/अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) सरकार योजना अवधि में चालू करने हेतु अभिनिर्धारित सभी परियोजनाओं, उत्पादन तथा पारेषण दोनों में, की आवधिक समीक्षा करता है। विगत 3 वर्षों के दौरान गुजरात में विद्युत आपूर्ति की स्थिति निम्नानुसार है–

(मि.यू. में)

	1999–2000	2000–01	2001–02
1	2	3	4
ऊर्जा जरूरत	51202	53038	53693
उपलब्धता	46994	47877	47530

1	2	3	4
कमी	4208 (8.2%)	5161 (9.7%)	6163 (11.5%)
व्यस्ततमकालीन मांग	7554	7801	8005
व्यस्ततमकालीन पूरी की गई मांग	5962	6905	6700
कमी	1592 (21.1%)	896 (11.5%)	1305 (16.3%)

1999–2000, 2000–01 तथा 2001–02 के दौरान पूर्ण किए गए पारेषण कार्यों (220 केवी तथा ऊपर) के कोटे निम्नानुसार हैं–

कार्य	400 के.वी.		220 के.वी.	
	पारेषण लाइनें (सीकेएम)	उप केन्द्र (एमवीए)	पारेषण लाइनें (सीकेएम)	उप केन्द्र (एमवीए)
1999–2000	207	1445	277	950
2000–01	1	315	360	450
2001–02	0	815	236	550

वित्तीय वर्ष 2000–2001 में गुजरात विद्युत बोर्ड ने त्वरित विद्युत विकास तथा सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत 109.62 करोड़ रु. दिए हैं। इसमें वानक बोरी थर्मल पावर स्टेशन के नवीकरण व आधुनिकीकरण के लिए सुधार के लिए 6.49 करोड़, पालनपुर तथा हिम्मतनगर के लिए 4.90 करोड़ रु. और कच्छ के लिए 96 करोड़ रु. शामिल हैं। गुजरात विद्युत बोर्ड को भी जामनगर, हिम्मतनगर तथा साबरमती सर्किलों में वितरण प्रणाली सुधार हेतु 21.35 करोड़ रु. उपलब्ध कराए गए हैं।

(ग) और (घ) विगत 3 वर्षों के दौरान गुजरात सरकार से केन्द्रीय पूल से और अधिक हिस्सा आवंटन का कोई अंशधन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) और (च) तकनीकी–आर्थिक स्वीकृति के लिए गुजरात में निम्नांकित पावर परियोजनाओं की स्थापना हेतु प्रस्ताव केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के तहत जांचाधीन है।

1. मैसर्स गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कारपोरेशन लि. द्वारा सूरत जिले में मंगरौल में सूरत लिग्नाइट पावर संयंत्र का विस्तार फेज–II (2x125 मे.वा.)

2. मैसर्स गुजरात विद्युत बोर्ड द्वारा कच्छ जिले में कच्छ लिग्नाइट टीपीएस विस्तार यूनिट संख्या–4

3. मैसर्स गुजरात विद्युत बोर्ड द्वारा जामनगर जिले में सिक्का में सिक्का टीपीएस कोयला आधारित विस्तार यूनिट–3 तथा 4 (2x250 मे.वा.)।

मनमाड-इगतपुरी शटल सेवा का प्रसार

3739. श्री चिंतामन वनगा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मनमाड–इगतपुरी शटल सेवा के कसारा रेलवे स्टेशन तक बढ़ाए जाने संबंधी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ग) जी, हां। क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्त्ता परामर्श समिति के सदस्य श्री मनहोर पी. पाटिल और श्री सुरेन्द्रनाथ बराड, भूतपूर्व अध्यक्ष, नासिक प्रवासी संगठन, नासिक से 1324/1325 मनमाड–इगतपुरी पैसेंजर को कसारा तक बढ़ाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इनकी जांच की गई थी, परन्तु परिचालनिक कठिनाइयों के कारण व्यावहारिक नहीं पाया गया।

[हिन्दी]

पेट्रोल पम्पों/एल.पी.जी. एजेंसियों के आवंटन में अनियमितताएं

3740. श्री रामानन्द सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों में सरकार को मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल पंपों, मिट्टी के तेल की डीलरशिप और एल. पी.जी. एजेंसियों के आवंटन में अनियमितताओं के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में प्राप्त हुए अभ्यावेदनों को दृष्टि में रखते हुए कतिपय आयल सेलेक्शन बोर्डों की संरचना में परिवर्तन का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो मध्य प्रदेश में विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों की एजेंसियों का आवंटन करने के संबंध में वर्तमान में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 1 अप्रैल, 2002 से पेट्रोलियम क्षेत्र में प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था के समापन के परिणामस्वरूप देश में सभी डीलर चयन बोर्ड 9 मई, 2002 अपराह्न से भंग कर दिए गए हैं। पेट्रोलियम उत्पादों के डीलरों/वितरकों का चयन अब अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार तेल विपणन कंपनियों के द्वारा स्वयं किया जाएगा।

[अनुवाद]

दिल्ली में एल.पी.जी. एजेंसी/ एस.के.ओ. डीलर

3741. डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी :
श्री किशन सिंह सांगवान :
श्री ए. एफ. गुलाम उस्मानी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अनेक एल.पी.जी. एजेंसियों और एस.के.ओ. डीलरों के पास अनेक रिफिल सेल एवं आवंटन हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या नये एस.के.ओ. डीलरों को पुराने डीलरों की तुलना में कम आवंटन दिया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने सभी एल.पी.जी. एजेंसियों के रिफिल सेल और डीलरों को एस.के.ओ. के आवंटन में एकरूपता लाने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) डीलरों को एस.के.ओ. का आवंटन, पूर्व आवंटन के अलावा वितरण के क्षेत्र, नागरिक आपूर्ति प्राधिकरण द्वारा खुदरा विक्रेताओं की निर्धारित मात्रा पर निर्भर करता है।

(घ) सभी एल.पी.जी./एस.के.ओ. डीलरों को किसी निश्चित बाजार में एक स्तर पर लाना सदैव सम्भव नहीं होता। तथापि, तेल विपणन कंपनियां एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरों और डीलरों के बीच एस.के.ओ. के आवंटन के संबंध में बाजारों के पुनर्गठन द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करती हैं कि ऐसे सारे डीलर न्यूनतम आर्थिक व्यवहार्य स्तर पर प्रचालन करें।

आयुध डिपो का विस्तार

3742. श्री भान सिंह भौरा : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भटिंडा आयुध डिपो का विस्तार करने के लिए आवासीय क्षेत्रों को अधिगृहीत करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उस डिपो का दूसरी तरफ विस्तार करने की संभावना पर भी विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार वहां से बेदखल किए गए लोगों को वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराने का है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड का आधुनिकीकरण

3743. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड (एचएएल) का व्यापक विस्तार एवं आधुनिकीकरण किए जाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा शुरू किए जा रहे हल्के लड़ाकू विमान के उत्पादन, एसयू 30 एकेआई के लाइसेंस विनिर्माण और इंटरमीडिएट जेट प्रशिक्षण विमान के विकास तथा उत्पादन जैसे बहुत-से नए कार्यक्रमों के मद्देनजर हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने उपर्युक्त उत्पादों के विकास एवं विनिर्माण के लिए अपेक्षित प्रौद्योगिकियों के अनुरूप प्रौद्योगिकियों का उन्नयन किए जाने की आवश्यकता महसूस की है। इस प्रयोजनार्थ मौजूदा सुविधाओं में वृद्धि और उनका आधुनिकीकरण किया जा रहा है।

आधुनिकीकरण के लिए प्रस्तावित कुछ सुविधाओं में कास्टिंग और फोर्जिंग, प्रोफाइलरों, शीट मैटल फोर्जिंग मशीनों के उत्पादन के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी मशीनें, मिश्रित संरचनाओं के विनिर्माण के लिए सुविधाएं, वैक्यूम वेल्डिंग सुविधाएं आदि शामिल हैं।

फिलहाल, जनशक्ति की संख्या को और बढ़ाए जाने की कोई योजना नहीं है। यद्यपि जनशक्ति संख्या को वर्तमान स्तरों पर ही बनाए रखे जाने की संभावना है लेकिन उत्पादकता में वृद्धि तथा बाहर के संसाधनों के उपयोग के जरिए बिक्री में बढ़ोतरी होगी। सुविधाओं का आधुनिकीकरण हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की निर्यात-क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ इसके उत्पादों को विश्व स्तर पर प्रतियोगी बनाएगा।

केन्द्रीय प्रेस प्रत्यायन समिति

3744. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय प्रेस प्रत्यायन समिति के गठन हेतु अपनी नीति जिससे विवाद उत्पन्न हो गया है, में हाल ही में परिवर्तन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) समिति के सदस्यों का चयन किस प्रकार किया जाता है और इनकी कुल संख्या कितनी है; और

(घ) इस समिति में कितने पत्रकारों को नामित किया गया है तथा उनके नाम क्या हैं और वे कौन-कौन से समाचारपत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (घ) केन्द्रीय समाचार मीडिया प्रत्यायन समिति नियम 1999 में केन्द्रीय प्रेस प्रत्यायन समिति की परिकल्पना की गई है जिसके अध्यक्ष प्रधान सूचना अधिकारी तथा इसमें कार्यशील पत्रकारों/मीडिया कर्मियों के संघ/संगठन का प्रतिनिधित्व करने वाले दूसरे सदस्यों की संख्या अधिकतम 19 होगी जो इन नियमों के तहत प्रत्यायन के लिए योग्य होने चाहिए। सभी मान्यता प्राप्त संघ/संगठन के एकसमान प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केन्द्रीय प्रेस प्रत्यायन समिति में सदस्यों को नामित करने के दिशा-निर्देशों को संशोधित किया गया था। तदनुसार अध्यक्ष के रूप में प्रधान सूचना अधिकारी सहित 13 मान्यता-प्राप्त संघ/संगठन द्वारा भेजे गए नामों में से प्रत्येक में एक-एक को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है तथा शेष 6 सदस्यों को नियमों के तहत प्रत्यायन के योग्य मीडिया कर्मियों में से शामिल किया गया है।

केन्द्रीय प्रेस प्रत्यायन समिति के वर्तमान सदस्यों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

क्र.सं.	नाम	संघ/संगठन
1	2	3
1.	श्रीमती एन जे कृष्णा अध्यक्ष	प्रधान सूचना अधिकारी, पत्र सूचना कार्यालय
2.	श्री जयंत गोसाई	राष्ट्रीय पत्रकार संघ (i) (वर्तमान कोलकाता)

1	2	3
3.	श्री हरभजन सिंह	अखिल भारतीय लघु एवं मध्यम समाचारपत्र संघ (भारतीय पर्यवेक्षक, नई दिल्ली)
4.	श्री सुरेश अखौरी	भारतीय पत्रकार संघ (हिन्दुस्तान, नई दिल्ली)
5.	श्री विश्व बंधु गुप्ता	अखिल भारतीय समाचारपत्र संपादक सम्मेलन, (तेज, नई दिल्ली)
6.	श्री एस ए एच रिजवी	प्रेस संघ (दिल्ली मिड–डे)
7.	श्री रमेश शर्मा	भारतीय कार्यशील पत्रकार संघ (राष्ट्रीय सहारा)
8.	श्री ललित श्रीमल	भारतीय भाषा समाचारपत्र संघ (दैनिक मध्यांचल, उज्जैन)
9.	श्री थ्यागराज	भारतीय भाषा समाचारपत्र संघ (फावना सिमोगा)
10.	श्री आलोक मेहता	एडीटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया (दैनिक भास्कर)
11.	श्री प्रमोद माथुर	कार्यशील समाचार कैमरामैन संघ (स्पॉट फिल्मस, नई दिल्ली)
12.	श्री सुरिन्द्र कपूर	समाचार कैमरामैन संघ (ए एन आई, नई दिल्ली)
13.	श्री शंकर चक्रवर्ती	समाचार कैमरामैन प्रत्यायन संघ (दी हिन्दू)
14.	श्री रंजीत भूषण	आउट लुक नई दिल्ली
15.	श्री देवसागर सिंह	(फ्रीलांस)
16.	श्री तरूण विजय	(पंचजन्य नई दिल्ली)
17.	श्री मनोहर पुरी	(फ्रीलांस)
18.	श्री राजीव देशपांडे	(इंडिया टुडे)
19.	श्री गोपाल मिश्रा	(फ्रीलांस)
20.	सुश्री सन्ध्या जैन	(फ्रीलांस)

[हिन्दी]

एम्बुलेंस का विनिर्माण

3745. श्रीमती जयश्री बैनर्जी : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा वाहन विनिर्माण कारखाना, जबलपुर, मध्य प्रदेश में एम्बुलेंस का विनिर्माण किया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार खुले बाजार की प्रतिस्पर्धा के मद्देनजर उपभोक्ताओं को एम्बुलेंस उपलब्ध कराने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) वाहन फैक्टरी जबलपुर ने मैसर्स टैल्को से प्राप्त प्रौद्योगिकी के आधार पर एक एम्बुलेंस के आदिरूप का विकास किया है और परीक्षण के वास्ते सेना को इसकी पेशकश की है।

(ख) और (ग) इस आदिरूप द्वारा सेना की विशिष्ट

आवश्यकता पूरी किए जाने की प्रत्याशा है और यह सिविल मार्केट के लिए नहीं है।

[अनुवाद]

तेल के आयात की तुलना में गेहूं के निर्यात के संबंध में भारत-इराक समझौते

3746. श्री टी. टी. वी. दिनाकरन :
श्री ए. ब्रह्मनैया :
श्री प्रियरंजन दासमुंशी :
श्री अधीर चौधरी :
श्री के. पी. सिंह देव :
श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री वी. वेत्रिसेलवन :
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और इराक ने यूनाइटेड नेशन्स 'आयल फार फूड प्रोग्राम' के अंतर्गत कच्चे तेल के आयात को पुनः आरम्भ करने के लिए इराक को गेहूं के निर्यात से संबंधित मुद्दों का समाधान कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) दिसम्बर, 2000 से 'भोजन के लिए तेल' कार्यक्रम के तहत इराक से कच्चा तेल प्राप्त नहीं किया गया है। यह मामला अभी तक नहीं सुलझाया गया है।

रेल परियोजनाओं के लिए धनराशि

3747. श्री सुरेश कुरुप : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने अपनी काफी समय से लंबित परियोजनाओं को वित्त पोषित करने हेतु अतिरिक्त धनराशि के लिए वित्त मंत्रालय से कोई औपचारिक अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं का राज्य–वार ब्यौरा क्या है जिनके लिए निधियों की मांग की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) रेल मंत्रालय योजना आयोग के माध्यम से वित्त मंत्रालय को चालू रेल परियोजनाओं की लंबी सूची को संभालने के लिए अतिरिक्त धन/बजटीय सहायता की अपनी आवश्यकता को प्रस्तुत करता रहा है।

रेलवे ने विशेष रेल संरक्षा निधि और डीजल उपकर के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली निधियों के अलावा, दसवीं पंचवर्षीय अवधि के दौरान प्रति वर्ष 5,500 करोड़ रुपए की वर्धमान बजटीय सहायता मांगी है।

निधियों की मांग राज्यवार नहीं की जाती है। बहरहाल, निधियों के राज्यवार वितरण के लिए माननीय रेल मंत्री जी के बजट भाषण 2002 में उल्लिखित व्यवस्था के आधार पर परियोजनाओं के अंतर्गत निधियों का आवंटन शुरू किया गया है।

त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम (एपीडीपी) और सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को धनराशि

3748. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम (एपीडीपी) और सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को धनराशि आवंटित की गई है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2000–2001 और 2001–2002 के लिए धनराशि के आवंटन और उपयोग का राज्य–वार ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2001–02 के दौरान एपीडीआरपी के अंतर्गत 1000 करोड़ रुपये तथा 2001–02 के दौरान 1500 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई। वर्ष 2002–03 के 24 राज्यों को अग्रिम राशि जारी की गई। 5 राज्यों को निधियां जारी नहीं की गई हैं। राज्यों द्वारा आवंटित और उपयोग

में लाई गई निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	आवंटित निधि 2000–01	आवंटित निधि 2001–02	उपयोग में लायी गयी निधि
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	97.36	117.2	74.97
2.	अरुणाचल प्रदेश	6.32	8	
3.	असम	20.02	24.52	5.05
4.	बिहार	21.44	59.2	0.75
5.	छत्तीसगढ़	10.26	42.33	16.83
6.	दिल्ली	0	45.22	
7.	गोवा	0	6.72	
8.	गुजरात	109.62	82.31	30.38
9.	हरियाणा	49.63	41.1	5.65
10.	हिमाचल प्रदेश	25.32	22.86	19.37
11.	जम्मू व कश्मीर	6.99	46.62	
12.	झारखंड	21.98	46.51	
13.	कर्नाटक	81.5	89.3	107.85
14.	केरल	0	51.21	
15.	मध्य प्रदेश	49.55	63.49	29.15
16.	महाराष्ट्र	134.46	144.45	72.33
17.	मणिपुर	0.72	8	
18.	मेघालय	1.81	8	
19.	मिजोरम	1.06	8	
20.	नागालैंड	1.89	8	
21.	उड़ीसा	38	65.04	
22.	पंजाब	37.71	53.36	5.83
23.	राजस्थान	45.01	70.31	11.96
24.	सिक्किम	6.38	8	
25.	तमिलनाडु	65.54	96.35	12.1
26.	त्रिपुरा	5	8	
27.	उत्तर प्रदेश	101.46	129.62	38.59
28.	उत्तरांचल	4.8	55.55	4.8
29.	पश्चिम बंगाल	43.5	90.83	44.07
	कुल	987.33	1500.1	479.68

प्राकृतिक गैस का मूल्य

3749. श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी :
श्री के. येरननायडू :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से प्राकृतिक गैस के मूल्य में वृद्धि करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) जी, हां। सरकार ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र के विकास के लिए एक दीर्घकालिक नीति निर्धारित की है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ हाइड्रोकार्बन क्षेत्र की चरणबद्ध नियंत्रणमुक्ति और प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था की चरणबद्ध समाप्ति का भी प्रावधान है। उपर्युक्त नीति के अनुसार प्राकृतिक गैस के मूल्य बाजार निर्धारित होने चाहिए। आंध्र प्रदेश की सरकार सहित कुछ राज्य सरकारों ने सरकार से प्राकृतिक गैस के मूल्य में किसी वृद्धि के विरुद्ध अनुरोध

किया है। सरकार ने इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया है। मामले के बारे में निर्णय लेते समय राज्य सरकार के अनुरोधों सहित सभी घटकों पर ध्यान दिया जाएगा।

[हिन्दी]

विद्युत क्षेत्र में विदेशी निवेश

3750. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जम्मू और कश्मीर में विद्युत क्षेत्र में विदेशी निवेश को आमंत्रित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जम्मू और कश्मीर में विद्युत क्षेत्र में निवेश करने में किन-किन देशों ने रुचि दिखाई है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार ने सूचित किया है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु कोई प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ है तथा 'निविदा आमंत्रण संबंधी सूचना' भी राज्य द्वारा प्रकाशित नहीं की गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

[अनुवाद]

गुजरात में रसोई गैस डीलर

3751. श्री जी. जे. जावीया : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में रसोई गैस डीलरशिप का आवंटन ओ.एस.बी. द्वारा मनमाने ढंग से किया जाता है;

(ख) क्या ऐसी डीलरशिप के आवंटन की प्रक्रिया में अनुसूचित जातियों, बेरोजगार स्नातकों, महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों, शहीदों की विधवाओं को कोई प्राथमिकता नहीं दी जाती; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) गुजरात के ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों सहित पूरे देश में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें, सरकार द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार डीलर चयन बोर्डों द्वारा चयनित उम्मीदवारों को आवंटित की गई थीं।

डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के आवंटन में समाज के विभिन्न वर्गों को निम्नानुसार आरक्षण प्रदान किया जाता है–

अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां (अनु. जा./अनु. जन.)	– 25%
शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति (शा. वि.)	– 5%
रक्षा कार्मिक (र. का.)	– 8%
अर्ध सैनिक/पुलिस/सरकारी कार्मिक (अ. पु. स.)	– 8%
स्वतंत्रता सैनानी (स्व. सै.)	– 2%
उत्कृष्ट खिलाड़ी (उ. खि.)	– 2%
सामान्य श्रेणी (सा.)	– 50%

बेरोजगार स्नातकों के लिए कोई आरक्षण नहीं है।

रेलवे भूमि पर वृक्षारोपण

3752. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेल के पास रेलमार्गों के साथ-साथ भूमि का बड़ा क्षेत्र खाली पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे की इस खाली पड़ी जमीन पर वृक्षारोपण करने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो रेलवे द्वारा प्रति वर्ष लाभार्जन के उद्देश्य से वनरोपण हेतु क्षेत्र-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) जी, हां। पटरी के परिचालन और अनुरक्षण के लिए लम्बी पट्टी के रूप में रेलवे पटरी के साथ-साथ भूमि खाली रखनी अपेक्षित होती है अर्थात् गिट्टियों, स्लीपरों आदि का चट्टा लगाने, नैमी अनुरक्षण कार्यों के संबंध में भूमि उधार लेना और रेलवे सामग्रियों के परिवहन के लिए और

संरक्षा इत्यादि के पहलुओं से रेलपथ से पर्याप्त बफर जोन रखने के लिए, हरियाली बनाए रखने और अप्राधिकृत उपयोग से भूमि को बचाने के लिए भूमि की इन कुछेक पट्टियों में वृक्षारोपण किया जाता है। जहां व्यावहारिक होता है। वृक्षों की अनुज्ञात किस्में और सजावटी झाड़ियां वृक्षारोपित की जाती हैं।

(ग) चालू वर्ष 2002–03 के लिए निर्धारित वृक्षारोपण का लक्ष्य निम्नानुसार है–

रेलवे	पौधे लगाने का लक्ष्य (लाख में)
मध्य	15.0
पूर्व	12.0
उत्तर	18.0
पूर्वोत्तर	10.0
पूर्वोत्तर सीमा	10.0
दक्षिण	6.0
दक्षिण मध्य	6.0
दक्षिण पूर्व	11.5
पश्चिम	20.0
जोड़	108.5

हथियारों की तस्करी

3753. श्री शंकर सिंह वाघेला : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथियार डिपो अथवा आयुध निर्माणी से हथियारों और गोलाबारूद की तस्करी सरकार के ध्यान में आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन हथियारों और गोलाबारूद की आपूर्ति देश के विभिन्न क्षेत्रों में उग्रवादियों को की गई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) आयुध डिपुओं तथा आयुध निर्माणियों से शस्त्रों एवं गोलाबारूद की तस्करी के किसी मामले की कोई सूचना नहीं है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठते।

जापान यात्रा

3754. श्री पी. सी. थामस : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल ही में जापान की यात्रा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जापान के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) रक्षा मंत्री ने जापान के रक्षा मंत्री महामहिम श्री जेन नाकातानी के आमंत्रण पर 5–10 जुलाई, 2002 के दौरान जापान का दौरा किया। रक्षा मंत्री ने महामहिम श्री जेन नाकातानी के साथ मुलाकात करने के अलावा जापान के प्रधानमंत्री महामहिम श्री जूनिकीरो कोइजुमी तथा वहां की विदेशी मंत्री सुश्री योरिको कावागुची के साथ बातचीत की। जापान के उच्चाधिकारियों से बातचीत भारत–जापान रक्षा सहयोग पर केन्द्रित रही।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विद्युत परियोजनाओं को विशेष रियायतें

3755. श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी :
श्री पदमसेन चौधरी :

डा. अशोक पटेल :

श्री राम टहल चौधरी :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश विद्युत योजनाएं निर्धारित समय के भीतर पूरी नहीं की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार निर्धारित समय में पूरा करने हेतु विद्युत परियोजनाओं को विशेष रियायतें देने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस दिशा में अब तक क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) नौवीं योजना के लिए प्रस्तावित विद्युत परियोजनाओं, जिन्हें अब 10वीं/11वीं योजना में चालू किया जाना है, के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) उत्पादन तथा पारेषण विद्युत परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए वार्षिक अवार्ड स्कीम केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में तैयार की जा रही है।

विवरण

परियोजना का नाम	क्षमता (मे.वा.)	संशोधित कार्यक्रम
1	2	3
रोखिया, यू-7 त्रिपुरा		
नैवेली टीपीएस–1 विस्तार, यूनिट–1 और 2 तमिलनाडु	21	07/02 (वास्तविक)
पेद्दापुरम सीसीजीटी, एसटी, आंध्र प्रदेश	210 210	09/02 12/02
डाभोल सीसीजीटी चरण–2, ब्लॉक 1 और 2 महाराष्ट्र*	78	08/02
नाथपा–झाकडी, एचईपी, हिमाचल प्रदेश	6x250	2003–04
दुलहस्ती एचई, जम्मू व कश्मीर	3x130	2003–04
टिहरी एचईपी, उत्तरांचल	4x250	2002–04
डब्ल्यूवाईसी–II, हरियाणा	2x7.2	2003–04
सरदार सरोवर, गुजरात	6x200+5x50	2003–07
बाणसागर टोंस चरण–2 और 3, मध्य प्रदेश	2x15+3x20	2002–03
बाणसागर टोंस चरण–4, मध्य प्रदेश	2x10	2005–06
घाटघर पीएसएस, महाराष्ट्र	2x125	2004–05
श्रीसेलम एलबी एचईपी, आंध्र प्रदेश	6x150	2002–03
पाइकारा अल्टीमेट, तमिलनाडु	3x50	2003–04
बालीमेला डैम टोंस, उड़ीसा	2x30	11वीं योजना
कारबी लांग्पी, असम	2x50	2003–04
बास्पा–2, हिमाचल प्रदेश	3x100	2003–04
महेश्वर, मध्य प्रदेश	10x40	2005–07

*डाभोल पावर कंपनी और महाराष्ट्र सरकार के बीच विवाद के कारण रुकी हुई है।

टिप्पणी : 25 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली परियोजनाएं ही सम्मिलित हैं।

[अनुवाद]

अहमदाबाद-मुंबई के बीच अतिरिक्त रेलमार्ग

3756. श्री सवशीभाई मकवाना :

श्री मधुसूदन मिस्त्री :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्वेक्षण से पता चला है कि अहमदाबाद और मुंबई के बीच अतिरिक्त रेलमार्ग उपलब्ध कराना उचित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त परियोजना पर कार्य कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ग) विरार और अहमदाबाद के बीच तीसरी लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण पूरा हो गया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, परियोजना के निर्माण की लागत 1006.73 करोड़ रु. आंकी गई है जिसकी प्रतिफल की दर 7.21% है। इस खंड के संतृप्त होने के दृष्टिगत, स्वचालित सिगनल प्रणाली अपनाकर मार्ग पर लाइन क्षमता बढ़ाने का विनिश्चय किया गया है। बहरहाल, पहले चरण में सूरत से कुसुम्बा तक तीसरी लाइन के कार्य को बजट में शामिल कर लिया गया है जो कि योजना स्तर पर है।

[हिन्दी]

बुलैट प्रूफ जैकेट खरीदना

3757. श्री मंजय लाल : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जवानों के लिए बुलैट प्रूफ जैकेटों की खरीद हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार भविष्य में बुलैट प्रूफ जैकेटों की खरीद के लिए किसी समझौते पर हस्ताक्षर करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (घ) पिछले दो वर्षों के दौरान, 6000 अदद बुलैट प्रूफ जैकेटों की अधिप्राप्ति के लिए 21.3.2001 को मैसर्स टाटा एडवांस मैटीरियल्स लिमिटेड, बेंगलूर के साथ एक संविदा की गई। अतिरिक्त 16,000 अदद बुलैट प्रूफ जैकेटों की आपूर्ति के लिए अगला आर्डर वैकल्पिक खंड के तहत (1000 अदद बुलैट प्रूफ जैकेटों के लिए) दिनांक 21.3.2001 के अनुशेष सं. 1 तथा (15,000 अदद बुलैट प्रूफ जैकेटों के लिए) दिनांक 26.11.2001 के अनुशेष सं. 2 के तहत उपर्युक्त फर्म को समान दरों/निबंधनों और शर्तों पर दिया गया था।

हल्के भार वाली बुलैट प्रूफ जैकेटों के लिए तकनीकी तथा वाणिज्यिक प्रस्तावों के वास्ते अनुरोध 104 विक्रेताओं से 23.1.2002 को किया गया। इस संबंध में एक संक्षिप्त नोटिस रक्षा मंत्रालय के वेबसाइट पर भी दिया गया था। कुल मिलाकर 28 विक्रेताओं ने 'अनुरोध–प्रस्ताव' पर प्रत्युत्तर दिया। उनके तकनीकी प्रस्ताव मूल्य वार्ता समिति द्वारा 15.3.2002 को खोले गए।

विक्रेताओं के तकनीकी प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए उप मास्टर जनरल आयुध की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। तकनीकी प्रस्ताव का मूल्यांकन करने के बाद इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 3.7.2002 को रक्षा मंत्रालय को प्रस्तुत की है।

[अनुवाद]

गैस और डीजल आधारित विद्युत परियोजनाएं

3758. श्री प्रहलाद सिंह पटेल : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में गैस और डीजल आधारित विद्युत परियोजनाएं चलाई जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी बयौरा क्या है और इनसे कुल कितनी विद्युत उत्पन्न की गई है;

(ग) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में डीजल और गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं हेतु कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा गया था; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रगति हुई है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) अप्रैल–जुलाई, 2002 के दौरान विद्युत उत्पादन समेत विभिन्न राज्यों में गैस एवं डीजल आधारित विद्युत परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

इस समय मध्य प्रदेश में कोई गैस आधारित परियोजना नहीं है।

(ग) और (घ) 10वीं योजना के दौरान मध्य प्रदेश में गैस आधारित थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है। डीजल आधारित विद्युत संयंत्र की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ है। तथापि मध्य प्रदेश सरकार ने 330 मे.वा. गुना सीसीजीटी को एचबीजे पाइप लाइन से गैस आवंटन का अनुरोध किया है। बहरहाल परियोजना के लिए एचबीजे पाइप लाइन से गैस आवंटित करना उचित प्रतीत नहीं हुआ क्योंकि मौजूदा आवंटन गैस की उपलब्धता से अधिक है।

विवरण

विभिन्न राज्यों में गैस तथा डीजल आधारित विद्युत परियोजनाओं के ब्यौरे

राज्य/प्रणालियां तथा उत्पादन का प्रकार	मानीटर की गई क्षमता (मे.वा.)	अप्रैल–जुलाई 2002 के दौरान वास्तविक उत्पादन (मि.यू.)
1	2	3
तरल ईंधन/गैस आधारित/जीटी/सीसीजीटी		
केन्द्रीय क्षेत्र		
एनटीपीसी		
फरीदाबाद सीसीजीटी	430	880
अन्ता जीटी	413	853
औरेय्या जीटी	652	1360
दादरी जीटी	817	1544
कवास जीटी	644	1142
गंधार जीटी	648	981
कायमकुलम जीटी	350	633
डीवीसी		
मैथन जीटी	90	5
नीपका		
कथालगुरी जीटी	291	327
अगरत्तला जीटी	84	168
एसईबीज/पीएसयू		
डीवीबी जीटी (दिल्ली	282	407
प्रगति	104.6	107
पाम्पोर जीटी	175	0
रामगढ़ जीटी	38.5	36
धुवरन जीटी (गुजरात)	54.0	0
उतरन ओल्ड (गुजरात)	39	0
उतरन जीटी (गुजरात)	144	243
हजीरा सीसीसीपी (गुजरात	156.1	238
उरेन जीटी (महाराष्ट्र)	912	1223
विजेश्वरम जीटी (ए. पी.)	272.3	649
बी ब्रीज जीटी (टी. एन.)	120	130
नरिमनरा जीटी (टी. एन.)	10	0
कोविकलपल सीसीजीटी (टीएन)	107	243
करैकल जीटी (पांडिचेरी)	32.5	85
पश्चिम बंगाल जीटी (पश्चिम बंगाल)	100	0
नामरूप जीटी (असम)	81.5	131
लकवा+मोबाइल (असम)	151	112
बारामुरा जीटी (त्रिपुरा)	16.5	7
रोखिया जीटी (त्रिपुरा)	69	66

1	2	3
प्रा. क्षेत्र		
प्रा. यूटिलिटी		
वटवा जीटी और एसटी (गुजरात)	100	110
ट्राम्बे जीटी और एसटी (गुजरात)	180	336
आईपीपी		
हजीरा आईएमपी (गुजरात)		247
जीआईपीसीएल 1 (गुजरात)		324
जीआईपीसीएल 2 (गुजरात)	305	281
पथुगेन जीटी (गुजरात)	655	0
डाभोल (महाराष्ट्र)	740	0
जुगुरूपाडु जीटी (ए. पी.)	235.4	523
गोदावरी जीटी (ए. पी.)	208	414
कोन्डापल्ली सीसीजीटी (ए. पी.)	350	831
पेडापुरम सीसीजीटी (ए. पी.)	142	279
तनीर बावी सीसीजीटी (कर्नाटक)	220	394
कोचिन सीसीजीटी (केरल)	174	41
पी नेल्लूर सीसीजीटी	330.5	716
डीएलएफ असम (असम)	24.5	45
कुल केन्द्र	4419.0	7893
कुल राज्य	2855.0	3677
कुल प्रा. यूटिलिटी	280.0	446
कुल आईपीपी	3384.4	4095
कुल जीटी/सीसीजीटी	10938.4	16111
(ii) डीजीसेट		
राज्य क्षेत्र		
येलाहंका डीजी (कर्नाटक)	120	253
ब्रमहापुरम डीजी (केरल)	106.5	51
कोजिकोड डीजी केरेल	128.8	52
लेमखोंग डीजी (मणिपुर)	36.0	0
प्रा. आईपीपी		
एलवीएस पावन डीजी (ए. पी.)	36.8	2
बेलारी डीजी कर्नाटक	25.2	27
बेलगांव डीजी	81.3	151
कसरगोड डीजी (केरल)	21.9	48
बी ब्रीज डीजी (टी. एन.)	200	467
समालपट्टी डीजी (टी. एन.)	105.7	241
समयानल्लूर डीजी (टी. एन.)	106.0	206
कुल राज्य	391.3	356
कुल आपीपी	576.9	1142
कुल डीजी	968.2	1498
(iii) स्टीम टरबाइन		
धुवरन (गुजरात)	280	283
चंद्रपुर (असम)	60	0
कुल स्टीम टरबाइन	340	283
कुल तरल ईंधन/ गैस आधारित (1 से 3)		
केन्द्र	4419.0	7893
राज्य	3586.3	4316
प्रा. यूटिलिटी	280.0	446
प्रा. आईपीपी	3961.3	5237

आई.ओ.सी.एल. द्वारा दक्षिणी भागों में भूमि की खरीद

3759. श्री वी. वेत्रिसेलवन : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान देश में भारतीय तेल निगम लिमिटेड (आई.ओ.सी.एल.) द्वारा देश में विशेषकर दक्षिणी राज्यों में पेट्रोल पम्पों और अन्य परियोजनाओं के लिए खरीदी गई भूमि का स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पेट्रोल पम्पों के आवंटन के लिए भूमि खरीदते समय अथवा परियोजनाओं के रोजगार प्रदान करते समय भूमि मालिकों के साथ कोई समझौता किया गया है;

(ग) यदि हां, तो समझौतों को किसी सीमा तक पूरा किया गया है; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान आई.ओ.सी.एल. द्वारा अनुमानतः कितनी भूमि खरीदे जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) इंडियन आयल कारपोरेशन लि. (आई ओ सी) ने खुदरा बिक्री केन्द्रों और अन्य परियोजनाओं की स्थापना के लिए पिछले दो वर्षों के दौरान देश में 586 स्थानों में भूमि खरीदी है। इसमें दक्षिणी राज्यों में 77 स्थानों पर खरीदी गई भूमि सम्मिलित है।

(ख) और (ग) आई ओ सी ने खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों के आवंटन या परियोजनाओं में नौकरी देने के लिए भूस्वामियों के साथ कोई करार नहीं किया है।

(घ) आई ओ सी की 2002–2003 के दौरान छह स्थानों पर भूमि खरीदने की योजना है।

कच्चे तेल का आयात

3760. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) आठवीं और नौवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान कुल कितने कच्चे तेल का आयात किया गया और उसका मूल्य क्या था;

(ख) आठवीं और नौवीं पंचवर्षीय योजना में कच्चे तेल को परिष्कृत करने की कुल लागत क्या थी; और

(ग) आठवीं और नौवीं योजना अवधि में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए देश में कुल कितने तेल की खोज की गई और दसवीं योजना अवधि के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) आठवीं और नौवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान आयातित कच्चे तेल की कुल मात्रा और मूल्य निम्नानुसार था--

	मात्रा (एम एम टी)*	मूल्य (करोड़ रुपए)
8वीं योजना	148.67	61,740
9वीं योजना	284.91	197,147

*एम एम टी : मिलियन मीट्रिक टन।

(ख) कच्चे तेल की प्रति इकाई शोधन लागत देश में रिफाइनरी दर रिफाइनरी अलग–अलग होती है।

(ग) आठवीं और नौवीं योजनावधि के दौरान देश में कच्चे तेल का कुल उत्पादन क्रमशः 154.54 एम एम टी और 162.97 एम एम टी था। दसवीं योजनावधि में कच्चे तेल के उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्य 165.24 एम एम टी से 169.38 एम एम टी के बीच है। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान ओ. एन. जी. सी.–विदेश लिमिटेड (ओ वी एल) का रूस में सखालिन–1 परियोजना से इक्विटी तेल के रूप में 5.2 एम एम टी तेल के उत्पादन का विचार है।

[हिन्दी]

मामलों का शीघ्र निपटान

3761. डा. मदन प्रसाद जायसवाल : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मोटर यान अधिनियम, 1998 की मूल भावना को ध्यान में रखते हुए लंबित मामलों

के शीघ्र निपटान विशेषकर सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ित व्यक्तियों को राहत प्रदान करने हेतु पर्याप्त उपाय करने के लिए उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को आवश्यक निर्देश जारी करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर राज्यों के लिए
क्यू-बैंड सेवा

3762. श्री पी. आर. किन्डिया : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों में दूरदर्शन द्वारा क्यू-बैंड सेवा आरंभ करने हेतु प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्यू-बैंड सेवा को कब से आरंभ किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) के.यू. बैंड के प्रसारण के जरिए टीवी कवरेज के विस्तार को दूरदर्शन की 10वीं पंचवर्षीय योजना प्रस्तावों में शामिल कर लिया गया है। चूंकि 10वीं योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है इसलिए इस प्रस्ताव के कार्यान्वयन के लिए निश्चित समय सीमा दर्शाना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में ताप
विद्युत संयंत्र

3763. श्री रामशकल : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) उत्तर प्रदेश में कितने ताप विद्युत स्टेशन कार्य कर रहे हैं;

(ख) इनकी स्थानवार क्षमता कितनी है;

(ग) देश के कुल विद्युत उत्पादन में उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादन का कितना हिस्सा है; और

(घ) सरकार द्वारा ताप विद्युत संयंत्रों की दयनीय स्थिति को सुधारने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश राज्य में केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं सहित 12 ताप विद्युत स्टेशन (10 स्टेशन कोयला चालित और 2 गैस चालित) कार्यरत हैं जिनके ब्यौरे इस प्रकार हैं–

क्र.सं.	टीपीएस का नाम	31.7.2002 की स्थितिनुसार स्टेशन की क्षमता
क.	**राज्य की परियोजना**	
1.	ओबरा	1482.0
2.	पनकी	242.0
3.	हरदुआगंज	425.0
4.	परीचा	220.0
5.	अनपारा	1630.0
ख.	**केन्द्रीय परियोजनाएं**	
6.	सिंगरौली	2000.0
7.	रिहन्द	1000.0
8.	ऊंचाहार	840.0
9.	दादरी–टी	840.0
10.	टांडा	440.0
11.	औरैया–जीटी	652.0
12.	दादरी–जीटी	817.0

(ग) अप्रैल–जुलाई, 2002 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा देश में उत्पादित कुल विद्युत का 4.4% विद्युत उत्पादन

किया गया जिसमें केन्द्रीय परियोजनाओं द्वारा उत्पादित विद्युत शामिल नहीं है।

(घ) सरकार ने रेसीड्यूल लाइफ एसिसमेंट संबंधी अध्ययन के आधार पर उत्तर प्रदेश में कुल 2017 मेगावाट क्षमता की 20 ताप विद्युत यूनिटों को दसवीं योजना के दौरान जीवन विस्तार हेतु निर्धारित किया है। जीवन विस्तार कार्य की समाप्ति के बाद इन यूनिटों के कार्यनिष्पादन में सुधार आएगा तथा इनके जीवन (कार्यकाल) को भी 15–20 वर्ष और उपयोगी बनाए रखा जा सकेगा। 10वीं पंचवर्षीय योजना में राज्य क्षेत्र में 710 मेगावाट क्षमता अभिवृद्धि (परीचा विस्तार–210 मेगावाट+अनपारा–सी–500 मेगावाट) का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

निरीक्षण समितियां

3764. डा. सुशील कुमार इन्दौरा :
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1997 से 2000 के दौरान युद्ध–उपस्करों के निरीक्षण हेतु दस निरीक्षण समितियां गठित की गई थीं;

(ख) यदि नहीं, तो इस प्रयोजनार्थ गठित समितियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक निरीक्षण समिति का कार्य–क्षेत्र क्या है; और

(घ) प्रत्येक निरीक्षण–प्रतिवेदन में किन–किन कमियों का उल्लेख किया गया?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) सेनाओं के विभिन्न डिपुओं में आमद तथा भंडारण के दौरान युद्ध उपस्करों की जांच के लिए तीनों सेनाओं में एक नियमित जांच प्रक्रिया मौजूद है। प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित दस जांच समितियों के नाम तथा स्थानों के बारे में ब्यौरे के अभाव के मद्देनजर कोई उत्तर संभव नहीं है।

(ग) और (घ) बड़ी संख्या में युद्ध उपस्करों की जांच की जाती है। प्रत्येक जांच समिति/अफसर का कार्यक्षेत्र बताना संभव नहीं है। ये जांच देशभर में फैली विरचनाओं में की जाती हैं तथा एक केन्द्रीय स्तर पर रिपोर्टें उपलब्ध नहीं हैं। इस सूचना को एकत्रित किए जाने में लगाए गए प्रयास परिणामों के समतुल्य नहीं होंगे।

[अनुवाद]

एकीकृत रक्षा मुख्यालय

3765. श्री अधीर चौधरी : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा मुख्यालय का नाम बदलकर एकीकृत रक्षा मुख्यालय रखे जाने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के पास है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) ये भ्रांतिपूर्ण अवधारणा को दूर करने के लिए कि सशस्त्र सेना मुख्यालय नीति–निर्धारण में भाग नहीं लेते तथा ये शीर्ष सरकारी ढांचे से बाहर हैं, सरकार ने सेना मुख्यालयों को 'सेना मुख्यालय, नौसेना मुख्यालय, वायु मुख्यालय एवं रक्षा स्टॉफ मुख्यालय को शामिल करके रक्षा मंत्रालय में एकीकृत मुख्यालय' के रूप में पदनामित करते हुए एक अधिसूचना जारी की है।

खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण

3766. श्री वाई. वी. राव : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्रदान करने में सेना सहयोग कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उसमें राष्ट्रीय स्तर पर कितने खिलाड़ी सम्मिलित रहेंगे;

(घ) क्या अगले एशियाई खेलों और ओलंपिक को लक्ष्य करके ऐसा किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ङ) सरकार ने आगामी एशियाई खेल 2002 तक ओलंपिक 2004 में भाग लेने के लिए भारतीय सेना के लिए खेलकूद संबंधी संकल्पना की अवधारणा तैयार की है। तदनुसार, सेना के लगभग 400

खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। भारतीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण करने के लिए सेना किसी देश के साथ कोई सहयोग नहीं कर रही है।

अंत:निर्मित ध्वनि-प्रसारकों के माध्यम से उद्घोषणा की प्रणाली

3767. श्री के. करूणाकरन : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलगाड़ी के किसी स्टेशन पर पहुंचने के बारे में उपयुक्त समय पर सूचना देने के उद्देश्य से सभी रेलगाड़ियों विशेषकर लंबी दूरी की गाड़ियों के सभी डिब्बों में अंत:निर्मित ध्वनि–प्रसारक यंत्रों के माध्यम से उद्घोषणा करने की प्रणाली को शुरू करने के लिए कोई कदम उठाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ग) केवल राजधानी और शताब्दी गाड़ियों के बारे में उनके ठहरने वाले स्टेशन पर पहुंचने की पहले ही उद्घोषणा करने संबंधी सुविधा उपलब्ध है। बहरहाल, रेलें लम्बी दूरी की पैसेंजर गाड़ियों के लिए सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणालियां विकसित करने की प्रक्रिया में है।

राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कोष

3768. श्री बी. के. पार्थसारथी :
श्री गुनीपाटी रामैया :
श्री गंता श्रीनिवास राव :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 2002 तक राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कोष में कुल कितनी राशि जमा हुई और इस पर ब्याज कितना मिला;

(ख) अब तक शीर्षवार कितनी राशि का उपयोग किया गया है;

(ग) क्या शेष धनराशि को भविष्य में उन सेनाकर्मियों के परिवारों की सहायता करने के लिए आरक्षित रखा जा सकता है, जिन्होंने अभी तक हुए युद्धों और आतंकवादी हमलों के दौरान अपने जीवन का बलिदान दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना रक्षा मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं है। राष्ट्रीय रक्षा निधि गैर–सरकारी निधि है और यह निधि भारत को समेकित निधि से किसी भी तरह के आवंटन के बिना पूर्णत: सार्वजनिक अंशदान से बनी है। इस निधि से संवितरण राष्ट्रीय रक्षा निधि की कार्यकारी समिति के अनुमोदन पर किया जाता है।

'हिन्दुस्तान फोटो फिल्म' का पुनरुद्धार

3769. श्री के. पी. सिंह देव : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 'हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड' का पुनरुद्धार करने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभ भाई कथीरिया) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यु. कंपनी लि., ऊटी (एच.पी.सी.) का मामला औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) के समक्ष है। इस मंत्रालय ने परामर्शदाता, प्रचालन एजेंसी अर्थात् (आई.सी.आई. सी.आई.) के मेल से एच.पी.एफ. के प्रबंधन की सहमति से कंपनी को संयुक्त उद्यम (जे.वी.) में परिवर्तित करने के प्रयास किए हैं। संयुक्त उद्यम भागीदार का अब तक पता नहीं लगाया गया है। तथापि, संभव विकल्प विचाराधीन हैं।

आयुसीमा को बनाए रखने के कारण अपराध दर में वृद्धि

3770. श्रीमती मिनाती सेन : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किशोर न्याय अधिनियम में संशोधन के कारण किशोरों की आयु सीमा को 18 वर्ष तक बढ़ाए जाने के कारण अपराध दर में वृद्धि हो सकती है;

(ख) क्या पुलिस आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में वर्ष 1999 के 44 मामलों की तुलना में वर्ष 2000 में किशोरों की संलिप्तता वाले 50 मामले दर्ज हुए;

(ग) क्या वर्तमान वर्ष के दौरान, केवल साढ़े तीन माह में ही केवल एक जिले से 35 मामले सामने आए और दिल्ली के अन्य आठ जिलों द्वारा उनके आंकड़ों का संकलन किया जाना बाकी है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि आरोपी को मनोरोग चिकित्सा सहायता दी जाए और पीड़ित को डराने-धमकाने की अनुमति न दी जाए, पीड़ित का बचाव करने के लिए एक विधि प्रणाली विकसित करने की योजना बना रही है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति) : (क) जी, नहीं।

सरकार के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, यह सत्य नहीं है कि किशोरों की आयु सीमा को पुनरीक्षित करके अठारह वर्ष करने से अपराध दर में और वृद्धि हो सकती है।

(ख) और (ग) वर्ष 1999 में, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र में 329 ऐसे मामले रिपोर्ट किए गए थे, जिनमें किशोर संलिप्त थे, जबकि वर्ष 2000 में इन मामलों के आंकड़े बढ़कर 670 हो गए थे। चालू वर्ष के दौरान, तारीख 30.6.2002 तक 316 ऐसे मामले रिपोर्ट किए गए हैं, जिनमें किशोर संलिप्त हैं।

(घ) ऐसे किसी किशोर को परामर्श देने के लिए, जिसने कोई अपराध किया है, समूह परामर्श और तत्समान क्रियाकलाप में उसकी भागीदारी, उसके द्वारा जुर्माने के संदाय, उसे सदाचार के लिए किसी योग्य व्यक्ति या योग्य संस्था की देखरेख में रखे जाने और कतिपय मामलों में किसी किशोर को परिवीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में रखे जाने से संबंधित उपबंध, पहले ही किशोर न्याय अधिनियम, 2000 की धारा 15 में विद्यमान हैं। इसमें यह और उपबंध है कि ऐसे मामलों में जहां विधि के विपरीत किसी किशोर का आचरण अच्छा नहीं रहा है वहां उसे विशेष गृह में भेजे जाने के लिए आदेश दिया जा सकेगा।

सांप्रदायिक सद्भाव के विषय में प्रचार-प्रसार सामग्री

3771. मोहम्मद अनवारूल हक :
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :
श्रीमती कान्ति सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात की घटनाओं के बाद सांप्रदायिक सद्भाव के विषय में प्रचार-प्रसार सामग्री की परिकल्पना/तैयारी की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में प्रैस-टीमों ने मीडिया के साथ क्या व्यवस्था की है तथा कौन से समन्वयकारी/सहयोगात्मक प्रयास किए गए हैं; और

(ग) इसका क्या परिणाम हुआ है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) जी, हां। आकाशवाणी और दूरदर्शन ने सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने के विचार से कई कार्यक्रम प्रसारित किए हैं। पत्र सूचना कार्यालय ने इसी उद्देश्य से कई लेख और फीचर जारी की हैं और सांप्रदायिक सौहार्द तथा शांति में मीडिया की भूमिका पर एक संगोष्ठी का आयोजन करने में भी सहायता की है। गीत और नाटक प्रभाग ने गुजरात में प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रीय एकता तथा सांप्रदायिक सौहार्द संबंधी विषय पर आलेख तैयार किए थे जबकि विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय ने इस विषय पर प्रधानमंत्री की टिप्पणियों और वक्तव्यों का एक सार-संग्रह तैयार किया था। ऐसे प्रयास सामान्य स्थिति बहाल करने में सहायक हुए हैं।

आयातित प्रक्षेपास्त्रों का परीक्षण

3772. श्री सुकदेव पासवान : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायुसेना ने जनवरी, 1996 में 3.41 करोड़ रुपए मूल्य के प्रक्षेपास्त्रों का आयात किया था-जैसा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की वर्ष 1999 की रिपोर्ट सं. 8 (वायुसेना और नौसेना) के पृष्ठ 10 पर पैरा 8 में उल्लेख किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन प्रक्षेपास्त्रों का परीक्षण समय पर न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) कितने प्रक्षेपास्त्र वायुसेना के शस्त्रागार में अभी भी पड़े हुए हैं और ऐसे महंगे प्रक्षेपास्त्रों का निष्प्रयोजन आयात किए जाने के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) लगभग दो वर्ष तक प्रक्षेपास्त्रों के परीक्षण नहीं किए गए थे क्योंकि परीक्षण सुविधाओं का उन्नयन किया जाना अपेक्षित था। भारतीय तकनीशियनों का प्रशिक्षण भी अपेक्षित था। भारतीय वायुसेना के पास अभी भी चार प्रक्षेपास्त्र अप्रयोज्य अवस्था में मौजूद हैं। ये प्रक्षेपास्त्र भारतीय वायुसेना की अनुमानित आवश्यकता के आधार पर 1995 में अनुबंधित किए गए थे। इन प्रक्षेपास्त्रों की मरम्मत कराने हेतु प्रयास जारी हैं।

न्यू जलपाईगुड़ी में मंडल रेल प्रबंधक का कार्यालय

3773. श्रीमती मिनाती सेन : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को न्यू जलपाईगुड़ी में मंडल रेल प्रबंधक का कार्यालय स्थापित करने के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो न्यू जलपाईगुड़ी में इस कार्यालय की स्थापना हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) न्यू जलपाईगुड़ी में मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय की स्थापना संबंधी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

आंध्र प्रदेश में विद्युत परियोजनाओं के लिए गैस

3774. श्री के. येरननायडू : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने आंध्र प्रदेश स्थित 'लैंको कोंडापल्ली विद्युत लिमिटेड' के लिए गैस की उपलब्धता बढ़ाने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त परियोजना को गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त परियोजना को गैस की आपूर्ति कब तक किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) जी, हां। आंध्र प्रदेश सरकार ने लैंको कोंडापल्ली पावर लिमिटेड, आंध्र प्रदेश को आवंटन की गई 0.63 मिलियन घन मीटर प्रतिदिन (एम सी एम डी) फालबैक प्राकृतिक गैस को अभिपुष्ट आवंटन में परिणत करने का अनुरोध किया है। आंध्र प्रदेश में विभिन्न उपभोक्ताओं को प्राकृतिक गैस का आवंटन उपलब्धता से अधिक मात्रा में किया जा चुका है, इसलिए ऐसे अनुरोधों पर संबंधित क्षेत्र में प्राकृतिक गैस की कुल उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए विचार करना होता है।

ग्रामीण विद्युतीकरण विकास निधि

3775. श्री बी. वी. एन. रेड्डी : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलग से कोई ग्रामीण विद्युतीकरण विकास निधि है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस वर्ष के दौरान अब तक प्रयुक्त राशि का ब्यौरा क्या है और आगे इसे उपयोग करने के बारे में क्या योजना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए कोई अलग रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन डेवलेपमेंट फंड नहीं है। ग्रामीण विद्युतीकरण की योजनाएं राज्य सरकारों/राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा राज्य के योजनागत कोष के माध्यम से तैयार एवं कार्यान्वित की जाती है। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए राज्यों को केन्द्र सरकार द्वारा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता भी दी जा रही है।

वर्ष 2002-03 के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य के

लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में निम्नलिखित धनराशि आवंटित की गई है—

1. न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत 600 करोड़ रुपये।

2. प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के तहत 2747 करोड़ इस योजना के सभी 6 घटकों के लिए तथा ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए राज्य सरकारें अपनी प्राथमिकता के अनुसार इस धनराशि का अलग–अलग आवंटन कर सकती हैं।

3. त्वरित ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम नाम ब्याज सब्सिडी की नई योजना के तहत 164 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है।

4. ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य के लिए नाबार्ड के माध्यम से राज्यों को ग्रामीण अवसंरचनात्मक विकास निधि के अंतर्गत धनराशि दी जाती है।

5. गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे ग्रामीण परिवारों को सिंगल प्वाइंट कनैक्शन के लिए 100% अनुदान दिया जाता है। यह अनुदान "कुटीर ज्योति कार्यक्रम" के अंतर्गत रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन द्वारा दिया जाता है। वर्ष 2002–03 के लिए कुटीर ज्योति कार्यक्रम के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान है।

6. रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन राज्य सरकारों के संसाधनों को बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है तथा प्रणाली सुधार स्कीम और लोड इंटेंसीफिकेशन की स्थिति में सुधार लाने की दिशा में राज्यों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है।

हेलिकॉप्टर की खरीद

3776. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नौ विशेष प्रयोजनों वाले हेलिकॉप्टरों को प्राप्त करने के लिए एक विदेशी विनिर्माता कंपनी से कुल 894.82 करोड़ रुपए मूल्य की लागत का कोई अनुबंध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने यह अनुबंध गुणात्मक आवश्यकताओं को अंतिम रूप दिए बिना ही कर लिया है;

(घ) क्या उक्त विनिर्माता के देश में अब तक ऐसे हेलिकॉप्टरों का उत्पादन शुरू ही नहीं हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो बिना किसी मूल्यांकन और इन हेलिकॉप्टरों की संचालन–प्रणाली का कार्य निष्पादन/उपयुक्तता संबंधी निरीक्षण किए बगैर ही अनुबंध कर लेने के क्या कारण हैं;

(च) क्या उक्त हेलिकॉप्टरों की क्षमता अभी सिद्ध नहीं है और इनका उद्धृत मूल्य भी नौसेना द्वारा प्राक्कलित लागत से कहीं अधिक है; और

(छ) यदि हां, तो इस अनुबंध के लिए वार्ता करने तथा इसे अंतिम रूप देने के लिए कौन–कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं जिससे राजकोष को भारी वित्तीय हानि हुई है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (छ) सरकार ने नौसेना को विमान में लगी पूर्व चेतावनी क्षमता से सज्जित करने के लिए 9 (नौ) विशेष प्रयोजन वाले हेलिकॉप्टरों के अधिग्रहण के लिए एक रूसी फर्म के साथ 2 संविदाओं पर हस्ताक्षर किए हैं। इन हेलिकॉप्टरों का नौसेना के एक दल द्वारा वर्ष 1996 में मूल्यांकन किया गया था और इसे नौसेना की गुणात्मक अपेक्षाओं के अनुकूल पाया गया था। संविदाओं पर हस्ताक्षर किए जाने से पूर्व विधिवत् गठित मूल्य वार्ता समितियों द्वारा मूल्य तथा अन्य निबटानों और शर्तों पर वार्ताएं की गई थीं।

पूर्व रेलवे का द्विशाखन

3777. डा. राम चन्द्र डोम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे का विभाजन हो जाने के कारण कोयला भाड़े पर रेलवे को वार्षिक रूप से 3000 करोड़ रु. से अधिक का नुकसान होगा;

(ख) क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि इस विभाजन से पूर्व रेलवे में लगभग दस हजार पद समाप्त हो जाएंगे; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अलोकप्रिय समाचार-पत्रों को विज्ञापन

3778. श्री मानसिंह पटेल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग और अन्य एजेंसियों के माध्यम से भरे जाने वाले पदों के लिए विज्ञापनों को ऐसे समाचारपत्रों को दिया जाता है जो जनता के बीच लोकप्रियता नहीं रखते और इस पर कितना व्यय किया जाता है;

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या नीति अपनाई गई है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) संघ लोक सेवा आयोग तथा दूसरी एजेंसियों के माध्यम से भरे जाने वाले पदों के लिए विज्ञापन, विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा प्रचार आवश्यकता, लक्षित पाठकगणों और बजटीय प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए इसके अनुमोदित पैनल के समाचारपत्रों को जारी किए जाते हैं। इस कार्य के लिए गठित समिति की सिफारिश पर तैयार किए गए पैनल में विज्ञापन जारी किए जाने के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले समाचार-पत्र शामिल होते हैं।

[अनुवाद]

विद्युत विनियामक प्राधिकरण/आयोग

3779. श्री जे. एस. बराड़ : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या विभिन्न राज्यों में विद्युत विनियामक प्राधिकरणों/आयोगों की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो इनकी स्थापना की तिथि, निबंधन और शर्तें कर्मचारियों की संख्या, कार्य क्षेत्र इत्यादि के बारे में ब्यौरा क्या है और इनके द्वारा कितना मासिक व्यय किया जाता है;

(ग) क्या इनमें से कुछ ने अपनी नियमित संस्थापना के अतिरिक्त परामर्शदाताओं को नियुक्त किया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर कितना खर्च आया है; और

(ङ) प्रत्येक राज्य में कितनी बार इन प्राधिकरणों/आयोगों के द्वारा शुल्क में संशोधन किया गया और विद्युत आपूर्ति का नियमन किया गया?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

राजस्थान में नई रेल लाइनों के लिए सर्वेक्षण

3780. श्री राम सिंह कस्वां : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरदार शहर--हनुमानगढ़, चुरू--तारानगर (उत्तर रेल) तथा सीकर-नोखा (पश्चिम और उत्तर रेल) की नई रेल लाइनों का सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त परियोजना पर कार्य कब तक शुरू हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (घ) सरदार शहर-हनुमानगढ़, चुरू--तारानगर और सीकर-नोखा की नई बड़ी लाइनों के निर्माण के लिए सर्वेक्षण अब पूरा हो चुका है जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है

क्र.स.	सर्वेक्षण का नाम	किमी.	अनुमानित लागत (करोड़ रु. में)	प्रतिफल की दर
1.	रतनगढ़–सरदार शहर का आमान परिवर्तन और सरदार शहर–हनुमानगढ़ के बीच नई रेल लाइन	197.9	287.40	(–) 25.88%
2.	चुरू और तारानगर के बीच नई बड़ी लाइन	48.1	76.41	(–) 24.33%
3.	सीकर–नोखा के बीच नई बड़ी लाइन	209.6	430.6	(–) 23.30%

संसाधनों की अत्यधिक तंगी और उपरोक्त परियोजनाओं के अलाभप्रद स्वरूप को ध्यान में रखते हुए इन कार्यों को शुरू करना व्यावहारिक नहीं समझा गया था।

[अनुवाद]

दसवीं योजना के दौरान विद्युत-संयंत्रों के लिए परिव्यय

3781. श्री टी. एम. सेल्वागनपति : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परियोजना के पर्याप्त वित्त पोषण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, दसवीं योजना में विद्युत क्षेत्र के लिए परिव्यय को 270 प्रतिशत बढ़ा दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 2012 के पश्चात् विद्युत की कमी को पूर्णतया समाप्त कर देने के लक्ष्य को लेकर, सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना में 1,07,000 मेगावाट की अतिरिक्त विद्युत क्षमता के उत्पादन को प्राप्त करने हेतु अपना प्रगत प्रयास शुरू कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के 16वें विद्युत शक्ति सर्वेक्षण से पता चला है कि वर्ष 2012 तक मांग पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए लगभग 1,00,000 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता की आवश्कता होगी। 10वीं योजना के लिए 41,000 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है, जिनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं–

(आंकड़े मे.वा. में)

	जल विद्युत	ताप विद्युत	नाभिकीय विद्युत	संचयी क्षमता
केन्द्रीय क्षेत्र	8,742	12,790	1300	22,832
राज्य क्षेत्र	4,481	6,676	0	11,157
निजी क्षेत्र	1,170	5,941	0	7,121
समग्र	14,393	25,407	1,300	41,110

उपरोक्त के अलावा लगभग 3000 मेगावाट विद्युत अक्षय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त होने की आशा है।

विद्युत मंत्रालय के इस कार्यक्रम में सहायता देने हेतु योजना आयोग ने 10वीं योजना परिव्यय के रूप में 143399 करोड़ रुपये तय किए हैं। 9वीं योजना में इसके लिए 45591.05 करोड़ रुपये का परिव्यय था।

[हिन्दी]

टिहरी बांध के विस्थापितों को मुआवजा

3782. श्री वाई. जी. महाजन :
श्री रामजी मांझी :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टिहरी बांध–निर्माण के कारण बहुत से परिवार विस्थापित हो गए थे और ग्रामीण क्षेत्रों के विस्थापितों को कतिपय समझौतागत शर्तों पर मुआवजा दिया जाना था, लेकिन निर्धारित नीति के अनुसार इसका भुगतान नहीं किया गया;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त वचनबद्धता को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या एसएलएओ–II, टिहरी ने संगत अभिलेखों में हेराफेरी करके तीन ऐसे परिवारों को 34.30 लाख रुपये की मुआवजा राशि का फर्जी भुगतान किया, जिनका अस्तित्व ही नहीं था और उसने 6.55 करोड़ रुपये की उस धनराशि का कोई हिसाब नहीं दिया जिसे पुराने टिहरी नगर के प्रभावित परिवारों को प्रदान किए जाने का दावा किया गया था एवं टीएचडीसी ने बिना किसी ब्यौरे के ही 24.23 करोड़ रुपये के उस भुगतान का दिया जाना मान लिया जिसे भू–स्वामियों को प्रतिपूर्ति किए जाने का दावा किया गया; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस मामले की जांच की गई है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) टिहरी परियोजना से प्रभावित अधिकांश परिवारों के पुनर्वास तथा विस्थापन का कार्य देख रही उत्तरांचल सरकार ने सूचित किया है कि ग्रामीण परिवारों को क्षतिपूर्ति का भुगतान पुनर्वास नीति के अनुसार किया जा रहा है।

(ग) और (घ) उत्तरांचल सरकार की सूचना अनुसार वर्ष 1992 में धोखाधड़ीपूर्ण 34.30 लाख रुपये के भुगतान के मामले में राज्य सरकार के विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी (एसएलएओ–2) श्री विजय दत्त शर्मा और अन्य के खिलाफ एक प्रथम सूचना रिपोर्ट टिहरी पुलिस थाने में दिनांक 18.9.1997 को दर्ज कराई गई थी। यह मामला न्यू टिहरी में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में लम्बित है। 6.55 करोड़ रुपये के संवितरण से संबंधित रिकार्ड सीबीआई द्वारा वर्ष 1997 में जांच हेतु अपने कब्जे में लिए गए थे जो अब भी उनके कब्जे में हैं।

जहां तक दावों के स्वीकृति का प्रश्न है, टिहरी हाइड्रो डेवलेपमेंट कारपोरेशन ने सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने फरवरी, 1990 से पहले पुनर्वास कार्य को अंजाम देते समय एसएलएओ–1 को 18.53 करोड़ रुपये का तथा एसएलएओ–2 को 4.55 करोड़ रुपये का भुगतान किया था। इन दोनों एसएलएओ ने उत्तर प्रदेश राज्य को 9.04 करोड़ रुपये तथा टीएचडीसी को 14.04 करोड़ रुपये के संवितरण संबंधी ब्यौरे प्रस्तुत कर दिए हैं।

[अनुवाद]

गोधरा में साबरमती-एक्सप्रैस में अग्निकांड पर न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट

3783. श्री जी. एम. बनातवाला :
श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या अहमदाबाद की न्यायालयिक विज्ञान प्रयोग–शाला का एक दल, जो 27 फरवरी, 2002 को गुजरात के गोधरा में हुए रेल अग्निकांड की जांच कर रहा है, रेलगाड़ी के डिब्बा सं. 56 में अगिनकांड का एक अनुरूपी प्रयोग करके इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि आग भड़कने की वह घटना जिसमें महिलाओं और बच्चों सहित 59 यात्रियों की जान गई–केवल तभी संभव हो सकी होगी जबकि उसमें डिब्बे के अंदर से ही पेट्रोल जैसा कोई ज्वलनशील पदार्थ विद्यमान रहा हो, न कि बाहर से छिड़का या फेंका गया हो;

(ख) यदि हां, तो उक्त निष्कर्ष पर आधारित अनुवर्ती जांच का क्या परिणाम रहा; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ग) पुलिस व्यवस्था राज्य का विषय होने के नाते चलती गाड़ियों तथा रेलों पर अपराध रोकना और उनका पता लगाना राज्य सरकारों की सांविधिक जिम्मेदारी है। रेलों पर होने वाले अपराध के मामले राजकीय रेलवे पुलिस को सूचित और दर्ज किए जाते हैं, और उनके द्वारा उनकी जांच भी की जाती है। बहरहाल, पुलिस अधीक्षक वडोदरा द्वारा दी गई सूचना से ज्ञात होता है कि फोरेंसिक साइंस लेबोरेट्री, अहमदाबाद का मत है कि पेट्रोल डिब्बे के अंदर से फेंका गया हो सकता है। इस रिपोर्ट पर किसी भी प्रकार की अनुवर्ती कार्रवाई राज्य सरकार द्वारा ही की जानी है।

मध्य प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में कोल बेड मिथेन

3784. डा. वी. सरोजा : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में कोल बेड मिथेन की खोज और उत्पादन हेतु बोली आमंत्रित की हैं;

(ख) यदि हां, तो कितनी बोलियां प्राप्त हुईं और कितनी सी.बी.एम. ब्लाक के ठेके दिए गए;

(ग) क्या सरकार की तमिलनाडु में सी.बी.एम. की खोज कराने की योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) जी, हां। पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान राज्यों के अंतर्गत आने वाले सात ब्लाक कोल बेड मिथेन नीति के तहत ब्लाकों के प्रथम प्रस्ताव में बोली के लिए प्रस्तावित किए गए थे। इस संबंध में ब्यौरा निम्नवत है—

क्र.सं.	राज्य का नाम	प्रस्तावित ब्लाकों की संख्या	प्राप्त बोलियों की संख्या	दिए गए ब्लाकों की संख्या
1.	पश्चिम बंगाल	1	5	1
2.	झारखंड	2	7	2
3.	मध्य प्रदेश	3	3	2
4.	राजस्थान	1	1	–

(ग) और (घ) तमिलनाडु समेत देश में सी.बी.एम. संभाव्यता वाले राज्यों से सी.बी.एम. ब्लाकों की पहचान एवं तत्संबंधी प्रस्ताव एक सतत प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

आरक्षित सीटों पर कब्जा करने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई

3785. श्री लक्ष्मण गिलुवा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या आरक्षित सीटों पर कब्जा करने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने मामले दर्ज किए गए;

(ग) इस संबंध में टी.टी.आई. की भूमिका क्या है और क्या टी.टी.आई. को अपने कर्तव्य पालन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(घ) क्या टी.टी.आई. को आर.पी.एफ. सिपाहियों की सहायता दी जाएगी और सीट कब्जा करने के आरोप में पकड़े जाने वाले दोषी लोगों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, नहीं। आरक्षित सीटों/बर्थों को हथियाने वाले अप्राधिकृत व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) से (ङ) आरक्षित सवारी डिब्बों से अप्राधिकृत व्यक्तियों को गाड़ी से उतारने के लिए निर्देश पहले से विद्यमान हैं। बहरहाल, देश के कुछ भागों में कानून और व्यवस्था की खराब स्थिति के कारण कई बार अप्राधिकृत व्यक्तियों को गाड़ी से उतार पाना सम्भव नहीं हो पाता है। इसके अतिरिक्त, टिकट जांच संबंधी गतिविधियों के अलावा, चल टिकट परीक्षक भी गाड़ी के भीतर विभिन्न गतिविधियों में लगे रहते हैं। हालांकि, विभिन्न जांचों में रेल सुरक्षा बल के कर्मचारी भी सहयोग देते हैं परन्तु जनशक्ति की कमी के कारण प्रत्येक चल टिकट परीक्षक को रेल सुरक्षा बल की सहायता उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है।

पेट्रोल पम्पों और कैरोसीन डीलरों द्वारा कम तेल देना

3786. श्री अब्दुल रशीद शाहीन :
श्री लक्ष्मण गिलुवा :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कैरोसीन और पेट्रोल

पंप बिक्री केन्द्रों द्वारा कम और मिलावटी तेल देने के कितने मामले दर्ज किए गए;

(ख) कितने मामलों में आरोप लगाए गए और कितने लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या समुचित कार्रवाई के अभाव में इस तरह की अनियमितताएं अब भी बरती जा रही हैं; और

(घ) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) तेल कंपनियों ने पिछले तीन वर्षों के दौरान मिट्टी तेल और पेट्रोल पेट्रोल पम्पों पर कम मापने (कम सुपुर्दगी) और मिलावट के निम्न मामलों का पता लगाया है–

वर्ष	मामलों की संख्या	
	मिलावट	कम सुपुर्दगी
1999–2000	363	230
2000–2001	290	254
2001–2002	341	276

(ख) सभी मामलों में (उपर्युक्त (क) में उल्लिखित) विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों/या डीलरशिप करार के अनुसार डीलरों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है।

(ग) और (घ) जब कभी भी मिलावट और कम सुपुर्दगी के किसी मामले का पता लगता है, तब दोषी डीलर के विरुद्ध विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों/या डीलरशिप करार के अनुसार कार्रवाई की जाती है जिसमें अर्थ दंड और बिक्री तथा आपूर्ति के निलंबन से लेकर डीलरशिप की समाप्ति तक का प्रावधान है।

[अनुवाद]

एच.एम.टी. ट्रैक्टरों का विनिर्माण

3787. श्री राजनारायण पासी : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (एच.एम.टी. ट्रैक्टर डिवीजन) का लाभ और हानि क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार और आज की तिथि तक एच.पी ट्रैक्टरों सहित कितने ट्रैक्टरों का विनिर्माण किया गया और उनकी विनिर्माण लागत क्या है;

(ग) क्या ट्रैक्टरों के विनिर्माण में वृद्धि करने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या एच.एम.टी. की ट्रैक्टर डिवीजन के भारी घाटे के कारण कर्मचारियों की छंटनी की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कामगारों के हितों की सुरक्षा हेतु क्या उपाय किए गए/किए जाएंगे?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभ भाई कथीरिया) : (क) विगत तीन वर्षों में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (एचएमटी ट्रेक्टर प्रभाग) का लाभ एवं हानि निम्नानुसार है–

(रुपये लाख में)	2001–2002	2000–2001	1999–2000
शुद्ध लाभ	185	527	791

(ख) विगत 3 वर्षों में निर्मित विभिन्न क्षमता वाले ट्रैक्टरों के निर्माण की संख्या तथा अनुमानित लागत निम्नानुसार है–

मॉडल	एच.पी.	2001–2002		2000–2001		1999–2000	
		संख्या	कीमत	संख्या	कीमत	संख्या	कीमत
1	2	3	4	5	6	7	8
2522	25	1067	लगभग	1410	लगभग	2513	लगभग
3022	30	146	1.65 से	533	1.55 से	1213	1.50 से

1	2	3	4	5	6	7	8
3522	35	5660	3.40 तक	7328	3.10 तक	8253	2.30 तक
4511	45	213	(रुपये	930	(रुपये	1410	(रुपये
4922	49	1216	लाख में)	292	लाख में)	–	लाख में)
5911	58	1450		2901		2946	
7511	75	48		65		–	
कुल		9800		13459		16335	

(ग) और (घ) जी, हां। कंपनी ने वर्ष 2002–2003 के दौरान ट्रैक्टरों के उत्पादन में 14000 तक की वृद्धि करने की योजना बनाई है।

(ङ) और (च) उपरोक्त 'क' के उत्तर की दृष्टि से प्रश्न नहीं उठता।

सैनिक अस्पतालों की स्थापना

3788. श्री कोडीकुनील सुरेश : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में सैनिक अस्पतालों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मौजूदा अस्पताल सेवा कार्मिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं।

[हिन्दी]

दिल्ली में रेलवे भूमि पर अवैध कब्जा

3789. श्री माणिकराव होडल्या गावित :

श्री विलास मुत्तेमवार :

श्रीमती प्रभा राव :

श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में रेलवे की भूमि विशेषकर नजफगढ़ नाले (रामपुरा) से आजादपुर, सब्जीमंडी न्यू आज़ादपुर, दयाबस्ती–पटेल नगर आदि में रेलवे की भूमि पर असामाजिक तत्वों/मलिन बस्ती निवासियों का अवैध कब्जा है, जिनके कारण सुपर फास्ट रेलगाड़ियों की गति में बाधा उत्पन्न होती है जैसा कि 13 जून, 2002 के 'दि हिन्दू' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उक्त भूमि से अब तक अवैध कब्जा न हटाए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त भूमि से अवैध कब्जा हटाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ग) रामपुरा में नजफगढ़ नाले से आजादपुर, सब्जीमंडी–नया आजादपुर, दया बस्ती–पटेल नगर के बीच कुछ भूमि सहित दिल्ली में कुछ रेलवे भूमि पर अतिक्रमणकारियों ने अनधिकृत कब्जा किया हुआ है। अतिक्रमण निम्नलिखित स्थानों पर है–

(i) समपार सं. 12 के समीप रामपुरा केबिन–541 अदद,

(ii) शहीद सुखदेव नगर (किमी. 26/2–25/3)–2088 अदद, और

(iii) चन्द्रशेखर आजाद कालोनी (किमी. 27/1–26/3)– 3797 अदद, कुल 6424 अदद।

रेलवे ने अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए समय–समय पर कदम उठाए हैं। इन्हें हटाने की प्रक्रिया छः महीने पहले आरम्भ की गई है और यह एक सतत प्रक्रिया है।

[अनुवाद]

रसोई गैस/कैरोसीन पर राजसहायता

3790. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रसोई गैस और कैरोसीन पर राजसहायता की एक समान दर का निर्णय लिया है:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सहायता से उपभोक्ताओं को किस सीमा तक लाभ मिलने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) प्रशासित मूल्यनिर्धारण प्रणाली (ए. पी.एम.) की समाप्ति पर सरकारी निर्णय के अनुसार घरेलू एल.पी.जी. और सार्वजनिक वितरण प्रणाली मिट्टी तेल पर ए. पी.एम. के बाद राजसहायता जारी रखी जाएगी। इन उत्पादों पर राजसहायता 1 अप्रैल, 2002 से निर्दिष्ट समान दर आधार पर होगी और खुदरा मूल्य अंतरराष्ट्रीय बाजार में मूल्य परिवर्तन के अनुसार अलग–अलग होगा। राजसहायता की समान दरों का मूल्यांकन अभी नहीं किया गया है।

भूमि का फ्रीहोल्ड में बदला जाना

3791. श्री राज बब्बर : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तिथि तक भूमि/संपत्तियों को फ्रीहोल्ड में बदलने हेतु आगरा छावनी बोर्ड से अनेक आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) गत तीन वर्षों के दौरान भूमि/संपत्तियों को फ्रीहोल्ड में बदलने हेतु आगरा छावनी बोर्ड को 75 आवेदन प्राप्त हुए हैं तथा ये कार्रवाई के विभिन्न चरणों में हैं।

अधिकारियों के स्थानांतरण पर प्रतिबंध

3792. श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोनल रेलवे से रेलवे बोर्ड में वरिष्ठ वेतनमान और ऊपर के पदों में अधिकारियों के स्थानांतरण पर लगाया गया प्रतिबंध सुरक्षा निदेशालय के अलावा अन्य जगहों पर लागू कर दिया गया है;

(ख) क्या गोधरा हत्याकांड के बाद डी.आई.जी. स्तर के अधिकारी को जोनल रेलवे से रेलवे बोर्ड में लाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) रेलवे बोर्ड में आर.पी.एफ./आर.पी.एस.एफ. से संबंधित वरिष्ठ वेतनमान और ऊपर के कितने अधिकारी कार्य कर रहे हैं जिससे जोनल रेलवे में अधिकारियों की कमी हो गई है; और

(घ) इन अधिकारियों को आर.पी.एफ./आर.पी.एस.एफ. में कार्य करने हेतु कब तक मुक्त कर दिया जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

दृष्टिहीनों की नियुक्ति

3793. श्री धर्म राज सिंह पटेल : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तिथि तक उत्तर रेलवे के अंतर्गत उद्घोषक के पद पर कितने दृष्टिहीनों की नियुक्ति की गई;

(ख) क्या उद्घोषक के पद पर नियुक्ति के बाद कुछ दृष्टिहीनों को उद्घोषक के पद हेतु निर्धारित मूल वेतनमान के बजाय नीचे के पद का वेतनमान दिया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकार द्वारा असमानता को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) विकलांग वर्ष के दौरान दृष्टिहीन कर्मचारियों को क्या सुविधाएं प्रदान की गईं और उस वर्ष के दौरान उद्घोषक के पद के कितने कर्मचारियों को प्रोन्नति दी गई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रेल लाइनों का दोहरीकरण

3794. श्री राजो सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रेल लाइनों के दोहरीकरण के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा दोहरीकरण के कार्य में तेजी लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) संसाधनों की तंगी, कार्यों की धीमी प्रगति, संविदात्मक विफलता आदि के कारण वांछित प्रगति हासिल नहीं की जा सकी। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दोहरीकरण संबंधी कार्यों को संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार किए जाने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

डेयरी फार्म

3795. श्री राजैया मल्याला : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में रक्षा बलों की डेयरी जरूरतों को पूरा करने हेतु सेना द्वारा पूरी तरह चलाया जाने वाला कोई डेयरी फार्म है; और

(ख) यदि हां, तो उनमें विभिन्न डेयरी उत्पादों का कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाता है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) रक्षा बलों की डेयरी संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए 51 डेरी फार्मों का पूरा रख-रखाव रक्षा मंत्रालय करता है। इन फार्मों में विभिन्न डेरी उत्पादों की वार्षिक उत्पादन की मात्र इस प्रकार है--

क्र.सं.	मद	वार्षिक उत्पादन
1.	दूध	6,49,41,146 लीटर
2.	मक्खन	2,94,788 किलोग्राम
3.	पनीर	24,590 किलोग्राम
4.	क्रीम	8,470 किलोग्राम

राज्य बिजली बोर्डों का पुनर्गठन

3796. श्री ए. पी. जितेन्द्र रेड्डी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश भर में राज्य बिजली बोर्डों के पुनर्गठन का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस परियोजना हेतु विदेशी सहयोग को आमंत्रित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार का राज्य बिजली बोर्डों के पुनर्गठन संबंधी परियोजना को किस तरीके से वित्त पोषित करने का विचार है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ङ) राज्य विद्युत बोर्ड (एसइबी) राज्य सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। अतएव राज्य विद्युत बोर्डों के पुनर्गठन का दायित्व भी राज्य सरकारों पर है। भारत सरकार राज्यों

को सुधार के लिए प्रोत्साहित कर रही है ताकि विद्युत क्षेत्र के स्वास्थ्य को सुधारा जा सके। मार्च, 2001 में आयोजित मुख्यमंत्रियों/विद्युतमंत्रियों के सम्मेलन में विद्युत क्षेत्र सुधार को राजनीति से पृथक करने और सुधार क्रियान्वयन को गति प्रदान करने का संकल्प लिया गया। यह भी माना गया कि सुधारों की वास्तविक चुनौती वितरण रोक्टर में है। वितरण क्षेत्र में निम्नांकित के जरिए वाणिज्यिक व्यवहार्यता जरूरी है

– पूर्ण दायित्व के साथ लाभ केन्द्रों का सृजन।

– जरूरत के मुताबिक स्थानीय वितरण को पंचायतों/स्थानीय निकायों/फ्रैंचाईजी/प्रयोजन संघों को सौंपना।

– वितरण का निजीकरण।

– अथवा कोई अन्य उपाय।

कई राज्यों (उड़ीसा, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा दिल्ली) ने अपने सुधार कानूनों को पारित कर दिया है और राज्य विद्युत बोर्डों का विकेन्द्रीकरण कर दिया है।

विद्युत विधेयक, 2001 जो ऊर्जा संबंधी स्थाई समिति के विचाराधीन है, में भी सुधार वाले राज्यों के प्रति लचीला दृष्टिकोण अपनाया गया है।

भारत सरकार राज्यों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर कर रही है। इनमें केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा समयबद्ध रूप से सुधार करने की संयुक्त प्रतिबद्धता शामिल है। भारत सरकार समयबद्ध रूप में सुधार कार्य आरंभ करने के लिए केन्द्र और राज्यों की संयुक्त वचनबद्धता के रूप में राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर रही है। सहमत लक्ष्यों को प्राप्त करने संबंधी राज्यों के प्रयासों के बदले में केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय विद्युत उत्पादन स्टेशनों से अनावंटित कोटे से अतिरिक्त विद्युत का आवंटन विशेष कार्यक्रमों/स्कीमों के अंतर्गत निधियों के आवंटन इत्यादि समेत सहायता की वचनबद्धता प्रदान की है। अब समझौता ज्ञापनों को और भी अधिक स्पष्ट और विनिर्दिष्ट लक्ष्यों के साथ करार ज्ञापनों में परिवर्तित किया जा रहा है क्योंकि राज्यों में सुधार कार्यक्रम का समुचित रूप से क्रियान्वयन हो रहा है। अब तक इस अभियान के अंतर्गत 22 राज्यों को शामिल किया गया है।

त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) की रूपरेखा अभिज्ञात वितरण सर्किलों में विशेष परियोजनाओं का वित्तपोषण करने के लिए तैयार की गई है ताकि शीघ्र ही इनमें आमूलचूल परिवर्तन किए जा सकें और उत्कृष्टता केन्द्रों का सृजन किया जा सके। आरंभिक रूप से 63 सर्किलों को अभिकल्पित डीपीआर के आधार पर उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए इन पर कार्य शुरू किए गए हैं। इरा कार्यक्रम का विस्तार कर इसे एकीकृत भार तथा एक लाख की आबादी वाले शहरों तक ले जाया जा रहा है, जहां डीपीआर तैयार करने पर कार्य शुरू किए गए हैं। कार्यक्रम के परिणामों के मूल्यांकन के लिए डीपीआर का बेस लाईन डाटा अत्यंत महत्वपूर्ण है जहां इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्युत क्षेत्र में चोरी पर अंकुश लगाना और इसकी वित्तीय स्थिति में सुधार करना है। इस कार्यक्रम में एक प्रोत्साहन योजना भी शामिल है जिसका उद्देश्य रा.वि.बोर्डों/यूटिलिटी द्वारा वास्तविक रूप से नकद हानि में कमी करना है। इस स्कीम के अंतर्गत वास्तविक नकद हानि में कमी करने के लिए रा.वि.बोर्डों/यूटिलिटियों को विद्युत मंत्रालय द्वारा अनुदान प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वित्त पारेषण के लिए राज्यों को विशेष श्रेणी और गैर विशेष श्रेणी राज्यों में बांटा गया है। विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 90% अनुदान और 10% ऋण जबकि गैर विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 25% अनुदान तथा 25% ऋण की परिकल्पना इस कार्यक्रम के तहत की गई है। शेष 50% पीएफसी, आरईसी जैसी वित्तीय संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

भारत सरकार ने अन्य बातों के साथ–साथ राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसयू) को देय राशि के एकमुश्त समाधान के लिए सुझाव प्रदान करने हेतु एक स्कीम का अनुमोदन किया है। इस स्कीम में प्रावधान है कि 30.9.2001 की स्थितिनुसार विलम्बित भुगतानों पर ब्याज/अधिभार का 60% समाप्त कर लिया जाएगा और शेष देय राशियों को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा जारी कर मुक्त बॉण्डों के जरिए प्रत्याभूत कर लिया जाएगा। जो राज्य वर्तमान देयताओं का यथा समय भुगतान करते हैं उनको भी प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। एपीडीआरपी के अंतर्गत वर्तमान भुगतान में चूक करने के लिए अन्य बातों के साथ–साथ निधि आस्थगित कर दी जाएगी। राज्य सरकारों द्वारा विगत देयों की प्रतिभूतिकरण और वर्तमान आपूर्तियों के पूर्ण भुगतान संबंधी

प्रक्रिया के पश्चात सीपीएसयू के महत्वाकांक्षी क्षमता संवर्द्धन कार्यक्रम के लिए बाजार से जरूरी संसाधन उगाहना संभव हो जाएगा। राज्य सरकारें भी अपने पावर यूटिलिटियों के तुलनपत्र को साफ–सुथरा रखने के लिए इस प्रक्रिया को अपना सकेंगी ताकि वे अपने निवेश कार्यक्रमों के वित्त पोषण हेतु बाजारों से निधियां ले सकें।

विश्व बैंक के अलावा एशियाई विकास बैंक तथा बहुपक्षीय दाता एजेंसियां व पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी) विद्युत क्षेत्र सुधारों के लिए बहुराज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहे हैं।

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड का आधुनिकीकरण

3797. श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड के आधुनिकीकरण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड के आधुनिकीकरण हेतु तैयार किए गए विभिन्न कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) आधुनिकीकरण कार्यक्रम में कितनी निवेश राशि शामिल है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय कंटेनर निगम लि. (कॉनकोर) ने अपने आधुनिकीकरण के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम तैयार किए हैं–

(1) टर्मिनल विकास कार्य

(2) चल स्टाक

(3) कंटनर अधिग्रहण

(4) सूचना प्रौद्योगिकी और

(5) सम्हलाई उपस्कर, आदि।

(ग) भारतीय कंटेनर निगम लि. (कॉनकोर) ने वित्तीय वर्ष 2006 तक अपने आधुनिकीकरण कार्यक्रम में 1400 करोड़ रुपए के निवेश की आवश्यकता का अनुमान लगाया है।

रेलगाड़ियों में गंदी चादरें देना

3798. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ रेलगाड़ियों विशेषकर, दक्षिण मध्य रेलवे की रेलगाड़ियों में यात्रियों को गंदी चादरें दी जा रही हैं;

(ख) क्या रेलवे प्राधिकारियों ने इसकी जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई शुरू की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, नहीं। दक्षिण मध्य रेलवे में गाड़ियों में उपलब्ध चादरों के ठीक से धुले न होने की कुछ शिकायतें सामने आई हैं।

(ख) जी, हां। चादरों की गुणवत्ता और मात्रा के साथ–साथ उनकी धुलाई के मानकों को सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों और निरीक्षकों द्वारा नियमित और अचानक जांचें आयोजित की जाती हैं।

(ग) दोषी ठेकेदारों को चेतावनी दी गई है तथा उन पर जुर्माना लगाया गया है। रेलवे कर्मचारियों के विरुद्ध उनके ढीले पर्यवेक्षण के लिए अनुशासनिक कार्रवाई की गई है।

कंजूर मार्ग पूर्वी का प्रवेश द्वार

3799. श्री किरीट सोमैया : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुर्ला और ठाणे के बीच पांचवीं और छठी रेल लाइनों का काम पूरा हो जाने के कारण कंजूर मार्ग पूर्वी का प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा;

(ख) क्या स्थानीय संसद सदस्य द्वारा यह समस्या रेलवे अधिकारियों के ध्यान में लाई गई है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस समस्या के समाधान हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, नहीं। मौजूदा उपरी पैदल पुल, जिसके द्वारा कंजूर मार्ग स्टेशन में पूर्व ओर से प्रवेश किया जाता है, का विस्तार किया जा रहा है और इस विस्तारित उपरी पैदल पुल के माध्यम से कंजूर मार्ग स्टेशन में पूर्व ओर से प्रवेश जारी रहेगा।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

आर.आई.सी. का पुनरुद्धार

3800. श्री सुनील खां : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनर्वास उद्योग निगम (आर.आई.सी.) के कर्मचारी मंत्रालय द्वार बंद किए जाने संबंधी आदेश परिचालित किए जाने के बाद भी काम कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या कर्मचारी इस इकाई को चलाने में सक्षम हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार कर्मचारियों की इस इकाई को पट्टे पर देने हेतु तैयार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभ भाई कथीरिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) लागू नहीं।

(ग) दिनांक 16 जनवरी, 2001 में रीहैबिलीटेशन इंडस्ट्रीज कारपोरेशन (आरआईसी) की सभी इकाइयों को बंद घोषित कर दिया गया है।

(घ) और (ङ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

छावनी क्षेत्र में विकास कार्य

3801. प्रो. रासासिंह रावत : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान नासिराबाद और अजमेर छावनियों में क्या-क्या विकास कार्य किए गए और उन पर अलग-अलग कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ख) क्या धनराशि के व्यय में अनियमितता संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) नासिराबाद और अजमेर छावनी क्षेत्रों की भावी विकास योजनाएं क्या हैं;

(च) क्या इन छावनी क्षेत्रों में अवैध कब्जे की अनेक घटनाएं हुई हैं;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) अधिकारियों द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) पिछले 3 वर्ष के दौरान नसीराबाद और अजमेर में नालियों, खड़ंजों, सड़कों, जलापूर्ति, विविध सार्वजनिक सुविधाओं जैसे विकास-कार्य किए गए थे। इन निर्माण-कार्यों पर हुआ व्यय इस प्रकार था-

वर्ष	नसीराबाद	अजमेर
1999-00	96,66,111/-	21,16,267/-
2000-01	1,04,15,844/-	33,65,621/-
2001-02	62,23,883/-	25,10,175/-
योग	2,63,05,838	79,92,063

(ख) से (घ) नसीराबाद छावनी के एक निर्वाचित सदस्य ने भवनों, खड़ंजों आदि के किए गए कार्य के बारे में शिकायत की है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो इस मामले की जांच कर रहा है।

(ङ) नसीराबाद छावनी परिषद के लिए ट्रांसपोर्ट नगर, स्टेडियम, सामुदायिक भवन नामक तीन विकास योजनाओं पर विचार किया जा रहा है और अजमेर छावनी परिषद के लिए

तीन योजनाएं अर्थात् सामुदायिक भवन, जलापूर्ति परियोजना और मल व्ययन व्यवस्था विचाराधीन हैं।

(च) से (ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान अजमेर छावनी में किसी अतिक्रमण की कोई जानकारी नहीं मिली है और नसीराबाद छावनी में अतिक्रमण के 281 मामले जानकारी में आए हैं। ये अतिक्रमण अधिकांशतः प्रोजेक्शन, प्लेटफार्म आदि के रूप में हैं। ऐसे सभी मामलों के विरुद्ध छावनी अधिनियम और सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत कार्रवाई की गई है/शुरू की गई है।

मध्य प्रदेश में आई.ओ.सी.एल. और एच.पी.सी.एल. के कार्यकरण के विरुद्ध अभ्यावेदन

3802. श्री सुरेन्द्र सिंह बरवाला : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के कार्यक्रम के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इनमें से कितने अभ्यावेदन 'कोको' और जुबिली पंपों के संबंध में ठेकेदारों की नियुक्ति में की गई अनियमितताओं के बारे में हैं और कितने भूमि की खरीद में अनियमितताओं के बारे में; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई ओ सी) और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एच पी सी) द्वारा कोको खुदरा बिक्री केन्द्रों और जुबिली खुदरा बिक्री केन्द्रों के लिए श्रम संविदाकारों की नियुक्ति और इन खुदरा बिक्री केन्द्रों के लिए खरीदी गई भूमि के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की संख्या नीचे दी गई है–

	निम्न के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की संख्या	
	श्रम संविदाकारों की नियुक्ति	भूमि की खरीद
आई.ओ.सी.	01	05
एच.पी.सी.	04	01

तेल कंपनियों द्वारा समय–समय पर प्राप्त शिकायतों की जांच की जाती है और यदि आरोपित अनियमितता सिद्ध हो जाए तो उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

यू.आर.सी. कर्मचारियों की छंटनी

3803. श्री जयप्रकाश : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंफैंट्री डिवीजन और 35 इंफेंट्री ब्रिगेड द्वारा प्रबंधित यूनिट कैंटीनों में कार्यरत सिविलियन कर्मचारियों की कोई पूर्व सूचना दिए बिना छंटनी की जा रही है;

(ख) क्या इन यूनिटों के ऐसे कर्मचारियों ने सेवा से हटाए जाने के आदेश को केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (मुख्य शाखा) नई दिल्ली और मुंबई में चुनौती दी थी और 'कैट' ने इन आदेशों को खारिज करते हुए सेवा में उनकी बहाली के आदेश जारी किए थे;

(ग) क्या कैट के इन निर्णयों को लागू नहीं किया गया और कैट में संबंधित सैन्य अधिकारियों के विरुद्ध न्यायालय की अवमानना संबंधी याचिका दाखिल की गई है;

(घ) यदि हां, तो कैट के निर्णय को लागू न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इन यूनिटों द्वारा चलाई जा रही कैंटीनों के कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) 35 इंफैंट्री ब्रिगेड की यूनिट कैंटीन के किसी भी कर्मचारी की छंटनी नहीं की गई है। तथापि, 9 इंफेंट्री डिवीजन मुख्यालय के अधीन पाइन कैंटीन, मेरठ के सात कर्मचारियों की सेवा नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा समाप्त कर दी गई है।

(ख) पाइन कैंटीन के जिन कर्मचारियों की सेवा समाप्त की गई थी, उन्होंने केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, दिल्ली में अपनी सेवा समाप्ति को चुनौती दी और केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने सेवा–समाप्ति के आदेश पर रोक लगा दी। इस संबंध में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, मुंबई में कोई मामला नहीं है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, दिल्ली के निर्णय को लागू कर दिया गया है तथा बर्खास्त किए गए कर्मचारियों को वापस सेवा में ले लिया गया है। तथापि सेवा में बहाल किए गए कर्मचारी केवल एक दिन के लिए ड्यूटी पर आए और उसके बाद काम पर नहीं आए। इस बीच, पाइन कैंटीन, मेरठ के इन कर्मचारियों ने केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, दिल्ली में अवमानना याचिका दायर की। तथापि केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, दिल्ली ने 29 जुलाई, 2002 को यह निर्देश देते हुए अवमानना याचिका का निपटान कर दिया कि कर्मचारी 31 जुलाई, 2002 को ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करें जिसका अनुपालन किया गया है।

(ङ) यूनिटों द्वारा चलाई जा रही कैंटीनों के कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से सरकार ने 14 सितम्बर, 2001 को यूनिटों द्वारा चलाई जा रही कैंटीनों के कर्मचारियों की विस्तृत सेवा शर्तें जारी की हैं।

व्यवसायिक स्थलों पर रसोई गैस सिलेंडरों का दुरुपयोग

3804. श्री कैलाश मेघवाल : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या घरेलू रसोई गैस सिलेंडरों का विभिन्न तेल कंपनियों के डीलरों की सांठ–गांठ से व्यवसायिक स्थलों पर निरंतर प्रयोग हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तेल कंपनियों द्वारा ऐसे कदाचार को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) के डिस्ट्रीब्यूटरों को यह सुनिश्चित करने की सख्त हिदायत दी गई हैं कि घरेलू सिलेंडरों का उपयोग वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए न हो। इसकी रोकथाम करने के लिए क्षेत्र अधिकारी वाणिज्यिक परिसरों का औचक निरीक्षण करने के अतिरिक्त आवधिक रीफिल जांच भी करते हैं। किसी विपथन की स्थिति में डिस्ट्रीब्यूटरों को बाजार अनुशासन दिशानिर्देश (एमडीजी)/एलपीजी नियंत्रण आदेश के अनुसार दंडित किया जाता है।

[अनुवाद]

जम्मू और कश्मीर में रसोई गैस एजेंसियां/पेट्रोल पंप

3805. चौ. तालिब हुसैन : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान जम्मू और कश्मीर में पेट्रोल पंप, मिट्टी तेल डिपो और रसोई गैस एजेंसियां स्वीकृत की गई हैं;

(ख) क्या यह सच है कि किसी भी पेट्रोल पंप अथवा रसोई गैस एजेंसी को अनुसूचित जनजातियों विशेषकर गुर्जर और बकरवाल समुदाय के किसी सदस्य के पक्ष में आवंटित नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1999–2000, 2000–2001 और 2001–2002 के दौरान जम्मू और कश्मीर राज्य में 30 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें, 20 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें और 5 एसकेओ–एलडीओ डीलरशिपें आवंटित की गईं।

(ख) जी, हां।

(ग) पेट्रोलियम उत्पादों की डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के आवंटन में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को 25 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाता है। 25 प्रतिशत आरक्षण इस तरीके से लागू किया जाता है कि इन दो समुदायों को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के अनुपात में उनका हिस्सा मिले। जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए आरक्षण रोस्टर मे अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई प्वाइंट आरक्षित नहीं हैं।

राज्य विद्युत बोर्डों पर बकाया धनराशि

3806. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को राज्य विद्युत बोर्डों और विद्युत इकाइयों से भारी बकाया धनराशि की वसूली करनी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र पर रेलवे का करोड़ों रुपया बकाया है;

(घ) यदि हां, तो बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र पर कितनी धनराशि बकाया है और यह धनराशि कब से बकाया है; और

(ङ) उक्त धनराशि की वसूली हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य बिजली बोर्डों, बिजलीघरों और अन्य केन्द्रीय जनोपयोगी सेवाओं के संबंध में बकाया धनराशि का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। बकाया राशि के उच्च स्तर का मुख्य कारण यह है कि कुछ राज्य बिजली बोर्डों/बिजलीघरों द्वारा बकाया धनराशि की निकासी उनके प्रति अभिवृद्धि से अत्यधिक हुई।

(ग) जी, हां।

(घ) बदरपुर ताप बिजली स्टेशन पर मई, 2002 के अन्त तक 972.22 करोड़ रुपए की राशि बकाया है। ये बकाया 1992 से इकट्ठा होना शुरू हुआ। विवरण में दर्शाए गए उक्त बकाया पहले ही भुगतान के लिए शेष है।

(ङ) राज्य बिजली बोर्डों/बिजलीघरों से राशि की वसूली के लिए उठाए गए कदम इस प्रकार हैं-

(i) बदरपुर ताप बिजली स्टेशन सहित राज्य बिजली बोर्डों/बिजलीघरों से बकाया धनराशि की वसूली के मामले को ऊर्जा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ किया जाता है।

(ii) 31.12.1996 की स्थिति के अनुसार राज्य बिजली बोर्डों/बिजलीघरों से बकाया धनराशि का भी समायोजन, वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित सीमाओं के अनुसार राज्य सरकारों की केन्द्रीय योजना सहायता से किया जा रहा है।

(iii) जहां कहीं व्यावहारिक है, रेलों को राज्य बिजली बोर्डों/बिजलीघरों से बकाया धनराशि को कर्षण बिलों के प्रति समायोजित किया जा रहा है।

(iv) ऊर्जा मंत्रालय ने भी बदरपुर ताप बिजली स्टेशन को स्पष्ट निर्देश दिए हैं ताकि रेलों को मौजूदा मालभाड़ा धनराशि का पूर्ण भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।

विवरण

31.5.2002 को स्थिति निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपए में)

राज्य बिजली बोर्ड/बिजली घरों के नाम	31.5.2002 को बकाया धनराशि
1	2
1. आंध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	1.88
2. असम राज्य बिजली बोर्ड	0.18
3. बिहार राज्य बिजली बोर्ड	0.55
4. दिल्ली विद्युत बोर्ड	166.23
5. गुजरात राज्य बिजली बोर्ड	3.83
6. हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड	3.23
7. कर्नाटक राज्य बिजली बोर्ड	0.46
8. महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड	14.96
9. मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	14.64
10. पंजाब राज्य बिजली बोर्ड	392.82

1	2
11. राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड	111.83
12. तमिलनाडु राज्य बिजली बोर्ड	0.88
13. उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	39.70
14. पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड	29.72
15. बदरपुर ताप बिजली स्टेशन	972.22
16. राष्ट्रीय ताप बिजली निगम	69.93
17. दामोदर वैली निगम	7.23
18. निजी ऊर्जा घर साबरमती	0.51
कुल	1830.80

[हिन्दी]

रसोई गैस एजेंसियों और पेट्रोल पंपों के आवंटन हेतु कोटा

3807. श्री अशोक अर्गल : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रसोई गैस एजेंसियों और पेट्रोल पंपों के संबंध में विवेकाधीन कोटे पर लगे प्रतिबंध को वापस ले लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो यह विवेकाधीन कोटा किन-किन श्रेणियों पर लागू होता है;

(ग) क्या सामाजिक कार्यकर्ताओं और बेरोजगार स्नातकोत्तर व्यक्तियों को भी इस विवेकाधीन कोटे में शामिल किया गया है;

(घ) विवेकाधीन कोटे के अंतर्गत अब तक कितने पेट्रोल पंपों और रसोई गैस एजेंसियों का आवंटन किया गया है; और

(ङ) उक्त आवंटन किस श्रेणी के अंतर्गत किया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) सरकार ने विशुद्ध अनुकंपा आधारों पर आवंटन हेतु खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों/एलपीजी डिस्ट्री-ब्यूटरशिपों/एसकेओ-एलडीओ डीलरशिपों के विवेकाधीन कोटे को निम्नलिखित दो श्रेणियों के पात्र व्यक्तियों के लिए बहाल किया है--

(1) रक्षा/अर्धसैनिक/पुलिस के ऐसे कार्मिकों के आश्रित जो अपने कार्य के निष्पादन के दौरान कार्रवाई में मारे गए हों अथवा स्थाई रूप से अपंग हो गए हों और जिनका उपयुक्त रूप से पुनर्वासन न किया गया हो।

(2) केन्द्रीय/राज्य सरकारों के ऐसे कर्मचारियों के आश्रित जो अपने कार्य के निष्पादन के दौरान मारे गए हों अथवा स्थाई रूप से अपंग हो गए हों और जिनका उपयुक्त रूप से पुनर्वासन नहीं हुआ हो।

(घ) और (ङ) विवेकाधीन कोटे के तहत सरकार द्वारा अभी तक कोई आवंटन नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

कावेरी बेसिन में तेल भंडार

3808. श्री के. के. कलिअप्पन : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के इरोड जिले के कावेरी बेसिन में तेल भंडारों का पता लगाने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में तेल भंडारों का पता लगाने हेतु कितनी धनराशि नियत की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, नहीं। क्योंकि तमिलनाडु राज्य में ईरोड जिला रूपांतरित कम्पलैक्स क्षेत्र में पड़ता है जिसे हाइड्रोकार्बनों के लिए संभाव्यतापूर्ण नहीं माना जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक में संयुक्त उद्यम कंपनी के अंतर्गत परियोजनाएं

3809. श्री शशि कुमार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या 'केराइड' कंपनी द्वारा शुरू की गई परियोजना पर कार्य शुरू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी मौजूदा स्थिति क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ग) केराइड के अंतर्गत शुरू की जाने वाली चारों परियोजनाएं पहले से ही स्वीकृत और चालू परियोजनाएं हैं। इन सभी चारों परियोजनाओं का ब्यौरा नीचे लिखे अनुसार है-

(करोड़ रुपयों में)

	अद्यतन प्रत्याशित लागत	2001–02 के अंत तक प्रत्याशित परिव्यय	2002–03 के लिए बजट परिव्यय	स्थिति
हुबली–अंकोला नई लाइन	997.58	14.65	20.00	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। आंशिक दूरी के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी दस्तावेज राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिए गए हैं। 1.8 किमी की दूरी में, जहां भूमि अधिग्रहण अंतर्ग्रस्त नहीं था, मिट्टी संबंधी कार्य पूरा हो गया है। भूमि उपलब्ध हो जाने के बाद शेष खंड में कार्य शुरू किया जाएगा। मिट्टी संबंधी कार्य और छोटे पुलों के लिए निविदाओं पर कार्रवाई हो गई है।
सोलापुर–गदग आमान परिवर्तन	262.05	136.61	20.00	कार्य चरणों में किया जा रहा है। सोलापुर–होटगी (16 किमी) और होटगी से बीजापुर (94 किमी) पूरा हो गया है। बीजापुर से गदग तक शेष खंड पर कार्य प्रगति पर है। इस कार्य को शीघ्र पूरा करने की दृष्टि से केराइड के माध्यम से वित्तपोषण के प्रयास किए जा रहे हैं।
हसन–मंगलौर आमान परिवर्तन	325.93	168.66	45.00	अरसीकेरे–हसन–सकलेशपुर पूरा हो गया है। शेष दूरी में कार्य प्रगति पर है। मंगलौर–कबाकापुत्तूर (40 किमी) 2002–03 में पूरा किए जाने का लक्ष्य है। शीघ्र पूरा करने की दृष्टि से केराइड के माध्यम से वित्तपोषण के प्रयास किए जा रहे हैं।
गुंतकल–होजपेट दोहरीकरण	159.10	25.13	38.35	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। होजपेट और बेल्लारी के बीच मिट्टी और पुल संबंधी कार्यों के लिए निविदाओं पर कार्रवाई हो गई है।

इन परियोजनाओं का पूरा होना परियोजना विकास कंपनी द्वारा संसाधन जुटाए जाने पर निर्भर करेगा।

माफ किया गया घाटा

3810. श्रीमती श्यामा सिंह : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली विद्युत बोर्ड के घाटे को बट्टे खाते में डालने का निर्णय किया है, जैसा कि दिनांक 20 जून, 2000 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्य राज्यों के विद्युत बोर्डों के घाटे को भी माफ कर दिया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (घ) भारत सरकार ने राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा 8 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, नामशः नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी), नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एनएचपीसी), न्यूक्लीयर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसी), नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन (एनएलसी), नॉर्थ इस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (नीपको), दामोदर वैली कारपोरेशन (डीवीसी), पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (पीजीसीआईएल), कोल इंडिया लि. (सीआईएल) एवं इसकी सहायक इकाईयां तथा रेलवे को भुगतान की जाने वाली बकाया राशि के 'एकमुश्त भुगतान' के लिए स्कीम को अनुमोदन दिया है। इस स्कीम की एक विशेषता यह है कि इसके अंतर्गत 30.9.2001 तक के विलम्बित भुगतान पर कुल ब्याज में से 60% ब्याज/अधिभार छोड़ दिया जाएगा। शेष राशि, जिसमें कुल मूलधन और 40% ब्याज/अधिभारी शामिल है, का संबंधित राज्य सरकारों द्वारा जारी 15 वर्ष के लिए 8.5% कर मुक्त बॉण्ड जारी कर प्रतिभूतिकरण किया जाएगा।

यह स्कीम दिल्ली विद्युत बोर्ड समेत सभी राज्य विद्युत बोर्डों के लिए लागू है।

कोकराझार स्थित आकाशवाणी भवन का दयनीय बुनियादी ढांचा

3811. श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को कोकराझार स्थित आकाशवाणी केन्द्र के आवासी भवन की घटिया गुणवत्ता और खराब स्तर वाले दयनीय बुनियादी ढांचे के बारे में जानकारी है जिसका निर्णय केन्द्र सरकार की एक एजेंसी द्वारा किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उक्त भवन के निर्माण कार्य का ब्यौरा क्या है और उस कार्य पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि आकाशवाणी कोकराझार की इमारत का निर्माण कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मानक वि–निर्देशनों के अनुसार किया गया था। इमारत को 1991 में 186.62 लाख रु. की समग्र लागत पर पूरा किया गया था। इमारत का आवश्यक मरम्मत कार्य कर दिया गया है तथा शेष मरम्मत कार्य भी किया जा रहा है।

चलती रेलगाड़ी से यात्री के गिरने के बाद यात्रियों द्वारा रेलगाड़ी वापस ले जाना

3812. श्री रघुराज सिंह शाक्य :
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 10 जुलाई, 2002 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'पैसेन्जर्स फोर्स ट्रेन टू रिवर्स आफ्टर मैन फाल्स आफ' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या मसूरी एक्सप्रेस का अपहरण किया गया था और यात्रियों ने चालक को अपने एक सहयात्री को पुनः लाने हेतु रेलगाड़ी को वापस ले जाने के लिए बाध्य किया था;

(ग) यदि हां, तो क्या रेलगाडी में जंजीर खींचने वाली प्रणाली उस समय काम नहीं कर रही थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है, और

(ङ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) तकनीकी दृष्टिकोण से गाड़ी का अपहरण किया गया था। 9.7.2002 को लगभग 03.45 बजे 4042 डाउन मसूरी एक्सप्रेस के लगभग 160 यात्री सहायक स्टेशन मास्टर मंडी धनौरा के कार्यालय में घुस गए और अपने एक सह–यात्री, जो इस गाड़ी से नीचे गिर गया था, को उठाने के लिए गाड़ी को बगरपुर वापस लौटाने के लिए कहा चूंकि गाड़ी के कर्मीदल ने उनकी मांग का प्रतिरोध किया इसलिए उन्होंने उसे पीटा और गाड़ी वापस ले जाने के लिए जोर डाला। मार्ग ठीक था और धीमी गति पर गाड़ी को वापस ले जाया गया था। प्रश्नगत यात्री को चांदपुर सियाऊ से उठाया गया था। इस संबंध में 17 व्यक्ति पकड़े गए थे और रा.रे.पु. गजरौला द्वारा उनके विरुद्ध अपराध संख्या कुछ नहीं/2002 के अनुसार रेलवे अधिनिमय की धारा 145, 146, 153 और 174, भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 332, 504, 427 और आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया गया था। जहां तक खतरे की जंजीर प्रणाली का संबंध है यह सूचित किया जाता है कि इसकी हापुड़ में जांच की गई थी और इसे चालू हालत में पाया गया था। ऐसी घटनाओं के बारे में पुलिस अधिकारियों को सूचित करने के लिए स्टेशन के प्रभारी रेलवे कर्मचारियों के पास पहले से अनुदेश है।

गोल्फ कोर्स का विकास

3813. श्री रघुनाथ झा :
श्री चन्द्र विजय सिंह :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायु सेना मुख्यालय ने विनियमों का उल्लंघन कर वायु सेना भंडार पार्क (एयर स्टोर्स पार्क) के विस्फोटक क्षेत्र के अंदर गोल्फ कोर्स का निर्माण किया है और विस्फोटक क्षेत्रों की संरक्षा हेतु 47.98 लाख रुपये खर्च किए हैं जैसा कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा वर्ष 2002 (वायु सेना और नौसेना) की रिपोर्ट सं. 8 के पैरा 7 में पृष्ठ सं. 9 पर उल्लेख किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या मामले की जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा संरक्षा संबंधी मानदंडो के विरुद्ध पार्क के विस्फोटक क्षेत्र के अंतर्गत गोल्फ कोर्स के निर्माण करने हेतु दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई करने का विचार है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं। तथापि, वायुसेना ने एक परित्यक्त हवाई पट्टी पर एक खेल–कूद परिसर तैयार किया है जिसमें गोल्फ के लिए भी सुविधाएं शामिल हैं।

(ख) से (घ) चूंकि किन्हीं नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है इसलिए जांच तथा अनुवर्ती कार्रवाई किए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दूरदर्शन पर मौसम समाचार को रोककर व्यक्तिगत समाचार का प्रसारण

3814. श्री सुन्दर लाल तिवारी :
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 25 जून, 2002 के 'राष्ट्रीय सहारा' में 'मौसम समाचार रोक अपने भाई के रेस्टोरेंट की स्टोरी दिखा दी' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) दूरदर्शन पर समाचारपत्रों की मुख्य समाचार मदों के प्रसारण के लिए क्या मार्गनिर्देश निर्धारित किए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दूरदर्शन के कार्यक्रम संबंधी मामले प्रसार भारती के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आते हैं जो एक स्वायत्तशासी सांविधिक निगम है। सरकार ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती है। प्रसार भारती ने सूचित किया है कि उपरोक्त कहानी को समाचार एजेंसी के माध्यम से प्राप्त किया गया था और इसे दूरदर्शन न्यूज, द्वारा प्रसारित करने से पहले अन्य टीवी चैनल द्वारा कवर कर लिया गया था। प्रसार भारती ने आगे सूचित किया है कि अत्यधिक समाचार होने के कारण 23 जून, 2002 को मौसम संबंधी बुलेटिन को प्रसारित नहीं किया जा सका। मौसम संबंधी बुलेटिन को आमतौर पर समाचार बुलेटिन में शामिल किया जाता है लेकिन कभी-कभी समाचारों और समय की बाध्यता के कारण इसको छोड़ दिया जाता है। न्यूज बुलेटिनों की पर्यवेक्षक अधिकारी द्वारा मॉनीटरिंग की जाती है।

(घ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन पर समाचारपत्रों की मुख्य समाचार मदों को दिखाने के लिए कोई विशेष दिशा-निर्देश नहीं है। विभिन्न क्षेत्रीय समाचारपत्रों की मुख पृष्ठ की सुर्खियों को प्रतिदिन प्रातःकालीन बुलेटिनों में समय की उपलब्धता के अधीन शामिल किया जाता है।

अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस में कुर्सीयान की सुविधा

3815. श्री रामदास आठवले : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस (नई दिल्ली-मुंबई) में कुर्सीयान की सुविधा पहले उपलब्ध थी;

(ख) क्या यह सुविधा समाप्त कर दी गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को उक्त रेलगाड़ी में यह सुविधा पुनः बहाल करने हेतु अनुरोध/प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में की गई कार्रवाई/की जाने वाली कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) रात-भर की यात्रा और यात्रा की लंबी अवधि के मद्देनजर, वातानुकूलित कुर्सीयान के डिब्बों में यात्रियों से असुविधा संबंधी बार-बार शिकायतें प्राप्त हुई थीं। रेलवे ने वातानुकूल 3 टीयर डिब्बों का उत्पादन शुरू किया था जिनमें लगभग शायिकाओं की उतनी संख्या मौजूद थी जितनी संख्या कुर्सीयान में सीटों की होती है, जिससे यात्रा करने वाले व्यक्तियों को बेहतर आराम मिलता है।

(घ) से (च) श्री रामदास आठवले, संसद सदस्य और डा. ए. के. पटेल, संसद सदस्य सहित कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इनकी जांच की गई है और न तो व्यावहारिक पाया गया और न ही वांछनीय और फिलहाल 2953/2954 नई दिल्ली-मुंबई अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस में कुर्सीयान सुविधा पुनः चालू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

आवेदन शुल्क के लेखा-जोखा हेतु निर्देश

3816. श्री चन्द्र विजय सिंह : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या रेलवे बोर्ड के आर पी एफ/आर पी एस एफ में भर्ती हेतु आवेदन शुल्क के लेखा-जोखा के लिए दिशा-निर्देश जारी करने में असफल रहने के फलस्वरूप 2.34 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसकी पुनरावृत्ति रोकने हेतु क्या कदम उठाने की योजना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ग) जी, नहीं। रेल सुरक्षाबल/रेल सुरक्षा विशेष बल की भर्ती के लिए आवेदन शुल्क के उचित लेखे-जोखे के लिए पहले से ही पर्याप्त अनुदेश विद्यमान थे। इस प्रक्रिया को और सुचारु बनाया गया है और मई, 2001 में नए निर्देश जारी किए गए हैं।

आंध्र प्रदेश सरकार का अनुरोध

3817. श्रीमती रेणूका चौधरी : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से पावर फाइनेंस कारपोरेशन को इस धनराशि के भुगतान के लिए अपरिवर्तनीय अनुमोदन जारी करने के लिए अनुरोध किया है जिनका उन्होंने अपने मासिक भुगतान में 'एपगेनको' की चूक की वजह से सीएमईसी को भुगतान किया है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस अनुरोध पर क्या कार्रवाई की गई है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) वित्त मंत्रालय/भारत सरकार तथा आंध्र प्रदेश सरकार के मध्य 17.2002 को हुए समझौते में यह प्रावधान है कि आंध्र प्रदेश जेनरेशन कम्पनी द्वारा अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा न कर पाने की स्थिति में उनके द्वारा किए गए आस्थागित भुगतान की गारंटी के अनुसार पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी) द्वारा सीएमईसी को पिछला भुगतान किया जाता है तो वित्त मंत्रालय ऐसे दोषपूर्ण भुगतान की भरपाई पीएफसी द्वारा मांग किए जाने पर कर सकेगा जिनका भुगतान (ब्याज और किस्त सहित) पीएफसी द्वारा केन्द्र सरकार की धनराशि से राज्यों को सामान्य केन्द्रीय सहायता में से किया गया है, बशर्ते कि किसी माह विशेष में भुगतान की राशि 50 करोड़ रुपये की निर्धारित राशि सीमा से अधिक न हो।

जनसंचार माध्यमों की असफलता

3818. श्री सुबोध मोहिते : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकारी जनसंचार प्रतिष्ठान सरकार विरोधी दुष्प्रचार का मुकाबला करने में असफल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न माध्यम एककों के जरिए सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की नीतियों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों से संबंधित सूचना का प्रसार-प्रचार करता है। इन एककों का उद्देश्य सरकार द्वारा शुरू की गई कल्याण स्कीम और कार्यक्रमों के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना है। जिससे कि उन्हें विकास प्रक्रिया में शामिल किया जा सके। इसे ध्यान में रखकर विभिन्न सामाजिक विषयों पर समय-समय पर विशेष अभियान चलाए जाते हैं। क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय और गीत और नाटक प्रभाग जैसे अन्तर वैयक्तिक बुनियादी स्तर पर कार्य करते हैं। वे लोगों के साथ मिलकर कार्य करते हैं और ऐसी गलत जानकारी को सुधारते हैं जो उनके पास प्रचार अभियान के विषयों/मुद्दों के बारे में हो सकती है।

जहां तक इलेक्ट्रानिक मीडिया का संबंध है लोक प्रसारक प्रसार भारती एक स्वायत्त शासी निगम है।

निजी पत्तनों को रेल से जोड़ना

3819. श्री पी. एस. गढ़वी : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का विचार निजी पत्तनों को रेल से जोड़ने के कार्य को प्राथमिकता देने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) रेल लाइनों से जोड़े जाने वाले निजी पत्तनों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) रेल मंत्रालय का प्रमुख निजी पत्तनों सहित सभी प्रमुख पत्तनों के लिए रेल संपर्कों को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है।

(ख) से (ङ) पीपावाव पत्तन के मामले में, पीपावाव रेल निगम लिमिटेड नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी बनाई गई है जिसमें रेल मंत्रालय और गुजरात पीपावाव पोर्ट लिमिटेड के बीच समान इक्विटी भागीदारी है। इस कंपनी को सुरेन्द्रनगर-पीपावाव बड़ी लाइन संपर्क परियोजना का कार्य निष्पादित करना है। 270 किमी. लम्बी इस लाइन की लागत नवीनतम अनुमान के अनुसार 373 करोड़ रु. आने की आशा

है जिसमें निर्माण के दौरान ब्याज, आकस्मिक और चालू किए जाने से पहले के खर्च शामिल हैं।

मुंदरा पत्तन के मामले में आदीपुर से मुंदरा के बीच समग्र 54 किमी. लाइन का गुजरात अदानी पत्तन लि. द्वारा अपनी लागत पर पहले ही निर्माण किया जा चुका है और यह लाइन पहले ही परिचालन में है।

रेलवे द्वारा राज्य सरकारों से मांगा गया निवेश

3820. श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने हाल ही में यात्रियों के लिए बुनियादी ढांचे और सुविधाओं में व्यापक सुधार हेतु राज्य सरकारों से रेलवे में निवेश करने को कहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य सरकारों से क्या प्रक्रिया प्राप्त हुई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) रेल मंत्रालय ने कुछ नीति–निर्देश बनाए हैं जिसका उद्देश्य राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों तथा अन्य परियोजनाओं के, लाभार्थियों जैसे पत्तनों, उद्योगों आदि को रेल अवसंरचना के सृजन तथा उसे शीघ्र पूरा करने में शामिल करना है। ये दिशा–निर्देश सभी राज्य सरकारों को संसूचित कर दिए गए हैं।

उपरोक्त निर्देश प्रेषित करने के बाद झारखंड तथा कर्नाटक राज्य सरकारें लागत में भागीदारी के आधार पर कतिपय परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्रोत्साहित हुई हैं। गुजरात सरकार ने भी एस पी पी (विशेष प्रयोजन योजना) के माध्यम से रेल परियोजनाओं के कार्यान्वयन में रुचि दिखाई है।

रक्षा भूमि का अतिक्रमण

3821. श्री कमलनाथ : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली छावनी परिषद की रक्षा भूमि पर कब्जा जमाए झुग्गी–झोपड़ी निवासियों को वर्ष 1993 से 1995 के दौरान हटा दिया गया था और उनका दिल्ली में कुछ वैकल्पिक स्थानों पर पुनर्वास किया गया था;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों में झुग्गी–झोपड़ी के निवासियों के पुनर्वास हेतु सरकार की क्या नीति है; और

(ग) क्या इसकी लागत केन्द्र सरकार वहन करती है अथवा राज्य सरकार की भी इसमें हिस्सेदारी होती है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) वर्ष 1993–95 के दौरान दिल्ली छावनी में रक्षा स्वामित्व वाली भूमि से 115 झुग्गी–झोपड़ी निवासियों को हटाया गया था और हटाए गए 115 व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए सहायता के रूप में दिल्ली नगर निगम को 33.35 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया गया था।

यद्यपि मलिन बस्तियों में रहने वालों के पुनर्वास के लिए रक्षा मंत्रालय की कोई नीति नहीं है, तथापि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार द्वारा 1990 में विकसित की गई योजना के अनुसार झुग्गी–झोपड़ी निवासियों को हटाए जाने की कार्रवाई से पहले उनके पुनर्वास का प्रश्न सर्वप्रथम दिल्ली नगर निगम से परामर्श करके सुलझाया जाना है। रक्षा मंत्रालय द्वारा उपर्युक्त नीति का अनुसरण एक बार 1993–95 के दौरान किया गया था जैसा कि ऊपर उल्लिखित है।

31.1.1990 से पूर्व विद्यमान झुग्गी–झोपड़ियों के लिए पुनर्वास की लागत की हिस्सेदारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार द्वारा 1990 में विकसित की गई नीति में किए गए फंडिंग पैटर्न के अनुसार की जानी अपेक्षित है।

[हिन्दी]

अहमदाबाद और वडोदरा के बीच रेल टेल योजना

3822. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल टेल कार्पोरेशन और कंटेनर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अहमदाबाद–वडोदरा के बीच विविध सुविधाएं प्रदान करने हेतु एक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेल टेल कार्पोरेशन के मंत्रालय के साथ एवं समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद इरकॉन इंटरनेशनल

और इंडियन रेलवे फाइनेंस कार्पोरेशन से संपर्क करने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो किस प्रकार की भागीदारी की मांग की गई है; और

(ङ) रेल टेल कार्पोरेशन द्वारा अपनी योजना को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) जी, नहीं। बहरहाल रेलटेल कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (आर सी आई एल) रेल पटरी के साथ-साथ आप्टिकल फाइबर केबल (ओ एफ सी) बिछाकर एक देशव्यापी ब्राड बैंड टेलीकॉम और मल्टीमीडिया नेटवर्क का सृजन करेगा और आधुनिक दूरसंचार प्रणाली मुहैया कराएगा। प्रस्तावित नेटवर्क में अहमदाबाद वडोदरा खंड भी शामिल है।

(ग) और (घ) जी, हां। रेलों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अर्थात् भारतीय रेल वित्त निगम (गा रे वि नि), इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) और कंटेनर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (कॉनकोर) को आर सी आई एल में क्रमशः 100 करोड़ रुपए, 25 करोड़ रुपए और 25 करोड़ रुपए तक की इक्विटी भागीदारी के निर्देश दिए गए हैं।

(ङ) अहमदाबाद-वडोदरा खंड पर फाइबर आप्टिकल फाइबर लिंक का कार्य पहले ही पूरा हो गया है रेलटेल के शेष नेटवर्क पर कार्य प्रगति पर है और 4 महानगर अर्थात् दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता व 4 छोटे महानगर अर्थात् अहमदाबाद, पुणे, सिकन्दराबाद और बेंगलूरू को जोड़ने वाले नेटवर्क के भाग का कार्य 2002-2003 के दौरान पूरा होने की संभावना है।

[अनुवाद]

यात्रा के दौरान खाली सीटों को भरने हेतु रेलवे की नीति

3823. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या रेलवे ने खाली सीटों को भरने हेतु विमान कंपनियों और अन्य परिवहन प्रणालियों द्वारा अपनाई गई विभिन्न नयी विपणन रणनीतियों को अपनाया है;

(ख) यदि हां, तो रेलवे द्वारा यात्रा के दौरान मध्यम दूरी की यात्रा में खाली सीटों को भरने हेतु नीति तैयार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या मध्यम वर्ग के यात्रियों के सामने टिकट खरीदने में आ रही कठिनाई भी उनके द्वारा पर्यटक बसों और सड़क परिवहन की अन्य प्रणालियों को अपनाने का एक मुख्य कारण है;

(घ) यदि हां, तो रेलवे द्वारा टिकट खरीदने को किस तरह आसान बनाने का विचार है; और

(ङ) रेलवे का प्रयोग करने के लिए यात्रियों को आकर्षित करने में इस नीति को तैयार करने में क्या बाधाएं हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) खाली सीटों को भरने और आम जनता के लिए टिकटों की खरीद आसान बनाने के लिए रेलों द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं

(i) खाली अवधि के दौरान खाली सीटों को भरने के लिए, रेलों द्वारा गाड़ी में स्थान की उपलब्धता का ब्यौरा दर्शाते हुए अखबार, वेब साइट आदि में प्रकाशित किया जाता है।

(ii) आरक्षित टिकटें प्राप्त करने के लिए 31.7.2002 तक 750 स्थानों पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली (सीआरएस) खोली गई है जहां से यात्री पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किसी भी गाड़ी में किसी भी श्रेणी में सीट/बर्थ बुक करवा सकते हैं।

(iii) अनारक्षित टिकटों की खरीद के लिए लगभग 300 स्थानों पर लगभग 1400 स्वयं मुद्रण टिकट मशीनों (एसपीटीएम) की व्यवस्था कर दी गई है।

(iv) अतिरिक्त भीड को संभालने के लिए जहां कहीं आवश्यकता और व्यावहारिक होता है अतिरिक्त काउंटर खोले जाते हैं।

(v) विभिन्न स्थानों पर सिटी बुकिंग एजेंसियों और आउट एजेंसियां भी खोली गई हैं।

(vi) उन यात्रियों की सुविधा के लिए जो टिकट खरीदने के लिए आरक्षण कार्यालय जाना नहीं चाहते हैं, समग्र देश में लगभग 700 रेल यात्री सेवा एजेंट (आरटीएसए) नियुक्त किए गए हैं जो उनसे निर्धारित सेवा प्रभार वसूलने के बाद साधारण यात्री की तरह लाइन में खड़े होकर यात्रियों की ओर से टिकट खरीदने के लिए अधिकृत हैं।

(vii) दिल्ली क्षेत्र में इंटरनेट के जरिए आरक्षित टिकटों को जारी करना आरंभ कर दिया गया है।

खरीदी गई भूमि

3824. श्री पी. डी. एलानगोवन : क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय से संबंधित परियोजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु भूमि खरीदी है अथवा खरीदने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) खरीदी गई अथवा खरीदी जाने वाली भूमि का क्षेत्र कितना है और इस मद में कितना व्यय हुआ/होने की संभावना है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) से (ग) इस मंत्रालय ने अपारंपरिक ऊर्जा परियोजनाओं के निष्पादन के लिए कोई भूमि नहीं खरीदी है। मंत्रालय के अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों को राज्य सरकार नोडल एजेंसियों, निजी एवं सार्वजनिक उद्यमों, संस्थाओं, गैर-सरकारी संगठनों आदि के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है जो देश में अपारंपरिक ऊर्जा परियोजनाओं के निष्पादन के लिए, जरूरत होने पर, सीधे ही भूमि खरीदते हैं।

सड़क ओवरब्रिज/सड़क अंडरब्रिज का निर्माण

3825. श्री भान सिंह भौरा :

श्री कांतिलाल भूरिया :

श्री के. मुरलीधरन :

श्री राजो सिंह :

श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

श्री चन्द्रनाथ सिंह :

श्रीमती सुशीला सरोज :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्ष के दौरान सड़क ओवरब्रिज/अंडरब्रिज के निर्माण हेतु विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों का जोनवार/राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाही की गई है;

(ग) देश में नई/चालू एवं लंबित सड़क ओवरब्रिज/सड़क अंडरब्रिज परियोजनाओं का जोनवार/राज्यवार ब्यौरा क्या है और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) अब तक इन सभी परियोजनाओं के संबंध में जोनवार कितनी धनराशि संस्वीकृत की गई है और इस पर कितना व्यय हुआ; और

(ङ) इनको पूरा करने के संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (घ) रेलवे लागत में भागीदारी के आधार पर या निक्षेप शर्तों पर, जिसके प्रस्ताव मौजूदा नियमों के अंतर्गत अपेक्षित कतिपय प्रारंभिक पूर्वापेक्षाओं को विधिवत पूरा करते हुए राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित किए जाते हैं, वर्तमान रामपारों के स्थान पर ऊपरी सड़क पुलों/निचले सड़क पुलों का निर्माण करती हैं। एक लाख या इससे अधिक गाड़ी वाहन इकाई (गाड़ी वाहन इकाई--24 घंटों में समपार से गुजरने वाली गाड़ियों की संख्या को सड़क वाहनों की संख्या से गुणा करके प्राप्त होने वाली इकाई) यातायात घनत्व वाले रामपारों पर लागत में भागीदारी के आधार पर ऊपरी सड़क पुलों/निचले सड़क पुलों द्वारा बदलाव पर विचार किया जाता है जबकि अपेक्षाकृत कम यातायात घनत्व वाले समपारों का बदलाव निक्षेप शर्तों अर्थात् प्रायोजक प्राधिकरण की लागत पर किया जाता है। इस समय भारतीय रेल के पास 343 अदद लागत में भागीदारी वाले निर्माण कार्य हैं जो विनियोजन और निष्पादन के विभिन्न

चरणों में हैं। स्वीकृत राशि और व्यय संबंधी ब्यौरा रेलवार रखा जाता है और राज्यवार नहीं। पिछले तीन वर्षों में स्वीकृत कार्यों और खर्च की गई राशि का रेलवार ब्यौरा संलग्न विवरण–I के रूप में और ऊपरी सड़क पुलों/निचले सड़क पुलों की राज्यवार स्थिति विवरण–II के रूप में दी गई है। निर्माण कार्यक्रम 2002–2003 के समय राज्य सरकारों का कोई ठोस प्रस्ताव स्वीकृति हेतु लंबित नहीं था।

(ङ) ऊपरी सड़क पुलों/निचले सड़क पुलों का निर्माण रेलवे और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। रेलवे पुल खास (रेलपथ के ऊपर वाले हिस्से) का और राज्य सरकार पहुंच मार्गों का निर्माण करती है। राज्य सरकार द्वारा पहुंच मार्गों का निर्माण पूरा किए जाने से पहले या इसके साथ–साथ रेलवे द्वारा अपने हिस्से का कार्य पूरा कर लिया जाएगा।

विवरण-I

क्र.सं.	रेलवे	ऊपरी सड़क पुलों/निचले सड़क पुलों के प्रस्तावों की संख्या प्राप्त/स्वीकृत			चालू कार्यों की कुल संख्या	धन आवंटन (हजार में)			किया गया खर्च (हजार में)		
		2000–01	2001–02	2002–03		2000–01	2001–02	2002–03	2001–01	2001–02	2000–03 30.6.02 तक
1.	मध्य	2	6	0	22	51991	57527	251055	31608	40400	4800
2.	पूर्व	13	8	14	48	95035	133001	321194	63975	110300	55500
3.	उत्तर	2	1	4	30	85047	242006	358604	71187	196300	17500
4.	पूर्वोत्तर	1	1	0	9	46150	69000	102000	46460	46700	2000
5.	पूर्वोत्तर सीमा	2	0	1	6	1510	40614	68790	0	17000	1200
6.	दक्षिण	68	8	8	127	348879	400000	1032310	105077	197600	32200
7.	दक्षिण मध्य	8	12	11	59	130454	169432	524153	54132	126100	100
8.	दक्षिण पूर्व	6	7	10	28	66602	73750	329053	30283	71700	5400
9.	पश्चिम	3	0	0	14	90000	103943	262841	76018	49500	9700
	जोड़	105	42	48	343	915668	1289273	3250000	478740	855600	128400

विवरण-II

क्र.सं.	राज्य	तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत किए गए कार्य			लागत में भागीदारी के आधार पर चालू कार्यों की कुल संख्या
		2000–01	2001–02	2002–03	
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	8	13	15	54

1	2	3	4	5	6
2.	असम	–	–	1	5
3.	बिहार	1	–	2	11
4.	दिल्ली	1	–	–	1
5.	गुजरात	–	–	–	2
6.	झारखंड	–	–	16	20
7.	हरियाणा	–	–	–	3
8.	कर्नाटक	29	–	8	44
9.	करेल	15	8	–	49
10.	मध्य प्रदेश	–	2	–	10
11.	महाराष्ट्र	2	4	–	19
12.	उड़ीसा	2	–	–	4
13.	पंजाब	–	5	1	12
14.	राजस्थान	2	2	–	5
15.	तमिलनाडु	24	–	–	40
16.	उत्तर प्रदेश	2	–	3	21
17.	पश्चिम बंगाल	19	8	2	43
	जोड़	105	42	48	343

विद्युत की मांग एवं आपूर्ति

3826. श्री टी. गोविन्दन : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन उन राज्यों में विद्युत की आवश्यक मात्रा को उपलब्ध कराने की स्थिति में है जहां वर्तमान में नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य में राज्यवार और वर्ष–वार कितना विद्युत उपलब्ध कराया गया; और

(ग) विद्युत की मांग और आपूर्ति कितनी है और इसका प्रति इकाई शुल्क कितना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) अपने विद्युत केन्द्रों से राज्यों को विद्युत मंत्रालय द्वारा किए गए आवंटन के अनुसार विद्युत देता है।

गत तीन वर्षों के दौरान एनटीपीसी विद्युत केन्द्रों से प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र/राज्य विद्युत बोर्ड को आवंटित/आपूर्त विद्युत के संबंध में ब्यौरे संलग्न विवरण–I में दिए गए हैं।

गत तीन वर्षों में विभिन्न एनटीपीसी केन्द्रों से आपूर्त ऊर्जा की लागत संलग्न विवरण–II में दी गई है।

विवरण-I

विभिन्न क्षेत्रों में एनटीपीसी पावर स्टेशनों से लाभार्थी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों/रा.वि.बो. को कुल विद्युत आवंटन/आपूर्ति

(मे.वा. में)

क्षेत्र/रा.वि.बो.	31.3.2000 के अनुसार	31.3.2001 के अनुसार	31.3.2002 के अनुसार
1	2	3	4
(क) उत्तरी			
उत्तर प्रदेश एसईबी	2339	2779	2531
उत्तरांचल एसईबी	–	–	257
राजस्थान एसईबी	670	670	674
दिल्ली इलेक्ट्रिक सप्लाई अंडरटेकिंग	1281	1281	1284
पंजाब एसईबी	665	685	670
हरियाणा एसईबी	401	833	835
हिमाचल प्रदेश एसईबी	115	115	116
जम्मू और कश्मीर	241	241	243
केन्द्र शासित क्षेत्र चंडीगढ़	30	30	30
(ख) पश्चिमी			
मध्य प्रदेश एसईबी	1521	1521	1046
महाराष्ट्र एसईबी	1725	1725	1725
गुजरात एसईबी	1247	1247	1247
गोवा	291	291	291
दादरा और नगर हवेली	13	13	13
दमन और दीव	12	12	12
छत्तीसगढ़ एसईबी	–	–	475
(ग) दक्षिणी			
आंध्र प्रदेश एसईबी	1005	1005	2005
कर्नाटक एसईबी	741	741	741
तमिलनाडु एसईबी	1011	1011	1011
केरल एसईबी	875	875	885
गोवा	100	100	100
पांडिचेरी	108	108	108
(घ) पूर्वी			
पश्चिम बंगाल एसईबी	710	710	530
बिहार एसईबी	899	899	700
उड़ीसा एसईबी	1092	1092	1092
दामोदर वेली कारपोरेशन	263	263	160
सिक्किम	58	58	15
झारखंड एसईबी	–	–	100

एसईबी–राज्य विद्युत बोर्ड

विवरण-II

स्टेशन	पैसे/कि.वा./घंटा (1999–2000)	पैसे/कि.वा./घंटा (2000–2001)	पैसे/कि.वा./घंटा (2001–2002) (अनंतिम)
1	2	3	4
सिंगरोली	92.3	96.61	97.36
कोरबा	72.39	68.95	74.72
रामागुंडम	134.72	121.84	123.44

1	2	3	4
फरक्का	184.55	172.15	180.56
विन्ध्याचल	114.28	129.73	138.98
रिहंद	147.71	141.11	142.39
उच्चहार	186.36	194.77	206.64
दादरी थर्मल	216.74	216.83	228.61
कहलगांव	191.37	192.44	229.06
तालचेर एटीपीएस	161.65	172.34	166.62
तालचेर टीपीएस	128.49	132.41	138.14
टांडा टीपीएस	832.26	463.93	229.89
अन्ता	136.84	132.82	137.1
औरैय्या	160.6	174.15	166.95
दादरी गैस	151.86	183.14	199.72
कवास	237.48	310.22	340.11
झानौर गंधार	323.74	333.95	285.76
कायमकुलम	250.4	505.82	411.5
फरीदाबाद	344.3	220.95	202.05

एसटीपीएस–सुपर थर्मल पावर स्टेशन

टीपीएस–थर्मल पावर स्टेशन

त्रिपुरा एवं बंगलादेश के बीच रेल संपर्क

3827. श्री खगेन दास : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा एवं बंगलादेश के **बीच** रेल संपर्क आरंभ करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त रेल संपर्क से बंगलादेश के माध्यम से पूर्वोत्तर राज्यों को पारगमन अधिकार मिल सकेगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, हां।

(ख) अगरतला (भारत) और अकौरा (बंगलादेश) के बीच रेल संपर्क स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव विचाराधीन है। भारतीय रेल ने भारत की ओर सर्वेक्षण पूरा कर लिया है जबकि बंगलादेश की ओर से कोई प्रगति नहीं है और अभी भी स्थिति यथावत बनी हुई है।

(ग) से (ङ) बंगलादेश के पार त्रिपुरा तक जाने के लिए भारतीय रेल यातायात के लिए पारवहन सुविधाएं दो देशों के बीच कुछ समय से विचाराधीन रही हैं। बहरहाल, बंगलादेश भारत को पारवहन सुविधाएं मुहैया कराने के लिए अभी सहमत नहीं हुआ है।

तटरक्षक केन्द्र

3828. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास अतिरिक्त संख्या में तटरक्षक केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित तटरक्षक केन्द्रों की संख्या कितनी है; और

(ग) इस हेतु किन स्थानों का चयन किया गया है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) 13 नए तटरक्षक स्टेशनों की चरणबद्ध रूप से स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) चयन किए गए संभावित स्थान इस प्रकार हैं :

पश्चिम तट–जखाऊ, वाडीनार, जाफराबाद, रत्नागिरि, भटकल या माल्पे, बेयपुर, विझिंजम तथा लक्षद्वीप में कावारत्ती।

पूर्व तट–काकीनाडा, नागापट्टिनम या पांडिचेरी तथा गोपालपुर।

अडंमान एवं निकोबार–हटबे तथा कामोर्ता।

[हिन्दी]

आयुध डिपो, जबलपुर में सरकारी आवास

3829. श्रीमती जयश्री बैनर्जी : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयुध डिपो, जबलपुर (मध्य प्रदेश) में उपलब्ध सरकारी आवासों की संख्या कितनी है;

(ख) असुरक्षित घोषित किए गए आवासों की संख्या कितनी है;

(ग) निर्मित किए जा रहे नए आवासों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या आवश्यकता से अधिक संख्या में आवासों का निर्माण किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) केन्द्रीय आयुध डिपो, जबलपुर में निम्नलिखित संख्या में सरकारी आवास उपलब्ध हैं :

(1) जूनियर कमीशन अधिकारी/अन्य रैंक – 343

(2) सिविलियन कर्मचारियों के लिए – 157

(ख) शून्य।

(ग) शून्य।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) ऊपर (घ) के उत्तर देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

युद्ध में मारे गये सैनिकों की विधवाओं को पेंशन

3830. श्री टी. टी. वी. दिनाकरन :
श्री रघुराज सिंह शाक्य :
श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री सी. के. जाफर शरीफ :
श्री के. पी. सिंह देव :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 जुलाई, 2002 के 'द हिन्दू' में "71 वार विडोज ए डिप्राइव्ड लॉट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 1965 एवं 1971 के युद्धों के कारण विधवा हुई और बाद में पुनर्विवाह करने वाली महिलाओं ने युद्ध में मारे गये सैनिकों की विधवाओं को सामान्यतः मिलने वाले लाभों से उन्हें वंचित करने वाले भेदकारी पेंशन नियमों के कारण उनके मंत्रालय के विरुद्ध याचिका दायर की है;

(घ) क्या असंतुष्ट महिलाओं ने सरकार (रक्षा मंत्रालय) से भी कारगिल युद्ध के पश्चात संशोधित किए गए पेंशन नियमों को उदार बनाने का अनुरोध किय है, जोकि युद्ध के कारण विधवा हुई महिलाओं को पुनर्विवाह करने पर भी पेंशन एवं अन्य रियायत देने की मांग करता है;

(ङ) यदि हां, तो इससे संबंधित ब्यौरा क्या है; और

(च) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) से (च) कुछ याचिकाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें 1.1.1996 से पूर्व युद्ध में मारे गए सशस्त्र सेना कार्मिकों की विधवाओं के संबंध में उदारीकृत विशेष परिवार पेंशन को युक्तिसंगत बनाए जाने का अनुरोध किया गया है। 1965 और 1971 के युद्ध की विधवाओं की मांग 1996 से पूर्व के युद्ध की विधवाओं को पेंशन संबंधी लाभों में दी गई संशोधित समानता से संबंधित है। उनकी मांग यह है कि युद्ध में मारे गए सैनिकों की 1.1.1996 के बाद पुनर्विवाहित विधवाओं को दी गई उदारीकृत परिवार पेंशन और अन्य लाभ 1.1.1996 से पहले पुनर्विवाह करने वाली विधवाओं को भी दिए जाने चाहिए।

युद्ध में मारे गए सैनिकों की पत्नियां मृतक द्वारा मृत्यु के समय आहरित अन्तिम वेतन की दर से उदारीकृत परिवार पेंशन पाने की हकदार हैं। पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में, 1.1.1996 से पूर्व युद्ध में मारे गए सैनिकों

की पत्नियों की उदारीकृत परिवार पेंशन को भी 1.1.1996 से लागू किए गए वेतनमान के न्यूनतम तक संशोधित किया गया है बशर्ते उनकी समेकित उदारीकृत परिवार पेंशन नए वेतनमान के न्यूनतम से अधिक न हो।

1965 और 1971 के युद्धों की विधवाओं, जिन्होंने 1.1.96 से पहले पुनर्विवाह कर लिया था, की मांग यह है कि उन्हें 1.1.1996 के बाद पुनर्विवाह करने वाली विधवाओं को दी गई उदारीकृत परिवार पेंशन के लाभ दिए जाएं। 1.1.96 से पहले लागू आदेशों के अनुसार, युद्ध में मारे गए कार्मिक की विधवा को दी गई उदारीकृत परिवार पेंशन उसके द्वारा मृतक कार्मिक के सगे भाई से पुनर्विवाह करने के मामले को छोड़कर, उसके पुनर्विवाह की तारीख से अगले दिन परिवार पेंशन में परिवर्तित कर दी जाती थी। इस आदेश में संशोधन करके यह प्रावधान किया गया है कि 1.1.96 के बाद पुनर्विवाह करने वाली विधवाएं उदारीकृत परिवार पेंशन लेती रह सकती हैं बशर्ते वे पुनर्विवाह के पश्चात् बच्चों का भरण–पोषण करती रहें। यदि वे पुनर्विवाह के पश्चात बच्चों का भरण–पोषण नहीं करतीं तो उन्हें साधारण परिवार पेंशन अनुमेय है और शेष पेंशन बच्चों को अंतरित कर दी जाती है। संशोधित आदेश 1.1.96 से भविष्यलक्षी प्रभाव से लागू हैं।

इस संबंध में किसी और उदारीकरण पर विचार नहीं किया जा रहा है।

नए न्यायालयों के गठन हेतु अतिरिक्त धन

3831. श्री अशोक ना. मोहोल : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई राज्य सरकारों ने नए न्यायालयों के गठन हेतु अतिरिक्त धन आवंटित करने के लिए केंन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजन हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों को राज्य–वार कितना धन आवंटित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) मामलों को तेजी से निपटने के लिए अतिरिक्त न्यायालयों का गठन करने से संबंधित अनुरोधों की राज्य–वार संख्या कितनी है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति) : (क) से (घ) न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास से संबंधित केन्द्र प्रायोजित एक स्कीम 1993–94 से क्रियान्वित की जा रही है। इस स्कीम में, न्यायालय भवनों और उच्च न्यायालयों तथा जिला/अधीनस्थ न्यायालयों सहित न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय गृहों का संनिमार्ण सम्मिलित है। योजना आयोग द्वारा निधियों का आवंटन, वार्षिक योजना संबंधी विचार–विमर्श के आधार पर किया जाता है। योजना आयोग द्वारा अधिकथित मानदंडों के आधार पर विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को निधियां जारी की जाती हैं। चालू वित्तीय वर्ष से, केन्द्र प्रायोजित स्कीम के अधीन कुटुंब न्यायालयों के संनिर्माण के लिए भी निधियां उपलब्ध कराई जा रही हैं।

नए न्यायालयों के सृजन के लिए राज्य सरकारों से कोई विनिर्दिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, राज्य सरकारों ने राज्य में अतिरिक्त कुटुंब न्यायालयों के गठन के लिए उपांबध में वार्णित रकम के 50 प्रतिशत की मांग की है। जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राज्य का नाम	गठित किए जाने के लिए प्रस्तावित कुटुंब न्यायालयों की संख्या	नए कुटुंब न्यायालयों के गठन के लिए मांगी गई रकम (लाख रुपए में)
आंध्र प्रदेश	23	1229.35
बिहार	38	256.44
कर्नाटक	3	116.50
मध्यप्रदेश	7*	179.83
त्रिपुरा	1	24.88
उत्तरांचल	13**	289.28

*अब तक गठित कुटुंब न्यायालय।

**इसके अंतर्गत पहले से ही गठित 5 कुटुंब न्यायालय भी हैं।

टिप्पणी : राज्यों को आवंटन मानदंडों के अनुसार किया जाएगा।

पेट्रोलियम उत्पादों की खपत से संबंधित नीति

3832. श्री सईदुज्जमा : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास स्पष्ट नीतियों के अभाव के कारण सीएनजी, एलपीजी, डीजल एवं पेट्रोल आदि की खपत में परिहार्य समस्याएं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार जीवाश्म ईंधनों की बिक्री पर जोर दे रही है जोकि किसी भी प्रकार से उतने पर्यावरण अनुकूल नहीं है जितना कि सरकार बता रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) पट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी नामक सभी ईंधन जीवाश्म ईंधन हैं। पर्यावरणीय चिंताओं का समाधान करने के लिए सरकार ने पेट्रोल और डीजल की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए हैं जिनमें अन्य के साथ–साथ पेट्रोल से सीसे को हटाना, पेट्रोल में बेंजीन और सल्फर को कम करना और डीजल में सल्फर में कमी लाना और सीटेन की संख्या में वृद्धि करना है। 10000 करोड़ रुपए की धनराशि पेट्रोल और डीजल के गुणवत्ता सुधार पर व्यय की गई है।

इसके अतिरिक्त सरकार ने आटोमोटिव इस्तेमालों के लिए सीएनजी और एलपीजी के उपयोग की अनुमति दे दी है। वर्तमान में सीएनजी का वितरण उन शहरों में किया जा रहा है जहां प्राकृतिक गैस की पाइप लाइनें हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां प्रदूषित शहरों में आटोमोटिव उपयोग के लिए एलपीजी की आपूर्ति करने के लिए सुविधाएं स्थापित कर रही हैं।

सरकार ने एक उपयुक्त राष्ट्रीय आटो ईंधन नीति पर सरकार को सिफारिशें करने के लिए राष्ट्रीय ख्याति के विशेषज्ञों को शामिल करके वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष डॉ. आर.ए. मशेलकर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। इस समिति की रिपोर्ट शीघ्र मिलने की आशा है।

विद्युत क्षेत्र में सुधार

3833. श्री बसुदेव आचार्य :
श्री टी. एम. सेल्वागनपति :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों की संख्या कितनी है जिन्होंने विद्युत क्षेत्र में सुधारों को पूरा कर लिया है;

(ख) क्या सुधारों को अपनाने के बाद राज्य विद्युत बोर्डों के कार्यनिष्पादन में कोई सुधार आया है; और

(ग) यदि हां, तो सत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) विद्युत क्षेत्र में सुधार कार्य होते रहते हैं। उड़ीसा हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली राज्यों ने विद्युत सुधार संबंधी कानूनों का अधिनियमन करके विद्युत क्षेत्र से संबंधित सुधार कार्य शुरू किया है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ राज्य विद्युत बोर्डों के निगमीकरण, राज्य विद्युत विनियामक आयोगों के गठन आदि का प्रावधान है। इन राज्यों ने अपने विद्युत बोर्डों को नियमित कर दिया है। उड़ीसा और दिल्ली राज्यों ने अपने विद्युत वितरण व्यवस्था का निजीकरण कर दिया है।

उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल के 12 राज्य विद्युत विनियामक आयोगों ने टैरिफ आदेश जारी कर दिए हैं।

जिन राज्यों में रा.वि.वि. आयोग कार्यरत हैं वहां टैरिफ निर्धारण में उपभोक्ताओं की भागीदारी, भार क्षमता के सही वर्गीकरण, पोषण और वितरण हानियों के बेहतर आकलन, यूटिलिटियों के कार्य निष्पादन के मानकों के निर्धारण आदि में पारदर्शिता है। टैरिफ यौक्तिकरण की प्रक्रिया भी शुरू की गयी है। विशेष ध्यान नकद/वित्तीय हानियों में कमी लाने, विद्युत बिलिंग तथा वसूली की दक्षता में वृद्धि करने, उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति के मीटरीकरण तथा विद्युत चोरी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हरियाणा, आंध्र प्रदेश और राजस्थान राज्यों की वित्तीय स्थिति में सुधार दृष्टिगोचर होने लगे हैं।

[हिन्दी]

जम्मू-कश्मीर में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना

3834. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू–कश्मीर में उपक्रमों की संख्या कितनी है और पिछले तीन वर्षों के दौरान इन उपक्रमों द्वारा की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने जम्मू–कश्मीर में उपक्रमों की स्थापना में गहरी रुचि नहीं ली है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा जम्मू–कश्मीर में औद्योगिक विकास हेतु किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभ भाई कथीरिया) : (क) पंजीकृत कार्यालयों की अवस्थिति के अनुसार जम्मू व कश्मीर राज्य में सरकारी क्षेत्र का एक उपक्रम है, जिसका नाम जे एण्ड के मिनरल डेवलपमेण्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड (जे एण्ड के एम डी सी एल) है और जो दिनांक 7.3.2002 को संसद में प्रस्तुत लोक उद्यम सर्वेक्षण, 2002 नामक एक प्रकाशित दस्तावेज के खण्ड–1 में दिए गए विवरण के अनुसार निर्माणाधीन है। जहां तक राज्य सरकार के सरकारी उपक्रमों का प्रश्न है तो इस बारे में जानकारी एक स्थान पर नहीं रखी जाती है।

(ख) से (घ) औद्योगिक क्षेत्र में पूंजीनिवेश को बढ़ावा देने और उसे सुलभ कराने के लिए भारत सरकार ने जम्मू व कश्मीर राज्य के लिए उत्तरी पूर्वी औद्योगिक नीति पैकेज बनाया है। प्रस्तावित पैकेज की मुख्य–मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :

(i) नए औद्योगिक एककों में पूंजी निवेश के लिए तथा पर्याप्त रूप से विस्तारित किए जाने वाले एककों को उत्पाद शुल्क में 100 प्रतिशत छूट।

(ii) पूंजीगत निवेश के लिए पूंजीगत निवेश के 15 प्रतिशत तक अथवा 30 लाख रुपए, जो भी कम हो, की सब्सिडी।

(iii) 3 प्रतिशत तक की कार्यचालन पूंजी निवेश सब्सिडी।

(iv) पूंजीगत निवेश पर 100 प्रतिशत बीमा प्रीमियम।

उपर्युक्त नीति पैकेज को औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग ने 14 जून, 2002 को अधिसूचित कर दिया है।

[अनुवाद]

राजस्थान में विद्युत उत्पादन

3835. श्री ए. नरेन्द्र :
श्री जसवंत सिंह बिश्नोई :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) राजस्थान द्वारा इसके आंतरिक स्रोतों के माध्यम से कितनी बिजली का उत्पादन किया गया और पड़ोसी राज्यों एवं केन्द्रीय ग्रिडों से कुल कितनी बिजली की आपूर्ति की गयी;

(ग) राजस्थान में विद्युत की कुल खपत कितनी है और इसकी कुल खपत की तुलना में इसके अपने विद्युत उत्पादन का प्रतिशत कितना है;

(घ) राज्यों में उच्च दर वसूले जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या राजस्थान के लिए धन के आवंटन में कमी की गयी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) वर्ष 1999–2000 से 2001–02 के दौरान राजस्थान में विद्युत उत्पादन के ब्यौरे इस प्रकार हैं–

विद्युत उत्पादन (मि.यू.)

	1999–2000	2000–01	2001–02
राजस्थान-राज्य			
थर्मल	8184	9860	10714
हाइड्रो	995	376	542
कुल	9179	10236	11256
केन्द्रीय परियोजना			
थर्मल/गैस	3189	2881	3058
न्यूक्लीयर	2202	3578	4674
कुल	14570	16695	18988

(ख) अप्रैल से जून, 2002 के दौरान राजस्थान में इसके अपने संसाधनों और चम्बल–सतपुड़ा काम्प्लेक्स से ली गयी बिजली सहित विद्युत उपलब्धता 2847.3 मिलियन यूनिट थी। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड की आम परियोजना, केन्द्रीय क्षेत्र, एनटीपीसी परियोजना, एनएचपीसी परियोजना और एनपीसी परियोजना से भी 3284.8 मिलियन यूनिट विद्युत राजस्थान को प्राप्त हुई जिसमें पूर्वी और पश्चिमी ग्रिड से ली गयी 23.5 मिलियन यूनिट विद्युत सहायता भी शामिल है।

(ग) राजस्थान राज्य में अप्रैल से जून, 2002 के दौरान कुल विद्युत उपलब्धता 6132 मिलियन यूनिट थी। राज्य के अपने संसाधनों से तथा चम्बल–सतपुड़ा काम्पलेक्स की संयुक्त परियोजना से जुटायी गयी बिजली और कुल विद्युत उपलब्धता का अनुपात प्रतिशतता 46.6 प्रतिशत (2847.2 मि. यू.) थी।

(घ) राजस्थान राज्य ने विद्युत दर का निर्धारण राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश के अनुसार किया है।

(ङ) और (च) योजना आयोग के अनुसार 8वीं योजना के कुछ वर्षों के दौरान राजस्थान सरकार का वित्तीय परिव्यय इस प्रकार रहा–

वित्तीय परिव्यय

(करोड़ रुपए में)

आठवीं योजना	
स्वीकृत	3200.00
वास्तविक	3046.28
नौवीं योजना	
सहमत	4488.89
1997–98	
स्वीकृत	702.24
वास्तविक	1494.43
1998–99	
स्वीकृत	782.23
वास्तविक	792.23
1999–2000	
स्वीकृत	841.94
वास्तविक	763.63
2000–01	
स्वीकृत	993.66
वास्तविक	1016.57
2001–02	
स्वीकृत	1277.56
आरई	1206.50

[हिन्दी]

एक से अधिक संख्या में पेट्रोल पंप/ रसोई गैस एजेंसी का आवंटन

3836. श्री प्रहलाद सिंह पटेल : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रसोई गैस एजेंसी/खुदरा बिक्री केन्द्र धारक व्यक्ति के निकट संबंधी को एक से अधिक संख्या में पेट्रोल/ डीजल खुदरा बिक्री केन्द्र अथवा रसोई गैस एजेंसी डीलरशिप आवंटित करने के संबंध में सरकार की क्या नीति है;

(ख) विभिन्न अभ्यावेदनों के माध्यम से ऐसे कितने मामले प्रकाश में आए हैं;

(ग) क्या उक्त ऐसे मामलों में दोषी डीलरों एवं तेल कंपनियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) वर्तमान नीति के अनुसार किसी व्यक्ति को तब नई डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं दी जाएगी यदि उसके या उसके नीचे उल्लिखित निकटतम संबंधियों (सौतेले संबंधियों सहित) के पास पहले से किसी तेल कंपनी की डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप का आशय–पत्र है

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति (शा.वि.) श्रेणी के अलावा	शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति (शा.वि.) श्रेणी
(क) पति–पत्नी	(क) पति–पत्नी
(ख) पिता/माता	(ख) पिता/माता
(ग) भाई/भाई की पत्नी	(ग) पुत्र/पुत्र वधु
(घ) पुत्र/पुत्र वधु	

टिप्पणियां :

उस विवाहित महिला आवेदक पर लागू नहीं जो अपने पिता/माता पर आश्रित नहीं है।

उस विवाहित महिला आवेदक पर लागू नहीं जो अपने भाई/भाई की पत्नी पर आश्रित नहीं है।

तेल कंपनियां इन मानकों का सावधानी से पालन करती हैं।

[अनुवाद]

कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु को विद्युत की आपूर्ति

3837. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु मानक स्तर से कम आवृत्ति पर विद्युत की आपूर्ति करके ज्यादा विद्युत प्राप्त कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप ग्रिड फेल होते हैं और उपकरणों को क्षति होती है;

(ख) यदि हां. तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विद्युत मंत्रालय ने इस मुद्दे पर गहरी चिंता जताई है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इन राज्यों को क्या निर्देश दिए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) दक्षिणी क्षेत्र के राज्यों समेत कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु समय–समय पर दक्षिणी क्षेत्र के केन्द्रीय क्षेत्रों के विद्युत उत्पादन केन्द्रों से विद्युत का 49 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी पर अति–आहरण कर रहे हैं, जो भारतीय विद्युत ग्रिड कोड के अनुसार ग्रिड प्रचालन की सीमा से कम है, जिसके फलस्वरूप ग्रिड की फ्रीक्वेंसी में गिरावट आती है। निरंतर आधार पर कम फ्रीक्वेंसी में प्रचालन के वजह से ग्रिड की स्थिति असुरक्षित हो जाती है और यह उपस्करों के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। पिछले वर्ष दक्षिणी क्षेत्रों में 11/9/2001 को पहली बार 23/1/2002 को दूसरी बार तथा 14/5/2002 को तीसरी बार वृहताकार ग्रिड बाधा उत्पन्न हुई। कम फ्रीक्वेंसी के कारण जनरेटिंग यूनिटों में टरबाइन ब्लेडों के क्षतिग्रस्त होने तथा नाभिकीय विद्युत केन्द्रों के कुप्रचालन की सूचना मिली है, दक्षिणी क्षेत्रीय ग्रिड अधिकांश समय में 48.5 हर्ट्ज से भी कम फ्रीक्वेंसी पर कार्य कर रहा है।

(ग) और (घ) दक्षिण क्षेत्र की कम फ्रीक्वेंसी के मामले की जांच समय–समय पर केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा की जाती है। दक्षिण क्षेत्र के संघटक राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने विद्युत उत्पादन तथा केन्द्रीय जनरेटिंग स्टेशनों में उनकी पात्रता के आधार पर अनकी मागो को नियंत्रित करने जैसे उपाय करें, प्रत्याशित विद्युत उपलब्धता के मद्देनजर अपेक्षित विद्युत की कटौती की अधिसूचना जारी करें और 2/3 चरणों में कम फ्रीक्वेंसी के जरिए स्वत: लोड–शेडिंग का माध्यम अपनाएं ताकि ग्रिड की प्रचालन फ्रीक्वेंसी में वृद्धि की जा सके और ग्रिड के क्षतिग्रस्त होने तथा उपस्करों को नुकसान पहुंचने की संभावना कम की जा सके।

[हिन्दी]

राजस्थान में कोको पंप

3838. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में आवंटित किए गए कोको एवं जुबली खुदरा बिक्री केन्द्रों का ब्यौरा क्या है और इनके आबंटन की प्रक्रिया क्या है;

(ख) क्या कोको पंपों एवं जुबली पंपों के आवंटन में हुई अनियमितताओं के संबंध में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1999–2000, 2000–2001 और 2001–2002 के दौरान तेल विपणन कंपनियों ने राजस्थान राज्य में 11 जुबली खुदरा बिक्री केन्द्र और 63 कंपनी के स्वामित्व वाले और कंपनी द्वारा प्रचालित (कोको) खुदरा बिक्री केन्द्र चालू किए। कोको खुदरा बिक्री केन्द्र और जुबली खुदरा बिक्री केन्द्र संबंधित तेल विपणन कंपनियों के एक अधिकारी द्वारा बिक्री केन्द्र के समग्र प्रभारी के रूप में प्रचालित किए जाते हैं। दिन–प्रतिदिन के प्रचालन के लिए कंपनी अधिकारी को संविदाकार के माध्यम से श्रमिक सहायता प्रदान की जाती है। तेल विपणन कंपनियां श्रम संविदाकारों की नियुक्ति इस संबंध में निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार करती हैं।

तेल विपणन कंपनियों ने यह सूचित किया है कि उन्हें श्रम संविदाकारों की नियुक्ति में अनियमितताओं के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

झारखण्ड में नये विद्युत संयंत्रों की स्थापना

3839. श्री ब्रजमोहन राम : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झारखंड सरकार ने नये विद्युत संयंत्रों को स्थापित करने हेतु प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इन विद्युत संयंत्रों को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में झारखण्ड राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि झारखण्ड में ताप विद्युत परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए केन्द्रीय एवं निजी क्षेत्र से निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं–

1. एनटीपीसी द्वारा उत्तरी करनपुरा एसटीपीपी (3x660 मेगावाट)
2. मैथॉन राइट बैंक टीपीपी (4x250 मेगावाट) (मै. डीवीसी एवं बीएसईएस का संयुक्त उद्यम)
3. मै. टाटा पावर कंपनी लि. द्वारा जोजोबेरा टीपीपी विस्तार यू–4 (1x120 मेगावाट)

इन तीनों परियोजनाओं को दसवीं योजना में चालू करने का लक्ष्य है।

[अनुवाद]

वाहन ईंधन के रूप में एलपीजी का उपयोग

3840. श्री विलास मुत्तेमवार :
श्रीमती प्रभा राव :
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :
डा. मन्दा जगन्नाथ :
श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) को अन्य परिवहन क्षेत्र में वैकल्पिक ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए अत्यंत उपयुक्त पाया गया है;

(ख) क्या विज्ञान एवं पर्यावरण केन्द्र ने भी सीएनजी से ज्यादा पर्यावरण अनुकूल ईंधन के रूप में एलपीजी का सुझाव दिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या दिल्ली सहित अन्य अत्यंत प्रदूषित शहरों के परिवहन क्षेत्र के लिए एलपीजी के उपयोग की सिफारिश की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और परिवहन

क्षेत्र में एलपीजी के उपयोग के संबंध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) एलपीजी विश्व भर में एक प्रमाणित वैकल्पिक आटो ईंधन है जो पर्यावरण अनुकूल भी माना जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) संबंधित राज्य सरकारों के साथ परामर्श से इन शहरों की मांग को अनुमान करने के पश्चात उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार प्रदूषित शहरों में आटो एलपीजी वितरण स्टेशन (एएलडीएस) स्थापित करने की योजना बना रही है।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम उद्योग में उदारीकरण

3841. श्री शिवराजसिंह चौहान :
श्री नवल किशोर राय :
श्री जयभान सिंह पवैया :
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पेट्रोलियम उद्योग, विशेषकर कच्चे तेल के आयात में विद्यमान एकाधिकार को खत्म करके इसका उदारीकरण करने के लिए एक नीति की घोषणा करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस नीति के कब तक घोषित किए जाने की संभावना है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या आयात नीति के उदारीकरण से उपभोक्ता लाभान्वित होंगे; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ङ) सरकार ने एक सुधार उपाय के रूप में 1 अप्रैल, 2002 से पेट्रोलियम क्षेत्र में प्रशासित मूल्य पद्धति समाप्त कर दी है। कच्चे तेल का आयात पहले से ही मुक्त रूप से किया जा सकता है।

आयात नीति के उदारीकरण से प्रतिस्पर्द्धा को प्रोत्साहन मिलेगा और उपभोक्ताओं को लाभ होगा।

[अनुवाद]

सौर ऊर्जा का उपयोग

3842. श्री के. करूणाकरन : क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार के पास देश के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के उपयोग को ईष्टतम स्तर तक पहुंचाने की कोई योजना है अथवा इसके लिए कोई कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) और (ख) सौर ऊर्जा का उपयोग दो मुख्य माध्यमों से किया जा सकता है—तापीय माध्यम का हीटिंग, कूकिंग, ड्राइंग, पानी के शुद्धिकरण, विद्युत उत्पादन आदि के लिए और प्रकाशवोल्टीय माध्यम का सूर्य की रोशनी को बिजली में बदलने के लिए, जिसका उपयोग रोशनी, पंपिंग, संचार और रेफ्रिजरेशन जैसे अनेकों उद्देश्यों के किए किया जा सकता है। विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए अनेक सौर युक्तियों का विकास किया गया है और उनका वाणिज्यिक रूप से उत्पादन किया जा रहा है। इन युक्तियों के शहरी एवं ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए सरकार विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) सौर तापीय युक्तियों के लिए भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) और कुछ बैंकों के माध्यम से ब्याज सब्सिडी योजनाएं आरंभ की गई हैं जिनके अंतर्गत उपयोगकर्त्ताओं को निम्न ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अब तक जल तापन के लिए लगभग 6,50,000 वर्ग मी.

सौर संग्राहक क्षेत्र की स्थापना की जा चुकी है।

(ii) कुछ प्रकार के भवनों में सौर की सहायता से जल तापन प्रणालियों को अनिवार्य बनाने के लिए एक मॉडल बिल्डिंग उप–नियम का प्रारूप तैयार किया गया है और सभी राज्य सरकारों को परिचालित किया गया है।

(iii) सामुदायिक रसोईघरों में कंसेंट्रेटिंग प्रकार के सौर कूकरों की स्थापना के लिए एक प्रदर्शन योजना कार्यान्वित की जा रही है। 10,000 लोगों के लिए विश्व की सबसे बड़ी सौर स्टीम कूकिंग प्रणाली ब्रह्मकुमारी आश्रम, तलेटी, माउंट आबू के निकट, राजस्थान में कार्यशील है।

(iv) सौर कुकरों पर एक संवर्धनात्मक योजना के अंतर्गत विज्ञापनों, प्रदर्शनों, ब्रोशरों, इलेक्ट्रोनिक माध्यम आदि के जरिए प्रचार एवं जनजागरूकता संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। देश में अब तक 5,25,000 बॉक्स सौर कुकरों की बिक्री हो चुकी है।

(v) गांव मथानिया, जोधपुर, राजस्थान में स्थापित किए जाने के लिए 140 मेगावाट की एक इंटीग्रेटेड कंबाइंड साइकिल विद्युत परियोजना मंजूर की गई है। परियोजना में पाराबोलिक टफ कलेक्टर प्रौद्योगिकी पर आधारित 35 मेगावाट का एक सौर तापीय विद्युत संयंत्र और री–गैसीफाइड नेचुरल गैस (आर–एल एनजी) से चलने वाला 105 मेगावाट का कम्बाइंड साइकिल संयंत्र शामिल हैं।

(vi) एक देशव्यापी सौर प्रकाशवोल्टीय कार्यक्रम जारी है जिसके अंतर्गत उपयोगकर्त्ताओं को सब्सिडी के माध्यम से सौर लालटेनों, सौर घरेलू रोशनी प्रणालियों, सौर सड़क रोशनियों, विद्युत संयंत्रों और सौर पंपों जैसी युक्तियां स्थापित की जा रही है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक 4,27,680 सौर लालटेनों, 2,06,730 घरेलू रोशनी प्रणालियों, 41,770 सड़क रोशनियों, 5,000 जल पंपों और विद्युत संयंत्रों की 2.7 मेगावाट की क्षमता की स्थापना की जा चुकी है।

(vii) ग्राम विद्युतीकरण पर एक योजना विकसित की गई है जिसके अंतर्गत दूर–दराज के 18,000 बिजली रहित गांवों को अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से विद्युतीकृत करने का प्रस्ताव किया गया है। इनमें से सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों के माध्यम से 4,000 गांवों सहित 5,000 को 10वीं योजना के दौरान विद्युतीकृत किया जाएगा।

(viii) आदित्य सौर दुकानों की स्थापना उपयोगकर्त्ताओं को सौर उत्पाद उपलब्ध कराने तथा मरम्मत सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की जा रही है। अब तक ऐसी 29 दुकानों की स्थापना की जा चुकी है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

नाटो के साथ सैन्य समझौता

3843. श्री प्रबोध पण्डा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नाटो के साथ कोई सैन्य समझौता किया है अथवा करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या प्रयोजन है; और

(ग) क्या ऐसा करना हमारी गुटनिरपेक्षता की नीति से अलग हटना नहीं है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

गुजरात में हिंसा के दौरान मीडिया की भूमिका

3844. मोहम्मद अनवारूल हक :
श्रीमती कान्ति सिंह :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नरसंहार के समय और उसके बाद गुजरात में कार्यरत सरकारी मीडिया इकाइयों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गुजरात में हिंसा भड़कने के दौरान और उसके बाद इनमें से प्रत्येक द्वारा अब तक किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ इकाइयों को वहां से हटा लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) गुजरात में हाल ही में हुए दंगों के समय तथा उसके पश्चात गुजरात में आकाशवाणी और दूरदर्शन के अलावा पत्र सूचना कार्यालय विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के एकक एवं गीत और नाटक प्रभाग की निजी पंजीकृत पार्टियां कार्यरत थीं।

(ख) दूरदर्शन केन्द्र अहमदाबाद और राजकोट ने उक्त अवधि के दौरान तथा उसके पश्चात समाचार के कवरेज, कार्यक्रमों, साम्प्रदायिक सौहार्द संबंधी संदेशों आशुकार्यक्रमों इत्याादि के प्रसारण के लिए साथ-साथ कार्य किया।

आकाशवाणी अहमदाबाद और भुज के दो प्रादेशिक समाचार एककों ने दंगे से प्रभावित गुजरात में निष्पक्ष और वास्तविक समाचार कहानियों और समाचार पर आधारित कार्यक्रमों का प्रसारण करके शांति बहाली के लिए लगातार कार्य किया। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राजनैतिक दलों तथा समुदायों के नेताओं द्वारा साम्प्रदायिक सद्भावना को बनाये रखने के लिए की गई अपीलों को समाचार बुलेटिनों में शामिल किया गया था। राज्य सरकार द्वारा घोषित किए गए राहत पैकेजों के समाचार बुलेटिनों में व्यापक कवरेज दिए गए थे।

गीत एवं नाटक प्रभाग के पुणे स्थित क्षेत्रीय केन्द्र ने गुजरात में राष्ट्रीय एकता, साम्प्रदायिक सद्भावना और आतंकवाद विरोधी विषयों पर कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए निजी पंजीकृत दलों को लगाया था।

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के अहमदाबाद एकक ने राज्य में विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शनियां लगायीं। राजकोट और अहमदाबाद में स्थित पत्र सूचना कार्यालयों ने शांति और साम्प्रदायिक सद्भावना से संबंधित लेख एवं रूपक प्रकाशित किया इसने रक्षा और सैन्य समान्तर बलों का सिविलियन ड्यूटी में सशस्त्र और सैन्य समान्तर बलों की भूमिका को उजागर करते हुए प्रचार कार्य किया। पत्र सूचना कार्यालय के सक्रिय समर्थन से एक सद्भावना रैली का आयोजन किया गया। इसने दि 1.5.2002 को अहमदाबाद में साम्प्रदायिक सद्भावना और शांति में मीडिया की भूमिका पर संगोष्ठी आयोजित करने के लिए भी सहायता की।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अपारंपरिक ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना

3845. डा. मन्दा जगन्नाथ : क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से जुड़ी परियोजनाओं की स्थापना के लिए जनवरी, 2002 से आध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) ऐसी परियोजनाओं पर मंत्रालय द्वारा क्या निर्णय लिया गया है; और

(घ) ऐसी परियोजनाओं पर कब तक अन्तिम निर्णय लिए जाने की सम्भावना है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) से (घ) विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए जनवरी, 2002 से मंत्रालय में आंध्र प्रदेश राज्य से प्राप्त प्रस्ताव एवं उनकी प्रमुख विशेषताओं तथा मंत्रालय द्वारा लिए गए निर्णयों को दर्शाते हुए संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

अपारंपरिक ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए जनवरी, 2002 से आंध्र प्रदेश राज्य से प्राप्त प्रस्तावो के विवरण

क्र.सं.	परियोजना प्रस्ताव और प्रमुख विशेषताएं	निर्णय/वर्तमान स्थिति
1	2	3
I. पवन विद्युत		
1.	कुर्नूल जिले के कोंडामेडापल्ली में 2.25 मेवा. की एक प्रदर्शन पवन विद्युत परियोजना।	31.3.2001 को आरंभ की गई।
2.	नेल्लोर जिले के नरसिम्हा कोंडा में 2.25 मेवा. की एक प्रदर्शन पवन विद्युत परियोजना।	जांच के अधीन।
II. बायोमास गैसीफायर		
3.	प्रकासम जिले में 200 किवा. की तापीय विद्युत परियोजना	31.1.2000 को मंजूर की गई और आरंभ की गई।
4	गायत्री सिकंदराबाद में 250 किवा. की तापीय परियोजना	24.3.2002 को मंजूर की गई और आरंभ की गई।
5	तानुका में 1x100 किवाई. विद्युत ऊर्जा परियोजना	21.9.2000 को मंजूर की गई और आरंभ की गई।
6.	भाग्यनगर, कुर्नूल में 2x300 किवा. की विद्युत ऊर्जा परियोजना	27.10.2002 को मंजूर की गई और आरंभ की गई।
III. सौर प्रकाशवोल्टीय		
7	आंध्र प्रदेश में वर्ष 2000–01 के दौरान 5,000 सौर लालटेनो, 200 घरेलू रोशनी प्रणालियों और 100 सड़क रोशनी प्रणालियों के लिए एक प्रस्ताव।	मंजूर और कार्यान्वित किया गया।
8.	आंध्र प्रदेश में वर्ष 2001-02 के दौरान 23,000 सौर लालटेनो, 200 घरेलू रोशनी प्रणालियों और 200 सड़क रोशनी प्रणालियों के लिए प्रस्ताव।	मंजूर और कार्यान्वित किया गया।
9	आंध्र प्रदेश में वर्ष 2002-03 के दौरान 10,000 सौर लालटेनों, 200 घरेलू रोशनी प्रणालियों, 500 सड़क रोशनी प्रणालियों और 10 किवा. के एक एसवीपी विद्युत संयंत्र के लिए एक प्रस्ताव।	जांच के अधीन।
IV जल पंपन पवन चक्कियां		
10	गालीडिन, जिला अनंतपुर और जुबिली हिल्स, हैदराबाद प्रत्येक में एक गेयर्ड टाइप जल पंपन पवन चक्कियों की स्थापना के लिए 2 विशिष्ट प्रस्ताव।	मंजूर और स्थापित किए गए।

1	2	3
	V. बायोगैस संयंत्र	
11.	आंध्र प्रदेश में वर्ष 2000–01 के दौरान 25,000 बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव।	मंजूर और कार्यान्वित किया गया।
12.	आंध्र प्रदेश में वर्ष 2001–02 के दौरान 22,000 बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव।	मंजूर और कार्यान्वित किया गया।
13.	आंध्र प्रदेश में वर्ष 2002–03 के दौरान 22,000 बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव।	जांच के अधीन।
	VI. उन्नत चूल्हा	
14.	आंध्र प्रदेश में वर्ष 2000–01 के दौरान 1,50,000 उन्नत चूल्हों की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव।	मंजूर और कार्यान्वित किया गया।
15.	आंध्र प्रदेश में वर्ष 2001–02 के दौरान 1,75,000 बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव।	मंजूर और कार्यान्वित किया गया।
	VII. एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम	
16.	एपीसीओएसटी द्वारा प्रस्तुत किया गया गांवों के 10 समूहों के लिए एक परियोजना प्रस्ताव।	29.9.2001 को गांवों के 3 समूहों की मंजूरी की गई।
	VIII. ऊर्जा पार्क	
17.	एपीआरएम आर्ट्स एंड साइंस डिग्री कॉलेज, जिला कुड्डापा में ऊर्जा पार्क प्रस्ताव।	30.3.2002 को मंजूर किया गया।
18.	राजकीय महिला डिग्री कॉलेज, महबूब नगर जिला में ऊर्जा पार्क प्रस्ताव।	30.3.2002 को मंजूर किया गया।
19.	कृषि विज्ञान केन्द्र, मदनपुरम, महबूब नगर जिला में ऊर्जा पार्क प्रस्ताव।	मंजूर नहीं किया गया।
	IX. अपशिष्ट से ऊर्जा	
20.	मैसर्स सांई अक्षय विद्युत परियोजना लिमि., हैदराबाद द्वारा पाम तेल उद्योग अपशिष्टों के उपयोग से 3.0 मेगावाट क्षमता का इंसिनेरेशन प्रौद्योगिकी आधारित विद्युत संयंत्र।	विचाराधीन। प्रमोटरों को मंत्रालय द्वारा अंतिम निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करने के लिए वित्तीय संवृति और अन्य समझौतों को पूरा करने की सलाह दी गई है।
21.	मैसर्स साहाजा एग्रो इंडस्ट्रीज लिमि., हैदराबाद द्वारा पपड़ी उद्योग अपशिष्टों के उपयोग से 3,0 मेगावाट क्षमता का इंसिनेरेशन प्रौद्योगिकी आधारित विद्युत संयंत्र।	–वही–

1	2	3
22.	मैसर्स सेलको इंटरनेशनल लिमि., हैदराबाद द्वारा म्यूनिसिपल ठोस अपशिष्टों से 6.6 मेगावाट की पेलेटाइजेशन–सह–विद्युत उत्पादन परियोजना।	विचाराधीन। प्रमोटरों को मंत्रालय द्वारा अंतिम निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करने के लिए वित्तीय संवृति और अन्य समझौतों को पूरा करने की सलाह दी गई है।
23.	मैसर्स श्रीराम एनर्जी सिरटम्स प्रा. लिमि., हैदराबाद द्वारा म्यूनिसिपल ठोस अपशिष्टों से पेलेटाइजेशन–सह–विद्युत उत्पादन की 5.7 मेगावाट की परियोजना।	–वही–
24.	मैसर्स आरडीएफ पावर प्रोजैक्ट्स लिमि., हैदराबाद द्वारा म्यूनिसिपल ठोस अपशिष्टों से पेलेटाइजेशन–सह–विद्युत उत्पान की 11.0 मेगावाट की परियोजना।	–वही–
25.	मैसर्स वेसना बायोटेक लिमि., समलकोट, आंध्र प्रदेश द्वारा स्टार्च उद्योग अपशिष्टों के उपयोग से इंसिनेरेशन प्रौद्योगिकी आधारित 4.0 मेगावाट क्षमता का विद्युत संयंत्र।	–वही–
26.	मैसर्स काकतिया एलॉयज प्रा. लिमि., रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश द्वारा पोल्ट्री उद्योग अपशिष्ट इंसिनेरेशन प्रौद्योगिकी के उपयोग से 6.0 मेगावाट क्षमता का इंसिनेरेशन प्रौद्योगिकी आधारित विद्युत संयंत्र।	–वही–
27.	मैसर्स डेल्टा एग्रो कैमिकल्स लिमि., कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश द्वारा पपड़ी उद्योग अपशिष्टों के उपयोग से इंसिनेरेशन प्रौद्योगिकी आधारित 2.5 मेगावाट क्षमता का विद्युत संयंत्र।	–वही–
28.	मैसर्स रामप्रसाद प्रा. लिमि., तानुकु, आंध्र प्रदेश द्वारा पोल्ट्री अपशिष्टों के बायोमिथेनेशन के माध्यम से उत्पन्न होने वाली बायोगैस से 3.0 मेगावाट क्षमता की विद्युत उत्पादन परियोजना।	–वही–
29.	मैसर्स राउस पावर प्रा. लिमि., अनापार्थी गांव, ईस्ट गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश द्वारा पोल्ट्री अपशिष्टों के बायोमिथेनेशन के माध्यम से उत्पन्न होने वाली बायोगैस से 3.0 मेगावाट क्षगता की विद्युत उत्पादन परियोजना।	–वही–
X. सौर तापीय		
30.	तिरूमाला में प्रतिदिन 15,000 लोगों के लिए खाना पकाने की क्षमता वाली पाराबोलाइड टाइप सौर रटीम कूकिंग प्रणाली का प्रस्ताव।	मंजूर किया गया/प्रणाली संस्थापनाधीन है।
31.	चित्तूर जिले में प्रतिदिन 500 लोगों के लिए खाना पकाने	मंजूर किया गया/प्रणाली संस्थापनाधीन है।

1	2	3
	की क्षमता वाली पाराबोलाइड टाइप सौर स्टीम कूकिंग प्रणाली का प्रस्ताव।	
32.	वर्ष 2001–02 के लिए सौर कुकर पर संवर्धनात्मक कार्यकलापों का एक प्रस्ताव।	मंजूर और कार्यान्वित किया गया।
33.	आंध्र प्रदेश में 6 पाराबोलाइड टाइप सामुदायिक सौर कुकरों और 100 डिश सौर कुकरों का प्रस्ताव।	मंजूर किया गया और कार्यान्वयनाधीन है।
34.	करीमनगर जिले में कृषि नामक एक गैर–सरकारी संगठन के माध्यम से एक आदित्य सौर दुकान की स्थापना का एक प्रस्ताव।	जांच के अधीन।
35.	आंध्र प्रदेश में सौर ड्राइंग प्रणालियों की स्थापना के लिए प्रस्ताव।	जांच के अधीन/संशोधित प्रस्ताव प्रतीक्षित है।

[हिन्दी]

भिवाड़ी को बड़ी लाइन से जोड़ना

3846. श्री गिरधारी लाल भार्गव :
कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी :
प्रो. रासासिंह रावत :
डा. जसवंतसिंह यादव :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को (राजस्थान के अलवर जिले के) भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र/कस्बे को बड़ी लाइन से जोड़ने के संबंध में राजस्थान सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, हां।

(ख) राजस्थान सरकार ने भिवाड़ी के रास्ते से पलवल तक रेल संपर्क हेतु अनुरोध किया है।

(ग) रेवाड़ी से भिवाड़ी तक रेल संपर्क हेतु सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है।

[अनुवाद]

विद्युत परियोजनाओं को पी.एल.एफ. का आवंटन

3847. श्री के. येरननायडू : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में सभी अनुशंसित विद्युत परियोजनाओं के लिए कम से कम 85 प्रतिशत पी.एल.एफ. आवंटन के लिए अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) वर्ष 2002–03 के लिए आंध्र प्रदेश में ताप विद्युत केन्द्रों का विद्युत उत्पादन लक्ष्य एवं लक्षित पीएलएफ के ब्यौरे संलग्न विवरण मे दिए गए हैं। आंध्र प्रदेश जेनरेशन कारपोरेशन लि. (एपीजेनको) की नई परियोजनाएं, नामशः कोठागुडम–डी, विजयवाड़ा, रायलसीमा 85 प्रतिशत से भी अधिक पीएलएफ पर कार्य कर रहे हैं। विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं

(1) वृहत् थर्मल यूनिटों के सुनियोजित अनुरक्षण के लिए संशोधित मानदण्ड

(2) जबरनबंदी के अंतर्गत शामिल यूनिटों का शीघ्र पुनरोद्धार

(3) मौजूदा पुराने एवं गैर–कार्यकुशल जेनरेटिंग यूनिटों का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण तथा जीवन विस्तार

(4) त्वरित विद्युत उत्पादन कार्यक्रम के अतंर्गत ताप विद्युत केन्द्रों के प्रचालन एवं अनुरक्षण में सुधार के लिए पावर फाइनेंस कारपोरेशन द्वारा ऋण का संवितरण।

विवरण

वर्ष 2002–03 के लिए आंध्र प्रदेश में ताप विद्युत केन्द्रो का विद्युत उत्पादन एवं पीएलएफ लक्ष्य

संगठन/स्टेशन	विद्युत उत्पादन क्षमता (मे.वा. में) 31.3.2002	विद्युत उत्पादन लक्ष्य (मिलियन यूनिट में) 2002–03	पीएलएफ लक्ष्य (%) 2002–03
1	2	3	4
एपीजेनको			
के गुडेम–ए	240.0	1690	80.4
के गुडेम–बी	210.0	1520	82.6
के गुडेम–सी	220.0	800	41.5
के गुडेम–डी	500.0	3860	88.1
कुल के गुडेम	1170.0	7870	76.8
आर गुडेम–बी	62.5	400	73.1
नेल्लोर	30.0	175	66.6
विजयवाड़ा	1260.0	9605	87.0
रायलसीमा	420.0	3450	93.8
कुल एपीजेनको	2942.5	21500	83.4
एपीजीपीसी			
विजेश्वरम सीसीजीटी	272.3	1935	
एनटीपीसी			
के गुडेम	2100.0	16000	87.0
सिम्हाद्री	0.0 (+1000.0*)	4500	76.1
एनटीपीसी–एपी	2100.0 (+1000.0*)	20500	85.3
जी.वी.के. इंडस			
जेगुरूपाडु	235.4	1624	
स्पेक्ट्रम पीजीएल			
गोदावरी जीटी	208.0	1604	
लेनको			
कोन्डापल्ली	350.0	2909	
बीएसईएस			
पेडापुरम जीटी	0.0 (+220.0*)	1585	
कुल ए. पी.	6108.2 (+1220.0*)	51657	
अखिल भारतीय			
राज्य क्षेत्र	38851.1 (+1255.3*)	232479	68.2
केन्द्रीय क्षेत्र	25209.0 (+1420.0*)	170450	74.8
प्रा. यूटिलिटी	3385.0	21745	74.0

1	2	3	4
प्रा. आईपीपी	5920.5 (+546.0*)	20884	
कुल अखिल भारत	73365.6 (+3221.3*)	445558	70.8

टिप्पणी : '*' नई क्षमता

यात्रियों को मूलभूत सुविधाएं

3848. श्री विनय कुमार सोराके : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे द्वितीय श्रेणी के शयनयानों में यात्रियों को मूलभूत सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है;

(ख) यदि हां, तो क्या पूर्वोत्तर को जाने वाली सभी एक्सप्रेस/मेल रेलगाड़ियों में द्वितीय श्रेणी के शयनयानों में उनकी क्षमता से भी अधिक भीड़ रहती है;

(ग) क्या अपने खाते में अधिक राजस्व संग्रहण दिखाने के लिए टी.टी.ई. साधारण सवारी डिब्बों और शयनयानों के अन्तर की वसूली करके द्वितीय श्रेणी के शयनयानों में कन्फर्म्ड आरक्षण रहित यात्रियों को यात्रा करने की अनुमति दे देते हैं; और

(घ) यदि हां, तो पूर्वोत्तर को जाने वाली मेल/एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के शयनयानों में अत्यधिक भीड़ को रोकने और ऐसी गतिविधियों में संलिप्त भ्रष्ट यात्रा पत्र निरीक्षकों के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, हां।

(ख) भीड़-भाड़ की व्यस्त अवधियों के दौरान कभी-कभी पूर्वोत्तर की ओर जाने वाली गाड़ियों में अधिक भीड़ हो जाती है।

(ग) साधारण दूसरे दर्जे की टिकट वाले यात्रियों को शयनयान श्रेणी के डिब्बों में यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाती है। अतः चल टिकट परीक्षक (टी.टी.ई.) नियमानुसार उनसे प्रभार वसूलते हैं।

(घ) शयनयान श्रेणी के डिब्बों से अनधिकृत व्यक्तियों को उतारने के लिए अनुदेश मौजूद है। विशेष जांचें भी की जाती हैं और रेलवे अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा भीड़-भाड़ की व्यस्त अवधियों के दौरान, विशेष गाड़ियां चलाई जाती हैं और मौजूदा गाड़ियों में डिब्बे बढ़ाए जाते हैं। अनियमित यात्रा को बढ़ावा देने में पाए जाने वाले रेलवे कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक नियमों के अधीन कार्रवाई की जाती है।

पुरानी रेल पटरियों का बिछाया जाना

3849. श्री नरेश पुगलिया :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यस्त रेल मार्गों की पटरियों की मियाद पूरी हो जाने पर भी उन्हें हटाया नहीं जाता;

(ख) क्या एक स्थान से हटाए गए रेल पटरियों को कम व्यस्त मार्गों पर पुनः बिछाया जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या 1947 में विनिर्मित रेल पटरियों को कहीं से हटाया गया और 1987 में उन्हें जोधपुर मंडल में बिछाया गया जिसके परिणामस्वरूप 11 सवारी डिब्बे और इंजन पटरी से उतर गए;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और रेलवे को इससे कितना घाटा हुआ है; और

(च) पुरानी रेल पटरियों के उपयोग की अनुमति दिए जाने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (च) व्यस्त लाइनों से विनिर्मुक्त पटरियों और स्लीपरों को पुरानी सेवा योग्य पटरियों और स्लीपरों अर्थात् शेष आयु वाली पटरियों और स्लीपरों और स्क्रैप पटरियों और स्लीपरों अर्थात् उन पटरियों और स्लीपरों जिनकी आयु शेष नहीं है,

में अलग–अलग किया जाता है। विनिर्मुक्त सेवा योग्य पटरियों को हल्के यातायात वाले मार्गों पर नवीकरण के लिए उनका उपयोग करने से पहले पराध्वनिक रूप से बारीकी से जांच की जाती है। जोधपुर मंडल को फुलेरा–डेगाना मीटर लाइन खंड को 1947 में विनिर्मित और बड़ी लाइन वाले खंडों से विनिर्मुक्त पुरानी 90 और पटरियों से 1987 में नवीकरण किया गया था। आमान परिवर्तन के समय, उन पटरियों का उपयोग किया गया था। अक्टूबर 2001 में, दिल्ली–मंडौर एक्सप्रेस के पटरी से उतरने का कारण "पटरी के अल्यूमिनो–थरमिट झलाई युक्त जोड़ में दरार" बताया गया है। रेल सम्पत्तियों की क्षति की कुल लागत 65.43 लाख रुपए आंकी गई है।

[हिन्दी]

रेल भूमि पर रोजगार सृजित किया जाना

3850. श्री जयभान सिंह पवैया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रेलवे स्टेशनों पर तथा इसके आस–पास अतिरिक्त रेल भूमि पर रोजगार सृजन की सम्भावना का पता लगाने की दृष्टि से उसका सर्वेक्षण कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से ऐसे स्थानों पर स्टॉल और दुकानें खोलने के लिए वर्षवार कितने ठेके/लाइसेंस दिए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

सेना की वर्दी की बिक्री पर प्रतिबंध

3851. श्री जे. एस. बराड़ : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकतर आतंकवादी हमलों में आतंकवादी सेना की वर्दी में आए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार सेना की वर्दी की आपूर्ति पर नियंत्रण लगाने या सेना की वर्दी से संबंधित कपड़ों की खुली बिक्री और सेना की वर्दी के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो यह सुनिश्चित करने के लिए सेना की वर्दी आतंकवादी संगठनों को न मिले, सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाये जाने का विचार है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जम्मू–कश्मीर में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिनमें सेना/पुलिस की वर्दी में आतंकवादियों ने आमतौर पर सुरक्षा बलों को बदनाम करने, उनके प्रति दुर्भावना रखने और कुछ मामलों में कैंपों/अधिष्ठापनाओं में वेरोक–टोक घुसने के इरादे से हिंसक वारदातें की हैं।

(ख) और (ग) आरंभ में वर्ष 1989 में सिविल क्षेत्र में जैतूनी हरे कपड़े पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव गृह मंत्रालय ने शुरू किया था और इसकी कपड़ा मंत्रालय द्वारा भी जांच की गई थी तथा इसे विधि और न्याय मंत्रालय को भेजा गया था। इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया था क्योंकि यह कानूनी रूप से व्यवहार्य नहीं था। अगस्त 1994 में रक्षा मंत्रालय गृह मंत्रालय की जानकारी में लाया कि अनेक सिविलियन, सिविल सुरक्षा संगठन आदि सेना के पैटर्न पर वर्दी, सामान और वाहन, जिन पर रक्षा ड्यूटी वाहनों के समतुल्य रंग होता है का इस्तेमाल कर रहे हैं और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों/निजी उद्यमों/दुकानों में तैनात भूतपूर्व सैनिक भी जैतूनी हरी वर्दी का इस्तेमाल कर रहे हैं जो एक गंभीर चिंता का विषय था। गृह मंत्रालय ने 24.10.1994 को और पुनः 18.1.1999 को सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों को अनुदेश जारी किए कि वे उचित उपाय करें और अप्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा सेना की वर्दियों और वर्दी संबंधी सामान की खुली बिक्री, सिलाई तथा सिविलियनों द्वारा सेनाओं जैसे रंग वाले वाहनों के इस्तेमाल पर तत्काल रोक लगाए जाने के लिए निर्देश जारी करें।

महाराष्ट्र से प्रस्ताव

3852. श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्री शिवाजी माने :
श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य में वर्तमान लाइनों को चौड़ा करने, नई रेल लाइनों का निर्माण करने और वर्तमान रेलवे लाइनों का दोहरीकरण करने के संबंध में महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों का परियोजनावार ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) इन प्रस्तावों के कब तक पूर्णतः कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ग) नई लाइन, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण के संबंध में पिछले 3 वर्षों के दौरान महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त कुछ प्रस्ताव तथा उन पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा इस प्रकार है

क्र.सं.	परियोजना	की गई कार्रवाई
1.	मनमाड–मालेगांव–धूले–नरदाना–शिरपुर और इंदौर के बीच नई दिल्ली लाइन का निर्माण	मनमाड–मालेगांव–धूले–नरदाना–शिरपुर नई लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण कर दिया गया है। यह ज्ञात हुआ है कि इन लाइनों के निर्माण की लागत क्रमशः 144.50 करोड़ रु. और 104 करोड़ रुपए होगी और इन दोनों की प्रतिफल की दर ऋणात्मक रहने की संभावना है। अलाभप्रद प्रकृति और संसाधनों की तंगियों के मद्देनजर प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सकता। शिरपुर से महू तक नई लाइन का सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध होने पर ही प्रस्ताव पर आगे विचार करना संभव होगा। इंदौर–महू पहले ही रेलवे लाइन द्वारा जुड़े हुए हैं।
2.	बारामती से पंधारपुर तक नई लाइन का निर्माण	बारामती से पंधारपुर तक नई लाइन लगभग 110 कि.मी. लम्बी होगी और इसके निर्माण में 330 करोड़ रुपए से कम लागत नहीं आएगी। चालू नई लाइन के निर्माण के भारी थो फारवर्ड और संसाधनों की तंगी के मद्देनजर फिलहाल सुझाई गई नई लाइन के निर्माण पर विचार करना व्यावहारिक नहीं पाया गया।
3.	कल्याण से अहमद नगर तक वरास्ता मलशेजघाट से अहमद नगर रेलवे लाइन का निर्माण	हाल ही में एक सर्वेक्षण पूरा किया गया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि 204 कि.मी. लम्बी लाइन की लागत प्रतिफल की ऋणात्मक दर सहित 722 करोड़ रुपए होगी। लाइन के समग्र रूप से अलाभप्रद प्रकृति और संसाधनों की अत्यधिक तंगी के कारण प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सका।
4.	बांद्रा–कुर्ला रेल सम्पर्क	बांद्रा–कुर्ला रेल लिंक जो मुम्बई शहरी परिवहन परियोजना-II (एम.यू.टी.पी.-II) में शामिल परियोजनाओं में से एक है, पर यथासमय विचार किया जाएगा।

पेट्रोलियम उत्पादों की ढुलाई/ उनके लाने-ले-जाने का कार्य

3853. श्री जी. एस. बसवराज : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम उत्पादों की बहुत बड़ी मात्रा की ढुलाई लंबी दुरी तक सड़क/रेल टैंकरों द्वारा की जाती है जिस पर किसी न किसी रूप में ऊर्जा का इस्तेमाल होता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पाइपलाइन नेटवर्क के जरिए पेट्रोलियम उत्पादों की ढुलाई/उनके लाने ले जाने के कार्य पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, हां। पेट्रोलियम उत्पादों की अधिकांश मात्राओं का सड़क, रेल तटीय टैंकरों और देश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक की पाइपलाइन द्वार परिवहन किया जा रहा है। पाइपलाइन परिवहन प्रणाली सबसे सस्ता और पर्यावरण के

अनुकूल तरीका है। तथापि, इसमें स्थिर नेटवर्क (एक स्थान से दूसरे स्थान तक) होने की सीमा है और इसके आगे उत्पादों को अन्य तरीकों (सड़क/रेल) के माध्यम से भेजा जाता है। पाइपलाइन द्वारा न जुड़े हुए भीतरी खपत केन्द्रों तक उत्पाद पहुंचाने के लिए सड़क और रेल परिवहन की आवश्यकता होती है।

(ख) और (ग) तेल उद्योग ने आठवीं योजना से निर्माणाधीन दो अग्रेनीत पाइपलाइनों के अलावा नौवीं योजनावधि के दौरान निम्न उत्पाद पाइपलाइनों की स्थापना करने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है।

आठवीं योजना से नौवीं योजना में अग्रेनीत पाइप लाइनें :

(1) मुम्बई–मनमाड

(2) विसाख–विजयवाड़ा

नौवीं याजना के उप समूह द्वारा निर्धारित नई पाइप लाइनें :

देश में एक सिरे से दूसरे सिरे तक की पाइप लाइनें

(3) कोचीन–करूर

(4) देवगढ़–मिराज

(5) मंगलौर–बंगलौर

(6) बीना–झांसी–कानपुर

(7) पारादीप–रांची

(8) वाडीनार–कांडला

(9) कोयाली–सिद्धपुर

(10) सुल्तानपुर–इलाहाबाद

(11) भटिंडा–जालंधर

(12) जालधर–उद्यमपुर

(13) मथुरा–कानपुर

छोटी दूरी की पूरक पाइप लाइनें :

(14) पानीपत–मेरठ

(15) पानीपत–सहारनपुर

(16) कानपुर–लखनऊ

नौवीं योजना के उप समूह की रिपोर्ट की तैयारी के बाद निर्धारित

(17) चेन्नई–त्रिची–मदुराई।

आन्ध्र प्रदेश में रेल लाइनों का नवीकरण

3854. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय आन्ध्र प्रदेश में रेल लाइनों की आमानवार कुल लम्बाई कितनी है;

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश में रेल लाइनों के एक बड़े हिस्से का नवीकरण किए जाने की मांग काफी पुरानी है;

(ग) यदि हां, तो कुल कितनी लम्बी रेल लाइनों का नवीकरण किया जाना है;

(घ) आन्ध्र प्रदेश में इन रेल लाइनों के नवीकरण में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इन रेल लाइनों के नवीकरण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) 31.3.2001 (नवीनतम उपलब्ध) को आंध्र प्रदेश में रेल लाइन की कुल लम्बाई (मार्ग कि.मी.) 5135 कि.मी. है जिसमें बड़ी रेल लाइन की 4412 कि.मी., मीटर लाइन की 686 कि. मी. और छोटी रेल लाइन की 37 कि.मी. लम्बाई शामिल है।

(ख) से (ङ) नवीकरण के लिए बकाया रेलपथ तथा किए गए नवीकरण का ब्यौरा राज्यवार नहीं रखा जाता है। रेलपथ के नवीकरण सहित रेलपथ की मरम्मत और अनुरक्षण करना एक सतत् प्रक्रिया है। रेलपथ के नवीकरण का कार्य शुरू करना निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। बहरहाल, यह आशा की जाती है कि 1.4.2002 को रेलपथ के बकाया नवीकरण का कार्य वर्ष 2006–07 के अंत तक नवीकृत हो सकेगा।

[हिन्दी]

सी.एस.डी. कैन्टीनों का खोला जाना

3855. श्री राम सिंह कस्वां : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई सी.एस.डी. कैन्टीनों को खोलने के लिए कोई मानदंड निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राजस्थान के सादलपुर उप–मंडल में एक सी.एस.डी. कैन्टीन खोले जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की सम्भावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (घ) कैन्टीन स्टोर विभाग की नई कैन्टीनें यूनिट चालित कैन्टीनें खोले जाने के लिए सेना आदेश संख्या 584/74 में दिशा–निर्देश निर्धारित हैं। इन दिशा–निर्देशों के अनुसार नई यूनिट चालित कैन्टीन खोलने/चलाने की मंजूरी ब्रिगेड/सब एरिया अथवा उच्चतर फार्मेशन कमांडरों द्वारा इस शर्त पर दी जाती है कि उस यूनिट की नफरी अटैच कार्मिकों सहित एक सौ अथवा उससे अधिक सैन्य कार्मिकों की होनी चाहिए। जहां तक भूतपूर्व सैनिकों के वास्ते कैंटीनें खोले जाने का संबंध है, कमान मुख्यालय अपने विवेकानुसार भूतपूर्व सैनिकों के वास्ते कैन्टीनें खोलने के लिए स्वतंत्र हैं। तथापि भूतपूर्व सैनिकों के वास्ते यूनिट चालित कैन्टीन खोले जाने के बारे में निर्णय लेते समय फार्मेशन कमांडरों द्वारा मोटे तौर पर दिशा–निर्देश की इस न्यूनतम आवश्यकता को ध्यान में रखा जाता है कि उस क्षेत्र में भूतपूर्व सैनिकों की संख्या कम से कम 10,000 होनी चाहिए और कैन्टीन चलाना आर्थिक और प्रशासकीय रूप से व्यवहार्य होना चाहिए।

राजस्थान में सादलपुर उप–मंडल में यूनिट चालित कैन्टीन खोले जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

दसवीं योजना के दौरान विद्युत परियोजनाएं

3856. श्री टी. एम. सेल्वागनपति : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दसवीं योजनावधि के दौरान 44,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन के लिए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु राज्य सरकारों की सहायता करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड राज्य सरकारों के उनके वर्तमान विद्युत संयंत्रों के शेष जीवन मूल्यांकन के मामले में विशेषज्ञता देने पर सहमत हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) 10वीं योजना के लिए क्षमता अभिवृद्धि के लक्ष्य निम्नानुसार हैं–

(आंकड़े मे.वा. में)

	जल विद्युत	ताप विद्युत	नाभिकीय विद्युत	संचयी क्षमता
केन्द्रीय क्षेत्र	8,742	12,790	1300	22,832
राज्य क्षेत्र	4,481	6,676	0	11,157
निजी क्षेत्र	1,170	5,941	0	7,121
समग्र	14,393	25,407	1,300	41,110

10वीं योजनावधि में लगभग 3000 मेगावाट क्षमता अक्षय ऊर्जा स्रोतों के जरिए प्राप्त होने की आशा है।

(ग) जी, हां।

(घ) एनटीपीसी ने निम्नलिखित 6 विद्युत केन्द्रों के लिए रेजीड्यूल लाइफ एसेसेमेंट (आरएलए) हेतु परामर्श सेवा देने का प्रस्ताव किया है–

- झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड का पतरातू टीपीएस (4x110 मेगावाट)
- पश्चिम बंगाल पावर डेवलमेंट कारपोरेशन लि का संथालडीह टीपीएस (4x120 मेगावाट)
- दामोदर घाटी निगम का चन्द्रपुरा टीपीएस (3x140+3x120 मेगावाट)

- दामोदर घाटी निगम का दुर्गापुर टीपीएस (1x140 मेगावाट)
- गुजरात विद्युत बोर्ड का गांधीनगर टीपीएस (2x120 मेगावाट)
- गुजरात विद्युत बोर्ड का उकई टीपीएस (2x120 मेगावाट)

[हिन्दी]

विद्युत की जांच

3857. श्रीमती जस कौर मीणा : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्युत की गुणवत्ता सुधारने, विद्युत आपूर्ति में कटौती को रोकने और ट्रांसफार्मरों सहित विभिन्न उपकरणों का उन्नयन करने के लिए कई उपाए किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 2001–2002 के दौरान सरकार द्वारा इस पर कितना व्यय किया गया?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम (एपीडीपी) जिसे अब त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) के नाम से जाना जाता है, को फरवरी, 2000 में राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत यूटिलिटियों के निष्पादन में वित्तीय स्थिति में सुधार के उद्देश्य के साथ प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में देश के सभी राज्यों में चयनित वितरण सर्किलों (ग्रामीण एवं शहरी दोनों) के पारेषण एवं वितरण नेटवर्क के उन्नयन पर विचार/परिकल्पित किया है। रु. 40,000 करोड़ की राशि इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर खर्च होने की प्रत्याशा है तथा आतिरिक्त केन्दीय योजना सहायता की निहित योजनाओं के लिए राज्यों को इसे जारी किए जाने का प्रस्ताव है। सरकार ने इस संबंध में विद्युत क्षेत्र के नवीकरण के लिए छः स्तरीय हस्तक्षेप कार्य नीति बनाई है जोकि प्राथमिक रूप से व्यवहार्य है। इस कार्य नीति की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :

	मामले	पहल
राष्ट्रीय स्तर	(i) नीतिगत मामले	(i) विद्युत विधेयक
	(ii) वैधानिक संरचना	(ii) मानकीकरण हेतु समिति
	(iii) मानकीकरण	(iii) एकाउंटिंग मानक
	(iv) एकाउंटिंग	
राज्य स्तर	(i) टैरिफ निर्धारण	(i) रा.वि.बो. का पुनर्गठन
	(ii) विकेन्द्रीकरण	(ii) क्रास सब्सिडी को हटाना
	(iii) सब्सिडी एवं बजटीय सहायता	(iii) वितरण का प्रबंधन
रा.वि.बो. स्तर	(i) पुनर्गठन	(i) शर्त दृष्टांत
	(ii) एकाउंटिंग	(ii) ग्रिड कोड का क्रियान्वयन
	(iii) एमआईएस	(iii) टीओडी मीटरिंग
	(iv) अनियमित फ्रीक्वेंसी	
मितर पर्किल स्तर	(i) बंदी में कमी	(i) 100% स्टेटिक मीटर

	मामले	पहल
	(ii) हानि में कमी	(ii) ऊर्जा एकाउंटिंग
	(iii) विश्वसनीयता	(iii) बिलिंग एवं संग्रहण के लिए जिम्मेदारी एवं जवाबदेही
	(iv) वोल्टेज एवं जवाबदेही	(iv) पुरुस्कार एवं दण्ड के लिए स्कीम
फीडर स्तर	(i) विश्वसनीयता	(i) क्षमता निर्माण
	(ii) अनियमित वोल्टेज	(ii) परियोजना प्रबंधन
	(iii) मीटरिंग एवं बिल संग्रहण	(iii) लाभ केन्द्र
	(iv) एचटी/एलटी का अनुपात	(iv) जिलावार योजना
		(v) तकनीकी उन्नयन
उपभोक्ता स्तर	(i) मीटरिंग	(i) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम
	(ii) बिलिंग की अनुपालना	(ii) डीएसम
	(iii) उपभोक्ता संतुष्टि	(iii) जन जागरूकता
		(iv) रोड शो
		(v) चोरी हेतु दण्डात्मक प्रावधान

सामान्य परिस्थितियों पर आधारित सर्किल–वार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर लिया गया है। जिसमें 11 के. वी. फीडरों का मीटरीकरण, दोषपूर्ण मीटरों का प्रतिस्थापन, कंडक्टरों एवं ट्रांसफार्मरों का प्रतिस्थापन, विद्युत संचालित कंडक्टरों एवं ट्रांसफार्मरों का द्विभाजन, उप केन्द्र एवं अन्य उपस्करों का नवीकरण जैसे उपाय, यथा–सतर्कता दलों का गठन, बिलिंग एवं संग्रहण दक्षता में वृद्धि, अनियमित कनैक्शन की पहचान, चोरी निवारण दलों की स्थापना आदि भी संस्थागत एवं वाणिज्यिक उपायों के साथ शामिल किए जा रहे हैं। आशा है कि इन उपायों से बंदी में कमी आएगी तथा 11 के.वी. से कम क्षमता के फीडर लाइनों में व्यवधान कम होंगे।

(ग) त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) के अन्तर्गत फंड के समुपयोग का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

एपीडीआरपी के अधीन 07.08.2002 तक निधियों की स्थिति

क्र.सं.	राज्य का नाम	उपयोग की गई निधि
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	74.97
2.	असम	5.05
3.	बिहार	0.75
4.	छत्तीसगढ़	16.83
5.	गुजरात	30.38

1	2	3
6.	हरियाणा	5.65
7.	हिमाचल प्रदेश	19.37
8.	कर्नाटक	107.85
9.	मध्य प्रदेश	29.15
10.	महाराष्ट्र	72.33
11.	पंजाब	5.83
12.	राजस्थान	11.96
13.	तमिलनाडु	12.1
14.	उत्तर प्रदेश	38.59
15.	उत्तरांचल	4.8
16.	पश्चिम बंगाल	44.07
	कुल	479.68

समवर्ती सूची में सिनेमेटोग्राफी का प्रस्ताव

3858. डा. वी. सरोजा : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सिनेमेटोग्राफी को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डालने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह राज्यों के अधिकारों का उल्लंघन है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में मंत्रालय की क्या टिप्पणियां हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (घ) 'सिनेमा' को समवर्ती सूची में शामिल करने के प्रश्न को राज्य सरकारों के साथ उठाया गया है। तथापि, इस मामले पर कोई मतैक्य नहीं हो पाया है।

हुबली में रेल कार्यशाला का आधुनिकीकरण

3859. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हुबली में रेल कार्यशाला के आधुनिकीकरण की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना को पूरा करने के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(घ) इस परियोजना के संबंध में कार्य को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (घ) जी, हां। प्रथम चरण में प्रतिमाह 75 बड़ी लाइन (बला) सवारी डिब्बों की तथा दूसरे चरण में उसे और बढ़ाकर प्रति माह 95 सवारी डिब्बों की आवधिक ओवरहालिंग का कार्य करने के लिए हुबली कारखाने में सुविधाओं के उन्नयन का कार्य प्रगति पर है, जिसे नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार 31.3.2002 तक पूरा किया जाना है।

(करोड़ रुपए में)

	कार्य का ब्यौरा	स्वीकृति का वर्ष	प्रत्याशित लागत	31.3.2002 तक व्यय	2002–03 में निर्धारित राशि
1.	हुबली कारखाना–कारखाने में परिवर्तन सवारी डिब्बों की आवधिक ओवरहालिंग के लिए मीटर लाइन से बड़ी लाइन में (चरण–I)	1995–96	13.57	13.49	0.08
2.	हुबली कारखाना–सवारी डिब्बे की आवधिक मरम्मत के लिए अतिरिक्त सुविधाएं	1996–97	6.69	5.09	1.01

[हिन्दी]

अनुकंपा आधार पर नियुक्ति

3860. श्री पदमसेन चौधरी :

डा. अशोक पटेल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर रेल के इलाहाबाद मंडल में अनुकंपा के आधार पर नौकरियां देने में अत्यधिक विलम्ब की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि इलाहाबाद मंडल में अनुकंपा आधार पर सहायक विद्युत आपरेटरों के चयन की प्रक्रिया में आई.टी.आई. या डिप्लोमा संबंधी योग्यता अब तक अनिवार्य नहीं थी लेकिन वर्तमान में इसे अनिवार्य कर दिया गया है और मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरियों से वंचित किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार द्वारा उक्त शर्त को हटाने के लिए कोई कार्रवाई किए जाने की संभावना है ताकि उक्त पदों पर मृतक कर्मचारियों के आश्रितों का चयन किया जा सके?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियों के मामलों पर तेजी से कार्रवाई करने के प्रयास किए जाते हैं। बहरहाल, दस्तावेजों की कमी, आवेदन के विलंब से प्रस्तुत करने, मृत्यु के समय आवेदक के नाबालिग होने अथवा उपयुक्त रिक्ति आदि उपलब्ध न होने के कारण कभी-कभी विलंब हो जाता है।

(ग) और (घ) अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए निर्धारित योग्यता सीधी भर्ती के लिए निर्धारित की गई योग्यताओं के समान होती है जो कि इस मंत्रालय द्वारा निर्धारित की गई हैं।

(ङ) जी नहीं।

[अनुवाद]

निपटान के लिए लम्बित मामले

3861. श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे बोर्ड सुरक्षा निदेशालय में निपटान हेतु अनुशासनात्मक अपील नियमों/अपीलों और न्यायालयी मामलों से संबंधित कितने मामले लम्बित हैं;

(ख) पिछले छः महीनों के दौरान अनुदेशों/नियमों और तथ्यों की उपेक्षा करते हुए ऐसे कितने डी.ए.आर. मामलों का निपटान किया गया, जिनके परिणामस्वरूप बल में निम्नस्तर पर असंतोष पनपा है; और

(ग) प्रशासन को डी.ए.आर. मामलों और न्यायालयी मामलों से जुड़े मामलों के निपटान में कितना समय लगेगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) 20 अनुशासन एवं अपील तथा अदालती मामले लंबित हैं।

(ख) कुछ नहीं।

(ग) अपेक्षित सूचना प्राप्त करने तथा औपचारिकताएं पूरी करने के बाद प्रशासन तुरंत अनुशासन एवं अपील नियम का मामला निपटाने तथा न्यायलयों में जवाब फाइल करने की कार्यवाही करता है। अतः कोई समय-सीमा नहीं दी जा सकती/सुझाई जा सकती है।

परियोजनाओं के लिए परिव्यय

3862. श्री रामजी मांझी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या मंत्रालय प्रारंभिक चरण में भारी केन्द्रीय योजना परिव्यय दर्शाकर संशोधित अनुमान के चरण मे इसे कम करे और अंततः आवंटन का एक बडा भाग लौटाता रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष से संबंधित विद्युत परियोजना के योजना परिव्यय का ब्यौरा क्या है;

(घ) संशोधित प्राकलनों में घटाया गया संशोधित परिव्यय और वास्तव में उपयोग की गई कुल राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विद्युत आपूर्ति पर निधियों के कम उपयोग का क्या प्रभाव पड़ा है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ङ) 1999–2000, 2000–2001 एवं 2001–02 के दौरान बजट अनुमान, संशोधित अनुमान तथा किए गए वास्तविक व्यय ब्यौरे निम्नानुसार हैं--

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	संशोधित अनुमान की तुलना में समुपयोजन प्रतिशत में
1999–2000	9600.27	8049.92	7641.18	94.92
2000–01	9720.18	8365.38	6553.91	78.34
2001–02	11065.53	10960.28	9925.45	90.56

नई स्कीमों को अनुमोदन प्राप्त होने में विलम्ब तथा कुछ निर्माणाधीन स्कीमों के क्रियान्वयन की धीमी प्रगति परिव्यय के अपर्याप्त उपयोग के मुख्य कारण हैं।

उड़ीसा में डीजल लोको शैड

3863. श्री अनन्त नायक : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या उड़ीसा में डीजल लोको शैड तथा खुर्दा रोड डिवीजन के "एन" बाक्स डिपो के निर्माण में अत्यधिक विलम्ब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, हां। पैरा (ख) में दर्शाए गए कारणों की वजह से परियोजना की प्रगति में कुछ विलंब हुआ है।

(ख) दक्षिण पूर्व रेलवे को बहुत सी बकाया परियोजनाएं पूरी करनी हैं। रेलवे द्वारा परियोजनाओं के लिए निधियों का आवंटन प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है। उपरोक्त सूचीगत परियोजनाएं निधियों के तंगियों के अनुरूप प्रगति पर हैं। डीजल लोको शैड में सितंबर, 99 से काम प्रारंभ हो गया है और 95 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है।

बाक्स "एन" डिपो की वास्तविक प्रगति 67 प्रतिशत है। इस परियोजना को उच्च प्राथमिकता नहीं दी गई थी क्योंकि यह डिपो समीपवर्ती यार्ड और लूप लाइनों के निर्माण के बाद ही काम कर सकता है।

(ग) कार्य की प्रगति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

राष्ट्रीय रेलगाड़ी ऊर्जा प्रणाली

3864. श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन :
श्री अशोक ना. मोहोल :
श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18.7.2002 के "दि हिंदू" में "ए न्यू गेटते टू दि रेलवेज" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नई प्रणाली शुरू करके यात्रियों को दी जाने वाली सूचना का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) (क) जी, हां।

(ख) और (ग) गाड़ी चलने के बारे में यात्रियों को सूचना देने में सुधार के लिए रेलो ने महत्वपूर्ण स्टेशनों के पूछताछ कार्यालयों पर टर्मिनलों तथा प्रमुख स्टेशनों पर इंटरएक्टिव वायस रेस्पोंस सिस्टम, प्रदर्श बोर्डों तथा उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से गाड़ी चलाने की स्थिति के बारे में सूचना मुहैया कराने के लिए राष्ट्रीय गाड़ी पूछताछ प्रणाली की स्थापना की है। यह प्रणाली सूचना मुहैया कराती है जिसे बारंबार अंतरालों पर अद्यतन किया जाता है।

डीआरडीएल, हैदराबाद में निर्माण को हटाना

3865. श्री वाई. वी. राव : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या डीआरडीएल, हैदराबाद के आसपास निर्माण को हटाने के कारण बहुत से व्यक्ति विस्थापित हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास करने हेतु काई मुआवजा दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) विस्थापित व्यक्तियों को कब तक मुआवजा दिए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग

3866. श्री ए. पी. जितेन्द्र रेड्डी : क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में लोगों को अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के प्रयोग की जानकारी नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ग्रामीण जनता को शिक्षित करने हेतु सरकार द्वारा लागू किए गए जागरूकता कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के लाभों के बारे में देश के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में जागरूकता अभियान को सुचारु रूप से चलाने की मंशा है; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) और (ख) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत देश में अधिकांश ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से बायोगैस, उन्नत चूल्हों और सौर युक्तियों के इस्तेमाल के बारे में नियमित आधार पर स्थानीय/क्षेत्रीय भाषाओं में प्रशिक्षण एवं जन-जागरूकता अभियानों का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा इलेक्ट्रोनिक, प्रिंट प्रदर्शनियों और बाहरी प्रचार माध्यमों जिनमें रेडियो कार्यक्रम, विज्ञापन, पोस्टर एवं प्रचार सामग्री, मोबाइल प्रदर्शनी वाहन, होर्डिंग/बसबैक पैलन, गीत एवं नाटक आदि शामिल हैं, को अपारंपरिक ऊर्जा को लोकप्रिय बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तथापि इन क्षेत्रों में पवन एवं अन्य अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के इस्तेमाल के बारे में लोगों के बीच कम जागरूकता है।

(ग) और (घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के इस्तेमाल पर प्रचार एवं जन-जागरूकता अभियानों के आगे विस्तार तथा उसे सुव्यवस्थित करने की मंत्रालय के पास योजनाएं हैं।

ग्यारहवीं योजना के दौरान विद्युत परियोजनाएं

3867. श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कर्नाटक में कुछ विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान राज्य में लागू की जाने वाली विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन विद्युत परियोजनाओं की अनुमानित लागत और क्षमता कितनी है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (घ) 10वीं योजना के दौरान कर्नाटक राज्य में क्षमता अभिवृद्धि हेतु निर्धारित विद्युत परियोजनाओं के ब्यौरे इस प्रकार हैं-

क्र.सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मे. वा.)	अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में)
1.	अलमाटी डेम एचईपी	290	674.02
2.	रायचूर टीपीपीयू–7	210	613.00
3.	बेलारी टीपीएस	500	2307.27
4.	कनिमिके (बंगलौर)	107.6	416.05
5.	हसन सीसीपीपी	189	715.62

कर्नाटक राज्य की निम्ननिखित परियोजनाओं को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी–आर्थिक क्लीयरेंस प्रदान कर दिया गया है तथा इन परियोजनाओं को राज्य/निजी क्षेत्र के तहत 11वीं योजना के दौरान कार्यान्वित किए जाने हेतु अभिनिर्धारित किया गया है–

क्र.सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मे. वा.)	अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में)
1.	नागार्जुन टीपीपी	1015	5496
2.	मंगलौर टीपीपी	1013	4222
3.	भारत फोर्ज सीसीजीटी	50	अनुपलब्ध*

*यह राज्य सरकार द्वारा क्लीयर की गई परियोजना है।

मुंबई में सड़क उपरिपुल का निर्माण

3868. श्री किरीट सोमैया : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने मुंबई में कांदीवली रेलवे स्टेशन पर सड़क उपरिपुल के निर्माण के संबंध में रेल मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार और एम.एम.सी. के साथ मतभेदों को सुलझा लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कांदीवली रेलवे स्टेशन पर सड़क उपरिपुल का निर्माण करने की अनुमति दे दी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (घ) कांदीवली (पूर्व) में उपरिगामी सेतु के अंतिम छोर की, जिसे रक्षा भूमि पर निर्माण किया जाना है, खुदाई करने तथा भूमिगत कंकरीट बिछाए जाने के लिए पश्चिमी रेल विभाग को अंतिम अनुमति प्रदान करने हेतु दिनांक 19.4.2002 को सरकारी स्वीकृति जारी की गई थी। उक्त निर्माण–कार्य स्वीकृति पत्र में निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जाना था। किन्तु, प्रसंगाधीन रक्षा भूमि के अंतरण से संबंधित औपचारिक आदेश, इस विषय पर इन शर्तों/विभिन्न बैठकों में लिए गए निर्णयों की स्वीकार्यता के बारे में मुंबई नगर निगम से पुष्टि प्राप्त न होने के कारण, लंबित है।

भारत ऑप्थालमिक ग्लास लिमिटेड का पुनरुद्धार

3869. श्री सुनील खां : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत ऑप्थालमिक ग्लास लिमिटेड की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने बीओजीएल के लिए कोई पुनरुद्धार पैकेज तैयार किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या उक्त इकाई के बन्द किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभ भाई कथीरिया) : (क) भारत ऑप्थालमिक ग्लास लि. (बीओजीएल) एक रुग्ण कंपनी है तथा यह औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) के समक्ष संदर्भाधीन है।

(ख) और (ग) सरकार ने बीओजीएल सहित भारी उद्योग विभाग के तहत सरकारी क्षेत्र के कुछ रुग्ण उपक्रमों की जैव्यता की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। बीआईएफआर ने विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा तैयार एक मसौदा पुनरुद्धार स्कीम परिचालित की है।

(घ) और (ङ) बीआईएफआर द्वारा पुनरुद्धार स्कीम को अभी अंतिम रूप देना शेष है।

[हिन्दी]

रक्षा सेवाओं में भर्ती

3870. प्रो. रासासिंह रावत : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना की तीनों शाखाओं में राजस्थान के पूर्वी भाग से भर्ती तुलनात्मक रूप में कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) राजस्थान में किन स्थानों पर सेना के भर्ती केंद्रों को बंद कर दिया गया है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को बंद किए गए भर्ती केंद्रों को पुनः खोलने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) नौसेना और वायुसेना में भर्ती अखिल भारतीय मेरिट आधार पर की जाती है और राज्यवार/क्षेत्रवार आंकड़े नहीं रखे जाते। पूर्वी राजस्थान से सेना में कम भर्ती का कोई रुख देखने में नहीं आया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) हाल ही में रक्षा बलों का कोई भर्ती कार्यालय बंद नहीं किया गया है। सिविल प्राधिकारियों के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखने के लिए केवल सेना के क्षेत्रीय भर्ती कार्यालय को अजमेर से जयपुर स्थानांतरित किया गया है क्योंकि जयपुर राज्य की राजधानी है।

(घ) और (ङ) क्षेत्रीय भर्ती कार्यालय के जयपुर स्थानांतरित किए जाने के बाद इसे फिर से अजमेर में खोलने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

(च) उपर्युक्त (ग) के परिप्रेक्ष्य में इस आग्रह को स्वीकार करना वांछनीय नहीं समझा गया है।

[अनुवाद]

रेल संग्रहालय

3871. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल संग्रहालय की भूमिका और वित्तपोषण को कम करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेल संग्रहालय केवल शहरी क्षेत्रों में कतिपय सुविधाजनक परियोजनाओं का चयन कर रहा है और दिल्ली के बाहर परियोजना की अनदेखी कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो रेल मंत्रालय को विभिन्न गतिविधियों के लिए जनता से प्राप्त अनुरोधों पर किस प्रकार प्रतिक्रिया करनी चाहिए?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

लखनऊ में भर्ती त्रासदी

3872. श्री जय प्रकाश : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ माह पूर्व लखनऊ में सेना में भर्ती के दौरान भगदड़ के दौरान हुई मौतों के संबंध में जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट का निष्कर्ष क्या है;

(ग) सरकार द्वारा उक्त रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि ऐसी घटनाओं की भविष्य में पुनरावृत्ति न हो; और

(घ) मृतकों के निकट संबंधियों को भुगतान किए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है।

[अनुवाद]

लोगों को मुआवजा

3873. चौ. तालिब हुसैन : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजौरी और पुंछ जिलों (जम्मू और कश्मीर) के उन व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें आपके मंत्रालय से मुआवजे/भूमि का किराया मिला है अथवा मिल रहा है;

(ख) क्या सरकार को अभी तक भुगतान किए गए अनुचित और गैरकानूनी मुआवजे अथवा किराये के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) राजौरी जिले में अधिगृहीत भूमि के 231 मामले तथा किराए के अधीन भूमि के 21 मामले हैं और पुंछ जिले में अधिगृहीत भूमि के 254 मामले तथा किराए के अधीन भूमि के 15 मामले हैं। सामान्यतया अधिगृहीत भूमि का किरया संबंधित उपायुक्त के पास जमा करा देते हैं जो संबंधित व्यक्तियों को भुगतान करते हैं।

किराए के भुगतान से संबंधित शिकायतें मिलते ही उनकी गुणावगुण के आधार पर जांच की जाती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में भारी उद्योग

3874. श्री के. के. कलिअप्पन : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि समस्त ग्रामीण जनसंख्या हमारे देश के औद्योगिक शहरों में रोजगार हासिल करने के लिए शहरी क्षेत्रों में बसने जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का ग्रामीण आबादी का प्रवास रोकने के लिए अच्छे वित्तीय आवंटन के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भारी उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (घ) वर्ष 1991 की जनगणना के अनुरूप 5 लाख तक की जनसंख्या वाले शहरों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित स्कीम लघु और मध्यम शहरों का एकीकृत विकास (आईडीएसएमटी) छठी पंच वर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। कार्यक्रम की स्थापना से 31 मार्च, 2002 तक इस स्कीम के तहत सभी राज्यों तथा केन्द्र शासित राज्यों के 1172 से अधिक शहर शामिल हुए हैं तथा 520.34 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता जारी की गई है। जहां तक भारी उद्योग की स्थापना का संबंध है, गैर-नीतिगत क्षेत्र को लाइसेंस मुक्त होने से उद्योगों की स्थापना के लिए की जाने वाली कार्रवाई प्रमोटर के पास है। जहां तक भारी उद्योग विभाग का संबंध है, अभी सरकारी क्षेत्र में कोई नई इकाई स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बोंगाईगांव रिफाइनरी एंड पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड

3875. श्री सानथुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तेल शोधन कारखाने के सतत प्रगति और विकास को सुदृढ़ करने के उपाय के रूप मे पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित उद्योगों को कर छूट के तहत मिलने वाले कर लाभ देने की तर्ज पर बोंगाईगांव रिफाइनरी एंड पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड को परिवहन संबंधी राज्य सहायता प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान बोंगाईगांव रिफाइनरी एंड पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड को वर्ष-वार विशेष निधि से कितना आवंटन किया गया और जारी किया गया;

(ग) क्या सरकार ने निचले असम में सर्वाधिक पिछड़े और उपेक्षित बोडोलैंड क्षेत्र में बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार सृजन और सामाजिक आर्थिक विकास तेज करने के उपाय के रूप में बोंगाईगांव रिफाइनरी एंड पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड में ही विभिन्न सह उत्पादों के लिए बोंगाईगांव रिफाइनरी एंड पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड के आसपास कुछ अर्थक्षम डाउनस्ट्रीम उद्योग स्थापित करने पर विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) वर्तमान में बोंगाईगांव रिफाइनरी एंड पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड अपनी पेट्रो–रसायन तथा पोलिस्टर स्टेपल फाइबर (पीएसएफ) इकाइयों को उत्पादन तथा वितरण की इकाईगत अधिक लागत के कारण नहीं चला रही है।

शंटिंग प्रभारों की वसूली न होना

3876. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को शंटिंग प्रभारों की वसूली न होने के कारण रेल प्रशासन को घाटा होने की जानकारी है जैसा कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट सं. 9, 2002 में बताया गया है;

(ख) क्या रेल प्रशासन द्वारा साइडिंग के भीतर मेरी गो राउंड पर रेलवे द्वारा माल उतारने का कार्य करने के लिए न्यू थर्मल पावर स्टेशन साइडिंग, चन्द्रपुर से शंटिंग प्रभारों की उगाही के संबंध में संहितागत प्रावधानों का पालन करने में असफलता से जून 1997 से दिसम्बर, 2000 के दौरान 17.58 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने वर्ष 2002 की अपनी संख्या 9 के पैरा संख्या 2.1.2 के तहत मध्य रेलवे के चन्दरपुर में नए विद्युत ताप घर साइडिंग में शंटिंग प्रभारों की वसूली न करने के संबंध में 17.58 करोड़ रुपए की हानि के बारे में उल्लेख किया है।

(ग) और (घ) मौजूदा नियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के लिए रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

सौराष्ट्र, गुजरात में तेल/ प्राकृतिक गैस भंडार

3877. श्री पी. एस. गढ़वी :
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के सौराष्ट्र–कच्छ क्षेत्र में तेल/ प्राकृतिक गैस के भंडारों का पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त क्षेत्र में तेल/गैस भंडारों के संभावित स्थानों का आकलन करने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है और इन सर्वेक्षणों का क्या परिणाम निकला;

(ग) गुजरात में ऐसा सर्वेक्षण कराने हेतु सरकार की भविष्य की क्या योजना है; और

(घ) तेल और प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में खोज का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु उक्त क्षेत्रों में और खोज कार्य के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) गुजरात राज्य के जमीनी सौराष्ट्र–कच्छ क्षेत्र में अब तक विस्तारित अन्वेषी प्रयासों से किन्हीं गैस एवं तेल भंडारों की खोज नहीं हुई है। इस क्षेत्र में विस्तारित अन्वेषी निवेशों में द्विआयामी भूकंपीय सर्वेक्षण, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, घनत्व–चुंबकीय सर्वेक्षण, वायु–चुम्बकीय सर्वेक्षण, गहन भूकंपीय जांच–पड़ताल, गहन–वैद्युत प्रतिरोधकता एवं चुंबकीय स्थल मंडलीय सर्वेक्षण, अल्पकालिक वैद्युत–चुंबकीय सर्वेक्षण तथा ऐसे पांच अन्वेषी कूपों एवं एक प्राचलिक कूप का वेधन सम्मिलित है, जो इस क्षेत्र के कई भागों में अन्य बातों के साथ–साथ दक्कन ट्रेप लावा के नीचे मोटी तलछटियां होना प्रदर्शित करते हैं।

(ग) और (घ) जमीनी सौराष्ट्र–कच्छ क्षेत्र में नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एनईएलपी) पूर्व दो ब्लाकों के लिए उत्पादन हिस्सेदारी संविदायें (पीएससीज) हस्ताक्षर की गई थी तथा इन ब्लाकों के अंतर्गत कार्य संबंधित संविदाओं के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। 10वीं योजना कार्यक्रम के भागस्वरूप हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय की भी कच्छ जमीनी क्षेत्र में द्विआयामी भूकंपीय सर्वेक्षण करने की योजनाएं हैं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लाभांश का भुगतान

3878. श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत से सूचीसद्ध सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने 2001–2002 के दौरान सरकार को रिकार्ड लाभांश का भुगतान किया है; और

(ख) यदि हां, तो 2001–2002 के दौरान उक्त सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से सरकार को लाभांश के रूप में सरकारी क्षेत्र उपक्रम–वार कुल कितनी राशि प्राप्त हुई है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभ भाई कथीरिया) : (क) और (ख) लोक उद्यम सर्वेक्षण, 2000–2001 में उपलब्ध जानकारी अद्यतन है और उसके अनुसार गत तीन वर्षों अर्थात 1998–1999, 1999–2000 तथा 2000–2001 के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लाभांश भुगतान की कुल राशि क्रमशः 4895 करोड़ रुपए, 5437 करोड़ रुपए तथा 8260 करोड़ रुपए रही है, जो उक्त अवधि के दौरान वृद्धि का रुख दर्शा रही है। लाभांश भुगतान का उपक्रम–वार ब्यौरा दिनांक 07–03–2002 को संसद में प्रस्तुत लोक उद्यम सर्वेक्षण, 2000–2001 नामक एक प्रकाशित दस्तावेज के खण्ड–I के विवरण संख्या 8 में दिया गया है।

आंध्र प्रदेश में एन.टी.पी.सी. की कार्यशाला के समय दुर्घटना

3879. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के करीमनगर जिले में एनटीपीसी के कार्यस्थल में होने वाली दुर्घटना में दो ठेका श्रमिक मारे गए;

(ख) यदि हां, तो इस घटना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या श्रमिकों को उनके कार्य स्थल पर पर्याप्त सुरक्षा नहीं दी गई थी;

(घ) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान कितनी दुर्घटनाएं हुईं; और

(ङ) एन.टी.पी.सी. के सभी संयंत्रों और श्रमिकों के लिए सुरक्षा उपाय बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) रामागुंडम चरण-III संयंत्र से संबंधित सभी कार्य मै. भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि. (भेल) को सौंपे गए थे। वॉयलर निर्माण का कार्य मै. भेल के उप ठेकेदार मै. लारसन एंड टूब्रो द्वारा किया जा रहा है। दिनांक 26 जून, 2002 को बॉयलर क्षेत्र में 9000 मि.मी. x 7000 मि.मी. आकार के एक फ्रेम को 33.568 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित करते समय 11.45 बजे (पूर्वाह्न) यह फ्रेम दुर्घटनावश जमीन पर आ गिरा। इस दुर्घटना में फ्रेम असेम्बली 21.468 की ऊंचाई पर गिरा और दो श्रमिकों को गंभीर चोटें आईं।

दोनों श्रमिक सुरक्षा बेल्ट और हेलमेट पहने हुए थे। तथापि, एक श्रमिक की सुरक्षा बेल्ट ठीक न होने के कारण वह भूतल पर आ गिरा। दूसरे श्रमिक की सुरक्षा बेल्ट ठीक लगी हुई थी, किन्तु 33.568 मीटर से 21.468 मीटर की ऊंचाई तक गिरते समय वह बीमों और ढांचे से टकरा गया।

उसी फ्रेम पर कार्य कर रहे दो श्रमिक सुरक्षा बेल्ट लगाए हुए होने के कारण सुरक्षित बच गए।

(ग) श्रमिकों को सुरक्षित तौर पर कार्य करने की दृष्टि से सुरक्षा बेल्ट, हेलमेट, सुरक्षात्मक जूते आदि उपलब्ध कराए गए थे।

(घ) विगत दो वर्षों के दौरान ऐसी कोई और घटना घटित नहीं हुई है।

(ङ) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन द्वारा अपने संयंत्रों और श्रमिकों के सुरक्षार्थ निम्नलिखित उपाय किए गए हैं–

(i) एनटीपीसी, बीएचईएल तथा इनके उप एजेंसी मैसर्स लारसन एंड टूब्रो द्वारा योग्य सुरक्षा अधिकारी कार्य पर लगाए गए हैं।

(ii) कार्य की शुरूआत से पूर्व प्रत्येक कार्य क्षेत्र के लिए एक सुरक्षा आश्वासन योजना तैयार की गई है।

(iii) दुर्घटनाओं को रोकने की दृष्टि से कार्य प्रक्रिया के आधार पर कार्यदल के लिए पुनश्चर्या सुरक्षा अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

(iv) दुर्घटनाओं की जांच के बाद के अनुभव और अनुशंसा के आधार पर सुरक्षा की ओर लगातार ध्यान दिया जा रहा है।

प्रशिक्षण के लिए विदेश जाने वाले अधिकारी

3880. श्री पी. डी. एलानगोवन : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज तक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु सरकारी क्षेत्र उपक्रम–वार कुल कितने तकनीशियन और कारपोरेट कर्मी विदेश गए;

(ख) क्या गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विदेशों में प्रशिक्षण हेतु अन्य पिछड़े वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी सरकारी क्षेत्र उपक्रम–वार ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभ भाई कथीरिया) : (क) से (ग) सरकारी उद्यमों के प्रबन्धन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के तकनीकीविदों तथा अन्य कार्मिकों को आवश्यकतानुसार अपने स्तर पर विदेशों में प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त करते हैं। वे विदेशों में प्रशिक्षण के लिए कार्यपालकों को भी प्रायोजित करते हैं, जिसके लिए बाहरी वित्तपोषक अभिकरण विभिन्न सहायता योजनाओं के अन्तर्गत वित्तपोषण करते हैं। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विदेश जाने वाले कार्मिकों की कुल संख्या से सम्बन्धित सूचना को केन्द्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

बुक स्टालों से संबंधी व्यापारिक समझौता

3881. श्री भान सिंह भौरा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त 1960 से 31 दिसम्बर, 1967 तक मैसर्स ए.एच. व्हीलर एंड कं. सहित सभी बुकस्टाल संबंधी व्यापारिक समझौतों के खंडों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया;

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे स्टेशनों पर मैसर्स ए.एच. व्हीलर एंड कं. और मैसर्स हिगिन बॉथमस लि. का एकाधिकार है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) बेरोजगार और अशिक्षित युवकों को बुक स्टाल आवंटित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) रेलों ने मैसर्स ए.एच. व्हीलर एंड कम्पनी सहित अलग–अलग बुक स्टाल धारियों के साथ पृथक्–पृथक् समझौता किया है। अतः सभी समझौते एक दूसरे से भिन्न हैं।

(ग) और (घ) जी, नहीं। इस समय भारतीय रेलों पर 60 प्रतिशत से अधिक बुकस्टाल मैसर्स ए.एच. व्हीलर एण्ड कम्पनी और मैसर्स हिग्गिनबाथम्स लि. से इतर को आवंटित किए गए हैं।

(ङ) बुकस्टालों का आवंटन बेरोजगार स्नातकों की को–आपरेटिव सोसायटी, जिसमें वास्तविक कर्मचारी/वेंडर्स, बेरोजगार स्नातकों की भागीदारी तथा उनके संगठन, रेलकर्मी, जो सेवारत हों या सेवानिवृत्त हों, के बेरोजगार स्नातक पुत्र/आश्रित या उपरोक्त से इतर बेरोजगार स्नातक शामिल हैं, को किया जाता है।

[हिन्दी]

ऊर्जा पार्क

3882. श्रीमती जयश्री बैनर्जी : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, जबलपुर में ऊर्जा पार्क हेतु एक योजना को मंजूरी दे दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ कितना अनुदान स्वीकृत किया गया है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) और (ख) ऊर्जा पार्क योजना के अंतर्गत राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, जबलपुर में एक ऊर्जा पार्क को स्थापित करने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। सौर प्रकाशवोल्टीय सड़क रोशनी (4 संख्या), सौर प्रकाशवोल्टीय घरेलू रोशनी (2 संख्या), सौर प्रकाशवोल्टीय लालटेन (2 संख्या), सौर कुकर (2 संख्या) एक सौर प्रकाशवोल्टीय रंगीन टेलीविजन, एक सौर प्रकाशवोल्टीय पंप, एक सौर जल तापन प्रणाली (500 लि. प्रतिदिन), एक सौर स्टिल, एक सौर रेडियो, एक बायोगैस संयंत्र (कट मॉडल) और एक पवन पंप जैसी विभिन्न अक्षय ऊर्जा प्रणालियों/युक्तियों की स्थापना के लिए 6.27 लाख रुपए का कुल अनुदान स्वीकृत किया गया है।

रेल पूछताछ के व्यस्त फोन

3883. श्री अशोक ना. मोहोल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रेलों के समय और आरक्षण स्थिति के संबंध में सूचना देने वाले टेलीफोन नम्बर 1330 और 1335 लगातार घंटों व्यस्त रहते हैं;

(ख) क्या रेलवे और एम.टी.एन.एल. उपभोक्ताओं को हो रही परेशानी के लिए एक-दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं;

(ग) क्या उनके आरोपों और प्रत्यारोपों के बीच उपभोक्ताओं की समस्याएं बढ़ रही हैं; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी नहीं। बहरहाल, व्यस्त अवधि के दौरान ये नम्बर कुछ समय के लिए व्यस्त हो जाते हैं।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

फुल रेक प्वाइंट

3884. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने नीमच, रतलाम और रीवा रेलवे स्टेशनों पर फुल रेक प्वाइंट के लिए अनुमति दिए जाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश एवं उत्तरांचल में पेट्रोल के भंडार

3885. श्री ए. नरेन्द्र : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश एवं उत्तरांचल में पेट्रोल का कोई भंडार है तथा इन राज्यों में पेट्रोल का अपकर्षण करने के लिए कितने पंप लगाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या पेट्रोल के अपकर्षण के लिए संयुक्त उद्यम से कोई जोन गठित किया गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन उद्यमों का हिस्सा कितना है तथा खोज कार्य में सरकार को हानि, यदि कोई हो, तो कितनी हुई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) 1.4.2002 की स्थिति के अनुसार आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि. (ओएनजीसी) ने आंध्र प्रदेश राज्य में तेल एवं तेल समतुल्य गैस के लगभग 57 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) अंतिम भंडार प्रमाणित किए हैं। 1.4.2002 की

स्थिति के अनुसार आंध्र प्रदेश राज्य में कुल 81 (25 तेल के तथा 56 गैस के) कूप उत्पादनरत हैं। उत्तरांचल राज्य में न तो राष्ट्रीय तेल कंपनियों (एनओसीज) और न ही निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों के द्वारा कोई हाइड्रोकार्बन भंडार प्रमाणित किए गए हैं।

(ख) और (ग) आंध्र प्रदेश राज्य में निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों के साथ 2 अन्वेषण ब्लाकों के लिए नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं पर हस्ताक्षर किए गए हैं :

क्र.सं.	ब्लाक	परिसंघ	प्रतिभागिता हित
1.	जीएन–ओएन 90/3	हिन्दुस्तान आयल एक्सप्लोरेशन कंपनी लि. (एचओईसी)	75 प्रतिशत
		मफतलाल इंडस्ट्रीज इंडिया लि.	25 प्रतिशत
2.	केजी–ओएन/1	टुल्लो इंडिया आपरेशन्स लि.	60 प्रतिशत
		रिलायंस इंडस्ट्रीज लि.	40 प्रतिशत

उत्तरांचल राज्य के अंतर्गत किसी अन्वेषण ब्लाक का प्रस्ताव नहीं किया गया है।

अन्वेषण कार्य के संबंध में सरकार द्वारा कोई हानि नहीं उठाई गई है।

ग्रामीण विद्युतीकरण

3886. श्री चन्द्र विजय सिंह : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की ग्रामीण विद्युतीकरण और ऊर्जा प्राधिकरणों की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो क्या वे जिला पंचायत या नगर पालिका बोर्ड के अधीन कार्य करेंगे;

(ग) यदि हां, तो क्या ग्रामीण विद्युतीकरण को बिजली के वाणिज्यिक आपूर्ति से अलग करने और ग्रामीण क्षेत्र के लिए राजसहायता देने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) से (ङ) 3 मार्च, 2001 को आयोजित मुंख्य मंत्रियों के सम्मेलन में संकल्पित एक मामला यह था कि राज्यों को सब्सिडी का भुगतान राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः बजटीय प्रावधान के जरिए सब्सिडी का भुगतान करने की क्षमता की सीमा तक दी जाए।

एफ.एम. रेडियो के लिए लाइसेंस फीस में कमी

3887. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या केन्द्र सरकार नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर उन कारणों की जांच कर रही है जिसके आधार पर उन निजी संचालकों जो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन रेडियो चलाते हैं से वसूला जाने वाला लाइसेंस शुल्क को कम किया गया जिसके परिणामस्वरूप लगभग 17.79 करोड़ रुपए की राजस्व हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणाम क्या हैं; और

(घ) इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (घ) यह विषयगत मामला 1993 में पहले लिए गए

निर्णय से संबंधित है और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां 2002 (सिविल) की रिपोर्ट सं. 2 में दी गयी हैं जो कि हाल ही में प्राप्त हुई हैं। उस समय के पुराने अभिलेखों और ब्यौरों की पूर्ण जांच करने के बाद ही तथा उपयुक्त समझी जाने वाली कार्रवाई करने पर विचार किया जा सकता है।

[हिन्दी]

आमान परिवर्तन परियोजनाएं

3888. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई :
श्री राजो सिंह :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से आमान परिवर्तन के संबंध में परियोजनावार कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) प्रत्येक प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) देश में नवीन/चालू और लम्बित आमान परिवर्तन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति सहित परियोजनावार ब्यौरा क्या है;

(घ) इनमें से प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई और उस पर कितना व्यय हुआ है;

(ङ) क्या आमान परिवर्तन परियोजनाओं के लिए आवंटित धनराशि का अन्यत्र कार्यों हेतु उपयोग किया जा रहा है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निर्धारित तिथि क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार, प्रत्येक वर्ष परियोजनाओं के पूरा होने की लक्ष्य की तिथि निर्धारित की जाती है, आमान परिवर्तन के निम्नलिखित कार्यों को 2002–2003 के दौरान पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है।

खंड	कि.मी.
लातूर–लातूर रोड	42
लूनी–समदारी–जसई	196
बादालूर–व्रिधाचलम	27
मैंगलोर–पुट्टूर	40
धर्माबाद–निजामाबाद	42
बोलारम–सिकन्दराबाद	14
काटपाड़ी–तिरुपति	104
राजकोट–जेतलसर	77
सुरेन्दरनगर–बोटाड–राजुला सिटी–पिपावाव	250

[अनुवाद]

परियोजनाओं और तेलशोधन कारखानों की क्षमताओं में विस्तार

3889. श्री विलास मुत्तेमवार :
श्रीमती प्रभा राव :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रीन फील्ड परियोजनाओं और पुराने तेलशोधन कारखानों की क्षमताओं में योजनाबद्ध विस्तार की परियोजनाओं को बंद किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कई पाइपलाइन परियोजनाओं को छोड़ दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें या तो छोड़ दिया गया है या जिन्हें बंद करने

का प्रस्ताव है और इन परियोजनाओं पर अब तक कितनी राशि खर्च की जा चुकी है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) इंडियन आयल कार्पोरेशन (आईओसीएल) ने निम्नलिखित विस्तार परियोजनाओं को त्याग/स्थागित कर दिया है :

कच्चा तेल पाइप लाइन

हल्दिया–बरौनी क्रूड पाइप लाइन का 11.5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमएमटीपीए) तक सुदृढ़ीकरण करना।

उत्पाद पाइप लाइन

(1) गुवाहाटी–सिलीगुड़ी पाइपलाइन के बोंगाई गांव–सिलीगुड़ी भाग का विस्तार और इसको बरौनी तक ले जाना।

(2) हल्दिया–मौरीग्राम पाइपलाइन के हल्दिया–मौरीग्राम भाग का विस्तार।

(3) मथुरा–जालंधर पाइपलाइन के मथुरा–दिल्ली भाग का 5.3 एमएमटीपीए तक विस्तार करना।

(4) कांडला–भटिंडा पाइपलाइन के पानीपत–भटिंडा भाग का 2.5 एमएमटीपीए तक सुदृढ़ीकरण करना।

(5) बरौनी–कानपुर पाइपलाइन के पटना–मुगलसराय भाग का सुदृढ़ीकरण।

चूकि उपर्युक्त परियोजनाएं केवल परिकल्पना स्तर पर ही थीं इसलिए कोई धनराशि व्यय नहीं हुई है।

(हिन्दी)

एनटीपीसी की परियोजनाएं

3890. श्री सुन्दर लाल तिवारी :
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्तमान में कार्यरत ताप विद्युत स्टेशनों की संख्या कितनी है और इनमें से कितने केन्द्र सरकार के अधीन हैं;

(ख) इनमें से कितने ताप विद्युत स्टेशन पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा इस संबंध में उनके मंत्रालय को कितने पत्र लिखे गए और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा पर्यावरण को हो रहे नुकसान को रोकने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं, और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) देश में 137 ताप विद्युत केन्द्र कार्यरत हैं जिनके यूनिटों की क्षमता 20 मेगावाट से अधिक है। इनमें से 29 ताप विद्युत केन्द्र केन्द्रीय क्षेत्र में आते हैं।

(ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सूचित किया है कि 22 ताप विद्युत केन्द्र निस्सरण सीमा की अनुपालना न करते हुए पर्यावरण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहे हैं।

(ग) से (ङ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रदूषण नियंत्रण मानकों की केन्दीय विद्युत प्राधिकरण, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं राज्य प्रदूषण बोर्डों द्वारा नियमित रूप से मॉनीटरिंग की जाती है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय विद्युत केन्द्रों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण मानकों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए एक दूसरे से परामर्श करते रहते हैं। इस संबंध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने विद्युत मंत्रालय को मई, 2002 में भी पत्र लिखा है। जहां तक एनटीपीसी के विद्युत केन्द्रों का संबंध है, इनके निरसरण एवं अपशिष्ट निर्धारित सीमा के अंदर हैं। प्रचालन मानदंडों के अनुकूलन और प्रदूषण नियंत्रण उपस्करों के अनुरक्षण जैसे उपयुक्त उपायों को अपनाकर प्रदूषण स्तर को निर्धारित सीमा के भीतर रखने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण विभिन्न विद्युत केन्द्रों के प्राधिकारियों के साथ विचार–विमर्श कर रहा है। के.वि.प्रा. द्वारा तैयार 10वीं योजना के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम में प्रदूषण एवं पर्यावरण नियंत्रक उपस्करों का उन्नयन एवं उनकी अधिष्ठापना शामिल है।

वस्तुओं की बरामदगी

3891. श्री रामदास आठवले : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) रेलवे के गोदामों से कितने रुपए मूल्य की वस्तुओं को बरामद किया गया;

(ख) क्या रेलवे ने आर.पी.एफ./जी.आर.पी. पुलिस स्टेशनों में रखी गयी बरामद वस्तुओं/संपत्तियों के बारे में संबंधित व्यक्तियों को सूचित करने की कोई त्रुटिहीन प्रणाली विकसित की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

'स्पीड' पेट्रोल

3892. श्री नरेश पुगलिया :
श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री अशोक ना. मोहोल :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड ने मुंबई और नई दिल्ली में कुछ विक्रय केन्द्रों पर उच्च श्रेणी के वाहनों के लिए विशेषतः 'स्पीड' नामक नयी प्रीमिक्स्ड जेनरेशन ईंधन की बिक्री शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस 'स्पीड' नामक ईंधन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(घ) सामान्य लीड रहित पेट्रोल की कीमतों की तुलना से इसकी कीमतें कितनी अधिक होने की संभावना है;

(ङ) क्या देश के अन्य महानगरों में इस ईंधन के शुरू किए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) जी, हां। भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) ने मुंबई में कुछ खुदरा बिक्री केन्द्रों पर अपने नई पीढ़ी के ईंधन, "स्पीड" की शुरूआत की है। फिलहाल यह ईंधन 25 खुदरा बिक्री केन्द्रों पर उपलब्ध है तथा ग्राहक को इस विकल्प के साथ कि वह अपनी पसन्द के ईंधन का चयन कर सकता है, इसे ग्राहकों को सामान्य ईंधन के साथ-साथ देने का प्रस्ताव किया जा रहा है। इस ईंधन की शुरूआत का उद्घाटन 9 जुलाई, 2002 को मुंबई में किया गया था और ग्राहकों की प्रतिक्रिया नितान्त अनुकूल रही है।

(ग) "स्पीड" एक ऐसा अधिक कार्यनिष्पादन वाला ईंधन है जो इंजन के समग्र कार्यनिष्पादन की वृद्धि करता है तथा इसका अधिक सहज चालन सुनिश्चित करता है। "स्पीड" का बहु क्रियात्मक योगजों के साथ मिश्रण किया जाता है जो ईंधन के ऐसे जमावों को साफ करते हैं जिनसे इंजन के कार्यनिष्पादन में बाधा आती है। एक नए वाहन में ईंधन अंतःक्षेपक, कारब्यूरेटर ईंधन इंटेक वाल्व तथा पोर्टस एवं दहन प्रकोष्ठ जमाव मुक्त होते हैं। तथापि, कुछ समय बाद कार्बन जमाव उपरोक्त पुरजों पर एकत्र होने लगते हैं जिससे ये वाहन के कार्यनिष्पादन को कम करते हैं। "स्पीड" ईंधन इन जमावों को दूर करके इंजन के मूलभूत कार्यनिष्पादन को दुबारा बहाल करने में सहायता करता है तथा आगे ऐसे और जमाव बनने से रोकता है। इससे ग्राहकों को प्राप्त होने वाले लाभों में अधिकतम शक्ति, अपेक्षाकृत गतिवर्द्धन उन्नत माइलेज एवं कम उत्सर्जन स्तर हैं।

(घ) "स्पीड" ईंधन का मूल्य मुंबई में सामान्य पेट्रोल के विक्रय से 1.25 रुपए अधिक निर्धारित किया गया है।

(ङ) और (च) जी, हां। इस ईंधन "स्पीड" की शुरूआत दिल्ली में पहले ही कर दी गई है तथा अन्य महानगरों अर्थात चेन्नई एवं कोलकाता के चुनिंदा खुदरा बिक्री केन्द्रों में इसकी शुरूआत जल्दी ही की जानी है। इसके अतिरिक्त "स्पीड" ईंधन सितंबर, 2002 के अंत तक बंगलौर, हैदराबाद तथा अहमदाबाद में उपलब्ध कराया जाएगा।

समुद्र तटीय और अपतटीय खुदाई संबंधी खोज

3893. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

ऐसी कंपनियों का ब्यौरा क्या है जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में विशेषकर भारत और विदेश के समुद्रतटीय और अपतटीय खुदाई, तेलशोधन और पाइपलाइन के निर्माण में सक्रिय रूप से कार्यरत है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस क्षेत्र के अंतर्गत प्रमुख कंपनियों एवं उनके वर्तमान क्रियाकलापों के ब्यौरे नीचे तालिका में दिए गए हैं

क्र.सं.	कंपनी का नाम	कंपनी की प्रकृति (अर्थात् सा.क्षे.उ./निजी)	वर्तमान क्रियाकलाप
1	2	3	4
1.	आयल एंड नेचुरल गैस कार्पो. लि.	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सा.क्षे.उ.)	अन्वेषण तथा उत्पादन (ई एंड पी), शोधन, इसकी सहायक कंपनी ओएनजीसी–विदेश लि. के माध्यम से विदेश में अन्वेषण ब्लॉकों तथा उत्पादनशील संपत्तियों का अर्जन
2.	आयल इंडिया लि.	सा.क्षे.उ.	अन्वेषण एवं उत्पादन तथा विभिन्न रिफाइनरियों की कच्चे तेल का परिवहन
3.	इंडियन आयल कार्पो. लि.	सा.क्षे.उ.	शोधन तथा विपणन
4.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो. लि.	सा.क्षे.उ.	शोधन तथा विपणन
5.	भारत पेट्रोलियम कार्पो. लि.	सा.क्षे.उ.	शोधन तथा विपणन
6.	मंगलौर रिफाइनरी एंड पेट्रो–केमिकल्स लि.	संयुक्त उद्यम	शोधन
7.	गैस अथारिटी आफ इंडिया लि.	सा.क्षे.उ.	पाइपलाइनें, गैस का परिवहन एवं विपणन तथा पेट्रो–रसायनों का उत्पादन
8.	रिलांयस इंडस्ट्रीज लि.	निजी	अन्वेषण एवं उत्पादन तथा शोधन
9.	हार्डी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन इंडिया लि.	निजी	हाइड्रोकार्बनों का अन्वेषण एवं उत्पादन
10.	नीको रिर्सोसेज लि.	निजी	अन्वेषण एवं उत्पादन
11.	हिन्दुस्तान आयल एक्सप्लोरेशन कंपनी	निजी	अन्वेषण एवं उत्पादन
12.	कैर्न इनर्जी इंडिया प्रा.लि.	निजी	अन्वेषण एवं उत्पादन

1	2	3	4
13.	एस्सार आयल लि.	निजी	अन्वेषण एवं उत्पादन
14.	फोनिक्स ओवरसीज लि.	निजी	अन्वेषण एवं उत्पादन
15.	गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कंपनी लि.	सा.क्षे.उ. (राज्य)	अन्वेषण एवं उत्पादन
16.	सेन्चूरियन इनर्जी लि.	निजी	अन्वेषण एवं उत्पादन
17.	ब्रिटिश गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन इंडिया लि.	निजी	अन्वेषण एवं उत्पादन
18.	ओएजी गाजप्राम	निजी	अन्वेषण एवं उत्पादन
19.	जोशी टेक्नोलाजी लि.	निजी	अन्वेषण एवं उत्पादन
20.	मोस्बाचर इंडिया एलएलसी	निजी	अन्वेषण एवं उत्पादन
21.	जीयो–एनप्रो	निजी	अन्वेषण एवं उत्पादन
22.	ओकलैंड इंटरनेशनल टेक्नोलोजी लि.	निजी	अन्वेषण एवं उत्पादन
23.	सेलन एक्सप्लोरेशन टेक्नोलोजी लि.	निजी	अन्वेषण एवं उत्पादन
24.	लार्सन एंड टूब्रो	निजी	अन्वेषण एवं उत्पादन
25.	इंटरलिंग पेट्रोलियम लि.	निजी	अन्वेषण एवं उत्पादन
26.	एम.डी.पेट्रोम आयल एंड गैस प्रा.लि.	निजी	अन्वेषण एवं उत्पादन
27.	पेट्रोनेट इंडिया लि.	निजी	पेट्रोलियम उत्पाद पाइप लाइनें बिछाना

[हिन्दी]

इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा एच.एस.डी./एम.एस. का आयात

3894. श्री प्रहलाद सिंह पटेल : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड को केवल हाई स्पीड डीजल, लाइट डीजल आयल और मोटर स्पिरिट का ही आयात करने की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इस एकाधिकार के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार परिवर्तित आयात नीति के मद्देनजर इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र में भागीदारी सुनिश्चित करने का है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के आयात के संबंध में कोई नीति बनाई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) 1.4.2002 से प्रभावी वर्तमान निर्यात–आयात नीति 2002–2007 के अनुसार मोटर स्पिरिट (एमएस) (सभी प्रकार), उड्डयन इंजन ईंधन (एटीएफ), हाई स्पीड डीजल (एचएसडी), प्राकृतिक गैस लिक्विड (एनजीएल), लाईट डीजल

आयल (एलडीओ) आदि का आयात निर्यात–आयात नीति के पैरा 2.11 के अध्यधीन राज्य व्यापार उद्यम के तौर पर इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से करने की अनुमति है।

(ख) से (ङ) पेट्रोलियम उत्पादों के आयात संबंधी नीति निर्यात–आयात नीति 2002–2007 के अंतर्गत आती है। इस नीति के अनुसार यद्यपि, उपर्युक्त पैरा (क) में उल्लिखित उत्पादों का आयात राज्य व्यापार उद्यम के रूप में इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से करने की अनुमति है तो भी विदेश व्यापार महानिदेशक इन उत्पादों में से किसी उत्पाद का आयात करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को लाइसेंस/सर्टीफिकेट/अनुमति दे सकते हैं।

[अनुवाद]

उच्चतम न्यायालय द्वारा सभी प्रकार के भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध

3895. श्री अधीर चौधरी : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को दिल्ली में सभी प्रकार के भारी वाहनों, जो भारत स्टेज–दो धुएं का मानदंड पूरा नहीं करते, की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने संबंधी उच्चतम न्यायालय के आदेशों की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति) : (क) और (ख) जी, हां।

माननीय उच्चतम न्यायालय में एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ और अन्य मामले में तारीख 6 दिसंबर, 2001 को निम्नानुसार संप्रेक्षण किया

> "अतः, यह प्रस्ताव किया जाता है कि 15 जनवरी, 2002 से कोई भी भारी, मध्यम या हल्का मालवाहक यान दिल्ली या नई दिल्ली से गुजर कर अंतरराज्यीय मार्गों पर नहीं चलेगा। केवल ऐसे मालवाहक यानों को, जो चुंगी/पथकर का संदाय करके दिल्ली में या दिल्ली से माल लाते या ले जाते हैं, गुजरने की अनुज्ञा दी जाएगी। पुलिस आयुक्त को यह निदेश दिया जाता है कि वह इस निमित्त एक स्कीम बनाए और सभी संबंधितों में उसका प्रचार करे तथा उसे क्रियान्वित करे।"
>
> 2002 (1) स्केल 162

माननीय उच्चतम न्यायालय ने तारीख 15 जुलाई, 2002 को निम्नलिखित और अभिनिर्धारित किया :

> "हमें दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के विद्वान काउंसेल द्वारा यह सूचित किया गया है कि वर्ष 2001 के इस न्यायालय के आदेश के बावजूद भी अभिवहन में लगे हुए यानों को सीमा पर रोका तक नहीं जाता है और उन सभी को दिल्ली से होकर गुजरने की अनुज्ञा दी जाती है। विद्वान काउंसेल ने यह बताया है कि स्कीम तैयार कर ली गई है, जिसे वस्तुतः न्यायालय को बताया गया है। यह अनुमान लगाना कठिन है कि विभाग द्वारा तैयार की गई कितनी स्कीमें इस न्यायालय के आदेश के पालन में होंगी। यदि उक्त स्कीम अभिवहन में किसी ट्रक को दिल्ली से गुजरने की अनुमति देती है तो पुलिस आयुक्त का इसके लिए यह कारण बताना होगा कि इस न्यायालय के तारीख 6 दिसंबर, 2001 के आदेश का अनुपालन क्यों नहीं किया गया और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र तथा पुलिस आयुक्त को यह निदेश दिया जाता है कि वे ऐसे सभी भारी वाहनों को, जो प्रवर्ग–2 मानदंडों के अनुपालन में नहीं हैं, दिल्ली से गुजरने देने के लिए और उन्हें न रोके जाने के लिए तथा विशेष रूप से इस बात के लिए कारण बताएं कि इस न्यायालय के दिसंबर, 2001 के आदेश के अनुपालन के लिए प्रत्यर्थियों द्वारा कोई प्रभावी उपाय क्यों नहीं किए गए हैं।"

अधिवक्ता अधिनियम की समीक्षा

3896. श्री महबूब जहेदी : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारतीय विधि आयोग ने अधिवक्ता अधिनियम 1961 की समीक्षा हेतु एक अध्ययन किया है,

(ख) क्या इस अध्ययन में, अन्य बातों के साथ–साथ विदेशी विधिक सलाहकारों को प्रवेश देने और वकालत तथा विधिक प्रबंधन में उदारीकरण की बात की गई है, और

(ग) यदि हां, तो क्या इससे भारत में वकालत के पेशे और विधिक संस्थाओं के प्रबंधन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा?

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति) : (क) और (ख) 15वें विधि आयोग ने अधिवक्ता अधिनियम, 1961

के पुनर्विलोकन के लिए अध्ययन आरंभ किया है। इस विषय पर एक कार्य–पत्र तैयार किया गया था जिसे वर्ष 1999 के दौरान विभिन्न संबंधितों को परिचालित किया गया था। कार्य–पत्र में विषय के अध्ययन के अंतर्गत विदेशी विधि परामर्शदाताओं का प्रवेश और विधि व्यवसाय तथा प्रबंधन, आदि का उदारीकरण भी था। तथापि, वर्तमान 16वां आयोग विदेशी विधि परामर्शदाताओं के प्रवेश और विधि व्यवसाय तथा प्रबंधन, आदि के उदारीकरण से भिन्न उक्त कार्य–पत्र में लिए गए कुछ अन्य मुद्दों से संबंधित रिपोर्ट को अंतिम रूप दे रहा है।

(ग) चूंकि विधि आयोग ने यह संसूचना दी है कि उसके द्वारा विदेशी विधि परामर्शदाताओं के प्रवेश और विधि व्यवसाय तथा प्रबंधन के उदारीकरण से संबंधित मुददों पर अपनी रिपोर्ट दिए जाने की संभावना नहीं है, अतः आशंका का प्रश्न ही नहीं उठता।

(हिन्दी)

नए विधि महाविद्यालय

3897. श्री बालकृष्ण चौहान : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विधि शिक्षा हेतु नए महाविद्यालय खोलने और उनको मान्यता दिए जाने से संबंधित नियम एवं शर्तें क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्ष के दौरान कितने महाविद्यालयों को मान्यता दी गई है; और

(ग) देश में नए विधि महाविद्यालय खोलने हेतु राज्यवार कितना धन आवंटित किया गया है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति) : (क) भारतीय विधिज्ञ परिषद ने सूचित किया है कि नए विधि महाविद्यालय खोलने और उनके संबंधन के अनुमोदन संबंधी सभी ब्यौरे भारतीय विधिज्ञ परिषद नियम के भाग 4 में दिए गए हैं।

(ख) भारतीय विधिज्ञ परिषद ने जनवरी, 1999 से जून, 2002 तक की अवधि के दौरान 71 नए विधि महाविद्यालयों के संबंधन का अनुमोदन किया है।

(ग) देश में नए विधि महाविद्यालय खोलने के लिए विधि और न्याय मंत्रालय की निधियों के आवंटन की कोई स्कीम नहीं है।

[अनुवाद]

सरकारी विभागों में उपव्यय

3898. श्री अमर राय प्रधान : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय को इस बात की जानकारी है कि वित्त मंत्रालय ने सरकारी विभागों में अपव्यय को न्यूनतम करने के लिए कदम उठाए हैं और विभिन्न सरकारी विभागों कतिपय क्षेत्रों की पहचान की है जिनमें सरकारी विभागों में अपव्यय सर्वाधिक हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके अधीन आने वाले मंत्रालय/विभागों के ऐसे क्षेत्रों का ब्यौरा है जिनकी पहचान मंत्रालय ने इस उद्देश्य के लिए कर ली है और 31 दिसंबर, 2001 की स्थिति के अनुसार गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इनमें कितने अपव्यय का पता लगाया गया; और

(ग) मंत्रालय द्वारा ऐसे अपव्यय में कटौती/कमी करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) इस प्रयोजन के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा विधि और न्याय मंत्रालय में किसी विनिर्दिष्ट सैक्टर की पहचान नहीं की गई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी भी प्रकार का अपव्यय नहीं देखा गया है।

(ग) वित्त मंत्रालय द्वारा समय–समय पर जारी किए गए मितव्ययिता संबंधी सभी अनुदेशों का सम्यक रूप से पालन किया जा रहा है।

राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की स्थापना

3899. श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :
डा. एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 24 जुलाई, 2002 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित समाचार के अनुसार सरकार के पास न्यायाधीशों की नियुक्ति करने और आचार संहिता तैयार करने हेतु राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के गठन हेतु एक प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश और कुछ प्रख्यात विधिवेत्ताओं ने न्यायिक पैनल के गठन हेतु सरकार के प्रयास का विरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव का विरोध करने के लिए उनके द्वारा क्या कारण दिए गए हैं;

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) सरकार द्वारा न्यायिक आयोग के गठन के संबंध में सरकार द्वारा आगे क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति) : (क) से (च) सरकार, एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के गठन के लिए प्रतिबद्ध है जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों/मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति की सिफारिशें करेगा और न्यायाधीशों के लिए आचार संहिता भी तैयार करेगा।

राष्ट्रीय न्यायिक आयोग गठित करने के प्रति राष्ट्रीय सर्वसम्मति बनाने की प्रक्रिया के भागरूप, राजनीतिक दलों से इस संबंध में उनके विचार संसूचित करने का अनुरोध किया जा रहा है। आयोग का गठन करने के लिए भारत के संविधान का संशोधन करना होगा।

प्रैस के एक भाग में रिपोर्ट की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया है कि रिपोर्ट के अनुसार भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की आवश्यकता महसूस नहीं करते, क्योंकि कालेजियम की विद्यमान पद्धति भली भांति चल रही है।

सरकारी अधिसूचना/आदेश पर स्थगनादेश जारी किया जाना

3900. श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंदी–विनिमय के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को अनुचित लाभ देने के उद्देश्य से न्यायालयों द्वारा सरकारी अधिसूचना/आदेश पर स्थगनादेश जारी करने एक अत्यंत संवेदनशील मसला है; और भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालयों को ऐसे स्थगनादेशों को जारी करना बंद करने के आशय के मार्गनिर्देश दिए जाने के बावजूद, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने महानिदेशक, विदेश व्यापार द्वारा जारी एक अधिसूचना के कार्यान्वयन पर स्थगनादेश दिया है, जो कि पाटनरोध निदेशालय और सी.ई.जी.ए.टी. के अधिकार–क्षेत्र का अतिक्रमण है–जैसाकि 19 मई, 1999 और 19 दिसंबर, 2001 के 'बिजनिस स्टैण्डर्ड' समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है कि ऐसे स्थगनादेशों के विरुद्ध सरकार द्वारा की गई अपीलों का न्यायालयों द्वारा प्राथमिकता–आधार पर निस्तारण किया जाए, चूंकि अंतरिम रूप से जारी स्थगनादेश भी चार वर्षों तक चलते हैं और इससे काफी अनुचित लाभ लिया जाता है एवं सरकारी नीतियों का भी विच्छेदन होता है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति) : (क) और (ख) न्यायालयों द्वारा रोक आदेशों का जारी किया जाना, न्यायालयों के सारवान कृत्यों से संबंधित है। यहां तक कि ऐसे रोक आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई भी न्यायालयों के सारवान कृत्यों की परिधि के भीतर आती है और सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है। सरकार न्यायालयों में न्यायिक प्रक्रियाओं का उपयोग कर सकती है और करती भी है तथा विधि के अनुसार मामलों के निपटारे में शीघ्रता लाने के लिए कार्रवाई करती है जिसके अंतर्गत किसी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिए गए रोक आदेशों के प्रति आक्षेप करना भी है।

मीडिया के कारण पर्यटन उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव

3901. श्री रतनलाल कटारिया : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या 13 दिसम्बर को संसद पर हुए हमले और भारत–पाकिस्तान युद्ध की संभावना के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया द्वारा निभाई गयी नकारात्मक भूमिका के कारण हमारे पर्यटन उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय मीडिया द्वारा अदा की गयी भूमिका कैसी थी; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीशों के लिए दिशानिर्देश

3902. श्री दलपत सिंह परस्ते :
श्री सी. के. जाफर शरीफ :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के वर्तमान न्यायाधीशों को जांच आयोग की अध्यक्षता करने से हतोत्साहित करने के लिए एक व्यापक दिशानिर्देशों का एक सैट तैयार किया है;

(ख) क्या उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि जांच आयोग के रूप में वर्तमान न्यायाधीश की नियुक्ति केवल उन्हीं विरले अवसरों पर की जाए जब यह बिल्कुल देश के हित में आवश्यक हो; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति) : (क) उच्चतम न्यायालय ने, टी. फेन वाल्टर और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य वाले मामले में तारीख 12 जुलाई, 2002 को अपने निर्णय में, किसी आयोग में उच्च न्यायालय के आसीन न्यायाधीश को ही नियुक्त किए जाने के लिए कुछ व्यापक दिशा–निर्देश तैयार किए हैं।

(ख) और (ग) जी, हां।

दिशा निर्देशों के अनुसार किसी उच्च न्यायालय के आसीन न्यायाधीश की, जांच आयोग अधिनियम के अधीन जांच आयोग के रूप में या किसी ऐसे न्यायिक पद पर नियुक्ति आपत्तिजनक नहीं है, जिसे विधि की अपेक्षा को पूरा करने के लिए किसी आसीन न्यायाधीश द्वारा ही भरा जाना है या जहां किसी न्यायाधीश की विशेषज्ञता या अनुभव अपेक्षित है, जैसे कि वित्त आयोग या विधि आयोग का सदस्य। आसीन न्यायाधीश, जांच आयोग के रूप में नियुक्त हो सकते हैं, यदि जांच, उच्चतर न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अन्य न्यायिक कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, की जा सकती है। नियुक्ति से आसीन न्यायाधीश के पद की गरिमा कम नहीं होनी चाहिए और न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित बनी रहनी चाहिए। आसीन न्यायाधीश की जांच आयोग के रूप में नियुक्ति ऐसे विरले अवसरों पर ही की जानी चाहिए, जब देश के सर्वोपरि राष्ट्रीय हित के लिए ऐसा करना आवश्यक हो जाए।

''पैलेस ऑन व्हील्स'' रेलगाड़ी के लिए सरकार द्वारा निवेश की गई धनराशि

3903. श्री कोलूर बसवनागौड : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में ''पैलेस ऑन व्हील'' सेवा आरंभ की गई है;

(ख) यदि हां, तो कर्नाटक में ''पैलेस ऑन व्हील'' और रेल सेवा के लिए सरकार द्वारा कितनी धनराशि का निवेश किया गया है; और

(ग) रेल विभाग द्वारा इसके बुनियादी ढांचे पर कितनी धनराशि खर्च की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

कोचीन में एलएनजी टर्मिनल

3904. श्री एन. एन. कृष्णदास : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेट्रोनेट द्वारा कोचीन में स्थापित किए जा रहे प्रस्ताविक एलएनजी टर्मिनल की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या एलएनजी को कोचीन से मंगलौर तक ले जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो सत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कायमकुलम टर्मिनल विद्युत स्टेशन की

एलएनजी की आपूर्ति नहीं किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) कोचीन एलएनजी टर्मिनल परियोजना के सारे परियोजना–पूर्व कार्य पूरा किए जा चुके हैं।

(ख) और (ग) कोचीन एलएनजी टर्मिनल की स्थापना के साथ गेल ने केरल और कर्नाटक राज्यों में विभिन्न उपभोक्ताओं की मांग के आधार पर गैस प्रेषण नेटवर्क स्थापित करने पर विचार किया है। गेल क्षेत्र में उपभोक्ताओं के साथ समझौते के आधार पर कोच्चि टर्मिनल से मंगलौर/बंगलौर और कायमकुलम तक गैस प्रेषण नेटवर्क को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

नगर निगम द्वारा एकत्रित किए गए कचरे से विद्युत का उत्पादन करना

3905. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नगर निगम द्वारा एकत्रित किए गए ठोस कचरे पर आधारित तिमारपुर विद्युत संयंत्र को व्यवहार्यता निश्चित करने के पश्चात् खरीदा गया था और 1990 में यह बन्द हो गया;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस विद्युत संयंत्र को डेनमार्क की फर्म से खरीदने के निर्णय से पहले मंत्रालय और दिल्ली नगर निगम को इसकी उपयोगिता ज्ञात थी और क्रय आदेश देने से पूर्व इसकी व्यवहार्यता अध्ययन किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) और (ख) जी, हां। तिमारपुर में रिफ्यूज इनसिनेरेशन संयंत्र को असफल परीक्षण संचालन के पश्चात् वर्ष 1990 में बंद कर दिया गया। चूंकि दिल्ली नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराया गया म्यूनिसिपल ठोस अपशिष्ट विद्युत उत्पादन के लिए इसके संचालन हेतु अपेक्षित ऊष्मीय मात्रा में पर्याप्त नहीं था।

(ग) और (घ) संयंत्र की स्थापना 3.75 मेवा. विद्युत के उत्पादन के लिए प्रतिदिन 300 टन म्यूनिसिपल ठोस अपशिष्ट के भष्मीकरण के लिए की गई थी। इस परियोजना को डैनिश विशेषज्ञों द्वारा किए गए अध्ययन के अलावा ऊर्जा के उत्पादन के लिए दिल्ली के म्यूनिसिपल ठोस अपशिष्ट का उपयोग करने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत आयोग द्वारा वर्ष 1981 में गठित किए गए कार्यदल के सुझावों; डेनमार्क में भारतीय दूतावास के माध्यम से प्राप्त विश्व में ऐसे अनेकों संयंत्रो को संयंत्रों आपूर्तिकर्त्ता द्वारा स्थापित करने के रिकार्ड के बारे में पुष्टि होने, दिल्ली नगर निगम से अपशिष्ट की विशेषताओं के बारे में सूचना और अपशिष्ट विशेषताओं के संबंध में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली द्वारा कराए गए अध्ययन के आधार पर व्यवहार्य माना गया था।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) द्वारा मणिपुर को वित्तीय सहायता

3906. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्युत विभाग, मणिपुर सरकार द्वारा मीटरों की आपूर्ति के लिए लंबित भुगतानों को जारी न करने के संबंध में आपूर्तिकर्त्ताओं से प्राप्त अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) के वित्त पोषण के लिए राज्य सरकारों द्वारा अभी शेष कितनी राशि जारी की जानी है;

(ख) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) द्वारा मणिपुर राज्य सरकार को प्रदान की गयी वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है और अब तक आपूर्तिकर्त्ताओं को कितना भुगतान किया गया है और शेष भुगतानों का ब्यौरा है; और

(ग) आपूर्तिकर्त्ताओं को कब तक शेष भुगतान जारी किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) विद्युत मंत्रालय को मणिपुर सरकार के विद्युत विभाग

को विद्युत मीटरों की आपूर्ति के एवज में लंबित भुगतान से संबंधित अभिवेदन मैसर्स कैपिटल पावर सिस्टम लि. नामक आपूर्तिकर्ता से प्राप्त हुआ है।

(ख) और (ग) वर्ष 1999–2000 के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा मणिपुर सरकार के विद्युत विभाग को विद्युत मीटरों की खरीद के लिए 5.16 करोड़ रुपए की ऋण सहायता स्वीकृत की गयी थी। दर्ज रिकार्ड के अनुसार ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा 4.40 करोड़ रुपए की राशि अवमुक्त कर दी गयी थी। मणिपुर सरकार द्वारा यह सूचित किया गया है कि निम्नलिखित राशियों का भुगतान विभिन्न फर्मों को उनके द्वारा किया गया है :

(i) मै. कैपिटल पावर सिस्टम लि.	–	183.00 लाख रुपए
(ii) मै. एलीमर इलेक्ट्रिक्स	–	145.00 लाख रुपए
(iii) विद्युत मीटर लगाया जाना	–	54.368 लाख रुपए
कुल		382.368 लाख रुपए

आपूर्तिकर्ताओं को बकाया देनदारियों के भुगतान में राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति ठीक न होने के कारण विलंब हो रहा है।

एलएनजी का आयात

3907. श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :
डा. एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 जुलाई, 2002 के 'हिन्दू' में "इंडिया एक्सप्लोरिंग वेज टु इम्पोर्ट एलएनजी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने एलएनजी का आयात करने के लिए कई देशों से बातचीत की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) विदेशों से पाइप लाइनों के माध्यम से या अन्य मार्गों से एलएनजी के आयात की वर्तमान स्थिति क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) जी, हां। तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) खुली सामान्य अनुज्ञप्ति (ओजीएल) के तहत है तथा पश्चिमी एवं पूर्वी तट दोनों पर सार्वजनिक साथ ही निजी कंपनियों द्वारा एलएनजी आयात करने के लिए अनेक अभिक्रम हैं।

तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) के आयात के बारे में जुलाई, 1999 में कतर की रास गैस तथा पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड (पीएलएल) के बीच एक करार हस्ताक्षर किया गया था। यह करार एलएनजी की 7.5 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष (एमएमटीपीए) मात्रा की आपूर्ति के संबंध में है, जिसमें 5 एमएमटीपीए मात्रा दहेज के लिए तथा 2.5 एमएमटीपीए मात्रा टर्मिनल के लिए है।

दहेज टर्मिनल परियोजना का दिसंबर, 2003 तक यांत्रिक रूप से पूरा होने का कार्यक्रम है।

एन.टी.पी.सी. द्वारा निधियां जुटाना

3908. श्री गंता श्रीनिवास राव : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम जनता के लिए इक्विटी जारी कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसे इसे कब तक जारी किए जाने की संभावना है; और

(ग) इस नये इक्विटी के साथ कितनी नव–उत्पादन क्षमता के जुड़ जाने का लक्ष्य है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन ने इक्विटी के पब्लिक इश्यू के साथ पूंजी बाजार में प्रवेश करने की संभावना तलाश करने का फैसला किया है।

पूर्वोत्तर राज्यों में तेल और गैस भंडारों की खोज

3909. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर राज्यों और पश्चिम बंगाल में तेल और गैस भंडारों की खोज के लिए क्या उपाय अपनाए गए हैं;

(ख) गैस और तेल की उपलब्धता के लिए इन राज्यों में कौन–कौन से क्षेत्र सकारात्मक लगते हैं; और

(ग) सरकार दीर्घकालीन योजना के माध्यम से वाणिज्यिक खोज के लिए त्रिपुरा में त्यक्त गैस भंडारों का सदुपयोग करने के लिए किन उपायों पर विचार कर रही है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) उत्तर–पूर्वी राज्य मुख्य रूप से ऊपरी असम और असम–अराकान फोल्ड बेल्ट के तलछटीय बेसिनों में आते हैं जबकि पश्चिम बंगाल, बंगाल बेसिन में आता है। भूगर्भीय सूचना के आधार पर ऊपरी असम और असम–अराकान फोल्ड बेल्ट के बेसिन को श्रेणी–1 और बंगाल बेसिन को श्रेणी–3 में रखा गया है, ऐसा उनकी संभाव्यता की सापेक्ष मात्रा का उल्लेख करते हुए किया गया है। नौवीं योजनावधि के दौरान राष्ट्रीय तेल कंपनियों ने उत्तर–पूर्वी राज्यों और पश्चिम बंगाल राज्य में 6,203 ग्राउंड लाइन किलोमीटर (जीएलके) द्विआयामी, 12,614 जीएलके और 673 वर्ग किलोमीटर त्रिआयामी भूकंपीय आंकड़े प्राप्त किए हैं और उत्तर–पूर्वी राज्यों और पश्चिम बंगाल राज्य में 160 अन्वेषणात्मक कूपों का वेधन किया है। राष्ट्रीय तेल कंपनियों द्वारा किए गए अन्वेषणात्मक प्रयासों के अलावा सरकार ने अब तक उत्तर–पूर्वी राज्यों में 21 अन्वेषणात्मक ब्लाकों और पश्चिम बंगाल में 11 ब्लाकों का प्रस्ताव किया है जिनमें नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति के जारी तीसरे दौर के अधीन उत्तर–पूर्वी राज्यों में प्रस्तावनाधीन 4 अन्वेषणात्मक ब्लाक और पश्चिम बंगाल में 1 अन्वेषण ब्लाक सम्मिलित हैं। उत्तर–पूर्वी राज्यों में 4 ब्लाकों और पश्चिम बंगाल में 1 ब्लाक के लिए उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं।

(ग) त्रिपुरा में विभिन्न उपभोक्ताओं द्वारा गैस का वर्तमान उपयोग उस 2.0 मिलियन मानक घन मीटर प्रति दिन (एमएमएससीएमडी) गैस के मुकाबले लगभग 1.2 एमएमएससीएमडी है, जिसे राज्य में आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) की वर्तमान जमीनी साज–संभाल क्षमता के अनुसार उत्पादित किया जा सकता है। त्रिपुरा के क्षेत्रों से दीर्घकालिक परिकल्पित गैस उत्पादन संभाव्यता 4 एमएमएससीएमडी है। वर्तमान में त्रिपुरा में गैस आधारित ऐसी 4 परियोजनाएं हैं, जो त्रिपुरा में गैस का उपयोग कर रही हैं। प्राकृतिक गैस का आवंटन चार विद्युत परियोजनाओं और एक उर्वरक परियोजना के लिए भी किया गया है।

कारगिल स्मृति लोप

3910. श्री पी. आर. किन्डिया : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 जुलाई, 2002 के 'दि टेलीग्राफ' (गुवाहाटी संस्करण) में 'रैप्स ऑफ गवर्नमेंट कारगिल एमनेशिया' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) आज की तिथि के अनुसार कारगिल वीरों की विधवाओं से किए गए सभी वायदों को पूरा किया जाना किस चरण में है; और

(घ) सरकार द्वारा इस मामले में शीघ्रता लाने हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (घ) सरकार का ध्यान दिनांक 11 जुलाई, 2002 के 'दि टेलीग्राफ' (गुवाहाटी संस्करण) में 'रैप्स ऑफ गवर्नमेंट कारगिल एमनेशिया' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है। इस समाचार में मुख्यतः कारगिल के हताहतों की विधवाओं/आश्रितों द्वारा झेली जा रही निम्नलिखित समस्याओं का उल्लेख किया गया है :

(i) कारगिल की विधवा के गांव में सड़क–निर्माण और बिजली आपूर्ति की उपलब्धता।

(ii) कारगिल की विधवा को व्यावसायिक प्रशिक्षण मुहैया कराना।

(iii) कारगिल की विधवा को आवंटित गैस एजेंसी के लिए बिजली कनैक्शन उपलब्ध न होना।

उपर्युक्त मुद्दे सामान्य प्रकृति के हैं और संबंधित राज्य सरकार और/अथवा स्थानीय प्राधिकारियों के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के तहत आते हैं। केन्द्रीय सरकार के पास संबंधित

राज्य सरकारों/स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा की गई घोषणाओं और उनके कार्यान्वयन की कोई सूचना नहीं है।

[हिन्दी]

बरौनी तेल शोधक कारखाना

3911. श्री राजो सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) बरौनी तेलशोधक कारखाने की उत्पादन क्षमता कितनी है और यह तेलशोधक कारखाना अपनी उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग कब से नहीं कर रहा है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस तेलशोधक कारखाने द्वारा अपनी उत्पादन क्षमता का कम उपयोग करने से उसे कितनी हानि हुई और इस हानि को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए;

(ग) इस तेलशोधक कारखाने की विस्तार योजना को किस तारीख तक पूरा किया जाना था और परियोजना को पूरा करने के लिए निर्धारित समय से अधिक समय लगने के कारण पड़ने वाले प्रभावों सहित उसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) इस तेलशोधक कारखाने की विस्तार योजना के विभिन्न कार्य किन-किन एजेंसियों को सौंपे गए थे और उनमें से किन एजेंसियों या पार्टियों ने इस कार्य से अपने को अलग कर लिया है;

(ङ) क्या सरकार विस्तार परियोजना में अनियमितता के जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) बरौनी रिफाइनरी की परिशोधन क्षमता 1.1.2001 से 3.3 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमएमटीपीए) से बढ़ाकर 4.2 एमएमटीपीए कर दी गई थी। 1981-82 से 2001-02 तक रिफाइनरी का क्षमता उपयोग संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) 2000-01 और 2001-02 के दौरान बरौनी रिफाइनरी को मुख्यतया उच्चतर आदान लागत अर्थात् कच्चे तेल की लागत के कारण घाटा उठाना पड़ा है।

घाटे कम करने के लिए बरौनी रिफाइनरी द्वारा मूल्य वर्धित उत्पादों जैसे कि हाई स्पीड डीजल, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस को अधिकतम बनाने, ईंधन और हानि में न्यूनीकरण जैसी कार्रवाइयां की गई हैं।

(ग) 4.2 एमएमटीपीए से 6 एमएमटीपीए तक बरौनी रिफाइनरी की क्षमता विस्तार परियोजना फरवरी, 2002 तक यांत्रिक रूप से पूरी की जानी थी। भारत हैवी प्लेट्स एंड वेसल्स (बीएचपीवी) द्वारा निष्पादित किए जा रहे एक पैकेज के अतिरिक्त सभी संविदाएं यांत्रिक रूप से निर्धारित समय पर पूरी कर ली गई थीं। इस परियोजना के यांत्रिक रूप से पूर्णतः सितंबर, 2002 तक पूरा हो जाने की आशा है।

(घ) यह परियोजना 4 एकमुश्त टर्न की संविदाओं के माध्यम से निम्नवत् क्रियान्वित की जा रही है :

कार्य क्षेत्र	संविदाकार
1. फ्ल्यूडाइटिड कैटेलिटिक क्रेकिंग यूनिट, गैसेलीन एंड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ट्रीटिंग यूनिट	मैसर्स सैम्संग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, कोरिया
2. डीजल हाइड्रो डिसल्फराइजेशन ट्रीटिंग यूनिट	मैसर्स सैम्संग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, कोरिया
3. सल्फर रिकवरी यूनिट, एमाइन रीजनरेशन यूनिट, सावर वाटर स्ट्रिपर यूनिट	मैसर्स भारत हैवी प्लेट्स एंड वेसल्स
4. हाइड्रोजन जनरेशन यूनिट, आफसाइट्स एंड यूटिलिटीज	मैसर्स लार्सन एंड टूब्रो

इनमें से किसी भी एजेंसी अथवा पक्षकार ने कार्य नहीं छोड़ा है और परियोजना से नहीं हटा है।

(ङ) और (च) परियोजना के विस्तार में इंडियन आयल कार्पोरेशन के किसी भी अधिकारी द्वारा कोई अनियमितता नहीं बरती हुई है। इसलिए कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष	स्थापित क्षमता एमएमटीपीए	क्रुड संसाधन एमएमटीपीए	% क्षमता उपयोग
1981–82	3.300	3.030	91.8
1982–83	3.300	3.071	93.1
1983–84	3.300	2.907	88.1
1984–85	3.300	2.896	87.8
1985–86	3.300	2.765	83.8
1986–87	3.300	2.860	86.7
1987–88	3.300	2.638	79.9
1988–89	3.300	2.815	85.3
1989–90	3.300	2.964	89.8
1990–91	3.300	2.416	73.2
1991–92	3.300	2.262	68.5
1992–93	3.300	2.287	69.3
1993–94	3.300	2.222	67.3
1994–95	3.300	2.220	67.3
1995–96	3.300	2.322	70.4
1996–97	3.300	1.895	57.4
1997–98	3.300	2.181	66.1
1998–99	3.300	2.204	66.8
1999–00	3.300	3.411	103.4
2000–01	3.500	3.122	88.7
2001–02	4.200	2.876	68.5

बाल विवाह पर प्रतिबंध

3912. श्री कैलाश मेघवाल : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की बढ़ती जनसंख्या वृद्धि दर पर रोक लगाने के लिए बाल विवाह पर प्रतिबंध आवश्यक है;

(ख) क्या आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने बाल विवाह पर रोक लगाने संबंधी कानून का विरोध किया है;

(ग) क्या देश में मुस्लिमों की बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड द्वारा बाल विवाह को रोकने संबंधी कानून का इस बहाने से विरोध करना कि यह उनके धर्म सम्प्रदाय कि विरुद्ध है, और यह इसके सफलतापूर्वक कार्यान्वयन में एक अड़चन नहीं है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में उनके मंत्रालय द्वारा उचित उपाय किए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति) : (क) 1978 के अधिनियम सं. 2 के, जिसके द्वारा पुरुषों और महिलाओं के विवाह की आयु को बढ़ाकर बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 का संशोधन किया गया था, उद्देश्यों और कारणों के कथन में देश में जनसंख्या वृद्धि को एक कारण के रूप में वर्णित किया गया था।

(ख) और (ग) बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 के संबंध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) ऊपर (ख) और (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

अल्प सूचना प्रश्न

पूर्वाह्न 11.07 बजे

[अनुवाद]

पश्चिमी ग्रिड में खराबी

1. **श्री नरेश पुगलिया :**
   श्री किरीट सोमैया :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी ग्रिड में खराबी के कारण दिनांक 30–31 जुलाई, 2002 की रात्रि में कुछ राज्य अंधेरे में डूब गए;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और कौन जिम्मेदार हैं;

(ग) क्या पश्चिमी ग्रिड में खराबी के कारण उक्त राज्यों की आवश्यक सेवाएं बाधित एवं प्रभावित हुईं;

(घ) यदि हां, तो ग्रिड की खराबी के फलस्वरूप क्या–क्या हानि हुई तथा प्रभावित राज्यों में सरकार द्वारा विद्युत आपूर्ति पुनः बहाल करने में कितना समय लगा; और

(ङ) भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति रोकने की दिशा में क्या उपाय किए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) जी, हां। 30 जुलाई, 2002 को 20.11 बजे पश्चिमी क्षेत्रीय ग्रिड में खराबी आ गयी, जिसके परिणामस्वरूप महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ एवं गोवा के कुछ भागों में विद्युत की अपूर्ति पूर्णतः अवरुद्ध हो गयी। केवल मुबंई शहर टाटा/बीएसईएस सिस्टम की सहायता से इस समस्या से प्रभावित नहीं हुआ।

(ख) अपर्याप्त वर्षा के कारण पश्चिमी क्षेत्र की विद्युत मांग में बढ़ोतरी हो गयी थी और इस वर्ष पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में विद्युत की क्षेत्रीय आवश्यकता लगभग 20 प्रतिशत अधिक है। जलाशयों में पानी का स्तर कम हो जाने की वजह से भी विद्युत की उपलब्धता तथा विद्युत उत्पादन में कमी हो गयी। इसके अलावा थर्मल यूनिटों के बाधाग्रस्त होने की वजह से स्थिति और खराब हो गयी है। इस प्रकार ग्रिड खराब होने के पूर्व अत्यंत जोखिमपूर्ण स्थितियों में कार्य कर रही थी। प्रणाली के बाधाग्रस्त होने के पूर्व भी पश्चिमी क्षेत्रीय ग्रिड पूरे जुलाई, 2002 माह में गंभीर रूप से बहुत कम फ्रीक्वेंसी स्तर पर क्रियाशील थी। पश्चिमी क्षेत्र लोड डिस्पैच सेंटर द्वारा बार–बार विद्युत का अति–आहरण करने से मना करने के बावजूद विभिन्न संघटक राज्य ग्रिड से प्रायः आवश्यकता से अधिक विद्युत प्राप्त कर रहे थे, जिसके परिणामस्वरूप पश्चिमी क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड द्वारा सहमत तथा भारतीय विद्युत ग्रिड कोड में निर्धारित प्रचालन फ्रीक्वेंसी के न्यूनतम 49.0 हर्ट्ज की तुलना में ग्रिड 48.0 हर्ट्ज से भी कम की फ्रीक्वेंसी पर कार्य कर रही थी।

(ग) जी, हां। वैसे स्थानों पर आवश्यक सेवाओं के व्यवस्था लिए विद्युत आपूर्ति प्रभावित हुई थी, जहां कोई वैकल्पिक उपलब्ध नहीं थी।

(घ) ग्रिड क्षतिग्रस्त होने के बाद, मरम्मत कार्य तत्काल आरंभ किया गया तथा विन्ध्याचल एचवीडीसी बाईपास के माध्यम से उत्तरी क्षेत्र से एनटीपीसी के कोरबा एसटीपीएल को 400 के.वी. कोरबा–विन्ध्याचल सर्किट पर सहायक विद्युत आपूर्ति को जारी रखा गया। दक्षिणी क्षेत्र के साथ तुल्यकालिक ढंग से प्रचालन में था, को छोड़कर 31.7.2002 को 10.52 बजे पश्चिमी क्षेत्र ग्रिड को समेकित किया गया। 31.7.2002 को सायं व्यस्ततमकाल समय में ग्रिड पूरी तरह से सामान्य हो गयी।

(ङ) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने पावर ग्रिड के पूर्व सीएमडी, श्री. आर. के. नारायण की अध्यक्षता में चार सदस्यीय समिति गठित की है ताकि 30.7.2002 को ग्रिड खराबी के कारणों की जांच और विश्लेषण किया जा सके और स्टार्ट–अप पावर समेत प्रणाली मरम्मत की समीक्षा की जा राके। समिति से 10 अगस्त, 2002 को अथवा उससे पहले रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

सचिव, विद्युत मंत्रालय ने भी ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपचारी उपायों की दृष्टि से 3 अगस्त, 2002 को पश्चिमी क्षेत्र संघटकों की एक बैठक आयोजित की। बैठक में इस बात पर सहमति थी कि–

(क) राज्यों से मरम्मत आदि के जरिए भार प्रबंधन के लिए कहा गया ताकि ग्रिड को 50.0 हर्ट्ज पर बनाए रखा जा सके। यदि लोड शेडिंग को पुनः बहाल करना हो तो इसका व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए और जनता को विश्वारा में लिया जाना चाहिए। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सुविचारित प्रचार अभियान चलाया जाना चाहिए।

(ख) उपलब्धता पर आधारित टैरिफ तंत्र का प्रावधान किया जाना चाहिए।

(ग) आवृत्ति के 49.0 हर्ट्ज से नीचे जाने की स्थिति में आरएलडीसी ऐसे राज्य विद्युत बोर्डों का पता लगाकर उन्हें आपूर्ति बंद कर सकता है, जो आवश्यकता रो अधिक विद्युत लेते हैं।

(घ) आवृत्ति के 48.5 हर्ट्ज से नीचे जाने की स्थिति में ग्रिड की सुरक्षार्थ आरएलडीसी को आवश्यक उपाय करने (और ग्रिड को 49.0 हर्ट्ज पर वापिस लाने) तथा आवश्यकता से अधिक विद्युत न ले रहे राज्यों को भी आपूर्ति कम करने का अधिकार होगा।

(ङ) ग्रिड संबंधी अनुशासन की अनुपालना न कर रहे राज्यों के सन्दर्भ में हतोत्साहनस्वरूप यह निर्णय लिया गया है कि केन्द्रीय उत्पादक स्टेशनों से गैर आवंटित विद्युत भाग/अंश में कटौती कर ली जाएगी अथवा वापिस ले लिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा कल, 9 अगस्त, 2002 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.08 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 9 अगस्त, 2002/ 18 श्रावण, 1924 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

© 2002 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रक
और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली–110006 द्वारा मुद्रित।